सप्तम माला, खंड 32, अंक 2, मंगलवार, 5 अक्तूबर, 1982/13 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दसवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : बार रुपए

विषय-सूची

अंक 2, मंगलवार, 5 अक्तूबर, 1982 / 13 आश्विन, 1904 (शक)

नये मंत्री का परिचय 1—2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर 2—22

*तारांकित प्रश्न संख्या : 21 से 27 और 32

प्रश्नों के लिखित उत्तर 23—226

तारांकित प्रश्न संख्या : 28, से 31, और 33, से 40

अतारांकित प्रश्न संख्या : 208 से 278, 280 से 294, 296 से 307, 309 से 344 और 346 से 437

सभा पटल पर रखे गये पत्र 227—228

विधेयकों पर अनुमति 229—230

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबन्धी समिति 230—232

26वां प्रतिवेदन

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 232—234, 299—318, 321—327

विभिन्न राज्यों में पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के समाचार तथा सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

श्री रवीन्द्र वर्मा 232, 299

श्री निहार रंजन लास्कर 233

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 307

प्रो० अजित कुमार मेहता 310

श्री कमला मिश्र मधुकर 312

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री दौलत राम सारण 314

श्री हरिकेश बहादुर 322

कार्य-मंत्रणा समिति 235

पैंतीसवां प्रतिवेदन

नियम 377 के अधीन मामले 235—242

(एक) नंगल जलाशय में बच्चों का डूब जाना

श्री मनीराम बागड़ी 235

(दो) कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को ट्रेफिक "लेंडिंग" अधिकार देकर उनका मार्ग कलकत्ता से होकर करने की आवश्यकता

श्री नीरेन घोष 236

(तीन) दिल्ली में जल पूर्ति में सुधार करने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री 237

(चार) कृषि पम्प सेटों की खरीद के लिए पर्याप्त ऋण देने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक 238

(पांच) कपास एकाधिकार खरीद योजना के अन्तर्गत कपास के गारन्टीशुदा मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौर 238

(छः) रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन डाक और तार कार्यालयों को खुला रखने की व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम् 239

(सात) 'पिगमी' जमा योजना की बहाली

श्री टी० आर० शमन्ना 240

(आठ) किमोर स्थित कम्पनी तथा फैक्ट्री को लेवी/गैर-लेवी सीमेंन्ट जारी करने तथा उसकी सप्लाई अधिकृत करने की आवश्यकता

श्री गुलशेर अहमद 241

(नौ) बिहार में महात्मा गांधी पुल का निर्माण पूरा करना

श्री राम विलास पासवान 242

अमृतसर आइल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक 242—279
विचार करने का प्रस्ताव

श्री भागवत झा आजाद 242

श्री सुनील मैत्रा 245

श्री गिरधारी लाल डोगरा 251

श्री जगपाल सिंह 253

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया 256

श्री सत्यनारायण जटिया 259

श्री गिरधारी लाल व्यास 260

श्री टी० आर० शमन्ना 264

श्री मूलचन्द डागा 266

श्री नारायण चौबे 268

श्री हरीश कुमार गंगवार 270

खण्ड 2 से 28 और 1

पारित करने का प्रस्ताव

श्री भागवत झा आजाद 279

सीमा शुल्क टैरिफ (दूसरा संशोधन) विधेयक 279—292

विचार करने का प्रस्ताव

श्री पट्टाभि राम राव 279

श्री ई० बालानन्दन 281

श्री राजेश कुमार सिंह 285

श्री भोगेन्द्र झा 286

श्री हरीश कुमार गंगवार 287

खण्ड 2, 3 और 1

पारित करने का प्रस्ताव

श्री पट्टाभि राम राव 292

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक 292—298

विचार करने का प्रस्ताव (चर्चा समाप्त नहीं हुई)

श्री प्रणव मुखर्जी 296

श्री सतीश अग्रवाल 296

ह्यूस्टन (सं० रा० अ०) में राष्ट्रपति की चिकित्सीय जांच के बारे में वक्तव्यय 293

श्री बी० शंकरानन्द 293

लेबनान पर इजराइली हमले के बारे में वक्तव्य 318—320

श्रीमती इन्दिरा गांधी 318

एक सर्वदलीय शिष्ट मंडल के 6 अक्तूबर, 1982 को मेरठ जाने के बारे में वक्तव्य 327—328

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 327

लोक सभा

मंगलवार, 5 अक्तूबर, 1982/13 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नए मंत्री का परिचय

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, मुझे आपको तथा आपके द्वारा सदन को अपने सहयोगी श्री एन० के० पी० साल्वे, राज्य मंत्री, जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र पद सौंपा गया है, का परिचय देते हुए बहुत खुशी हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ही श्री गणेश करते हैं, साल्वे जी ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम, श्री साल्वे और मैं, एक साथ क्रिकेट खेला करते थे ।

अध्यक्ष महोदय : आप अब भी खेलते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : वह प्रारंभिक बल्लेबाज हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इन्हीं से श्री गणेश करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न पूछे जाएंगे । श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : महोदय प्रश्न संख्या 21 और 22 एक जैसे हैं । मेरा अनुरोध है आप उन्हें एक साथ लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : अगर साल्वे जी एतराज न करें ।

एक माननीय सदस्य : कल, प्रो० मधु दंडवते ने भी ऐसा किया था ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या किया जा सकता है । वे एक समान हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : यदि मेरी पत्नी मेरा अनुकरण करती है तो आपको क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी स्थिति में मैं अनुमति देता हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि आपने अनुमति दे दी है तो हमें प्रो० मधु दंडवते का अनुकरण नहीं करना चाहिए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे): मैं स्वयं श्रीमती दंडवते को किसी बात के लिए इंकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इसे आरंभ करते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, कृपया मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अंतिम वक्ता होंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"इन्सेट"-1 ए की असफलता का एशियाई खेलों के प्रसारण पर प्रभाव

*21. श्री† जी० नरसिम्हा रेड्डी
श्री रशीद मसूद } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सेट—1 ए की असफलता का एशियाई खेलों के देश भर में प्रसारण की योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) क्या इस स्थिति का सामना करने के लिये कोई वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) और (ख): इनसेट-1 ए के खराब हो जाने के कारण एशियाई खेलों को देश भर में टेलीकास्ट करने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह (इंटेलसेट) का एक टी० वी० ट्रांसपोडर किराये पर लिया जा रहा है और कुछ आवश्यक उपकरण खरीदे जा रहे हैं ताकि सभी मौजूदा (बीस) और प्रस्तावित (इक्कीस) केन्द्र एशियाई खेलों को टेलीकास्ट कर सकें। वैकल्पिक व्यवस्था की कुल लागत 2.76 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के अंश सहित 2.30 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रबंध किए जा रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, प्रश्न संख्या 32 का उत्तर अभी पढ़ा नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय : 32 का भी जवाब दे दो पहले।

इन्सेट-1 ए में खराबी का रेडियो पर प्रभाव

*32. श्रीमती किशोरी सिन्हा†
श्रीमती प्रमिला दंडवते } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्सेट-1 ए" के खराब होने से रेडियो प्रसारण पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस प्रभाव का अनुमान लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (ख) से (ग) आकाशवाणी के दस केन्द्र इन्सेट-1 ए से सिगनल प्राप्त कर रहे थे। इन्सेट-1 ए के खराब हो जाने के परिणामस्वरूप, वे शार्टवेव एअरलिंक रिलों पर वापस आ गए हैं।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रबन्ध किये जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से विशेष तौर पर जानना चाहता हूं कि क्या 'इनटेलसेट' किराये पर लेने के सम्बन्ध में अंतिम समझौता कर लिया गया है और यदि हां, तो इसे कितने समय के लिये किराये पर लिया जायेगा और किराये के लिये कितनी राशि देनी पड़ेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : हमने अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार उपग्रह से टी० वी० ट्रांसपोडर किराये पर लेने सम्बन्धी पूरा समझौता कर लिया है। समझौते की अवधि एक वर्ष की होगी और किराया 1.9 करोड़ रुपये—1.82 करोड़ रुपये के रूप में और 0.19 करोड़ डालर के रूप में होगा।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या, इनसेट-1 बी के चालू होने तक 'इनटेलसेट' को किराये पर लेना सम्भव है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : मेरे विचार में प्रश्न काल्पनिक है।

एक माननीय सदस्य : उत्तर भी काल्पनिक हो सकता है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : इस समय प्रश्न काल्पनिक है।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार ने 'इनटेलसेट' द्वारा एशियन खेल दूरदर्शन से दिखाने के प्रबन्ध किये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 'इनटेलसेट' का उपयोग रेडियो कार्यक्रम के लिये करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : इस समय हम 'इनटेलसेट' को केवल टेलीविजन तक ही सीमित रखेंगे।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : सरकार रेडियो कार्यक्रमों के सभी रेडियो स्टेशनों से कैसे प्रसारित करने का विचार रखती है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : 'इनसेट' के असफल होने पर, कुछ रेडियो स्टेशन, जो 'इनसेट' द्वारा सिगनल प्राप्त कर रहे थे, वापिस शार्टवेव ट्रांसमिशन पर आ गये हैं।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : यह बात सच है कि 'इनसेट' कार्यक्रम पर चर्चा के दौरान आकाशवाणी के इंजीनियरों ने सुझाव दिया था कि माईक्रोवेव लिंक द्वारा भी इतने ही अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं ? यदि हां, तो क्या माईक्रोवेव लिंक का सब रेडियो स्टेशनों तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : हमें यह तकनीकी राय मिली है कि उपग्रह द्वारा प्रेषित कार्यक्रम अधिक अच्छे ढंग से देखे या सुने जा सकेंगे।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि जब 'इनसेट-1 ए छोड़ा गया था तो इनसेट-1 ए के निर्माताओं, फोर्ड एरोस्पेस तथा संचार निगम ने समय पर चेतावनी दी थी कि ईंधन आवश्यकता से अधिक है। तो फिर इसे क्यों छोड़ा गया ? क्या इसके असफल होने का यह भी एक कारण है ? चेतावनी के बावजूद भी इनसेट को छोड़ने के लिये कौन जिम्मेदार है ? 2.50 करोड़ रुपये के व्यय सहित, जिसे अमरीका तथा रूस के उपग्रहों का उपयोग करने के लिये सहना पड़ेगा। कुल कितनी लागत होगी और नया उपग्रह तैयार करने पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह सब तो कल हो चुका है कालिंग अंटेशन में।

इस पर कल ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान विचार हो चुका है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : लेकिन उत्तर नहीं दिया गया।

एक माननीय सदस्य : यह उनके मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : जहां तक इनसेट के तकनीकी पहलू, इसकी असफलता के तकनीकी कारणों, लागत आदि का सम्बन्ध है, उसका मैं माननीय सदस्य को एक अच्छा उत्तर देता लेकिन यह मेरे मन्त्रालय के कार्यक्षेत्र से बाहर है। इसका उत्तर किसी दिन कोई और मंत्रालय देगा। किराये सम्बन्धी आंकड़े मैं दे चुका हूं। इसकी लागत एक वर्ष केलिये टी० वी० ट्रांसपोंडर किराए पर लेने पर 1.82 करोड़ रुपये हो गये।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि सी० आई० ए० की तोड़-फोड़ के फलस्वरूप इनसेट-1 ए असफल हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : फिर वही प्रश्न, वही उत्तर।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार ने सुयोग्य वैज्ञानिकों द्वारा जांच करवाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो जांच समिति का गठन कब किया जायेगा और सरकार को कब तक उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 22—श्री मूलचंद डागा।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

*22. **श्री मूल चन्द डागा**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं और ये कितने समय से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इतना अधिक समय बीतने के बाद भी इन रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 4 पद रिक्त हैं। जिन तारीखों को उच्चतम न्यायालय के पिछले चार न्यायाधीश सेवा निवृत्त हुए हैं, वे निम्नलिखित हैं :

1. श्री न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्ण अय्यर	15. 11. 1980
2. श्री न्यायमूर्ति आर० एस० सरकारिया	16. 1. 1981
3. श्री न्यायमूर्ति ए० सी० गुप्ता	1. 1. 1982
4. श्री न्यायमूर्ति ए० डी० कौशल	7. 3. 1982

उच्चतम न्यायालय में रिक्त स्थानों को भरने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

15-9-1982 को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 94 पद भरे जाने थे। एक विवरण, जिसमें उच्च न्यायालयवार ब्यौरा और वे तारीखें हैं जिनसे रिक्तियां हुई हैं, सदन के पटल पर रख दिया गया है। राष्ट्रपति ने 11 व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। 2 व्यक्तियों के बारे में 27-9-1982 को और 4 व्यक्तियों के बारे में 1-10.1982 को अपेक्षित अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। अनुमोदित किए गए अन्य 5 नामों की बाबत अधिसूचनाएं शीघ्र ही जारी कर दी जायेंगी। इन नियुक्तियों के साथ 94 रिक्त स्थानों में से 11 रिक्तियों को भर दिया जाएगा।

नियुक्तियां करने की प्रक्रिया जटिल और लम्बी है क्योंकि विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से विचार विमर्श करना पड़ता है और नियुक्तियां करने के पूर्व राष्ट्रपति को उन पर सावधानी पूर्वक विचार करना होता है। राज्यों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है। कई मामलों में राज्यों से अभी प्रस्ताव प्राप्त होने हैं।

15-9-1982 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त स्थान, जो भरे जाने हैं

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	रिक्त स्थान	वह तारीख जिससे स्तम्भ 3 में दर्शित रिक्तियां हुई हैं
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	17	26-12-1980 7-02-1981 19-04-1981 5-05-1981 1-08-1981 19-08-1981 18-01-1982 20-03-1982 12-05-1982 7-07-1982 3-08-1982 10-09 1982 14-09-1982
			(शेष 4 पदों के बारे में कृपया पाद टिप्पण देवें)
2.	आन्ध्र प्रदेश	2	19-01-1982 23-03-1982
3.	बम्बई	5	20-12-1981 20-12-1981

1	2	3	4
			11-08-1982
			(शेष 2 पदों के बारे में कृपया पाद टिप्पण देखें)
4.	कलकत्ता	9	23-11-1979
			23-11-1979
			20-08-1982
			20-08-1982
			20-08-1982
			20-08-1982
			22-01-1982
			1-03-1982
			1-07-1982
5.	दिल्ली	6	28-05-1980
			7-06-1981
			7-06-1981
			11-09-1981
			11-09-1981
			7-06-1982
6.	गौहाटी	2	1-03-1980
			(शेष 1 पद के बारे में कृपया पाद टिप्पण देखें)
7.	गुजरात	1	13-08-1982
8.	हिमाचल प्रदेश	1	11-01-1980
9.	जम्मू-कश्मीर	3	23-02-1980
			(शेष 2 पदों के बारे में कृपया पाद टिप्पण देखें)
10.	कर्नाटक	1	(कृपया पाद टिप्पण देखें)
11.	केरल	5	1-08-1980
			18-01-1982
			22-04-1982
			(शेष 2 पदों के बारे में कृपया पाद टिप्पण देखें)
12.	मध्य प्रदेश	11	10-01-1981
			2-09-1981
			1-05-1982
			27-05-1982
			27-05-1982
			23-07-1982
			31-08-1982
			(शेष 4 पदों के बारे में कृपया पाद टिप्पण देखें)

1	2	3	4
13.	मद्रास	5	21-01-1981
			9-07-1981
			8-10-1981
			8-12-1981
			29-12-1981
14.	उड़ीसा	2	14-09-1979
			4-05-1982
15.	पटना	14	1-01-1981
			15-06-1981
			1-09-1981
			2-11-1981
			1-01-1982
			20-02-1982
			12-03-1982
			11-07-1982
		(शेष 6 पदों के बारे में कृपया पाद टिप्पण देखें)	
16.	पंजाब और हरियाणा	3	10-06-1982
			10-06-1982
			10-06-1982
17.	राजस्थान	7	15-06-1980
			25-06-1981
			20-07-1981
			25-06-1982
			5-08-1982
		(शेष 2 पदों के बारे में कृपया पाद टिप्पण देखें)	
		94	

टिप्पण:—ये नए पद हैं जो उस तारीख से मंजूर किए गए हैं जिसको वे पहली बार भर जाएंगे। उन्हें अभी पहली बार भरा जाना है।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय प्रश्न का उत्तर गढ़ने में बहुत मेहनत की गई है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यह देश का दुर्भाग्य है कि आज देश के अन्दर न्यायालयों में 6 लाख 75 हजार मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। उच्चतम न्यायालय में 48,643 मुकदमे पेंडिंग हैं और इतने मुकदमे पेंडिंग होने के बाद अभी आपको एक लतेड़ मिली है :

"देश के उच्च न्यायालयों में निर्णयाधीन मामलों की व्याख्या उच्चतम न्यायालय के न्याया-

धीश, न्यायमूर्ति ई० एस० वेंकट सुब्बया द्वारा प्रकृत इस विचार से अधिक अच्छे नहीं हो सकता —यदि सरकार 1000 करोड़ रुपये के करों को रोके तो सरकार को 3 करोड़ रुपये के ब्याज का घाटा होगा।"

और अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक लतेड़ दी है, लतेड़ नहीं कहना चाहिये, ऐक्सप्लेनेशन मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज को अपौइंट करने में 1980 के बाद लगी देर के लिये बड़ा अच्छा जवाब आपने एक सैन्टेंस में दिया है :

"उच्चतम न्यायालय के रिक्त स्थानों को भरने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।"

तो आप इसका उत्तर दीजिए कि 1980 के बाद आज तक 4 जजेज सुप्रीम कोर्ट की वैकैन्सीज क्यों नहीं पूरी हुई हैं ? साथ ही 3 करोड़ रुपये ब्याज के जो मिल सकते हैं वह भी खटाई में पड़े हैं और हाई कोर्टस् में 94 वैकेन्सीज आज खाली हैं, इसका क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : माननीय सदस्य ने यह बात उठायी है कि हाई कोर्ट में स्टेज ग्रान्ट किए गए है जिनकी वजह से सरकार का काफी मात्रा में रुपया रुक गया है और अगर वह स्टे न ग्रान्ट हों तो स्टेज को उसका फायदा पहुंच सकता है, और इतना सूद का नुकसान होता है। तो यह बात माननीय सदस्य की ठीक है कि जब अदालतों से स्टेट के रेवेन्यू को स्टे किया जाता है तो उस वक्त स्टेट को काफी दिक्कत पैदा होती है। स्टेट ने बार-बार अदालतों से यह निवेदन किया है कि जहां स्टेट का रेवेन्यू स्टे किया जाता है वहां बजट में फर्क पड़ता है, डेवलपमेंट स्कीम्स में फर्क पड़ता है। तो यह बात सुनने के बाद अदालतें सिर्फ कहीं-कहीं बैंक गारन्टी पर स्टे दे देती हैं। लेकिन स्टेट यह कहती है कि हमको तो रुपया चाहिये। अगर कल हमारे खिलाफ फैसला हो जायेगा तो हम रुपया वापस कर देंगे, आप हमको कुछ टर्म्स पर पुट कर दीजिये। तो बहुत दफा जजेज मान जाते हैं और बहुत दफा नहीं मानते हैं। माननीय सदस्य ने यह सवाल यहां उठाया है तो इसमें तो हमारी अपनी कठिनाई है, लेकिन उसका इस बात से ताल्लुक नहीं है कि जजेज कम हैं या ज्यादा हैं। वह तो इस बात से ताल्लुक है कि कुछ जजेज स्टे देते हैं और स्टे देने के बाद जो हमको असुविधा पैदा होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह प्रश्न न्यायाधीशों के स्टे देने के बारे में है।

श्री जगन्नाथ कौशल : यह प्रश्न राज्य के राजस्व को स्टे देने का है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही है कि 1980 के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपाइंटमेंट्स नहीं हुए हैं। तो उसके मुताल्लिक में एक बात कहना चाहता हूं कि 1980 के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेज इस सरकार ने अपाइंट किये हैं। जो यह वेकेन्सीज हुई हैं वह आपने देखा कि 2 वेकेन्सीज इस साल की हैं और 2 पहले की हैं। तो उसके मुताल्लिक कुछ नाम आये हैं, उस पर कुछ चर्चा चल रही है और कुछ वजूहात ऐसी हो गयीं जिसकी वजह से जल्दी से फैसला नहीं हो सका। मुझे बाहर जाना पड़ गया, उसके बाद वैकेन्सीज आ गई, उसके बाद अभी-अभी चीफ जस्टिस को एक महीने के लिए फिर बाहर जाना पड़ गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको मालूम है कि यह एप्वाइन्टमेंट्स करनी हैं और इन एप्वाइन्टमेंट्स का करना हमारे लिये काफी जरूरी है, लेकिन एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 1977 से पहले 14 की स्ट्रेन्थ थी।

श्री राम विलास पासवान : विदेश जाने का क्या मतलब है वैकेन्सीज से ?

श्री जगन्नाथ कौशल : आपस में चर्चा नहीं होती ।

श्री आर० एन० राकेश : विदेश का कार्यक्रम बाद में रखिये ।

श्री जगन्नाथ कौशल : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि 1977 से पहले सुप्रीम कोर्ट की सेंक्शन्ड स्ट्रैन्थ 14 थी । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी स्ट्रैन्थ 14 की बजाय 16 कर दो । गवर्नमेंट एक विधेयक लाई और कहा कि इनकी स्ट्रैन्थ 16 के बजाय 18 कर दो, फिल 16 करेंगे, बाकी दो फिर फिल करेंगे । मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 16 से ज्यादा जजेज कभी इन-पोजीशन नहीं हुए । जो दो जजेज रिटायर हुए हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज की स्थिति है, उसकी पोजीशन यह है कि यह जो दो जजेज 18 वाले हैं, इनको गिनकर 4 गिने जाते हैं । अभी तक 16 से ज्यादा जजेज कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए ।

जहां तक हाई-कोर्ट्स की बात है, वह भी आपको बताई है, पूरे आंकड़े दिये हैं, अगर आपने टेबल देखा हो तो उससे पता लगेगा कि जितनी वैकेन्सीज हैं, उसमें से बहुत ज्यादा 1982 में हुई हैं । यह प्रोसीजर है, जिसमें कहीं स्टेट्स से फुल प्रपोजल नहीं आते कहीं स्टेट को रैफर बैक किया जाता है । जब तक पूरा कंसल्टेशन होकर हमारे सामने मामला न आये, तब तक एप्वाइन्टमैंट करने में दिक्कत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेज का जब तक ठीक एप्वाइन्टमैंट न किया जाये, तब तक एप्वाइन्टमैंट करने से कोई फायदा नहीं ।

श्री मूल चन्द डागा : मंत्री महोदय ने सवाल का उत्तर बड़े ढंग से दिया है, लेकिन संतोष हुआ या नहीं, यह तो सदन बतायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपको संतोष हुआ या नहीं ?

श्री मूल चन्द डागा : मुझे तो नहीं हुआ । सवाल यह था—

"उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार के केन्द्रीय सरकार के यह स्पष्ट करने के लिये कहा कि विभिन्न उच्चतम न्यायालयों में अधिक समय तक इतने अधिक स्थान क्यों रिक्त रहे—कुछ मामलों में तो यह समय दो से तीन वर्षों का भी है ।"

आपने उत्तर क्या दिया है—

'नियुक्ति की प्रक्रिया जटिल है ।"

1979 से जजेज की वेकेन्सीज हैं । मुझे यह बतायें कि कितने मामले जो गवर्नर साहब के यहां पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में और कितने चीफ मिनिस्टर्स के पेंडिंग हैं या स्टेट्स के पास हैं, कितने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास, कितने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास और कितने आपके पास पेंडिंग हैं ? यह सारी मालूमात तो हों कि यह हैं कहां और कमजोरी है कहां ?

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात एश्योर कर सकता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो मदद देने वाले हैं, आप न्याय जल्दी दिलायेंगे, आप यह नहीं चाहेंगे कि न्याय में डिले हो । आज लाखों मुकदमें पेंडिंग हैं और आपके होते हुए होने नहीं चाहियें । मंत्री जी बड़ी तरकीब से जवाब दे रहे हैं । सवाल यह है कि लाखों मुकदमें आज पेंडिंग हैं और लिटिगेंट सबसे ज्यादा सरकार है । मैं पूछना चाहता हूं कि मुकदमें हैं कहां पेंडिंग ? 1979

से आज अक्तूबर, 1982 तक क्या मदद दे रहे है ? ढाई साल के अंदर कभी जजेज नहीं हुए। बताइये कहां-कहां पेंडिग हैं ?

हमारे नये जो मंत्री हैं, उन्होंने मेहनत काफी की है, वह यह बतायें कि स्टेट्स में कितने पेंडिग हैं, चीफ जस्टिस और आपके पास कितने पेंडिग हैं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : हमारे माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह बतायें कि मुकदमें कहां पेंडिग है, तो मुकदमे तो अदालतों में पेंडिग हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा सवाल यह है कि जजिज के एपायंटमेंट के मामले कहां पेंडिग हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : माननीय सदस्य ने कहा है कि आज सब से बड़ी लिटिगेंट गवर्नमेंट है, इस लिए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी जजिज की एपायंटमेंट्स करनी चाहिए। मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये एपायंटमेंट्स जल्दी से जल्दी की जायें। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि सचमुच प्रोसीजर की कमप्लेक्सिटी की वजह से देर लगती है, वर्ना देर लगनी नहीं चाहिए। लेकिन अब वह प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। हम काफी जोर से कोशिश कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा, हम एपायंटमेंट्स करने की कोशिश करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : समाधान आया है। श्री जेठ मलानी वकील से वकील का टकराव हो।

श्री राम जेठ मलानी : टकराव कोई नहीं। मैं तो केवल कुछ सूचना मांग रहा हूं।

क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि क्या हर उच्च न्यायालय में एक तिहायी न्यायाधीश बाहर से नियुक्त करने तथा बाहर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की नीति को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और क्या सरकार ने प्रतिबद्ध न्यायाधीश रखने की नीति को त्याग दिया है ? कृपया हमें यह भी बतायें कि नई नीति को अपनाना तथा पुरानी नीति को त्यागना नियुक्तियों के लिये किस सीमा तक जिम्मेदार है। क्या यह सही है कि आप इस कारण रिक्त स्थानों को नहीं भर सकते कि आप नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश की राय को स्वीकार नहीं करते और आप प्रतिबद्ध न्यायाधीश की तलाश में रहते हैं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं अपने माननीय मित्र की उन बातों को पूर्णत: अस्वीकार करता हूं जो दुर्भाग्यवश उन्होंने कहीं हैं। जहां तक अन्य राज्यों से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का सम्बन्ध है, वह सरकार की नीति है। केवल इसकी प्रक्रिया को ही निश्चित करना है, अन्यथा सरकार अन्य राज्यों से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की नीति को अपनाने के लिये वचनबद्ध है। बाहर से एक तिहाई न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भी सरकार की नीति है। लेकिन मैं उनकी इस बात को नहीं समझ पाया कि हम इस नीति के कारण नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी : यह बहुत आसान है। आप अन्य उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिये न्यायाधीश बाहर से प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आप प्रतिबद्ध न्यायाधीशों के बारे में कुछ नहीं कह रहे। आप बाहर से एक तिहाई न्यायाधीशों के बारे में कुछ नहीं कह रहे।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं आप द्वारा कही गयी इन सब बातों से इनकार कर रहा हूं।

श्री राम जेठमलानी : 11 नियुक्तियां करते समय क्या आपने बाहर के लोग नियुक्ति किये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ये इन सब बातों का उत्तर दे चुके हैं।

श्री राम जेठमलानी : क्या सरकार ने प्रतिबद्ध न्यायाधीशों को नियुक्त करने की अपनी नीति के अंतिम रूप से त्याग दिया है ? इन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री राम जेठमलानी : यदि अस्वीकार कर दिया है तो मैं बहुत खुश हूंगा। क्या इन्होंने ऐसा कर दिया है ?

श्री बसंत साठे : सारे देश को संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहना है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, जहां 11 पोस्ट्स खाली हैं, कुल स्ट्रेंग्थ कितनी है और अब वहां पर काम करने के लिए कितने जज रह गए हैं। तीन-तीन, चार-चार साल से जजों की नियुक्ति नहीं हुई है। क्या इन जजों की कमी जल्दी से पूरी की जाएगी ? क्या जजों की नियुक्ति करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जो महिलाएं पूरी योग्यता रखती हैं, उन्हें भी स्थान दिया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : यह आया न मतलब का सवाल।

श्री जगन्नाथ कौशल : जहां तक मध्य प्रदेश का ताल्लुक है, अगर माननीय सदस्या ने टेबल पर नजर मारी हो, तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें से ज्यादा वैकेन्सीज इसी साल की हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रश्न महिलाओं के बारे में है। ये नजर मारों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : हमारी यह हमेशा ही कोशिश रही है कि अगर हाईकोर्ट जज के लिए ठीक महिलायें मिलें तो उनको प्रिफ्रेन्स दिया जाए ताकि वे हाईकोर्ट की जज बन सकें।

पहाड़ी इलाकों में सार्वजनिक टेलीफोन घर की स्थापना

*23. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पहाड़ी राज्यों में टेलीफोन लगाने के क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) क्या पहाड़ी इलाकों में शाखा डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल): (क) साधारणतया किसी स्थान पर टेलीफोन सुविधा की मंजूरी तभी दी जाती है यदि वह वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हो। फिर भी, पिछड़े, पहाड़ी, तथा जनजातीय इलाकों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की मंजूरी के लिए अधिक उदारीकृत नीति अपनाई जा रही है। पहाड़ी इलाकों पर लागू होने वाला मानदण्ड एक विवरण में दिया गया है जो सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) और (ग) निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जब एक बार लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर की मंजूरी दी जाती है तो सामान्यतया उसे पहाड़ी अथवा अन्य ग्रामीण इलाकों के शाखा डाकघरों में खोला जाता है।

विवरण

पहाड़ी इलाकों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए मंजूरी प्रदान करने के संबंध में नीति विषयक विवरण :

(एक) लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर निम्नलिखित श्रेणी के स्थानों पर हानि तथा न्यूनतम राजस्व की शर्त का ध्यान रखकर खोले जाते हैं :

1. जिला मुख्यालय
2. उप मंडल मुख्यालय
3. तहसील मुख्यालय
4. उप-तहसील मुख्यालय
5. ब्लाक मुख्यालय
6. 2500 अथवा इससे अधिक आबादी वाले स्थान ।

(दो) यह सुविधा पहाड़ी इलाकों के निम्नलिखित श्रेणी के स्थानों पर भी उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 10 प्रतिशत आमदनी होने की उम्मीद हो :

1. ऐसे स्थान जहां का पुलिस स्टेशन उप-पुलिस निरीक्षक अथवा इससे ऊपर के अधिकारी के अधीन हो ।

2. दूरवर्ती स्थान (मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० के घेरे से बाहर के स्थान)

3. पर्यटन/तीर्थ स्थान/कृषि सिंचाई पावर परियोजना स्थल अथवा टाउन शिप ।

(तीन) सभी अन्य स्थान जो उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं आते, वहां पर किराया तथा गारंटी की शर्त के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा सकते हैं ।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो विवरण दिया है उससे ऐसा पता लगता है कि ढ़ाई हजार की पापुलेशन पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जाएगी लेकिन ढ़ाई हजार की आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वह भी अभी तक आईडेंटिफाई नहीं हुए हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और कशीर के क्षेत्र में ऐसी कौन-कौन-सी जगहें हैं जहां पर तहसील और ब्लाक हैडक्वार्टर्स पर टेलीफोन की सुविधा दी गई है ? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उदार नीति का भी जिक्र किया है और कहा है कि उदार नीति अपनाई गई है । मैं जानना चाहूंगा कि वह कौन सी उदार नीति है और इस उदारता को कब तक वे वहा पर लागू करेंगे तथा कब तक टेलीफोन लग जायेंगे क्योंकि अभी तक ऐसी सुविधा प्रदान नहीं की गई है ।

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर अभी टेलीफोन की सुविधा नहीं मिल सकी है । केलांग और किन्नोर, यह दो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के हैं और अरुणाचल प्रदेश मे अनीमी तथा मिजोरम में सैंइहा—यह चार डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं जहां अभी टेलीफोन नहीं लगे हैं, बाकी सभी जगह लग गए हैं । जहां तक तहसील हैडक्वार्टर्स का संबंध है, 90.5 प्रतिशत तहसीलों में

टेलीफोन लग गए हैं, 9.5 प्रतिशत तहसीलों में नहीं लगे हैं। इसमें बिहार और वेस्ट बंगाल नहीं आता है क्योंकि वहां तहसीलें नहीं हैं।

जहां तक सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर्स का संबंध है, 96 परसेन्ट कवरेज हो चुका है, 4 परसेन्ट अभी बाकी है। जहां तक ब्लाक हैडक्वार्टर्स का ताल्लुक है, 97.3 परसेन्ट कवरेज हुआ है और 3.7 परसेन्ट अभी बाकी है।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए है वह तो संतोषजनक लगते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पापुलेशन भी ज्यादा है। हमारे यहां पहाड़ी क्षेत्र में भी मैदानी इलाके के समान ही एक लाइन-मैन टेलीफोन की तारें मेनटेन करने के लिए रखा जाता है जिसको न तो कोई वर्दी मिलती है और न ही कोई दूसरी सुविधा। क्या मंत्री जी हिली एरियाज के लिए कम्युनिकेशन की सुविधायें प्रदान करने हेतु, मैदानी इलाके के लिए जो मापदण्ड निश्चित किए हैं उनको रिलैक्स करने की कृपा करेंगे या फिर जिस प्रकार से अभी काम चल रहा है उसी प्रकार चलता रहेगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक माप-दण्ड का संबंध है, हिली और वैकवर्ड एरियाज के लिए उनको रिलैक्स किया गया है। जहां तक यूनिफार्म वर्दी और इंस्ट्रूमेन्ट्स का संबंध है, वह तो हमारी अपनी सुविधा के लिए है और वह हम अपने स्टाफ को प्रोवाइड कर रहे हैं।

श्री पी० नामग्याल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब से मालूम होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों और ट्राइबल क्षेत्रों में पोपुलेशन क्राइटेरिया 2500 रखा गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर्स हैं, जहां आबादी बहुत ही कम है। स्पेडम हैडक्वार्टर जो कि जुसकर में हैं, जहां आबादी केवल 300 है और इसी प्रकार दमकित जो कि नुबरा में है और जहां की आबादी केवल 400 है। ऐसे क्षेत्र जो कि छः महीने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से कट-आफ रहते हैं, उन क्षेत्रों के लिये कानून रिलैक्स करके उनको कंसीडर करेंगे, ताकि टेलीफोन की सुविधा वहां मिल जाए ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमें इस स्थिति का पता है। आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के अधिकांश गांवों की आबादी कम है। अतः हम अपनी नीति की समीक्षा कर रहे हैं ताकि दूर पहाड़ के गांवों तथा कम आबादी के गांवों को सुविधा मिल सके।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय के जवाब से जाहिर है कि जिस स्थान की आबादी 2500 होगी, वहीं पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, यह कहीं पर भी खोला जा सकता है और इस बारे में सरकारी अधिकारी घूस लेते हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इन चीजों के बारे में आपको जानकारी है या नहीं ? यदि जानकारी है, तो आप इस दिशा में कौन-सा कदम उठाने जा रहे हैं ताकि पी० सी० ओ० खोले जा सकें ?

संचार मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जहां तक सरकारी अधिकारियों का सवाल है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य इस तरह का कोई भी केस हम लोगों के सामने लायेंगे, तो हम उस पर विचार करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष जी, देश के सामने दो तरह की समस्यायें हैं—पहाड़ी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र । पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में आपने कम आबादी वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए कदम उठाने की घोषणा की है । मैं यह जानना चाहता हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां दूर-दूर गांव हैं और बहुत थोड़ी आबादी है उन गांवों को आपकी वर्तमान नीति के अनुसार कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी । क्या आप इस सम्बन्ध में भी पुनर्विचार करेंगे ? राजस्थान में नहर क्षेत्र के अन्दर पहले आबादी केवल छः व्यक्ति प्रति एक्सायर माइल थी । अब नहर में पानी आने की वजह से आबादी बढ़ गई है । सन 1981 की जनगणना के अनुसार आबादी कहीं 10 हजार, कहीं 15 हजार और कहीं 25 हजार हो गई है, लेकिन 1971 की जनगणना के अनुसार कहीं पांच, कहीं पन्द्रह और कहीं सौ थी । क्या 1981 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए उस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष जी, हमारे साथी ने पहले ही प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जो मौजूदा गाइडलाइन है, उसके सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं और इसको रिव्यूह करने जा रहे हैं ।

सरीन समिति रिपोर्ट के कार्यान्वयन में विलम्ब

***24. श्री आर० एन० राकेश :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर संचार सेवा को डाक सेवा से पृथक करने संबंधी सरीन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में हो रहे अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरीन समिति की सिफारिशों के समर्थन और विरोध में बहुत से सामाजिक संगठनों और मजदूर संघों ने अभ्यावेदन भेजे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सिफारिशों को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः स्वीकार करने का है; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) डाक सेवा से दूर संचार सेवा को अलग करने की सिफारिशों के निहितार्थ दूरगामी है और दोनों सेवाओं पर इनका व्यापक प्रभाव हो सकता है । इसलिए अन्तिम निर्णय लेने के पहले सभी पक्षों की जांच करनी होगी और इन पर ज्यादा विस्तार व गहराई के साथ विचार करना पड़ेगा । इन सिफारिशों पर सरकार अभी भी विचार कर रही है ।

(ख) किसी भी सामाजिक संस्था ने इस बारे में कोई लिखित अभ्यावेदन नहीं भेजा है । हमारे रिकार्ड में उपलब्ध पत्राचार के अनुसार, मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के फेडरेशनों ने उपर्युक्त विभाजन के प्रश्न का सिद्धान्त रूप से विरोध नहीं किया है ।

(ग) अभी भी ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) इरादा तो यह है कि जितनी जल्दी हो सके अन्तिम निर्णय ले लिया जाये ।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ऐसा ही गोल-मोल जवाब दिया है जैसे कि यह पता नहीं होता कि नारी विच साड़ी है या साड़ी विच नारी है ।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अनुमति नहीं है ।

श्री आर० एन० राकेश : बहरहाल ड्यू है, तो डिलीवरी तो होगी ही।···(व्यवधान) इस में हम सब लोग पीछे रह जायेंगे।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर बाइफरकेशन हो भी गया, तो ऐसी हालत में क्या हाऊस को यकीन दिलायेंगे कि पोस्टल और आर० एस० एस० को मिलने वाला बोनस, जो कम्बाइन्ड सर्विसेज में मिल रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उन की सर्विसेज और प्रोमोशन आदि में भी कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : रिकमेंडेशन्स से इस का कोई मतलब नहीं है लेकिन हम जब भी कुछ करते हैं, तो स्टाफ का पूरा-पूरा ख्याल रखते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इन को कहना चाहिये की नारी और साड़ी के बारे में इन के पास कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्वामी ही कह सकते हैं।

श्री आर० एन० राकेश : दूसरा मेरा सवाल यह है कि वैसे तो एनुअल बजट में घाटा पूरा हो जाता है, पोस्टल और आर० एम० एस० की सर्विसेज अलग होने पर भी घाटा कोई खास नहीं रहेगा और अगर घाटा आता भी है, तो जैसे एजूकेशन और होस्पीटल में अगर कमर्शियल प्वाइन्ट आफ व्यू को सरकार देखे, तो उस में कोई फायदा नहीं है, इसी तरह से इसमें भी इस चीज को देखना चाहिए। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अगर पोस्टल और आर० एम० एस० तार और टेलीफोन से अलग होगा, तो इस का इफेक्ट पोस्ट कार्ड पर, लिफाफे पर और इनलैंड लिफाफे पर तो नहीं पड़ेगा और उन के दाम तो नहीं बढ़ेंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आज भी पोस्टल साइड काफी लास उठा रही है और सरकार उस को पब्लिक यूटीलिटी सर्विस के नाते चला रही है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में एडमिट किया है कि सरीन कमेटी की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करने के फार-रीचिंग कांसी क्युसेज होंगे। मिसाल के तौर पर अगर पोस्टल और आर० एम० एस० को टेलीफोन से अलग कर दिया जाएगा और टेलीकम्युनिकेशन अलग होगा, तो नोवत यह आएगी कि पोस्टल और आर० एम० एस० में आप घाटा दिखायेंगे और फिर आप कहेंगे कि पोस्ट कार्ड के दाम बढ़ाओ और घाटा पूरा करो। एसी सूरत को ध्यान में रखते हुए क्या इस समिति की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करने से पहले, आप इस को हाऊस में डिस्कस करेंगे। सरीन कमेटी की रिपोर्ट में केवल यही एक इशू नहीं है बल्कि उस की और बहुत सारी रिकमेंडेशन्स हैं। उन सब को इम्पलीमेंट करने से पहले हाऊस में ये इशू डिस्कस हो जाएं ताकि पी० एण्ड टी० के घाटे को कैसे पूरा कर सकते हैं, उस पर यहां सुझाव दिए जा सकें और पब्लिक पर कोई वर्डन पड़ने से पहले यहां इस पर डिस्कशन हो जाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि हाऊस में इस पर एक डिस्कशन हो जाए।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उस के संबंध में मैं कोई कमिटमेंट तो करना नहीं चाहता···

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं करना चाहते।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : क्यों नहीं करना चाहता, यही मैं बता रहा हूं, लेकिन सरीन कमेटी की जो रिकमेंडेशन्स हैं, वे सरकार के विचाराधीन हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है। जब जो फैसला होगा, उस फैसले को हम जरूर आप को बतलायेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, सरीन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में और खास तौर पर टेलीकम्युनिकेशन और पोस्टल सर्विसेज को अलग-अलग करने के बारे में आप का कहना है कि रिकगनाइज्ड फेडरेशन्स ने सिद्धांत रूप में कोई विरोध नहीं किया है। अब इस का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने बड़े इशू पर क्या आप यह मुनासिब नहीं समझते कि तमाम रिकगनाइज्ड फेडरेशन्स से डिस्कशन कर के आप किसी एक नतीजे पर पहुंचें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : पहले भी इस मामले में जो यूनियन्स हैं, उन के साथ डिस्कस किया है और जहां-जहां जरूरत महसूस होती है उन से डिस्कस करते हैं और उन के विचार भी आ गए हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : दोनों सर्विसेज को अलग किया है, उस पर।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस से पहले यूनियन्स से बातचीत की है।

विद्युत उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता का बनाया जाना

*25. **श्री के० राममूर्ति†**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि 1980-81 और 1981-82 में विद्युत उत्पादन में कमी लगभग 32 प्रतिशत थी, अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता बनाने के काम में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों की प्रबंध संबंधी कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) छठी योजना की शेष अवधि में 16000 मेगावाट कमीशन करने के लिये बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में 19,666 मेगावाट की कुल वृद्धि करने की योजना थी। 1980-81 के दौरान 1823 मेगावाट की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष 1981-82 के दौरान 2,175 मेगावाट की वृद्धि हुई। 1982-83 के दौरान लगभग 3500 मेगावाट की वृद्धि करने का कार्यक्रम है। यह आशा की जाती है कि छठी योजना के दौरान नई उत्पादन क्षमता में कुल वृद्धि 14,000 मेगावाट के क्रम में होगी।

विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने की दृष्टि से सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से परियोजनाओं की मानीटरिंग करने में पर्याप्त वृद्धि की गई है। परियोजनाओं के विभिन्न कार्य-कलापों को ध्यानपूर्वक मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निर्माण मानीटरिंग निदेशालयों की स्थापना की गई है। परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाई कर्त्ताओं तथा निर्माताओं, निर्माण एजेंसियों आदि के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में समन्वय तथा समीक्षा बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। उचित कार्रवाई के लिए सभी बाधाओं पर काफी ध्यान दिया जाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधीकरण

के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं और बाधाओं को दूर करने के लिए मामले को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं। उचित कार्रवाई के लिए विद्युत विभाग में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं। ऊर्जा मंत्री द्वारा राज्यों के विद्युत मंत्रियों के साथ भी बैठकें की जाती है जिनमें निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को चालू करने के बारे में उपचारी उपाय करने के लिए समीक्षा की जाती हैं।

परियोजना स्तर पर प्रबन्ध में सुधार करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को 1980 में विस्तृत मार्ग दर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्य-कलापों पर नजर रखने के लिए तार-जाल और फोर्मेट शामिल किए गए है।

कारगर समन्वय और उपस्कर और सामग्री की समय पर प्राप्ति तथा परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित सामग्रियों की उपलब्धता के लिए हारमोनोग्राम की एक पद्धति पिछले वर्ष से लागू की गई है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भविष्य में चालू करने के कार्यक्रम का समन्वय इन हारमोनोग्राम के अनुसार किया जाएगा।

अन्त में, राज्य बिजली बोर्डों को निधियों की उपलब्धता में सहज कमी (मुख्य पहलू के रूप में सामने आने वाली) भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब का कारण बनती है।

श्री के० राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करने सम्बन्धी छटी पंच-वर्षीय योजना का तथ्य 19,666 मेगावाट था। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमें वह इस बात से सहमत हुये हैं कि यह उत्पादन 14,000 मेगावाट होगा। अतः शेष 5,000 मेगावाट का तथ्य छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान पूरा नहीं होगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या छठी पंच-वर्षीय योजना का तथ्य शत-प्रतिशत पूरा किया जायेगा या इसे घटाकर कर केवल 14,000 मेगा-वाट किया जाएगा।

श्री विक्रम महाजन : यह सच है कि कुछ कमियां रह जाती हैं लेकिन ये कमियां बहुत कम रही हैं। लेकिन साथ-साथ बिजली की कमी 1979-80 को 16 प्रतिशत से घट कर इस वर्ष 8 प्रतिशत रह गई है। यद्यपि हमने लक्ष्य जो पूरा नहीं किया है, फिर भी हम बिजली की कमी को और भी कम कर सकेंगे।

श्री के० राममूर्ति : मंत्री महोदय ने बिजली की कमी में और कमी करने सम्बन्धी ठीक उत्तर दिया है लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या छठी पंच-वर्षीय योजना का तथ्य पूरा भी होगा या नहीं ? चूंकि वह मान गए हैं कि यह पूरा नहीं होगा, इस लिये मेरा यह प्रश्न बने रहता है कि लक्ष्य कुछ भी हो, ऊर्जा उत्पादन में 32 प्रतिशत की कमी रहेगी। दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। क्षेत्रीय बिजली बोर्डों की स्थापना राज्य बिजली बोर्डों को कार्यों में तालमेल लाने के लिये की गई है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैं लोक सभा में उस ओर बैठता था, उस समय मैंने आधुनिकतम मशीनरी संबंधी सीमित सौदे के बारे में प्रश्न पूछा था। अब मुझे पता चला है कि उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने ऐसा सौदा करने से इंकार कर दिया है। लेकिन केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने उन्हें आधुनिकतम मशीनरी का क्रय करने संबंधी इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया है। क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के इस प्रकार कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कहेगी कि राज्य बिजली बोर्डों पर

आधुनिकतम मशीनरी तथा अन्य बातों का बोझ नहीं डाला जायेगा। ताकि वे कम से कम 14,000 मेगावाट का लक्ष्य पूरा कर सकें, जिसकी परिकल्पना छठी पंच-वर्षीय योजना में की गई है।

श्री विक्रम महाजन : अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिये आधुनिकतम मशीनरी का क्रय जरूरी है। हम इस प्रश्न पर पूर्णतः सहमत हो चुके हैं।

श्री के० राममूर्ति : क्या यह सच है कि उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने उस ठेके पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है ?

श्री विक्रम महाजन : मेरे विचार में इन्कार करने वाली कोई बात नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : 13 सितम्बर को श्री शिवशंकर ने एक ब्यान दिया कि ऊर्जा क्षेत्र की अधिकांश समस्याओं का कारण प्रबन्ध संबंधी कमियां हैं। लेकिन 17 सितम्बर को श्री विक्रम महाजन ने ब्यान दिया कि सरकार ने कुछ समय पहले चालू संयंत्रों के ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने तथा नये एककों के शीघ्र चालू करने संबंधी एक विस्तृत योजना बनाई हैं। हमारे प्रश्न के उत्तर में जो वक्तव्य आज दिया गया है उसमें कहा गया है कि अब पूर्ण समन्वय है और सभी कठिनाइयों को हल कर लिया गया है तथा विद्युत क्षेत्र में सुधार हुआ है।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि उन्होंने जैसा कि कहा है, कि उनके द्वारा व्यापक योजना को प्रस्तुत किए जाने के बाद ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा का वर्तमान स्तर पर कितनी औसत क्षमता का उपयोग किया गया है और उनमें कितना सुधार हुआ है ?

श्री विक्रम महाजन : हम अधिकतम विद्युत उत्पादन प्राप्त करने हेतु एक दोहरी नीति जपना रहे हैं। हमारी अल्पकालिक नीति वर्तमान विद्युत केन्द्रों से अधिकतम विद्युत उत्पादन प्राप्त करना है। हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है और हमने दो या तीन बुनियादी बातें प्रस्तुत की हैं। सर्वप्रथम, हम अपने विशेषज्ञों को देश के प्रत्येक विद्युत केन्द्र पर समस्याओं का पता लगाने तथा उन्हें हल करने के लिए भेज रहे हैं। दूसरे, हमने संयंत्र स्थल पर ही पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की है। तीसरे जहां कही हम उपकरणों में त्रुटियां देखते हैं, वहीं हम उत्पादकों को त्रुटियों को दूर करने के लिए बुलाते हैं। इस नीति से लाभ हुआ है और 1979-80 से 1982 में ताप विद्युत उत्पादन में 35 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। इस नीति से लाभ हुआ है इसीलिए जहां तक क्षमता उपयोग का सम्बन्ध है, हम इसी नीति का पालन करने के इच्छक हैं। हमने जब कार्यभार संभाला संयंत्र-भार लगभग 43 प्रतिशत था। आज सयंत्र-भार 50 प्रतिशत है। (व्यवधान) यह सच है कि कुछ अपवाद हुआ करते हैं तथा एक अपवाद पश्चिमी बंगाल है। जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है, इसका ताप विद्युत उत्पादन ही 1979-80 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। गुजरात मानसून न होने के कारण केवल अस्थायी अभाव का सामना कर रहा है। अन्यथा कार्य निष्पादन की दृष्टि से विद्युत उत्पादन में गुजरात सबसे आगे है।

अतः मैं यह बात कह रहा हूं कि जहां तक अल्पकालिक नीति का सम्बन्ध है, इससे लाभ हो रहा है तथा दीर्घ कालीन नीति का उद्देश्य यथा संभव न्यूनतम समय में यथा शीघ्र तथा यथा संभव क्षमता वृद्धि करना है। इस उद्देश्य के लिए मैंने अपने उत्तर में ब्यौरे का उल्लेख किया है। और यदि सभा की इच्छा हो तो मैं उन्हें पढ़ कर सुना सकता हूं। हमने परियोजनाओं पर निग-

रानी रखने का काम आरम्भ कर दिया है समन्वय बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं। हम अधिकारियों के दलों को परियोजना स्थलों पर भेज रहे हैं ताकि वे समस्याओं का पता लगायें और बाधाओं को दूर करें। इनके अतिरिक्त हम पुनरीक्षण बैठकें बुला रहे है। स्लिपेज में कमी हुई है। वर्ष 1978-80 में 37 प्रतिशत स्लिपेज थी। अब यह कम हो कर 33 प्रतिशत रह गई है। 1979 में अभाव 16 प्रतिशत था और अब यह कम होकर 8 प्रतिशत रह गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह प्रश्न अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के निर्माण के सम्बन्ध में था परन्तु अब तक दिए गए उत्तर पहले से मौजूद उत्पादन क्षमता की कार्य कुशलता से सम्बन्धित हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान गणना के अनुसार भी उत्पादन क्षमता में 5700 मेगावाट का अभाव है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब वे छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कहीं से भी बड़े पैमाने पर विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कररहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका से ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक विदेशी उपकरणों का सम्बन्ध है यह प्रस्तावित शर्तों पर निर्भर करता है। हमें कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और हमारे विचाराधीन हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या इस लैण्ड या किसी अन्य देश से आपकी बातचीत चल रही है ?

श्री विक्रम महाजन : ऐसे आठ या नौ देश हैं जिन्होंने विभिन्न एकमुश्त प्रस्ताव पेश किए हैं। वे हमारे विचाराधीन हैं और हमने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ा अजीब-सा लगा, जब मंत्री जी अपने काम की खुद ही तारीफ करने लगे, जबकि हकीकत में छठी फाइव ईयर प्लान के 19,666 में से अभी आपने 14 हजार को रखने का एलान किया है। जो अनुभव है, उसको मद्देनजर रखते हुए तो इस साल जो साढ़े 3 हजार मेगावाट और पावर जैनरेशन की कैपेसिटी बढ़ाने का इनका वायदा है, वह ढाई हजार तक आकर रुक जाएगा। इसका मतलब पहले 3 सालों में साढ़े 6 हजार मेगावाट और अगले 2 वर्षों में साढ़े सात हजार मेगावाट की पूर्ति का जो यह वायदा करते हैं, यह सदन को सीधे गुमराह करने का इनका प्रयास है। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्पीड-अप कम्पलीशन आफ वेरियस पावर प्रोजेक्ट्स के लिए क्या-क्या कदम उठायें हैं ? मगर इनके जवाब में आखिरी वाक्य में लिखा है जो लास्टली कह कर लिखते हैं जो कि असली है—

> अन्त में, राज्य विद्युत बोर्डों को सहज धन न मिलने के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है।

इसके बाद जवाब में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि इसके लिए क्या कदम आपकी तरफ से उठाये जा रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कदम उठा रहे हैं ? अब यह मुख्य बात सामने आई है। तो उसको दूर करने के लिए कौन से कदम आपने उठाये हैं ?

पिछले कुछ दिनों से निजी कंपनियों को बिजली निर्माण करने की इजाजत देने की बात सरकार के भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहने में आई थी, क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आज सरकार के सामने है जिसमें निजी कंपनियों को बिजली निर्माण करने के पावर स्टेशन लगाने का लाइसेंस आप देने जा रहे हैं ?

अभी-अभी चीनी मिलों की तरफ से जो प्रस्ताव आपके सामने आया है कि वह बिजली निर्माण कर के आपको देना चाहते हैं, आपकी स्टेट ग्रिडज को देना चाहते हैं, इस पर क्या आपने कोई विचार किया है ?

अभी जब प्रधान मंत्री रूस गई थीं तब रूस की ओर से जो न्यू क्लियर पावर स्टेशन आपको देने का ऐलान हुआ है, उसको आप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक फंडज का सवाल है, इसमें यह सही है कि फंडज की प्राबलम है, मगर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा-से-ज्यादा फंड इकट्ठे किए जायें और पावर सैक्टर में डालें जायें। उसके लिये हमने प्लानिंग कमीशन के पास मिड-टर्म रिव्यू के लिये भेजा है और हमें उम्मीद है कि हम पैसा ला सकेंगे।

जहां तक स्टेट्स का कंसर्न है, हमने उनको भी कहा है कि आप अपने फाइनेन्शियल परफार्मेन्स इम्प्रूव कीजिये और उन पर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन्ज डाली हैं और उनसे दरख्वास्त की है कि सहयोग दें। हमें उम्मीद है कि स्टेट्स भी हमें उसमें सहयोग देंगी।

जहां तक ताल्लुक है प्राइवेट सेक्टर का, सरकार की बुनियादी नीति है कि बिजली हमने पब्लिक सेक्टर में लगानी है। मगर जहां तक कैपटिव पावर यूनिट का सवाल है··· (**व्यवधान**)

श्री विक्रम महाजन : मैं जवाब दे रहा हूं, आप शांति से सुनिये, जब मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा, आपको जवाब नहीं मिलेगा तो पूछ लीजिये।

जहां तक केपटिव पावर का सवाल है, हम इंडस्ट्रीज को केपटिव यूनिट्स देते हैं। कुछ स्टेट्स ने ज्वायन्ट सेक्टर में हमें कहा है कि वह लगाना चाहते हैं, पावर पलान्ट्स विद प्राइवेट सेक्टर हैल्प। जहां तक सरकार की नीति है, हमने इसमें अभी तक कोई अपना डिसीजन नहीं लिया है, इसमें वार्तालाप जारी है, उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि क्या फाइनल डिसीजन हमने लिया है।

जहां तक न्यू-क्लियर का सवाल है, वह सवाल आपको मिनिस्ट्री आफ अटौमिक एनर्जी को करना पड़ेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अटौमिक बिजली इसमें नहीं आती है ?

श्री विक्रम महाजन : इसमें नहीं आती है।

अहमदाबाद में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

*26. **श्री भेरावदन के० गधावी**
स्वामी इन्द्रवेश } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद में दूरदर्शन केन्द्र कब तक स्थापित हो जायेगा;

(ख) क्या अहमदाबाद का दूरदर्शन केन्द्र उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले तक दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित कर सकेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र को दूरदर्शन कार्यक्रम क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए क्या योजनायें हैं और यह क्षेत्र कब तक दूरदर्शन क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सकेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अहमदा-

बाद में केन्द्र के निर्माण कार्य, जो जनवरी, 1982 में शुरू हुआ था, के 1984-85 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) बनासकांठा अहमदाबाद से लगभग 130 किलोमीटर दूर है तथा यह अहमदाबाद के ट्रांसमीटर की 70 किलोमीटर की सेवा परिधि से बाहर होगा। भविष्य में इस जिले में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

स्वामी इन्द्रवेश : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत के प्रत्येक गांव को दूरदर्शन की सुविधा मिल सके, क्या इसके लिए सरकार ने कोई निश्चित-कालिक योजना तैयार की है; यदि हां, तो वह कितने दिनों में पूरी हो जाएगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा-से-ज्यादा ऐरिया को हम टी० वी० से कवर कर सकें, यह नीति सरकार ने निर्धारित की है, मगर वह किस जगह कब पहुंच पाएगा, यह तो जो साधन उपलब्ध होंगे, उसी पर निर्भर करेगा। (व्यवधान)

राज्यों में "पावर यूनिटों" को कोयले की सप्लाई

*27. **श्री नवीन रवाणी†**
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में लगभग सभी राज्य मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों ने टिप्पणी की थी कि ताप बिजली घरों को सप्लाई किए गए घटिया किस्म के कोयले का बिजली के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं; और

(ग) पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म का कोयला सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि बिजली के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) 27 अगस्त, 1982 को नई दिल्ली में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों के कई मुख्य मंत्रियों तथा विद्युत मंत्रियों ने यह टिप्पणी की थी कि ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता उपयुक्त न होने के कारण विद्युत के उत्पादन में हानि हुई थी। परन्तु कई कारणों में से यह भी एक कारण है। इसके कई अन्य पहलू भी हैं।

तथापि, ताप विद्युत केन्द्रों को अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में सरकार जागरूक है। कोयले की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही रूपों में कोयले की सप्लाई की निरन्तर मानीटरिंग की जा रही है। कई स्थानों पर कोयला कंपनियों और विद्युत केन्द्रों के प्राधिकारियों द्वारा कोयले के संयुक्त सेम्पल लेने की प्रथा जारी है। कोयले की सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय किया जा रहा है वह सोपान-बद्ध रूप से कोयला खानों में कोयला हैण्डलिंग संयंत्रों की स्थापना। अन्य बातों के साथ-साथ

गुणवत्ता के रूप में ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की गुणवत्ता के साथ आवश्यकताओं की जांच करने तथा जहां आवश्यक हो विशिष्ट उपायों की सिफारिश करने के लिए श्री मोहम्मद फजल, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में सरकार ने हाल ही में एक समिति का भी गठन किया है।

श्री नवीन रवाणी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में मेरे प्रश्न के भाग (क) और (ग) का उत्तर इस प्रकार दिया है "27 अगस्त, 1982 को नई दिल्ली में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों के कई मुख्य मंत्रियों तथा विद्युत मंत्रियों ने यह टिप्पणी की थी कि ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता उपयुक्त न होने के कारण विद्युत के उत्पादन में हानि हुई थी। परन्तु कई कारणों में से यह भी एक कारण है। इसके कई अन्य पहलू भी हैं।" क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि विद्युत केन्द्रों के बुरे कार्य निष्पादन के अन्य पहलू कौन-से हैं ? इस संबंध में मैं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से एक उदाहरण देता हूं

> "केन्द्रीय मंत्रियों ने राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य निष्पादन की जहां आलोचना की और राज्य सरकारों से इनके कार्यकरण में सुधार लाने को कहा वहीं राज्य सरकारों ने प्रत्युत्तर में केन्द्र सरकार को कहा कि यदि बेहतर किस्म का कोयला सप्लाई किया जाता तो कई समस्याओं से बचा जा सकता था।"

विद्युत केन्द्रों के सामान्य कार्य-निष्पादन में बाधा डालने वाले अन्य पहलू कौन-से हैं ? उनके लिए कौन जिम्मेवार है—केन्द्र अथवा राज्य ?

श्री विक्रम महाजन : किसी हद तक यह सच है कि कोयले की गुणवत्ता का विद्युत उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह केवल एक पहलू है। अन्य भी कई पहलू हैं जिनकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। उनमें से कुछ हैं—विद्युत केन्द्रों के उपयुक्त प्रबन्ध का प्रश्न तथा विद्युत संयंत्रों के रख-रखाव का प्रश्न। ये कुछ अन्य पहलू हैं जिनका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है।

श्री नवीन रवाणी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विद्युत मंत्रियों ने यह मांग की है कि उनके राज्यों में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए यदि आवश्यक हो तो, आपात प्रयोजनों के लिए फालतू पुर्जों का आयात किया जाये। केन्द्र द्वारा कौन-सी नीतियां अपनाई जायेंगी ?

श्री विक्रम महाजन : प्रयोग किए जा रहे उपकरणों में से अधिकांश भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, आई० एल० के कोटा आदि द्वारा निर्मित देशी उपकरण हैं। हमने सम्बन्धित निर्माताओं को उपकरणों के साथ-साथ फालतू पुर्जों का भी निर्माण करने के लिए कहा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कुछ क्षमता फालतू पुर्जों के निर्माण के लिए प्रयोग में लायी जायेगी। इसी प्रकार आयातित उपकरणों के मामले में, हम एक केन्द्रीय भण्डार की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं जिनमें दिन-प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाले कुछ फालतू पुर्जे होंगे और इसी प्रकार हम विदेशी निर्माताओं के साथ यह करार करने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां कहीं आयातित उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है उनके लिए वे हमें फालतू पुर्जे दें। ये बेबुनियादी कदम हैं और जहां तक आयात शुल्क का सम्बन्ध है, कठिन मामलों में, हम वित्त मंत्रालय के साथ उनके मामले उठाकर उनकी सहायता करने का प्रयत्न करते हैं।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

देश में असुरक्षित कोयला खानें

*28 **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में असुरक्षित कोयला खानों की संख्या कितनी है;

(ख) ये कोयला खानें कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस दिशा में क्या कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) इस समय किन्हीं असुरक्षित खानों में काम नहीं हो रहा है । यदि कभी किसी खान को या किसी खान के एक भाग को असुरक्षित माना जाता है तो खान सुरक्षा महा-निदेशक खान अधिनियम की धारा 22(3) के अधीन एक निषेधक आदेश जारी करते हैं और इस प्रकार असुरक्षित घोषित की गई खानों में तब तक काम नहीं किया जाता जब तक की वहां विद्यमान खतरों को दूर न कर दिया जाए ।

आकाशवाणी के लेह स्टेशन के लिए स्टूडियो

*29. **श्री पी० नामग्याल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के लेह स्टेशन का केवल एक स्टूडियो है जिसका उपयोग समाचार, समीक्षा, संगीत नाटक रिकार्डिंग्स और अन्य विविध कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अतिरिक्त स्टूडियो की सुविधा न होने का समाचार प्रसारित करने वाले उपकरणों व सुविधाओं और पर्याप्त यातायात सुविधाओं की कमी का तथा स्टूडियो के लिए आवश्यक उपकरणों के अभाव का और कार्यालय और आवास के लिए अपर्याप्त जगह आदि की कमी का स्टेशन के सुचारू कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार स्टेशन के समुचित कार्यकरण के लिए "एक अतिरिक्त स्टूडियो का निर्माण करने और आवश्यक उपकरण और महत्त्वपूर्ण सुविधाएं देने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । केन्द्र का सुचारू रूप से संचालन प्रभावित नहीं हुआ है । तथापि बढ़ती कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग पार्श्व स्टूडियो मंजूर किया गया है और उसके इस वर्ष चालू हो जाने की सम्भावना है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन में भाग लिया जाना

*30. **श्री जय नारायण रौत**
श्री चित्त बसु } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र विद्युत उत्पादन में भाग लेने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) बिहार सरकार तथा कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा था कि प्राइवेट क्षेत्र की कुछ कम्पनियों ने विद्युत उत्पादन मे भाग लेने में रुचि दिखाई है । उनके द्वारा समुचित किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	प्राइवेट कम्पनी का नाम	विद्युत परियोजना की क्षमता	स्थान
बिहार सरकार	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	200 मेगावाट	जमशेदपुर
	बिहार कास्टिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	130 मेगावाट	पालामऊ
कर्नाटक सरकार	बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज किरलोस्कर ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज तथा अन्य	50 मेगावाट कुल 3.25 मेगावाट की 3 माइक्रो जल विद्युत यूनिटें	डण्डेली बांध कावेरी नदी और इसके नहर पर

संबंधित राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उपर्युक्त परियोजनाओं के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें भेजें जिसमें प्राइवेट क्षेत्र द्वारा परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था, उसके रूपरेखा का ब्यौरा शामिल हो ताकि केन्द्र सरकार इन प्रस्तावों पर अधिक विस्तार से जांच कर सके ।

2. प्राइवेट क्षेत्र की वर्तमान कम्पनियों से प्राप्त निम्नलिखित दो प्रस्तावों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक जांच की जा रही है :

(एक) अपनी कुछ वर्तमान यूनिटों के स्थान पर 2 × 60 मेगावाट की यूनिटें स्थापित करने के लिए मैं० कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का प्रस्ताव ।

(दो) 3 × 62.5 मेगावाट के पुराने सेटों के स्थान पर 500 मेगावाट की दूसरी यूनिट स्थापित करने के लिए मैं० टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी का प्रस्ताव ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत लाना

*31. श्री भोगेन्द्र झा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के

उपक्रमों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत लाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने सच्चर समिति की इस बाबत सिफारिशों पर टिप्पणी करते हुये एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 3 का यह प्रावधान करने की दृष्टि से संशोधन करने का सुझाव दिया है, ताकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, (1) किसी सरकारी कम्पनी के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम, (2) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम, तथा (3) केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा अथवा अन्तर्गत स्थापित निगमों (जो एक कम्पनी न हो) के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम पर भी, लागू होगा, परन्तु, इस प्रावधान सहित कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के किसी उपक्रम को, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के परामर्श से, इस अधिनियम के लागू करण से मुक्त कर सकती है। तथापि, पुनः यह भी अनुबन्धित किया गया है कि सारवान विस्तार, नवीन उपक्रमों की स्थापना, एकीकरण, संविलियन आदि से आवश्यक रूप से सम्बन्धित, इस अधिनियम का अध्याय 3 इस प्रकार के उपक्रमों के प्रयोजनार्थ नहीं था। इनके अतिरिक्त आयोग ने यह सिफारिश भी की थी, कि वे उपक्रम, जिनका प्रबन्ध, केन्द्रीय/राज्य सरकारों, द्वारा किये गये किसी प्राधिकरण के अनुसरण में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा अपने हाथ में लिया गया है, भी इस अधिनियम की सीमान्तर्गत नहीं आने चाहिए।

इन सुझावों पर सभ्यतः विचार किया गया था, परन्तु इन्हें स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का, इनके सभी सारवत दृष्टिकोणों से प्रबन्ध तथा कार्य-कलाप, सरकार के अपरिवर्ती संवीक्षा के अन्तर्गत हैं, एवं इस प्रकार सामान्य संसदीय संवीक्षान्तर्गत भी हैं। अतः इन उपक्रमों को पुनः एकाधिकार तथा अवरोवक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जांच एवं संवीक्षा के अधीन लाना आवश्यक नहीं समझा गया था।

बाढ़ के कारण संचार व्यवस्था को क्षति

*33. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में बाढ़ के कारण सरकार को हुई संचार संबंधी हानि का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा, बिहार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दूर संचार लाइनों और उपस्कर को पहुंची क्षति तथा सेवाओं को पुनः चालू किए जाने में हुई प्रगति के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) जहां तक डाक शाखा का संबंध है, ऐसा पता चला है कि उड़ीसा में अब तक लगभग 6000/- रु० की सरकारी राशि एवं संपत्ति का नुकसान हुआ है।

स्थानीय प्रशासन की मदद से प्रभावित स्थानों पर स्थिति से निपटने के लिए समुचित और पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।

प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाओं को पुन: चालू करने के लिए भी तेजी से कार्रवाई की गई है। कुछ स्थानों को छोड़कर, जहां पानी के जमाव के कारण पुनर्स्थापन कार्य में रुकावट पैदा हो रही है, पुनर्स्थापन कार्य अधिकांश तौर पर पूरा हो चुका है। ऐसी संभावना है कि यह कार्य भी अक्तूबर, 1982 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

विवरण

क्षति की सूची

क्रम सं०	प्रभावित दूरसंचार परिसंपत्तियों/ सेवा का विवरण	प्रभावित मात्रा	27.9.80 तक पुनर्स्थापन कार्य की प्रगति	शेष
उड़ीसा				
1.	बाढ़ द्वारा जलमग्न/प्रभावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	22	19	3
2.	क्षतिग्रस्त स्थानीय टेलीफोनों की संख्या	1178	1043	135
3.	खराब हुई ट्रंक सर्किटों की संख्या	40	22	18
4.	खराब हुए लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघरों की संख्या	85	41	24
5.	खराब हुई तार सर्किटों की संख्या	19	13	6
6.	मुख्य तथा शाखा मार्गों पर क्षतिग्रस्त संरेखण लाइनें	890 किमी०	320 किमी०	570 किमी०
7.	बाढ़ के पानी में जलमग्न टेलीफोन उपस्करों की संख्या	200	120	80
8.	ज्वाईंट तथा पौथेड्स में पानी पहुंचने के कारण केबिलों का फेल होना	80 डी पी	55 डी पी	25 डी पी
बिहार				
1.	प्रभावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	1	1	—
2.	प्रभावित ट्रंक लाइनों की संख्या	3	3	—
3.	प्रभावित लंबी दूरी के टेलीफोनघरों की संख्या	50	25	25
उत्तर पूर्वी				
1.	प्रभावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	1	1	—
2.	प्रभावित ट्रंक संरेखणों की संख्या	7	7	—
3.	प्रभावित रेल संरेखणों की संख्या	1	1	—

रेडियो तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों का समय बढ़ाना

*34. **श्री भीखा भाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के अनेक श्रोताओं और दूरदर्शन कार्यक्रम के अनेक दर्शकों ने मंत्रालय से कहा है कि प्रसारणों के समय में वृद्धि की जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) समाज के कमजोर वर्गों को एशियाई खेलों के दौरान दूरदर्शन कार्यक्रम देखने के लिए क्या सुविधायें देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) श्रोता और दर्शक कभी-कभी प्रेषण के घण्टों में वृद्धि करने के लिए अनुरोध अवश्य करते हैं।

(ख) समय-समय पर मांग तथा उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रेषण के घंटों में वृद्धि की गई है।

(ग) दूर-दराज के क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों को एशियाई खेलों का जीवन्त टेलीकास्ट उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया है। जिन क्षेत्रों में इस समय दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें एशियाई खेलों का दूरदर्शन कवरेज उपलब्ध करने के लिए अल्प शक्ति वाले 20 ट्रांसमीटर लगाये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए वी० एच० एफ० सामुदायिक अवलोकन सैटों से दर्शक एशियाई खेलों को देख सकेंगे।

बिहार प्रैस विधेयक का विरोध

*35. **श्री रवीन्द्र वर्मा**
श्री बी० वी० देसाई } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विख्यात समाचार-पत्रों के प्रमुख सम्पादकों और पत्रकारों ने बिहार प्रेस विधेयक के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) कुछ प्रमुख सम्पादकों तथा पत्रकारों ने 'बिहार प्रेस विधेयक" के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है।

(ख) अन्तिम दृष्टिकोण लेने से पहले केन्द्रीय सरकार का "बिहार प्रेस विधेयक" पर प्रेस के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव है। इसलिए देश की प्रमुख प्रेस संस्थाओं से अनुरोध किया गया है कि वे विधेयक के उन सम्बन्धों, जो उनकी राय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारण्टी का उल्लंघन करते हैं या विधेयक में निहित प्रक्रिया जिससे प्रेस को परेशानी होने की संभावना है, पर अपने विचार और टिप्पणियां भेजें। उन उपबन्धों पर भी टिप्पणियां मांगी गई हैं जिनके बारे में यह आशंका है कि वे निष्पक्ष विचारण से वंचित कर सकती हैं।

सितम्बर, 1982 में हुआ श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

*36. श्री मोहम्मद असरार अहमद
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1982 में नई दिल्ली में श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या निर्णय लिये गये;

(घ) इन निर्णयों को कब और कैसे क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ङ) क्या राज्यों ने मजूरी अधिनियम को लागू करने के लिए 50-50 प्रतिशत के आधार पर धनराशि मांगी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें विचारित विषयों का ब्यौरा और सम्मेलन के निष्कर्ष/सिफारिशें दी गई हैं।

(घ) सरकार ने समुचित और शीघ्र कार्रवाई के लिए उन्हें नोट कर लिया है।

(ङ) कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता दिलाने के बारे में सुझाव थे।

विवरण

सम्मेलन में कार्यसूची की निम्नलिखित मद्दों पर विचार किया गया है :

(1) 20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन, जहां तक वह (क) खेतिहर श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरों, और (ख) बन्धुआ श्रमिकों से सम्बन्धित है;

(2) अन्तर-राज्यिक प्रवासी श्रमिकों, ठेका श्रमिकों, उपदान कर्मकार प्रतिकर और बोनस से सम्बन्धित श्रम कानूनों का कार्यान्वयन;

(3) श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों में मामलों का शीघ्र निपटान कराने के लिए की गई कार्यवाही;

(4) रोजगार कार्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यकरण;

(5) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के विस्तारण के बारे में समिति की रिपोर्ट और न्यूनतम मजदूरी दरों के लिए मापदण्डों का निर्धारण; और

(6) पालेकर अधिकरण की सिफारिशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकारों के आदेशों का कार्यान्वयन ।

मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से संबंधित थीं :

(1) खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी दरों में शीघ्र संशोधन किया जाए जहां इस प्रकार के संशोधन का समय पहले ही आ चुका है, (2) खेतिहर श्रमिकों के सबंध में न्यूनतम मजदूरी दरों को लागू कराने के लिए निरीक्षण तंत्र को मजबूत बनाया जाए । इसके लिए उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए खेतिहर श्रमिक काफी संख्या में हैं या कम मजदूरी वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाए और तंत्र को मजबूत बनाने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय योजना बनाई जाए ।

बन्धुआ श्रमिकों के प्रश्न के सम्बन्ध में सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि उन का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा फिर से बसाने के लिए किए जा रहे ताजा प्रयासों को जारी रखने की फौरी जरूरत है । इसके लिए धन उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र तुरन्त प्रस्तुत किए जाने चाहिएं, पुनर्वास अनुदान की राशि शीघ्र दी जानी चाहिए और विभिन्न स्रोतों से साधनों को एकत्रित करके बेहतर एवं स्थायी पुनर्वास हेतु प्रयास किए जाने चाहिएं ।

सम्मेलन में अन्तर्राज्यिक प्रवासी श्रमिकों, ठेका श्रमिकों, उपदान, कर्मकार प्रतिकर और बोनस से संबंधित श्रम कानूनों का कारगर कार्यान्वयन कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया । सम्मेलन में यह भी सिफारिश की गई कि श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों में अनिर्णीत पड़े मामलों का शीघ्र निपटान कराने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास जारी रहने चाहिएं ।

सम्मेलन ने रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यकरण में सुधार लाने संबंधी श्रम मंत्रालय के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया ।

सम्मेलन में उन प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया गया जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में शामिल किए जाने वाले कुछ रोजगारों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को विस्तारित करने के बारे में थे ।

जहां तक पालेकर अधिकरण की सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन का प्रश्न है, सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पूर्ण अनुपालन करने, जिन मामलों में अनुपालन नहीं किया गया, उनकी तुरन्त जांच कराने तथा छंटनी, आदि संबंधी जिन मामलों में संराधन कार्यवाही सफल नहीं हो पायी, उन्हें न्यायनिर्णय के लिए भेजने की जरूरत पर बल दिया गया ।

बम्बई हाई कम्पलेक्स में लगी आग के बारे में जांच

*37. श्री सन्नत कुमार मंडल
श्री वी० डी० सिंह } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० जे० तेल-कूप में हाल में हुए विस्फोट और उसके परिणामस्वरूप लगी आग के बारे में जिसने बम्बई-हाई कम्पलेक्स के लाखों डालर मूल्य के "सागर ब्रि-काय" को जला कर राख कर डाला, कोई उच्च स्तरीय जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) बीमा कम्पनी ने कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया तथा आग बुझाने और तेल को ढकने एवं अमरीकी विशेषज्ञों को भुगतान करने पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए क्या निरोधक उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) एक समिति जिसमें योजना आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड के विशेषज्ञ सम्मिलित हैं और साथ ही तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं, मामले की जांच के लिए गठित की गयी है तथा समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) बीमे के सर्वेक्षक द्वारा हानि का मूल्यांकन किये जाने तक तथा दावे का निपटारा हो जाने तक, बीमा कम्पनी ने 4 मि० यू० एस० डालर की तथा 72,95,720 रुपये की 'लेखागत अदायगी" की अभी तक मैसर्स रैड अडेयर-कम्पनी को उनकी विशेषज्ञता के सेवा शुल्क के रूप में 1.543 मि० यू० एस० डालर का भुगतान किया गया। गैस के धमाके के नियंत्रण पर हुए कुल व्यय की संगणना की जा रही है।

(घ) जैसे ही जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होगी और उसकी जांच कर ली जायेगी और आगे क्या निवारक उपाय किये जाने चाहिए इसके बारे में निर्णय लिया जायेगा।

एशियाड परियोजनाओं में मृत और घायल मजदूरों की संख्या

*38. **श्री नारायण चौबे** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एशियाड के सम्बन्ध में स्टेडियम, सड़कें, ऊपरी-पुल आदि जैसे विभिन्न निर्माण स्थलों पर लगे कितने मजदूरों की मृत्यु हुई है और कितने मजदूर घायल हुए;

(ख) उनमें से कितने लोगों को अथवा उनके आश्रितों को मुआवजा मिला है और इसमें कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ग) सरकार ने मृत और घायल मजदूरों के आश्रितों को काम पर लगाने के लिए यदि कोई प्रबन्ध किए हैं, तो वे क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 12 श्रमिकों की मृत्यु हुई और 29 घायल हुए।

(ख) चार व्यक्तियों के आश्रितों को कर्मकार प्रतिकर आयुक्त द्वारा 69,600/- रुपये की राशि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। दो मामलों में, मुआवजे की राशि को आयुक्त के पास जमा कर दिया गया है और इसका आश्रितों को शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। अन्य दो मामलों में, आयुक्त ने ठेकेदार को मुआवजे की राशि को तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए हैं। शेष चार मामलों में, मुआवजा राशि की अदायगी के प्रश्न को उस बीमा कम्पनी के साथ उठाया गया है, जिसमें श्रमिकों ने बीमा कराया था। जहां तक घायल श्रमिकों का संबंध है, मुआवजे की राशि का सीधे भुगतान किया जाता है। अतः अदा की गई राशियों के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वर्तमान कानून के अन्तर्गत, मृतक या घायल श्रमिकों के आश्रितों के पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लेखा परीक्षक की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की गिरफ्तारी

*39. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० के खातों की जांच कर रहे कलकत्ता के एक लेखा परीक्षक की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत कोकिंग कोल लि० के चार अधिकारियों ने इस संबंध में अग्रिम जमानत करवा ली है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि० के एक कर्मचारी को इस संबंध में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कम्पनी ने उसे निलम्बित कर दिया है। इस मामले की पुलिस अभी जांच कर रही है।

(ग) और (घ) भारत कोकिंग कोल लि० के छः कर्मचारियों ने पटना उच्च न्यायालय के रांची पीठ से 20.5.1982 को अग्रिम जमानत चाही थी। उच्च न्यायालय का आदेश यह था कि इस कर्मचारियों को उनकी याचिकाएं निर्णयाधीन रहने तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। याचिका पर अंतिम सुनवाई 1.7.1982 को हुई और वह खारिज कर दी गई।

दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

*40. **श्री सुनील मैत्रा**
प्रो० रूप चन्द पाल } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है जो देश में सभी दूरदर्शन केन्द्रों से एक साथ प्रसारित किया जाता है; और

(ख) क्या इससे राज्यों के निजी सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी प्रकार से प्रभावित हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां। 15-8-82 से चालू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम इनसैट-1 ए के 6-9 82 को खराब हो जाने से पहले सभी दूरदर्शन केन्द्रों से साथ-साथ टेलीकास्ट किया जा रहा था। अब इसको माइक्रोवेव सर्किटों से जुड़े बारह ट्रांसमीटरों से टेलीकास्ट किया जा रहा है।

(ख) दूरदर्शन केन्द्रों के कुल टेलीकास्ट समय में वृद्धि कर दी गई है ताकि क्षेत्रीय कार्यक्रमों के टेलीकास्ट समय में कोई कटौती न हो। राष्ट्रीय कार्यक्रम का समय भी रात 8·30 बजे से रात 10.00 बजे तक निश्चित कर दिया गया है ताकि 2 घन्टे के मुख्य अवलोकन समय (रात 7.00 बजे से रात 9.00 बजे तक) में से 1½ घन्टा संबंधित दूरदर्शन केन्द्रों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध हो सके।

मजदूर संघों द्वारा राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन का बहिष्कार

208. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ मजदूर संघों और सगठनों ने दिल्ली में हाल में हुए श्रम-सम्मेलन का बहिष्कार किया और उसके प्रति विरोध प्रकट किया;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) किन-किन मजदूर संघों और संगठनों ने इसका बहिष्कार और विरोध किया था;

(घ) सरकार ने किन-किन संगठनों को आमंत्रित किया था और उन्हें आमंत्रण पत्र भेजे थे; और

(ङ) जिन संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार और विरोध किया तथा उसमें भाग नहीं लिया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) जी, हां।

एटक, सिटु, हिन्द मजदूर सभा (वी), भारतीय मजदूर संघ, यू० टी० यू० सी०, यू० टी० यू० सी० (एल० एस०) और टी० यू० सी० सी० ने अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में आपत्ति उठाते हुए और औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982, अस्पताल तथा अन्य संस्थाएं (विवादों का निपटान) विधेयक, 1982, ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक, 1982 और मजदूर संदाय (संशोधन) विधेयक, 1982 की पुनरीक्षा करने की मांग करते हुए, इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार मजदूर विरोधी है।

(घ) जिन श्रमिक और नियोजक संगठनों को आमंत्रित किया गया था, उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ङ) सरकार से इस सम्बन्ध में खेद व्यक्त किया कि श्रम मंत्री द्वारा निजी अपील किए जाने के बावजूद इन ट्रेड यूनियनों ने सम्मेलन का बहिष्कार किया।

विवरण

उन संगठनों के नाम जिन्हें 17-18 सितम्बर, 1982 को हुए राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था

1. नियोजक संगठन :

(i) अखिल भारतीय नियोजक महा संघ
(ii) अखिल भारतीय नियोजक संगठन
(iii) अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन
(iv) सरकारी उद्यमों का स्थायी सम्मेलन

2. श्रमिक संगठन :

(i) राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस
(ii) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस
(iii) हिन्दी मजदूर सभा (विशिष्ट ग्रुप)
(iv) हिन्द मजदूर सभा (कुलकर्णी ग्रुप)
(v) भारतीय मजदूर संघ
(vi) युनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (लेनिन सारणी)
(vii) युनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस
(viii) नेशनल फ्रंट आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स
(ix) सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

3. विशेष आमंत्रित व्यक्ति :

(i) नेशनल लेबर आर्गनाइजेशन
(ii) ट्रेड यूनियन को-आर्डिनेशन सेण्टर।

बिना लाइसेंस वाले टेलीविजन और रेडियो सैटों का पता लगाने के लिए दिल्ली डाक सर्किल द्वारा आकस्मिक जांच

209. श्री मोहनलाल पटेल
श्री नवीन रवाणी } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डाक सर्किल ने दिल्ली में बिना लाइसेंस वाले टेलीविजन और रेडियो सैटों का पता लगाने के लिये आकस्मिक जांच की है;

(ख) यदि हां, तो कितने टेलीविजन और रेडियो सैट बिना लाइसेंस वाले पाये गये और लाइसेंस शुल्क तथा अधिभार के रूप में कितनी राशि एकत्र की गई है;

(ग) क्या सरकार ने बिना लाइसेंस वाले टेलीविजन सैटों और रेडियो सैटों का पता लगाने के लिये अन्य नगरों में भी जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (1.4.81 से 31.3.82 तक) दिल्ली सर्किल में आकस्मिक जांच के दौरान पकड़े गए बिना लाइसेंस वाले टेलीविजन और रेडियो सैट तथा उनसे वसूल की गई लाइसेंस फीस तथा प्रतिभार की रकम निम्न प्रकार है :

लाइसेंस रहित पकड़े गए रेडियो/ टेलीविजन सैट	लाइसेंस फीस तथा प्रतिभार के रूप वसूल की गई रकम
32,909	रु० 7,93,345.60

(ग) जी हां।

(घ) इसी अवधि के दौरान दिल्ली के अतिरिक्त अन्य सर्किलों में पकड़े गए बिना लाइसेंस वाले टेलीविजन और रेडियो सैटों की कुल संख्या तथा उससे वसूल की गई रकम निम्न प्रकार है :—

लाइसेंस रहित पकड़े गए रेडियो/ टेलीविजन सैट	लाइसेंस फीस तथा प्रतिभार के रूप में वसूल की गई रकम
4,09,231	रु० 1,00,48,880.55

वेश्यावृत्ति, विवाह और तलाक के मामले को निपटाने के लिए अलग न्यायालय

210. श्री निहाल सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और अन्य शहरों में वेश्यावृत्ति, विवाह और तलाक से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अलग न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि सामान्य न्यायालयों में वेश्याओं की उपस्थिति से वहां भीड़ हो जाती है और उनके मामले तेजी से निपटाए भी नहीं जाते हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) विवाह, विवाह-विच्छेद, आदि जैसे कौटुम्बिक विवादों का वितिश्चय करने के लिए कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

वेश्यावृत्ति के मामलों के लिए पृथक् न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भारत सरकार की ऐसी रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

त्रिपुरा में ताप-बिजली घर

211. श्री अजय बिश्वास : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को त्रिपुरा सरकार की ओर से ताप-बिजली घर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) उक्त ताप-बिजली घर के लिए स्वीकृति देने में तथा धनराशि की व्यवस्था करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना को तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) बारामुरा (त्रिपुरा) में 2×5 मेगावाट के गैस टर्बाइन विद्युत केन्द्र के प्रतिष्ठापना सम्बन्धी प्रस्ताव पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 463.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है। इस स्कीम के लिए वित्त-व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही इसके निवेश संबंधी निर्णय का मूल्यांकन किया जा सकता है।

बम्बई उपनगरीय विद्युत सप्लाई के लिए 500 मेगावाट के एक बिजलीघर की स्थापना का प्रस्ताव

212. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई उपनगरीय विद्युत सप्लाई के लिये 500 मेगावाट के एक बिजलीघर की स्थापना का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में बासीन में 2×210/1×500 मेगावाट का ताप-विद्युत केन्द्र प्रतिस्थापित करने के लिये महाराष्ट्र

सरकार ने जून, 1979 में बम्बई उपनगरीय विद्युत सप्लाई लि० का एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव को नवम्बर, 1980 में छोड़ दिया गया था क्योंकि कोयला लिंकेज स्थापित नहीं किया जा सका तथा जैसा कि विद्युत सप्लाई अधिनियम, 1948 की धारा 44 के अन्तर्गत अपेक्षित है, बम्बई उपनगरीय विद्युत सप्लाई ने महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी।

डाक-तार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः रोजगार

213*. श्री गुलाम रसूल कौचक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग का विचार डाक-तार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रोजगार देने की शर्तें क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) पुनःरोजगार का प्रस्ताव देने के कारण :

हालांकि डाक-तार में प्रचालनात्मक संवर्गों में भर्ती एवं प्रशिक्षण के बकाया को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं परन्तु ऐसा पाया गया है कि कर्मचारियों की कुछ कमी है जिससे सेवा की कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इस समस्या से निपटने के लिए अत्यावधि अतिरिक्त उपाय के बतोर पेंशन भोगियों को पुनःरोजगार देने का प्रस्ताव रखा गया है।

सेवानिवृत्त स्टाफ को पुनः रोजगार पर लेने के नियम एवं शर्तें :

लिपिक वर्गीय संवर्गों अथवा उच्च अराजपत्रित संवर्गों के सेवानिवृत्त डाक-तार कर्मचारियों को एक विशेष अवधि, जो एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए पुनः रोजगार पर लेने का प्रस्ताव है बशर्ते कि निम्न शर्तें पूरी होती हो :

(एक) कर्मचारी निष्कलंक सेवानिवृत्त होना चाहिए तथा उसकी सेवा का अच्छा रिकार्ड रहा हो।

(दो) सामान्यतः सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनः रोजगार की 60 वर्ष की आयु से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ विशेष मामलों में इसे 65 वर्ष की आयु सीमा तक भी बढ़ाया जा सकता है।

(तीन) पुनः रोजगार के बल प्रचालन संवर्गों में लिपिक वर्गीय ग्रेडों में होगा जहां सीधी भर्ती की व्यवस्था है।

(चार) पुनः रोजगार को एक महीने का नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

(पांच) पुनः रोजगार न्यूनतम सीमा तक ही किया जाएगा और यह इस संबंध में सरकार के मौजूदा आदेश लागू होंगे ।

विदेशों में रोजगार चाहने वाले श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण

214. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में विदेशों को जाने वाले श्रमिक कला और प्रशिक्षण के अभाव में कठिनाइयों तथा असुविधा का सामना करते हैं;

(ख) क्या विदेशों में रोजगार चाहने वाले श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण में और कलाओं में सुधार करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या विदेशों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए कल्याणनिधि को स्थापित करना भी विचाराधीन है और यदि हां तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सरकार को कुछ ऐसे मामलों की जानकारी है, जिनमें कौशल तथा प्रशिक्षण के अभाव में श्रमिकों को कठिनाइयों तथा असुविधा का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार के मामले भरती एजेन्टों द्वारा भरती संबंधी मानक का पालन न करने के कारण पैदा होते हैं ।

(ख) जी, हां । प्रस्तावित कदमों में कौशल बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिन्हें नियोजकों द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित किया जाएगा ।

(ग) यह प्रस्ताव अभी गौर किए जाने की प्रारम्भिक अवस्था में है ।

एल० पी० जी० सिलेंडरों का फटना

215. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चरेलू कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले एल. पी. जी. गैस के सिलिंडरों के फटने की घटनाओं में वृद्धि हुई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन घटनाओं तथा 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 1982 तक मासवार मरने तथा घायल होने वालों का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है;

(ग) इन घटनाओं में वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) नागपुर के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा यह रिपोर्ट की गई है कि विस्फोटक विभाग को अभी तक ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की गई है जो घर में खाना पकाने के लिए प्रयोग में लाये जाने एल० पी० जी० सिलेंडरों के फटने के कारण घटना का प्रारंभिक कारण रही हो।

(ख) तथापि आग अथवा अत्यधिक ताप से एल० पी० जी० सिलेंडरों के फटने की घटनाएं विस्फोटक विभाग को रिपोर्ट की गई है और ऐसे मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च 1982 के बीच —2

1 अप्रैल से 24 सितम्बर, 1982 तक —शून्य

ऊपर बताई गई 2 घटनाओं में चार व्यक्ति जख्मी हुए थे परन्तु कोई भी मरा नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ताप्ती बेसिन में खुदाई

216. श्री आर० पी० गायकवाड : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप्ती बेसिन में खुदाई संबंधी योजना को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यक्रम में शामिल करने का विचार है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात राज्य के लिए 10 वर्षीय योजनायें तैयार की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) गुजरात राज्य में कैम्बे, सौराष्ट्र और कच्छ नामक तीन बेसिन शामिल हैं। तेल एवं प्राकृति गैस आयोग ने भूगर्भीय सर्वेक्षणों के रूप में भू-वैज्ञानिक निवेशों के लिए योजनाएं तैयार की हैं, राज्य में हाईड्रोकार्बन्स के भण्डारों का पता लगाने के लिए अन्वेषी व्यधन द्वारा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये जायेंगे।

दिल्ली के लिए एक सुपर ताप बिजलीघर की स्थापना करना

217. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के लिए एक उच्च ताप बिजली घर स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) यह सुपर ताप बिजली घर दिल्ली में किसी स्थान पर स्थापित करने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) दिल्ली के पास एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के सम्बंध में एकप्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

गुजरात में बिजली की कटौती

218. श्री मोती भाई आर० चौधरी क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान कितने दिन बिजली की 25 प्रतिशत से अधिक कटौती की गई, इसके क्या कारण थे और कितनी कटौती की गई;

(ख) राज्य में हाल ही की मानसून के दौरान हुई अत्यल्प वर्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी सर्दी के मौसम में सिंचाई प्रयोजन के लिए किसानों को बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या अच्छी किस्म के कोयले की कमी तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड संयंत्रों में दोषों के कारण बार-बार बिजली चले जाने की घटनाओं को कम से कम किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गुजरात में सप्लाई की किसी भी श्रेणी पर ऊर्जा की कोई कटौती नहीं है। विद्युत कटौती के उच्च वोल्टता वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग पर लगाई गई है। अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1982 के बीच उन दिनों की संख्या जब मांग पर कटौती 25 प्रतिशत से अधिक थी और कटौती की मात्रा नीचे दी गई हैं :

विद्युत की मांग पर कटौती की मात्रा और उन दिनों की संख्या जब कटौती 25 प्रतिशत से अधिक थी।

महीना	30 प्रति०	35 प्रति०	40 प्रति0	45 प्रति0	50 प्रति0
अप्रैल, 1982	7	8	—	1	1
मई, 1982	—	2	—	—	—
जून, 1982	—	1	1	—	5
जुलाई, 1982	4	6	1	—	1
अगस्त, 1982	1	5	12	—	7
सितम्बर, 1982 (24 तारीख तक)	—	—	7	—	17

विद्युत कटौती के कारण ये थे :

(1) यह मानकर कि मानसून सामान्य होगा, ताप विद्युत यूनिटों को नियोजित अनुरक्षण के लिए बन्द करना;

(2) उकई और गांधी नगर ताप विद्युत केन्द्रों पर 120-120 मेगावाट की एक-एक यूनिट में रोटरों का प्रत्याशित रूप से फेल होना ।

(3) तारापुर परमाणु केन्द्र की एक यूनिट को पुन: ईंधन देने के लिए बन्द करना;

(4) उकई जलाशय के जल-ग्रहण क्षेत्र में मानसून के फेल होने के कारण कम जल विद्युत उत्पादन होना;

(5) मानसून वर्षा की कमी के कारण कृषि के लिए मांग में वृद्धि होना ।

(ख) उच्च वोल्टता वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा दिन के समय विद्युत के प्रयोग पर प्रतिबन्ध 5 अक्तूबर, 1982 तक लगाए गए हैं जिससे कि फसल बचाने हेतु कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हो ? शरद ऋतु के दौरान कृषि सहित ग्रामीण क्षेत्रों को औद्योगिक उपभोक्ताओं पर उपयुक्त प्रतिबन्ध लगाकर 14 घंटे विद्युत सप्लाई करने का प्रस्ताव है ।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भ्रमणकारी दल ने भा० हैवी० इलेo लि० के उपस्करों में कमियों का पता लगाया है और कार्य करने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं । इनको कार्यान्वित किया जा रहा है और ताप विद्युत यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है । गुजरात सरकार ने गुजरात में विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने और उपाय सुझाने के लिए एक समिति भी गठित की है ।

त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के एजेंडा पत्रों का देरी से मिलना

219. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 और 17 सितम्बर, 1982 को हुए दो दिन के त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में आमंत्रित कुछ व्यक्तियों को 15 सितम्बर, 1982 तक भी उसका एजेंडा नहीं मिला था; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) कार्यसूची की मदों सम्बन्धी ज्ञापन डाक द्वारा दो किश्तों में भेजे गए थे। एक किस्त 31-8-1982 को और दूसरी किश्त 6-9-1982 को भेजी गई थी। तथापि, कुछ आमंत्रित व्यक्तियों ने यह शिकायत की कि ये पत्र या तो उन्हें देरी से मिले या मिले ही नहीं।

तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में तारों का प्रेषण

220. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम में तार भेजने के लिए परमकुडी में एक टैलीप्रिंटर लाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त टैलीप्रिंटर काम नहीं कर रहा है और तार डाक द्वारा भेजे जाते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी नहीं।

हालाँकि टेलीप्रिंटर की मंजूरी दे दी गई थी परन्तु परमकुडी डाकघर में स्थान उपलब्ध न होने के कारण यह स्थापित नहीं किया जा सका। मोर्स लाइन पर कभी-कभी रुकावट आने के कारण कुछ तार डाक द्वारा भेजे गए थे। फिर भी यह कुल परियात का 0.03 प्रतिशत ही था।

देश की बिजली सप्लाई प्रणाली का पुनर्गठन

221. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की बिजली सप्लाई प्रणाली को पुनर्गठित करने का है :

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के निदेशों को ध्यान में रखकर न्यूनतम लाभ की बात निर्धारित की जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सारे देश में घरेलू और औद्योगिक कार्यों में प्रयोग में लाई जाने वाली दोनों प्रकार की विद्युत की समान दरें निर्धारित करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 27 अगस्त, 1982 को हुए विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में राज्यों के साथ हुए विचार विमर्श में अन्य बातों के साथ-साथ सांविधिक क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों का सृजन करके क्षेत्रीय स्तर पर विद्युत सप्लाई उद्योग के संगठनात्मक ढाँचे को सशक्त बनाने, बड़ी पारेषण लाइनों का केन्द्र द्वारा स्वामित्व और प्रचालन करने, वित्तीय लाभ की निम्नतम दरें निर्धारित तथा अन्तर्राज्यीय टैरिफ तय करने तथा राज्य बिजली बोर्डों में प्रबन्ध सम्बन्धी उच्चतर पदों को भरने के लिए रूप रेखाएँ तैयार करने में केन्द्र को समर्थ बनाने के लिए सांविधिक प्रावधान करने के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया। जबकि राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया था तथापि कुछ राज्यों ने कुछ प्रस्तावों के बारे में कुछ नहीं कहा। केन्द्र और राज्यों के बीच बात-चीत जारी रहेगी।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रतिफल के निर्धारण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कोई निदेश नहीं दिया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट

222. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग द्वारा अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारक डाक-टिकटों की श्रृंखला जारी करने पर विचार करने, ताकि स्वाधीनता संग्राम पर प्रकाश डाला जा सके, के लिए गठित कार्यकारी दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई है और सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) उन स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम क्या हैं जिनको इस सम्मान के लिए चुना गया है और वे किन-किन राज्यों के हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) तक : कार्यकारी दल की सिफारिशों की जाँच की जा रही है। इस सम्बन्ध में फिलैटलिक सलाहकार समिति तथा डाक-तार विभाग द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद ही ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

उरान गैस टर्बाइन परियोजना द्वारा बम्बई हाई की गैस को उपयोग में लाया जाना

223. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में उरान गैस टर्बाइन विस्तार परियोजना के अधीन चार अतिरिक्त गैस टर्बाइन बम्बई हाई से उत्पादित की जाने वाली गैस और एल० एस० एच० एस० को आसानी से खपा सकते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार पश्चिम जर्मनी की मैसर्स क्राफ्ट वर्क यूनियन को तत्काल पुनरावृत्ति आर्डर देने का है जो पहले ही उरान स्थल पर कार्यरत है विशेष रूप से क्योंकि क्राफ्ट वर्क यूनियन के स्थल संगठन को अक्टूबर, 1982 में समाप्त किया जाना निर्धारित है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान नीति यह है कि जहाँ तक व्यवहार्य हो, गैस का प्रयोग उर्वरक, पेट्रोलियम कैमीकल्ज इत्यादि के उत्पादन के लिए फीड-स्टाक के रूप में किया जाना चाहिए। उस हालत में, जब गैस का प्रयोग इन कार्यों के लिए तत्काल न किया जा सकता हो तो इसे विद्युत उत्पादन आदि जैसे अन्य कार्यों के लिए उस समय तक जब तब कि उर्वरक और पेट्रोलियम तथा कैमीकल संयंत्र इसे पूर्णत: उपयोग करने में तैयार नहीं हो जाते अस्थायी आधार पर पूर्ण रूप से फल-बैक व्यवस्था के रूप में काम में लाया जा सकता है। किए गए अध्ययन के अनुसार सम्बद्ध गैस की कुछ फालतू मात्रा महाराष्ट्र क्षेत्र में अल्प अन्तरिम अवधि के लिए उपलब्ध हो सकती है। तदनुसार, उत्राण के 60-60 मेगावाट के 4 अतिरिक्त विद्युत सेटों की प्रतिष्ठापना के लिए स्कीम में प्रचालनात्मक उतार-चढ़ाव के लिए गैस और एल० एस० एच० एस० दोनों के प्रयोग की आयोजना की गई है। चूंकि इस स्कीम का अभी तकनीकी-आर्थिक तौर से मूल्यांकन किया जाना है, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को विद्युत उत्पादन उपस्कर के आयात की सामान्य प्रक्रिया अपनाने का सलाह दी गई है।

दिल्ली टेलीफोन कार्यालय में दैनिक मजूरी पर टेलीफोन आपरेटर

224. **श्री सुभाष यादव**
स्वामी इन्द्रवेश } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले लगभग 6-7 वर्षों से महाप्रबन्धक, दिल्ली टेलीफोन कार्यालय में बड़ी संख्या में नैमित्तिक कर्मचारियों को दैनिक मजूरी पर टेलीफोन आपरेटर के रूप में भर्ती किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी आधार पर स्थानीय रूप से भी टेलीफोन आपरेटरों की नई नियुक्तियाँ की गई हैं; और

(ग) क्या उन्हें नियमित करने के लिए कोई समय निश्चित किया है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

225. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप बिजली और पन बिजली घरों की क्षमता का 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान कम से कम 70% उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; ताप बिजली और क्या पन बिजली घरों की क्षमता का उपयोग 48% से आगे नहीं पहुँचा है; और

(ख) देश में बिजली की सप्लाई औद माँग के बीच बढ़ते हुए अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय से राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों मे ये शामिल हैं :—

(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रम बनाने के लिए तथा उन्हें आरम्भ करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना।

(2) सुधारात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना।

(3) स्वदेशों और विदेशी संसाधनों से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना।

(4) पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा में कीयले की व्यवस्था करना।

(5) कमियों का पता लगाने के लिए 200/210 मेगा० और 110/120 मेगा० यूनिटों के लिए कृतिक बलों का गठन करना तथा शीघ्र स्थिरीकरण के लिए और कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम बनाना।

(6) ताप विछ्त संयन्त्र के लिए इन्जीनियरो तथा प्रचालन और अनुरक्षण-कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

अब तक उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप देश में ताप विद्युत संयन्त्रों की क्षमता के समुपयोजन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1980-81 के दौरान प्राप्त 44.6 प्रतिशत संयन्त्र भार अनुपात की तुलना में वर्ष 1981-82 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयन्त्र भार अनुपात 46.8 प्रतिशत था। इसके अलावा गत वर्ष की अवधि के दौरान प्राप्त हुए 44.7 प्रतिशत के संयन्त्र भार अनुपात की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान संयन्त्र भार अनुपात 48.3 प्रतिशत हुआ है।

जब विद्युत केन्द्र सामान्यत: अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाए जाते हैं और उत्पादन की पद्धति मौसम में भिन्न-भिन्न होती है। अत: जल-विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन के लिए क्षमता समुपयोजन अच्छा पैरामीटर नहीं है।

(ख) माँग और सप्लाई के बीच के अन्तर को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :—

(1) अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना।

(2) फालतू बिजली वाले राज्यों से बिजली की कमी वाले राज्यों को बिजली का अन्तरण करना।

(3) मौजूदा ताप विद्युत परियोजनाओं से अधिकतम उत्पादन करना।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत स्टेशन डायरेक्टर

226. **श्री दिगम्बर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन में कितने स्टेशन डायरेक्टर कार्यरत हैं और उनमें से सलेक्शन ग्रेड में कितने हैं;

(ख) ऐसे कितने लोग हैं जो आकाशवाणी में 1-10-1964 को कार्य कर रहे थे और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति किस ग्रेड में काम कर रहा था और ऐसे अधिकारियों के नाम क्या है जो 400 रुपये और उमसे अधिक के ग्रेड में थे;

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रोडक्शन काडर में कितने अधिकारी है, जो प्रोड्यूसरों अथवा वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे हैं और जो 1-10-1964 से सेवा में थे;

(घ) उनमें से कितने अधिकारी 400/- रुपए या इससे अधिक के मूल ग्रेड में 1-10-1964 से काम कर रहे थे; और

(ङ) क्ना उपर्युक्त (ख) और (घ) भाग में उल्लिखित अधिकारियों का विवरण सभा पटल पर रखा जायेग और इस समय प्रोडक्शन काडर के लिए क्या विस्तृत योजना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) 1-10-1982 को आकाशवाणी में कार्यरत केन्द्र निदेशकों की सामान्य ग्रेड (1100-1600 रु०) में संख्या 69 तथा चयन ग्रेड (1500-2000 रु०) में 21 है।

उपरोक्त में से 1-10-1964 को आकाशवाणी में नियमित संवर्ग में 400 रुपए और इसके ऊपर शुरू होने वाले वेतनमान में केवल 2 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। ये व्यक्ति हैं श्री डी० पी० रामचन्द्र, जो इस समय केन्द्र निदेशक के चयन ग्रेड में हैं तथा श्री पी० धर्मगनानी, जो इस समय केन्द्र निदेशक के सामान्य ग्रेड में हैं। आकाशवाणी के निर्माण संवर्ग के उन व्यक्तियों अर्थात् स्टाफ आर्टिस्टों, जो इस समय सेवा में है तथा 1-10-1964 को प्रोड्यूसर तथा उससे ऊपर के ग्रेड में थे, की संख्या 9 थी। 1-10-1964 को, ये सभी 9 व्यक्ति 425-770 रु० के पूर्व-युक्ति युक्त वेतनमान में थे।

डन 9 भूतपूर्व प्रोड्यूसरों के नाम तथा उनके मौजूदा पदनाम इस प्रकार हैं :—

1. कुमारी अरविन्द दवे	प्रोड्यूसर (चयन ग्रेड) (700-1300 रु०)
2. श्री रसिक लाल भोजक	वरिष्ठ प्रोड्यूसर (900-1400 रु०)
3. श्री वी० डी० मदगुलकर	अथैव

4. श्री जी० के० कौल	वरिष्ठ प्रोड्यूसर (900-1400 रु०
5. कुमारी कौशल्या माथुर	तथैव
6. श्रीमति माधुरी मट्टू	उप मुख्य प्रोड्यूसर (1100-1600 रु०)
7. श्री हफीज अहमद खान	उप मुख्य प्रोड्यूसर (1100-1600 रु०)
8. श्री ए० रमेश चौधरी	तथैव
9. कुमारी बुलबुल सरकार	तथैव

सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया कि निर्माण संवर्ग के स्टाफ आर्टिस्टों को पेशन दी जाएगी तथा उनको नियमित सरकारी कर्मचारी माना जायेगा बशर्ते कि वे सरकारी कर्मचारी बनने के लिए अपना विकल्प दे तथा उनको शामिल करने के बारे में उनकी छानबीन हो जाए।

दूरदर्शन के केन्द्र निदेशक (सामान्य ग्रेड), (चयन ग्रेड) तथा निर्माण संवर्ग में इस समय कार्यरत व्यक्तियों के बारे में इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जाएगी तथा उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

देश में शिक्षित बेरोजगार

227. **श्री उमा कान्त मिश्र** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या क्या है तथा उनमें तकनीकी और गैर-तकनीकी लोग कितने-कितने हैं;

(ख) प्रति माह कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है; और

(ग) क्या इन सम्बन्ध में किसी विशेष कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जैसा कि योजना आयोग द्वारा गणना की गई है 1980 के प्रारम्भ में देश में शिक्षित बेरोजगारों (मैट्रिकुलेट और इससे अधिक) की संख्या के अनुमान इस प्रकार है :—

शिक्षित व्यक्तियों का प्रकार	1980 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या
	(हजारों में)
तकनीकी*	101.0
गैर तकनीकी :	3371.0
कुल शिक्षित :	3472.0

*इनमें इन्जीनियरी डिग्री धारी (बी. ई.), इन्जीनियरी डिप्लोमा धारी चिकित्सा स्नातक (एस. बी. बी. एस.), दन्त सर्जन (मी. डी. एस.) नर्स (बी. एस. सी. नर्सिग), कृषि स्नातक, पशु-चिकित्सा स्नातक शामिल है।

(ख) और (ग) जबकि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के, जिन्हें प्रति माह रोजगार दिया गया था, अनुमानित आंकड़े उपलब्ध नहीं है, उन्हें रोजगार देने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जिन्हें नीचे दिया गया है :—

देश में सामान्य बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी शामिल है, छठी योजना (1980-85) बनाई गई है। योजना दस्तावेज के अध्याय "जनशक्ति और नियोजन—" में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के सृजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के ब्यौरों की व्यवस्था की गई है। कुछ योजनाएं, जिनमें शिक्षितों के लिए पर्याप्त रोजगार क्षमता है, निम्न प्रकार हैं :—

(i) कृषि विस्तार योजना प्रणाली का प्रसारण, (ii) कृषि अनुसंधान कार्यक्रम, (iii) कृषि जनगणना और फार्म प्रबन्ध अध्ययन (iv) आपरेशन फ्लड-II के तकनीकी और इन्फ्रास्ट्रक्चरल पहलू (v) इनलैंड मत्स्य परियोजना (vi) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि।

जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन के लिए विकेन्द्रीकृत नीति मे, जिसे जिला जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन परिषदों की स्थापना तथा स्व-नियोजन सम्बन्धी पुनर्व्यवस्था के माध्यम से अपनाया जा रहा है, शिक्षित बेरोजगारों को भी पर्याप्त सहायता मिलने की आशा है।

विशेष रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मियों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। उनमें से कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(i) राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी उद्यमकारिता बोर्ड की स्थापना, (ii) राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की प्रस्तावित स्थापना, (iii) उद्योग के लिए प्रोत्साहनों की सीरीज प्रारम्भ करना ताकि वे अनुसंधान और विकास कर सकें तथा पायलट प्लांट्स में निवेश तथा ऊर्जा बचत उपायों की व्यवस्था कर सके। (iv) छठी योजना के अन्तर्गत ऊर्जा, सिंचाई आदि में पर्याप्त निवेश, (v) सभी वैज्ञानिक विभागों को निदेश जारी करना कि विद्यमान वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को भरा जाए और (vi) सी. एस. आई. आर. द्वारा प्रचालित वैज्ञानिक पूल योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिकों आदि की अस्थायी नियुक्ति की व्यवस्था करना।

अपर इन्द्रावती बांध परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत

228. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाहांडी, उडीसा की अपर इन्द्रावती बांध परियोजना के वित्तीय पोषण के लिए विश्व बैंक के साथ कोई बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो बातचीत में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उड़ीसा की अपर इन्द्रावती परियोजना के लिए कितने धन की आवश्यकता है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उड़ीसा के अपर इन्द्रावती परियोजना (5×120 मेगा०) को वित्त वर्ष 1983 ये विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में परियोजना के पूर्व-मूल्यांकन के लिए विश्व बैंक दल ने 31 जनवरी, 1982 से 2 फरवरी, 1982 तक परियोजना स्थल का दौरा किया था। तथापि विश्व बैंक द्वारा परियोजना का अभी मूल्यांकन किया जाना है, जिसके पश्चात् ही विश्व बैंक सहायता आदि की अनुमानित राशि का पता चल सकेगा। अपर इन्द्रावती परियोजना के मूल्यांकन के लिए विश्व बैंक दल पहले ही भारत में आ गया है।

(ग) विद्युत के लिए प्रभारित परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत, जून, 1982 की स्थिति के अनुसार, 277.26 करोड़ रुपए है। लागत के मदवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

एक—बांध लागत का 50% विद्युत परियोजना पर प्रभारित	73.55 करोड़ रु०
दो—सिविल कार्य	86.95 करोड़ रु०
तीन—विद्युत कार्य	116.76 करोड़ रु०
जोड़	277.26 करोड़ रु०

लघु पन बिजली संयन्त्र

229. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में नहरों आदि से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पानी के प्रयोग से लघु जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके बिजली पैदा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसके लिए कोई योजना बनाई गई है अथवा बनाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम में मिनी/माइक्रो जल-विद्युत स्कीमों पर बल दिया गया है। फलस्वरूप हाल ही में हुए विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में मिनी/माइक्रो जल विद्युत स्कीमों को दिसम्बर, 1982 से पहले केन्द्र सरकार को भेजने के लिए सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रियों को लिखा जा रहा है। मौजूदा/प्रस्तावित बाँधों, नहर प्रपातों तथा उन जलाशयों के शीर्ष नियामकों पर, जहाँ सिंचाई नहरें निकलती हैं, मिनी/माइक्रो जल विद्युत सेटों की प्रतिष्ठापना करने की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए भी राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है। अब तक कई स्थानों का पता लगाया गया है तथा नहर प्रपातों का उपयोग करने वाली उन मिनी माइक्रो

जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा, जिनकी परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हो गई हैं, विवरण में सूची में दिया गया है।

नहर जल का प्रयोग करने वाली तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित दो मिनी जल विद्युत स्कीमें नामशः गुजरात में उकई बायां तट नहर बिजलीघर (2×2500 किलोवाट) तथा राजस्थान में अनूपगढ़ नहर (6×1500 किवा.) इस समय देश में निर्माणाधीन हैं। नहर प्रपातों पर 3 अतिरिक्त मिनी जल विद्युत स्कीमों, अर्थात् असम में धनसीरी (19950 किवा.), हरियाणा में दादूपुर (6,000 किवा.) तथा राजस्थान में दांयी मुख्य नहर (6,000 किवा.) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकृति दे दी है तथा उनके लिए योजना आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को नहर प्रपात (15,000 किवा. प्रतिष्ठापित क्षमता तक) का समुपयोजन करने वाली जिन लघु जल बिद्युत स्कीमों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनकी सूची

स्कीम		प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा.) (यूनिटों की सं०, यूनिटों का आकार)	लागत लाख रुपए
1		2	3
उत्तरी क्षेत्र			
थुही	(पंजाब)	2×0.570	125
रिदामपुर	(पंजाब)	2×0.570	124
रोंहती	,,	2×0.570	128
धारीवाल	,,	5×0.600	285
दौधार	,,	3×0.570	170
बरांव शाखा			
चरण-एक (यू. बी. डी. सी.)			
	पंजाब पी. एच.-1	2×0.43	
	पी. एच.-2	1×0.43	196
	पी. एच.-3	1×0.43	
कसूर बराज	,, पी. एच.-1	2×0.43	
लोअर	2	2×0·43	
(यू. बी. डी. सी.)	3	1×0·43	233

1	2	3
कुंजार (एम. बो. यू. पंजाब)	5×0.43	259
अलिलवाल ,, पी. एच.-I	2×0·43	
एम. बी. यू.		
(पू. बी. डी. सी.) ,, 2	1×0.47	137
अबोहर नहर परियोजना-दो		
चुपकी (पंजाब)	5×0.390	298
नारंगबाल ,,	5×0.390	298
सुघार ,,	4×0.39	242
जुगाल ,,	4×0.39	244
देल्ला ,,	3×0.39	190
घोलिया ,,	2×0.39	130
भाखड़ा मुख्य लाइन चरण-एक		
थाबलन (पंजाब)	22×0.338	
सउदा ,,	15×338	
चनास्थाल ,,		
फिरोजपुर ,,	31×.148	
सिघवान ,,	21×144	
बालपुर ,,	18×0.148	
रोंगला ,,	19×0.148	
फतेहपुर ,,	17×0.144	
देडना ,,	17×0.144	6,023
कोटला शाखा चरण-एक		
दोलोवाल (पंजाब)	5×0.390	
सलाल ,,	5×0.390	
झांनापुरा ,,	5×0.390	
झांभ:पुर ,,	4×0.390	
किला ,,	3×0.390	1,508
खेरी बरौता		
लघु जल विद्युत (हरियाणा)	5×1.3	946

1	2	3	4
सूरतगढ़	(राज.)	2×1.5	301.22
बेल्का	(उ. प्र.)	5×1	898
भीरा	(उ. प्र.)	3×1	822
लाबाइल	,,	3×2	853
दाधो	,,	4×1	1,111
पश्चिमी क्षेत्र			
*तावा बाँया तट नहर	(म. प्र.)	4×3	1,129
दक्षिणी क्षेत्र			
काकतिया नहर पी. एच.	(आ. प्र.)	3×5	1,129
काकतिया नहर फीडर नहर माइक्रो ज. वि.	(आ. प्र.)	4×0.5	198
विश्वेश्वराह नहर की मल्लूर शाखा पर मिनी जल विद्युत स्कीम	(कर्ना.)	1×2	250
मल्लारपुर ज. वि. स्कीम	(कर्ना.)	2×4.5	1,081
पूर्वी क्षेत्र			
पोत्तेरू लघु ज. वि. परि.	(उड़ीसा)	4×1.5	557
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
*बोरदिकारिता	(असम)	4.05 (जोड़)	395

नोट : संशोधित रिपोर्टों की प्रतीक्षा है ।

दक्षिण पूर्व एशिया के लिए तमिल में विदेश प्रसारण में "प्रेस कमेंट्स" कार्यक्रम

230. **श्री सी० पलानी अप्पन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "प्रेस कमेंट्स" कार्यक्रम में प्रातः प्रसारित होने वाले दक्षिण पूर्व एशिया के लिए तमिल में विदेश प्रसारण में भाषा के समाचार पत्र को स्थान नहीं दिया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में उस क्षेत्र के भाषाई समाचार पत्रों के विचार प्रसारित करने का है ताकि प्रसारण को तमिल कार्यक्रम सुनने वाले के लिए अधिक लाभदायक बनाया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवाओं से, "रिव्यू आफ दि इण्डियन प्रेस" नामक एक कार्यक्रम तमिल और अन्य भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय परिपेक्ष्य को उसकी समग्रता में प्रतिबिम्बित करने के लिए तैयार किया जाता है तथा यह राष्ट्रीय प्रेस में व्यक्त विचारों पर आधारित होता है।

तथापि, पर्याप्त महत्व के क्षेत्रीय समाचारों को भी इस कार्यक्रम में स्थान मिलता है। इसके अलावा, आकाशवाणी प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक तथा साहित्यिक क्षेत्रों में नवीनतम घटनाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए भाषायी समाचारपत्रों से नियमित रूप से परामर्श करती है।

ईंटों के भट्टों और पत्थर की खानों में बंधुआ मजदूर प्रणाली

321. **श्री रामविलास पासवान**
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री सुभाष यादव
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : **क्या श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में ईंटों के भट्टों और पत्थर की खानों में बंधुआ मजदूर प्रणाली अब भी प्रचलित है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उक्त उद्योगों में बंधुआ मजदूर प्रणाली अब भी प्रचलित है;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रम सचिव की अध्यक्षता में अन्तरविभागीय कार्यकारी दल ने राज्यों से सिफारिश की है कि वे अपने-अपने राज्यों में ईंटों के भट्टों और पत्थर की खानों में इस बात का पता लगायें कि क्या वहां अब भी बंधुआ मजदूर हैं; और

(ग) क्या सभी राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार का ध्यान समाचार पत्रों की उन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है जिनमें विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से हरियाणा,

पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमालय प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और त्रिपुरा राज्यों में, ईंट भट्टों और पत्थर खदानों में बंधुआ श्रम पद्धति की विद्यमानता का आरोप लगाया गया है।

(ख) जी, हाँ। हाल ही में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में ईंट भट्टों और पत्थर खदानों में प्रायोगिक अध्ययन करें और बंधुआ श्रमिकों के, जहां कहीं उनका पता लगाया गया हो, पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाएँ।

(ग) राज्य सरकारों में से किसी भी राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें

232. **श्री जगन्नाथ पाटिल**
श्री राम जेठमलानी
प्रो० रूपचन्द पाल
श्री अमर राय प्रधान
श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में पिछले सितम्बर में हुए राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रत्येक सिफारिश पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) सम्मेलन का बहिष्कार करने वाले आठ प्रमुख मजदूर संघों द्वारा दिए गए कारण क्या हैं और दिए गए प्रत्येक कारण पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) नई दिल्ली में 17-18 सितम्बर, 1982 को हुए राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के निष्कर्षों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। सरकार ने निष्कर्षों को नोट कर लिया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.** 5435/82]

(ख) एटक, सीटू, हिन्द मजदूर सभा (वी), भारतीय मजदूर संघ, यू. टी. यू. सी., यू. टी. यू. सी. (एल. एस.) और टी. यू. सी. सी. ने अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में आपत्ति उठाते हुए और औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982, अस्पताल तथा अन्य संस्थाएँ (विवादों का निपटान) विधेयक, 1982, ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक, 1982 और मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1982 की पुनरीक्षा की माँग करते हुए इस सम्मेलन का बहिष्कार किया।

तथापि सरकार ने खेद व्यक्त किया कि श्रम मन्त्री की व्यक्तिगत अपील के बावजूद उन ट्रेड यूनियनों ने सम्मेलन का बहिष्कार किया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की समीक्षा

233. श्री हरिहर सोरन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम समीक्षा कब की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत चालू योजना के पहले दो वर्षों के लिए पम्प सेटों को बिजली देने का लक्ष्य बहुत दूर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) (1) राज्य सरकारों से प्राप्त हो रही मासिक प्रगति रिपोर्टों की मानीटरिंग करके; तथा (2) समय-समय पर राज्य बिजली बोर्डों तथा ग्राम विद्युतीकरण निगम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करके राज्यों के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) छठी योजना के पहले दो वर्षों (1980-82) के दौरान कई राज्यों द्वारा पम्प सेटों के ऊर्जन के सम्बन्ध में वास्तविक उपलब्धि काफी संतोषजनक है। तथापि, कुछ राज्य लक्ष्यों की तुलना में काफी पीछे हैं। कमियों के मुख्य-मुख्य कारण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं :—

(1) प्रत्याशित उपभोक्ताओं को विद्युत के पम्पसेटों से ऊँचे लाभों को बताने के लिए कारगर विस्तार तन्त्र का अभाव।

(2) पम्पसेट को सप्लाई से जोड़ने की अधिक औसत लागत।

(3) विद्युत की अपर्याप्त और अनिश्चित सप्लाई।

(4) संस्थागत स्रोतों से ऋण की पर्याप्त सहायता।

(5) राज्य बिजली बोर्ड और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी।

(6) आदिवासी क्षेत्रों का अत्याधिक पिछड़ापन तथा पम्पसेटों के कनेक्शनों की कम मांग।

(ङ) नए 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जहां तक संभव हो, भू जल शक्यता के उपयोग पर आधारित नीति जारी है। समय-समय पर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विद्युत का उत्पादन और वितरण बढ़ाने के लिए भी सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सभी राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत

विभागों को सलाह दी है कि वे ग्रामीण कार्यों के लिए विद्युत की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करें।

ग्राम विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न नीतियों और कार्यवाही सम्बन्धी परिवर्तन लागू किए हैं ताकि राज्य बिजली बोर्ड अपने कार्य निष्पादन में सुधार कर सकें। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिये गये हैं :—

(1) सामग्री की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करके निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्र पूरा करने पर विशेष बल।

(2) साख पत्रों के द्वारा सप्लाई कर्त्ताओं को सीधे भुगतान करके ग्राम विद्युतीकरण के ऋण विमोचनों को सामग्रियों की सप्लाई के साथ जोड़ना तथा उपयोग में न लाई गई निधियों को पुनः काम में लाना।

(3) 1976 से पहले की स्कीमों को बन्द करना तथा पूर्ववर्ती स्कीमों में छोड़ दिये गये कार्यों को नई स्कीमों में शामिल करके खर्च न की गई निधियों को व्यपवर्तित करना।

(4) कृषि उपभोक्ताओं को कम से छः घण्टे विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में विद्युत की सप्लाई का समुचित और नियमित रूप से मानीटरिंग करना।

(5) ग्राम विद्युतीकरण निगम की गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करना तथा इसके क्षेत्रीय यूनिटों को सुदृढ़ करना ताकि ये स्कीमों को समय पर क्रियान्वित करने में अधिक प्रभावी और सहयोगी हो सकें।

खाना बनाने की गैस के सिलेंडरों की दुर्घटनाएं

234 **श्री के० लकप्पा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में खाना बनाने की गैस के सिलेंडरों से हुई दुखद दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सभी गैस विक्रेताओं को कोई मार्ग-निर्देश जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) के सिलेंडरों में होने वाली दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए तेल कम्पनियों और उनके वितरकों द्वारा कदम उठाए गए हैं :—

(1) एल. पी. जी. बॉटलिंग संयंत्रों पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल स्वीकृत/सही सिलेंडर एल. पी. जी. के सही भार से भरे जाते हैं और उनको भेजने से पहले रिसाव आदि से उनकी जाँच की जाती है, निरीक्षणों को तेज कर दिया गया है।

(2) तेल कम्पनियों ने एल. पी. जी. सिलेंडरों में प्रयोग में लाये जाने वाले वर्तमान "एक" किस्म के वाल्वों को नए अपने आप बन्द हो जाने वाले/प्रैशर रेगुलेटर प्रणाली से प्रतिस्थापन करना आरम्भ कर दिया है जिनमें सिलेंडर वाल्व और प्रैशर रेगुलेटरों के पहले डिजाइन की अपेक्षा कुछ सुधार किया गया है।

(3) एल. पी. जी. के सही प्रयोग, एल. पी. जी. सिलेंडरों और स्टोर के सुरक्षित रख-रखाव पर ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करने की एक योजना और उसके साथ-साथ ग्राहकों के स्थानों पर सिलेंडर उपकरण की वितरकों के कर्मचारियों द्वारा प्रतिष्ठापित करते समय अनुदेश देना आरम्भ किया गया है।

(4) तेल कम्पनियों द्वारा एल. पी. जी. उपकरण के सुरक्षित रख-रखाव पर समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर और लघु फिल्मों को प्रदर्शित करके आयोजन किया जा रहा है।

(5) उपभोक्ताओं को सिलेंडर डिलीवरी करने से पूर्व प्रत्येक सिलेंडरों की त्रुटियों/रिसाव को साबुन के घोल के परीक्षण द्वारा जाँच करने के लिए एल. पी. जी. के वितरकों को अनुदेश जारी कर दिए गये हैं।

(6) कुर्किंग प्रणाली से सिलेंडरों को जोड़ने और अलग करने पर डिलीवरी करदे वाले लड़कों को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कर दिया गया है।

(7) त्रुटिपूर्ण सिलेंडरों और सिलेंडर उपकरणों को निकालने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

बिहार में तिलैया बाँध के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण

235. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों की संख्या क्या है जिनकी भूमि बिहार में तिलैया बाँध के निर्माण के लिए ले ली गई है और जिन्हें दामोदार घाटी निगम में रोजगार मिल गया है; और

(ख) तिलैया बाँध के निर्माण के लिए उरवान मदाकण्डी पंचायत बिहार से ली गई भूमि का क्षेत्र कितना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रवासी मजदूरों के शोषण सम्बन्धी शिकायतों की जाँच के लिए संयुक्त दल

236. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकारियों का कोई संयुक्त दल स्थापित किया है जो विभिन्न ठेकेदारों द्वारा प्रवासी मजदूरों के शोषण सम्बन्धी शिकायतों की अब जाँच करेगा;

(ख) विशेषज्ञों का यह दल कब कार्य शुरू करेगा;

(ग) क्या यह राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रवासी श्रम बोर्ड स्थापित करने जैसा कि छठी योजना में परिकल्पित है, की दिशा में यह एक कदम है अथवा उसका एक परिशोधित रूप है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रवासी मजदूरों का शोषणा न हो इस दल को क्या शक्तियाँ सौंपी गई हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) 21 अगस्त, 1982 को हुई श्रम सचिवों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रवासी श्रमिकों के कार्य करने तथा रहन-सहन की दशाओं की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने और कार्यस्थल पर उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से दो अध्ययन दल स्थापित किए जायें। इन राज्यों को इस सम्बन्ध में लिख दिया गया है। सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर ही अध्ययन दल गठित किए जायेंगे।

(ग) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रवासी श्रमिक बोर्ड के गठन करने का विषय एक स्वतन्त्र विषय है और इस पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से अलग से विचार किया जा रहा है।

(घ) इन अध्ययन दलों को कोई शक्ति नहीं दी गई है क्योंकि इनका स्वरूप तथ्य को मालूम करने और सिफारिश करने तक ही सीमित है।

गोंडा, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक तकनीक पर आधारित टेलीफोन संयन्त्र कारखाने की स्थापना

237. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का विचार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में इलेक्ट्रानिक तकनीक पर आधारित टेलीफोन संयन्त्र कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है ?

संचार मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने निर्णय लिया है कि

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में डिजिटल इलैक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर की 5 लाख समतुल्य लाइनों की उत्पादन क्षमता स्थापित की जाए। अनुमान है कि इस योजना की पूंजीगत लागत लगभग 150 करोड़ रुपए होगी और कारखाने का निर्माण कार्य, जमीन अधिग्रहण के बाद 1983-84 में शुरू होगा।

दल-बदल आदि को रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन

238. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय इस सत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन संशोधन क्या हैं;

(ग) क्या दल-बदल और "आया राम गया राम" को रोकने के लिए कोई संशोधन लाया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार द्वारा निर्वाचन व्यय दिए जाने के लिए कोई उपबन्ध किया जा रहा है; और

(ङ) अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधन क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्वाचन सुधारों से सम्बन्धित अन्य व्यापक प्रस्तावों के साथ-साथ राजनैतिक दल-बदल को रोकने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) निर्वाचन सुधारों से सम्बन्धित अन्य व्यापक प्रस्तावों के साथ-साथ अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का भार सरकार पर डालने के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ङ) निर्वाचन विधि के जो अन्य महत्वपूर्ण संशोधन विचाराधीन हैं, वे निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन बनाने, निर्वाचनों में सरकारी तन्त्र के दुरुपयोग को रोकने, निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरण और धन की शक्ति की गुंजाइश को कम करने, निर्वाचन व्ययों में कम करने, मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने और लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूची प्रणाली या कोई अन्य प्रणाली अपनाकर वयस्क मताधिकार की विद्यमान प्रणाली में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में हैं।

शहीद-ए-आजम चन्द्रशेखर की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

239. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी समय से शहीद-ए-आजम चन्द्रशेखर की स्मृति में एक डाक

टिकट जारी करने की माँग की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की माँग संसद में भी कई बार की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में कुछ संसद सदस्यो ने प्रधान मन्त्री को भी पत्र भेजे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकबाना) : (क) से (ग) जी हाँ।

(घ) श्री झारखण्डे राय, संसद सदस्य, श्री रामावतार शास्त्री, संसद सदस्य और कई अन्य संसद सदस्यों ने शहीद-ए-आजम चन्द्रशेखर आजाद के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रश्न को उठाया है।

(ङ) भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटनाओं पर डाक टिकटों की एक श्रृंखला जारी करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस संदर्भ में श्री चन्द्रशेखर आजाद के नाम पर भी विचार किया जा रहा है।

राज्य विद्युत बोर्ड को बाढ़ से क्षति के कारण हुई हानि

240. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ से प्रभावित उड़ीसा तथा अन्य राज्यों की विभिन्न बिजली परियोजनाओं को बाढ़ से हुई क्षति के कारण उन राज्यों अर्थात् उड़ीसा तथा उक्त अन्य राज्यों के बिजली बोर्डों को कुल कितनी हानि हुई;

(ख) उड़ीसा तथा अन्य राज्यों की क्षतिग्रस्त विद्युत परियोजनाओं में मरम्मत करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश में बिजली की कमी

241. **श्री पी० एम० सईद** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानसून के बाद भी सम्पूर्ण देश में बिजली की कमी बनी रही है;

(ख) यदि हाँ, तो अगस्त, सितम्बर, 1982 तक बिजली की कमी से कौन से राज्य सर्वाधिक प्रभावित हैं;

(ग) क्या मन्त्री और प्रधान मन्त्री द्वारा किये गए प्रयासों के बावजूद अधिकतर राज्यों में बिजली की कमी बनी हुई है;

(घ) उसके मुख्य कारण क्या है;

(ङ) कमी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(च) बिजली की कमी कब तक दूर कर दी जायेगी तथा इस कमी से कुल कितनी हानि हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में इस वर्ष विद्युत की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अच्छी है। इस समय केवल कुछ ही राज्यों में विद्युत का संकट है। अगस्त और सितम्बर, 1982 के दौरान विद्युत की कमी में इस वित्त-वर्ष के पिछले महीनों की तुलना में गिरावट हुई है।

(ख) अगस्त और सितम्बर, 1982 के दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा विद्युत की कमी से प्रभावित हुए।

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा बोर्डों द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप अधिकतर राज्यों में विद्युत की कमी में पर्याप्त गिरावट आई है।

(घ) विद्युत की कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) नई क्षमता के जोड़े जाने और माँग में वृद्धि में तालमेल नहीं हैं।

(2) देश में कुछ ताप विद्युत केन्द्रों का असंतोषजनक कार्य-निष्पादन।

(3) कुछ राज्यों में मानसून का अपर्याप्त होना जिसके फलस्वरूप जल भण्डार का निम्न स्तर होना।

(4) परमाणु विद्युत संयन्त्रों में कम उत्पादन होना।

(ङ) और (च) माँग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू किया जाना।

(2) अधिशेष विद्युत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में विद्युत का अन्तरण किया जाना।

(3) मौजूदा ताप विद्युत परियोजनाओं से अधिकतम उत्पादन करना।

बेरोजगारी की समस्या

242. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बेरोजगार लोगों की संख्या क्या है तथा बेरोजगार लोगों को सरकार कब तक काम दे देगी; और

(ख) बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) योजना आयोग ने छठी योजना के प्रारम्भ में संचित दीर्घकालीन बेरोजगारी (आयु-ग्रुप 5+) 120.2 लाख होने का अनुमान लगाया था और उनका यह भी अंदाजा था कि छठी योजना अवधि के दौरान 342.4 लाख श्रम-शक्ति की शुद्ध बढ़ोतरी हो जायेगी। यह आशा की जाती है कि यदि यथा-परिकल्पित योजना कार्यक्रम तथा नीतियां कार्यान्वित की जाती हैं, तो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के बारे में मानक व्यक्ति-वर्ष के संदर्भ में रोजगार में छठी योजना के अन्त तक 342.8 लाख की वृद्धि हो जायेगी। तथापि, यदि यह मान लिया जाए कि वास्तव में सभी नव-नियोजित व्यक्ति पूर्ण-कालिक आधार पर नियोजित नहीं हो सकते, तो और अधिक खपत होगी तथा संचित बेरोजगारी का कुछ भाग छठी योजना के अंत तक कम हो जायेगा।

(ख) देश में बेरोजगारी के विस्तार को कम करने के लिए छठी योजना में रोजगार नीति सम्बन्धी अनेक उपायों की सिफारिश की गई है। इस संदर्भ में तैयार की गई विभिन्न स्कीमों का ब्यौरा छठी योजना दस्तावेज में दिया गया है। छठी योजना में अपनाएं गए पृथकता के दृष्टिकोण के एक अंग के रूप में, कई राज्यों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार अवसरों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए जिला जन-शक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन परिषदें गठित की गई हैं।

कहलगांव में सुपर ताप विद्युत परियोजना

243. **श्री डी० पी० यादव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कहलगाँव में सुपर ताप विद्युत परियोजना सरकार को निवेश सम्बन्धी समिति के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और उसके ब्यौरे सहित वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण I (4×200 मेगावाट) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा. ता. वि. नि.) के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आवश्यक वित्त व्यवस्था होने के बाद ही निवेश सम्बन्धी निर्णय के लिए परियोजना का मूल्यांकन किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

244. **श्री सुधीर गिरी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में इस समय दस वर्ष से अधिक समय से कुल कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) इस मामलों को छह महीनों की अवधि में निपटाने के लिए सरकार के अनुसार क्या उपाय उपयुक्त होंगे; और

(ग) क्या सरकार उन उपयुक्त उपायों को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों के बारे में जो जानकारी उनकी रजिस्ट्रियों ने भेजी है, वह संलग्न विवरण-I में दी गई है।

न्यायालयों में मामलों के इकट्ठा हो जाने के अनेक जटिल कारण हैं। ऐसी परिस्थितियों में न्यायिक प्रशासन में सुधार का काम निरन्तर करना होगा। इस समय सरकार दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों और अन्य लंबित मामलों में कोई भेद करने का विचार नहीं रखती। सरकार किसी भी दशा में यह संभव नहीं समझती कि ऊपर निर्दिष्ट लम्बित मामले छह मास की अवधि के भीतर निपटाए जा सकते हैं। फिर भी, सरकार बकाया मामलों की समस्या पर विचार करती रहती है। लम्बित मामलों की संख्या को कम करने के लिए जो उपाय किए गए हैं, वे संलग्न विवरण-II में बताए गए हैं।

विवरण-I

10 वर्ष या अधिक समय से लम्बित मामले

उच्चतम न्यायालय	2045
(1-4-82 को जो स्थिति थी उसके अनुसार)	
उच्च न्यायालय	
(31-12-82 को जो स्थिति थी उसके अनुसार)	
1. इलाहाबाद	815
2. आन्ध्र प्रदेश	2
3. बम्बई	769
4. कलकत्ता*	7671
5 दिल्ली	1837
6. गोहाटी	66
7. गुजरात	19
8. हिमाचल प्रदेश	123

9. जम्मू-कश्मीर	38
10. कर्नाटक*	6
11. केरल	—
12. मध्य प्रदेश*	298
13. मद्रास	5
14. उड़ीसा	51
15. पटना*	1864
16. पंजाब और हरियाणा	217
17. राजस्थान*	280
18. सिक्किम	—
	योग : 14061

*केवल मुख्य मामले।

विवरण-II

लम्बित मामलों की संख्या को कम करने के लिए किए गए उपाय

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100 क)।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अधिनियमित की गई और उसका 1970 और 1980 में संशोधन किया गया।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31-12-1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायाधिपति सम्मिलित नहीं हैं।

(4) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में समय-समय पर वृद्धि की गई है।

(5) उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चैंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

(6) उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) कुछ मामलों को पूर्विकता दी जाती है।

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

(iii) ऐसी रिट पिटीशनों को जिनमें एक जैसे प्रश्न अंतर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं।

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का ध्यान रखने का प्रयास किया जाता कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया था और उसमें यह उपबन्ध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः कुछ दिनों से इस न्यायालय ने जहां कहीं भी संभव होता है अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरम्भ कर दिया है परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथ-पत्र और प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर देते हैं।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को जिनमें, एक जैसा प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना;

(8) सरकार ने भी उन राज्यों के जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित है, मुख्य मन्त्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को यह लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 224-क के अधीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।

(9) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है।

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करें, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए;

(iii) न्याय प्रशासन के सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन

245. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देने की योजना कब तक लागू हो जाएगी;

(ख) क्या सरकार का विचार उन स्टाफ आर्टिस्टों को, जिनकी सेवाएं नियमित होने योग्य हैं और जो सितम्बर या अक्तूबर में 58 वर्ष के हो जाएंगे, यह आश्वासन देकर सेवा निवृत्त करने का है कि पेंशन देने का निर्णय होने पर उन्हें पेंशन दी जाएगी या उनकी सेवा अवधि बढ़ा दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी आर्टिस्टों को सेवा निवृत्त करने का है जिन्होंने पेंशन लेने की इच्छा व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे आर्टिस्टों की इस समय कितनी संख्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार आकशवाणी और दूरदर्शन में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित करने का है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) प्रक्रियाओं में वित्त मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संघ क्षेत्र लोक सेवा आयोग जैसे अन्य विभागों और संगठनों के साथ परामर्श अन्तर्निहित है। यह बताना कठिन है कि उनको पूरा करने में कितना समय लगेगा। इनको यथा शीघ्र पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) वे सभी पात्र स्टाफ आर्टिस्ट जिन्होंने नियमित सरकारी कर्मचारी बनने के लिए विकल्प दिया है और जो सितम्बर और अक्तूबर, 1982 से 58 वर्ष के हो जायेंगे, पेंशन के हकदार होंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) 30-9-1982 को आकाशवाणी में इस प्रकार के 9 स्टाफ आर्टिस्ट थे।

(ङ) आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन स्टाफ आर्टिस्टों जिन्होंने नियमित सरकारी कर्मचारी बनने के लिए विकल्प दिया है, 58 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त होंगे।

केरल में एरोमेटिक्स परियोजना

246. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल की एरोमेटिक्स परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस परियोजना को स्वीकृती देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) कोचीन शोधनशाला लिमिटेड से विश्वस्त लागत अनुमानों के आधार पर संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। प्रायोजना के ब्यौरों को अभी भी अन्तिम रूप दिया जाना है।

लो पावर रिसीवर व रिले उपकरणों का आयात

247. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित नहीं होता है, उनमें एशियाई खेलों के प्रसारण के लिए सरकार ने लो पावर रिसीवर और रिले उपकरण आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे सरकार ने ये उपकरण आयात करने का निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने उन क्षेत्रों में जो दूरदर्शन द्वारा अभी तक कवर नहीं किए गए हैं, उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए 100 वाट के 20 ट्रांसमीटर तथा उपग्रह संग्रहण उपकरण आयात करने का निर्णय लिया है। क्योंकि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपकरण एशियाई खेलों की समय सीमा के अन्दर देशी स्रोतों से उपलब्ध नहीं थे, अतः इन पद्धतियों को इलैक्ट्रोनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, के माध्यम से अमरीका से आयात करने का निर्णय लिया गया है। ये संग्रहण-व-रिले केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर लगाए जायेंगे तथा इनको एशियाई खेलों से पहले चालू किया जायेगा :—

1. त्रिवेन्द्रम	11. शिलांग
2. भोपाल	12. कोहिमा
3. पटना	13. इटानगर
4. शिमला	14. ऐजवाल
5. भुवनेश्वर	15. देवरिया
6. गंगटोक	16. जम्मू
7. पोर्ट ब्लेयर	17. इन्दौर
8. गोहाटी	18. सूरतगढ़
9. इम्फाल	19. माल्दा
10. अगरतला	20. काकीनाड

उर्वरकों के उत्पादन में घाटा

248. **श्री डी० एन० पुत्ते गौडा**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : **क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपकरणों में बहुत बार खराबी आने तथा इससे सम्बन्धित समस्याओं के कारण, उर्वरक उद्योग को उर्वरकों के उत्पादन में अधिक घाटा हो रहा है;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम और सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा बिक्री के बाद सेवा सम्बन्ध नेशनल वर्कशाप के दौरान ऐसी समस्याएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उर्वरक उद्योग को उन्नतिशील बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम तथा सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा बिक्री पश्चात सेवा पर आयोजित की गई एक राष्ट्रीय

कार्यशाला में उर्वरकों के उत्पादन की कमी के लिए उपकरणों में बारम्बार खराबी को मुख्य कारण बताया गया है। सरकार कुछ उर्वरक संयंत्रों द्वारा सामना की जाने वाली उपकरण समस्याओं से उर्वरक उत्पादन में होने वाली हानियों से पूर्णतः अवगत है। इन समस्याओं में उपकरणों में खराबी आना, उनका अचानक खराब हो जाना तथा डिजाइन किए गए मानकों तक निष्पादन न कर पाना, या तो निहित उपकरण और डिजाइन की खराबियों के कारण या टूट-फूट के कारण, विशेष कर पुराने और जीर्ण-मान संयंत्रों में, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अस्थिर पावर सप्लाई तथा अचानक पावर की अन्तर्बाधाएं भी उपकरणों की क्षमता को कम करती हैं।

(ग) उपकरणों में संशोधन/प्रतिस्थापन, अस्थिर पावर सप्लाई से प्रभावित संयंत्रों में केपटिव पावर जेनरेशन सुविधाओं की स्थापना, आदि की तरह के विभिन्न उपचारी उपाय सतत आधार पर किए जा रहे हैं ताकि उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन निष्पादन को सुधारा जाए।

मारीशस और पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के अन्य भागों में बसे तमिल भाषा-भाषियों के लिए विशेष प्रसारण

249. **श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारीशस और पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के अन्य भागों में बसे तमिल भाषियों के लिए इस समय कोई विशेष भाषा (तमिल) प्रसारण नहीं होता है;

(ख) क्या उस क्षेत्र के भारत मूल के तमिलभाषी इस समय श्रीलंका की विदेश सेवा से तमिल भाषा में आरम्भिक प्रसारण कर रहे हैं; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस क्षेत्र में भारतीय मूल की आबादी में अधिकांशतः तमिलभाषी हैं, सरकार का विचार उस क्षेत्र में भाषा प्रसारण (तमिल) आरम्भ करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां मारीशम तथा पूर्वी अफ्रीका के अन्य देश आकाशवाणी की तमिल सेवा के लक्ष्य क्षेत्र में नहीं आते।

(ख) सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ग) इस प्रकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के खाली स्थानों को भरना

250. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी है जिसके कारण लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि न्यायाधीशों के खाली स्थानों के भरने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने लिए जुलाई-अगस्त-सितम्बर में नाम भेजे थे; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायाधीशों के नामों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं और उनके नामों की घोषणा कब तक कर दी जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 44 और अपर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 16 है। 30-9-1982 को 31 स्थायी न्यायाधीश और 12 अपर न्यायाधीश थे।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने कुछ नामों की सिफारिश की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चार अपर न्यायाधीशों की नियुक्तियां। 1-10-1982 की अधिसूचित की गई हैं। यह बताना संभव नहीं है कि शेष रिक्त स्थान कब तक भरे जायेंगे।

पाक स्ट्रेट्स में खुदाई कार्य

251. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या "पाक स्ट्रेट्स" में खुदाई का काम बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड

252. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है;

(ग) इन राज्यों को इसके लिए सहमत करने हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ? और

(घ) सरकार ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम में संशोधन के रूप में क्या-क्या परिवर्तन किए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) 26-27 अगस्त, 1982 को हुए विद्युत मन्त्रियों के वार्षिक सम्मेलन में राज्यों के साथ अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र को अधिक शक्तियां

देने की आवश्यकता तथा सांविधिक प्राधिकारों के साथ क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों का सृजन करके क्षेत्रीय स्तर पर विद्युत सप्लाई उद्योग के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता के बारे में विचार-विमर्श किया गया था। राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने की विचारधारा का राज्यों ने सामान्यतः स्वागत किया है, जिससे विद्युत के अन्तर्राज्यीय और अन्तक्षेत्रीय प्रवाह में सहायता मिलेगी परन्तु कुछ राज्यों ने प्रस्तावित क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों के सृजन के सम्बन्ध में अभी नहीं बताया हैं। प्रस्तावित क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों के सृजन पर, जिससे क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों के समेकित प्रचालन में सुविधा होगी, आगे कोई कार्यवाही करने से पूर्व राज्यों के साथ परामर्श करना और उनके साथ मतैक्य तैयार करना आवश्यक समझा गया है। तथापि, केन्द्र प्रमुख अन्तर्राज्यीय और अन्तर्क्षेत्रीय अति उच्च वोल्टता पारेषण लाइनें स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है, जो आगे चल कर राष्ट्रीय ग्रिड का एक भाग होगा।

बिजली संयंत्रों के क्षमता उपयोग को बढ़ाने की योजना

253. **श्री गुफरान आजम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने देश के ताप बिजली संयंत्रों का क्षमता उपयोग अगले दो वर्षों में 4 प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय द्वारा क्या नए सुधार किए गए हैं और क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन में कहां तक सुधार किया जा सकता है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए ऊर्जा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अनेक उपाय कर रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(एक) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने तथा उन्हें हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता।

(दो) बन्दियों की अवधियों को कम करने के लिए सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना।

(तीन) स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जों की व्यवस्था करना।

(चार) अपेक्षित गुणवत्ता एवं मात्रा में कोयले की व्यवस्था करना।

(पांच) शीघ्र सुस्थिर करने तथा बेहतर कार्यनिष्पादन करने के लिए विशेषकर 110/120 तथा 200/210 मेगावाट की यूनिटों के लिए कृतिक बलों का गठन करना।

(छः) प्रचालन पद्धतियों की मानीटरिंग करने तथा सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरों की व्यवस्था करना।

(सात) विद्युत केन्द्रों के इन्जीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

(ग) अब तक किए उपायों के परिणामस्वरूप देश में ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-82 दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 46.8 प्रतिशत था। इसकी तुलना में 1980-81 ने यह 44.6 प्रतिशत था। अप्रैल-सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान संयंत्र भार अनुपात 48.3 प्रतिशत पहुंच गया था, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 44.7 प्रतिशत था।

गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन

254. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन करने की अनुमति देने के पक्ष में है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि राज्य बिजली बोर्डों की तुलना में गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा बिजली के उत्पादन की स्थिति बेहतर है; और

(ग) क्या सरकार का विचार 1948 के बिजली अधिनियम में संशोधन करके राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के बारे में नीति औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के द्वारा विनियमित होती है। इस संकल्प के अन्तर्गत, बिजली का उत्पादन और वितरण अनुसूचि "क" के अन्दर आता है जिसमें उस श्रेणी के उद्योग शामिल किए गए हैं भविष्य में जिनका विकास केवल राज्य का दायित्व होगा। तथापि, निजी स्वामित्व वाली वर्तमान यूनिटों के विस्तार अथवा जब ऐसा करना राष्ट्रीय हित में अपेक्षित हो तब नई यूनिटों की स्थापना में निजी उद्यम से सहयोग प्राप्त करने में राज्य की सम्भाव्यता पर कोई बाधा नहीं डालता। हर मामले के गुण दोषों के आधार पर निजी क्षेत्र से प्राप्त ठोस प्रस्तावों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।

(ख) निजी क्षेत्र की यूटिलिटीज का कार्य निष्पादन राज्य बिजली बोर्डों की यूनिटों से हर मामले में बेहतर होना आवश्यक नहीं है। वास्तव में राज्य बिजली बोर्डों के स्वामित्व वाले कुछ ताप विद्युत केन्द्र निजी क्षेत्र की केन्द्रीय यूनिटों से लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं।

(ग) सरकार ने राजाध्यक्ष समिति की उन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया है जिनके क्रियान्वयन में विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन करना अपेक्षित है।

सितम्बर, 1982 में आयोजित श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन

255. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने दिल्ली में 16-9-82 को विभिन्न राज्यों के श्रम मन्त्रियों

की बैठक बुलाई थी जिसमे कृषि श्रमिकों को उचित न्यूनतम मजूरी देने सम्बन्धी राष्ट्रीय मजूरी नीति के सिद्धान्तों तथा बंधुआ मजदूर प्रथा पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की कार्यवाही कब तक पूरी होगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, हां। लेकिन राष्ट्रीय मजदूरी नीति से संबधित विषयों पर दिल्ली में 16 सितम्बर, 1982 को हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन में विचार विमर्श नहीं हुआ था। तथापि, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास से सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने शीघ्र कार्यवाही के लिए नोट कर लिया है।

गोहाटी में टी० वी० स्टूडियो का निर्माण

256. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन अधिकारियों ने अभी तक गोहाटी में न तो एक दूरदर्शन स्टूडियों का निर्माण किया है और न ही वे ट्रांसमिशन सुविधायें दी हैं जो देश के दूरदर्शन के नक्शे में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हैं;

(ख) क्या उस क्षेत्र को "इन्सेट" से जोड़ने का प्रस्ताव था ताकि देश के पूर्वोत्तर भाग को एशियाई खेलों को दूरदर्शन पर देखने योग्य बनाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र को दिल्ली से जोड़ने और टेलीविजन स्टूडियों की अनुस्थिति में गोहाटी में ट्रांसमिशन सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) गोहाटी में दूरदर्शन स्टूडियों तथा सम्बन्धित प्रेषण सुविधाओं को छठी योजना के अन्त तक चालू करने की योजना है।

(ख) जी, हां

(ग) और (घ) एशियाई खेलों से पहले गोहाटी, शिलांग, अगरतला, इम्फाल, ऐजवाल, कोहिमा तथा इटानगर में अल्प शक्ति वाली दूरदर्शन संग्रहण व रिले पद्धतियां स्थापित की जा रही हैं। इनसैट-1 ए के खराब हो जाने के कारण, ये पद्धतियां इंटेलसैट के माध्यम से एशियाई खेलों सहित कार्यक्रम टेलीकास्ट करेंगी।

चुम्बकीय-पन-गत्यात्मक प्रणाली (मैगनेटिक हाइड्रो डाइनामिक्स सिस्टम) में बिजली उत्पादन क्षमता

257. **श्री सूरज भान**
श्री दया राम शाक्य } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताप बिजली संयंत्रों का पारम्परिक भाप टरबाइनों की बिजली उत्पादन क्षमता 32 प्रतिशत है जबकि चुम्बकीय-पन-गत्यामक प्रणाली की क्षमता 52 प्रतिशत तक जाती है;

(ख) चुम्बकीय-पन-गत्यात्मक प्रणाली को अपनाने के लिये भारत की क्या योजनाएं हैं तथा इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) वाणिज्यिक आधार पर चुम्बकीय-पन-गत्यात्मक ताप बिजली घर स्थापित करने के लिये निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मन्त्रालय के गैर पारम्परिक स्रोत ऊर्जा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) मैगनेटो हाईड्रो डाईनामिक्स (एम. एच. डी.) जनित्रों वाष्प जनित्रों से संयोजित किये जाने से उनसे पारम्पारिक वाष्प शक्ति से चलने वाले संयंत्रों से प्राप्त कहीं अधिक कम चक्र क्षमताओं की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक समग्र चक्र क्षमताएं प्राप्त की जा सकती हैं।

(ख) उर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग (सी. ए. एस. ई.) द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम के आधीन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज़ लि० के सहयोग से तिरुचिरापल्ली में एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस प्रायोगिक संयंत्र का रेटिंग 5 मैगावाट के तापीय निवेश का है और इसे कोयले के बुनियादी ईधंन पर चलाया जाएगा। अधिकांश सिविल निर्माण कार्य और उपकरणों का संविरचन पूरा किया जा चुका है। विद्युत चुम्बक के लिए तारों (कायलों) का वलयन कार्य आरम्भ किया जा चुका है। इस संयंत्र के 1983 के अन्त तक चालू किये जाने की आशा है।

(ग) वाणिज्यिक एम. एच. डी. वाष्प संयुक्त विद्युत जनित्र को प्रतिष्ठापन पर अब स्थापति किये जा रहे प्रायोगिक संयंत्र से प्राप्त परिचालन अनुभव के पश्चात् ही विचार किया जायेगा।

सलाल हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट में प्रवासी श्रमिकों की दयनीय स्थिति

258. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अगस्त, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में

प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें सलाल हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में काम करने वाले विभिन्न राज्यों के प्रावासी श्रमिकों की दयनीय स्थिति के बारे में उल्लेख है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) जम्मू व कश्मीर सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। पीपल्स यूनियन फार डैमोक्रेटिक राइट्स, नई दिल्ली के प्रेजीडैंट द्वारा उच्चतम न्यायालय में सलाल हाइड्रो-इलैक्ट्रक प्रोजेक्ट में बंधुआ श्रमिकों की अभिकथित विद्यमानता के बारे में याचिका दायर करने पर, न्यायालय ने श्रमायुक्त, जम्मू को प्रोजेक्ट स्थल का दौरा करने और यह पता लगाने का निदेश दिया है कि :

(एक) क्या इस परियोजना पर कोई बंधुआ श्रमिक काम कर रहे हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

(दो) क्या कोई अन्य प्रवासी श्रमिक हैं जो अन्य राज्यों से आए हैं ?

(तीन) वे परिस्थितियां क्या हैं, जिनमें ये श्रमिक रहते हैं ?

(चार) क्या उनके लाभ के लिए लागू किए गए श्रम कानूनों का अनुपालन और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है ?

चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए आगे कार्यवाही न्यायालय के निष्कर्ष पर की जाएगी ।

पलाना लिग्नाइट परियोजना के लिए किया गया आबंटन

25०. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ने राजस्थान में पलाना लिग्नाइट परियोजना के लिये कुल कितनी धनराशि आबंटित की है ; और

(ख) उपरोक्त परियोजना की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया है कि स्कीम पर छठी योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान विचार किया जाए तथा निधियों की व्यवस्था तदनुसार की जाए ।

कोयले के अनुमानित भण्डार

260. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कोयले का अनुमानित भण्डार और उनका वार्षिक उपयोग कितना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा

किए गए मूल्यांकन के अनुसार भारत में कोयले के भण्डर 1,11,878 मिलियन टन हैं। पिछले पांच वर्षों का कोयले का वार्षिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

मिलियन टनों में

1977-78	—1009.81
1978-79	—1019.49
1979-80	—1039.48
1980-81	—1139.64
1981-82	—1249.04

रसोई गैस के मूल्य में कमी

261. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में हाल ही में रसोई गैस के मूल्य में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या यह भी सच है कि गैस सिलिंडर का वजन भी कम किया गया है और यदि हां, तो कितना; और

(घ) सरकार ने यह निर्णय किन कारणों से लिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि खाना पकाने की गैस के मूल्य एक अभिनवीकरण योजना के अन्तर्गत संशोधित किए गये हैं। जिसके कारण कुछ स्टेशनों पर तैयार उत्पाद के विक्रय मूल्य गिर गए हैं जबकि कुछ स्टेशनों पर मूल्य बढ़ भी गए हैं।

(ग) जी, हां। उरान तरलीकृत पेट्रोलियम गैस से पोषित स्थानों के सम्बन्ध में गैस सिलेंडरों के भार में कमी करके 15 किलोग्राम के सिलेंडर को 14.2 किलोग्राम भार का सिलेंडर कर दिया गया है।

(घ) गैस के सिलेंडरों के भार में कमी किया जाना तकनीकी बातों पर आधारित है जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जिसका उरान में बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है, की बनावट में होने वाले परिबर्तन के द्वारा नियंत्रित है।

बिजली उत्पादन के लिए संसाधन जुटाने में विद्युत बोर्डों की असफलता

262. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (एक) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों से जितने संसाधन जुटाने और उत्पादन करने की अपेक्षा की गई थी, उसमें वे सामान्य रूप से असफल रहे

है (दो) वे अन्य सरकारी उद्यमों के कर्जदार हैं और (तीन) वे गैर सरकारी निर्माताओं के भी कर्जदार हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके वित्तीय प्रबन्ध को दोष-रहित बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि उनसे मूल रूप से जो अपेक्षा की गई थी, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे सही माने में उपकरण बन सकें ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

समाचार पत्रों की हड़ताल के कारण हुई हानि

263. **श्री फूलचन्द वर्मा**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रमुख समाचार-पत्रों ने 3 सितम्बर, 1982 को हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, अनेक समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ने "बिहार प्रेस विधेयक" को वापस लेने के लिए दबाव डालते हुए 3 सितम्बर, 1982 को हड़ताल की। तथापि, उक्त हड़ताल के कारण हुई हानि के बारे में कोई आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं।

इन्सेट-1 ए के दूरसंचार सर्किटों का वाणिज्यिक उपयोग

264. **श्री नीरेन घोष** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सेट-1 ए के दूरसंचार सर्किटों का इस वर्ष के अन्त तक वाणिज्यिक उपयोग किया जाना था ;

(ख) यदि हां, तो कितने सर्किटों का उपयोग किया जाना था ;

(ग) कितने सर्किट बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता को देने थे;

(घ) क्या इन तीन महानगरों को इस संबन्ध में बराबरी पर लाया जाना था; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) 1400

(ग) 1275

(घ) जी नहीं।

(ङ) दिल्ली से विभिन्न राज्यों की राजधानियों के लिए सर्किटों की संख्या बम्बई तथा कलकत्ता के सर्किटों की अपेक्षा अधिक हैं।

हड़तालों और तालाबन्दी के कारण उत्पादन में हानि

265. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक उद्यमों में हड़तालों और तालाबन्दी के कारण 1982 के पहले छह महीनों के दौरान हुई उत्पादन में हानि के बारे में मूल्यांकन किया है; और

(ख) हड़तालों और तालाबन्दी के कारण राज्यवार और उद्योगवार पृथक-पृथक हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और श्रम ब्यूरो में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, दो विवरण संलग्न हैं, जिनमें जनवरी से जून, 1982 की अवधि के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण राज्य-वार और उद्योग-वार उत्पादन में हुई हानि दर्शाई गई है।

विवरण 1

जनवरी-जून, 1982 (अ) के दौरानों हड़तालों और तालाबन्दियों (राज्य-बार) के कारण उत्पादन में हानि को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	उत्पादन में हुई हानि (रुपए करोड़ों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.69 (1/29)
2.	असम	%(1)
3.	बिहार	1.56 (36)
4.	गुजरात	17.69 (90)
5.	हरियाणा	2.39 (1/2)
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	3.68 (8)
9.	केरल	0.41/ (1/6)
10.	मध्य प्रदेश	2.32 (44)
11.	महाराष्ट्र	38.01 (34)
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	—

1	2	3
14.	नागालैण्ड	—
15.	उड़ीसा	0.56 (8)
16.	पंजाब	%
17.	राजस्थान	0.23 (8)
18.	सिक्किम	—
19.	तमिल नाडु	10.79 (44)
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	1.73 (32)
22.	पश्चिम बंगाल	0.26 (40)
23.	अण्डमान और निकोबार	%(1)
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चण्डीगढ़	0.07 (2)
26.	दादरा और नागर हवेली	—
27.	दिल्ली	0.26 (1/3)
28.	गोवा दमण और दीव	0.01 (2)
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	
31.	पांडिचेरी	0.06 (4)
		कुल= 84.52 (52.4)

(अ)=अनतिम

(%)=50.000 रुपये से कम

(—)=उपलब्ध नहीं।

विशेष ध्यान दीजिए (1) यह जरूरी नहीं है कि 5 पूर्णांक के कारण आंकड़ों का जोड़ मेल खाये।

(2) कोष्ठकों में आंकड़े उन मामलों की संख्या दर्शाते हैं जिनसे आंकड़े सम्बन्धित हैं।

विवरण 2

जनवरी-जून, 1982 के दौरान हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण उत्पादन में हुई हानि (उद्योग-वार) को दर्शाने वाला विवरण (अ)

उद्योग		उत्पादन में हुई हानि (रुपए करोड़ों में)
1		2
0	कृषि, आखेट, वन और मछली पकड़ना	%(4)
1.	खनन एवं उत्खनन	5.13 (224)
2. और 3.	विनिर्माण	77.13 (260)
4.	विद्युत, गैस और जल	—
5.	निर्माण	0.1 4 (2)
6.	थोक एवं परचून व्यापार तथा जलपान गृह और होटल	%(1)
7.	परिवहन, संचयन एवं संचार	0.10 (4)
8.	वित्त प्रबन्ध, बीमा, स्थावर सम्पदा एवं व्यापारिक सेवाएं	%(1)
9.	सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	%(3)
एक्स.	कार्यकलाप जिनकी पर्याप्त रूप से परिभाषा नहीं की गई	1.99 (25)
वाई	मरम्मत सेवायें	—
		कुल=84,52 (524)

(अ)=अनतिम

(%)=50,000 से कम

(—)=शून्य

नोट : (1) यह जरूरी नहीं है कि पूर्णांक के कारण आंकड़ो का जोड़ मेल खाये।

(2) कोष्ठकों में आंकड़े मामलों की संख्या दर्शाते हैं जिनसे आंकड़े सम्बन्धित हैं।

बोनस भुगतान अधिनियम का कार्यान्वयन

266. **श्री अमर राय प्रधान : क्या श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार, राज्यों द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 16 सितम्बर, 1982 को हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन म अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम के कार्यकरण पर भी विचार-विमर्श किया गया था। इस बात पर जोर दिया गया कि बोनस का भुगतान सही अर्थों में अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाए।

अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में दूर संचार का विकास

267. **श्री रामलाल राही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में दूर संचार के विकास के लिए 384 लाइनों वाले एक आधुनिक इलैक्ट्रानिक चैनल 'मेटाकोन्टा' की तत्काल स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और वह कब तक चालू हो जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ,।

(ख) नार्वे की शाही सरकार ने अपने वस्तु सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज (पूर्णतया संस्थापित स्थिति में उपहार स्वरूप दिया है। एक्सचेंज के चालू वर्ष के दौरान संस्थापित किए जाने की उम्मीद है।

गैस पर आधारित छः उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए विदेशी सहायता

268. **श्री एस० एम० कृष्ण**
श्री एन० ई० होरो } : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छः गैस-आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए सहयोग देने वाली तीन प्रमुख विदेशी कम्पनियों को संयंत्र के लिए ऋण सुविधा से इन संयंत्रों को स्थापित करने का विचार है :

(ख) यदि हाँ, तो इन प्रस्तावों से सम्बन्धित मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) इच्छुक विदेशी कम्पनियों से कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की जानी है और इसमें हमारा योगदान कितना होगा;

(घ) इस मामले में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है;

(ङ) ये संयंत्र किन स्थानों पर लगाए जायेंगे; और

(च) इन स्थानों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) गैस पर आधारित 6 अतिरिक्त उर्वरक प्लांटों में से 5 प्लांटों के स्थानों के बारे में निर्णय हो गया है। मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र विजयपुर (जिला गुना) में स्थापित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित 4 उर्वरक प्लांट क्रमशः बबराला (जिला बदायूं) ओनला (जिला बरेली), शाहजहांपुर (जिला शाहजहांपुर) और जगदीशपुर (जिला सुलतानपुर) में स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में स्थापित किए जाने वाले एक गैस पर आधारित उर्वरक प्लांट के स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

इन प्रयोजनाओं के स्वामित्व, प्रायोजना लागत, कार्यान्वयन कार्यक्रम, आदि के बारे में अभी निश्चय नहीं किया गया है। इन पहलुओं पर निर्णय लिए जाने के बाद ही इन प्रायोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के बारे सविचार किया जा सकता है।

(च) उर्वरक संयत्रों के स्थान का निर्णय विभिन्न पहलुओं जैसे मांग पद्धति, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की उपलब्धता, अन्य अनेक तकनीकी आर्थिक पहलुओं और उद्योग की स्थापना के बारे में सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

लखनऊ स्थित समाचार-पत्र संगठनों को अखबारी कागज का आवंटन

269. **श्री चतुर्भुज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ स्थित कुछ समाचर-पत्र संगठनों ने अपने संस्करण अन्य राज्यों की राजधानियों से निकालने शुरू कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे अखबारी कागज के आंवटन के पात्र होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां।

राजस्थान में बिजली की कम आपूर्ति

270. **श्री राम सिंह यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह कहना ठीक है कि परमाणु विद्युत केन्द्र, कोटा (राजस्थान) के बार-बार बन्द हो जाने और चम्बल में गांधी सागर और राणा प्रताप सागर परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन की दर काफी कम होने के कारण राजस्थान राज्य को पिछले दो वर्षों से भी अधिक समय से बिजली की निरन्तर कम आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या राजस्थान राज्य को सतपुड़ा (मध्य प्रदेश) और सिंगरौली (उत्तर प्रदेश) क्रमशः ताप और सुपर ताप बिजली केन्द्रों से अपना उचित हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा आगामी रबी फसल बुआई मौसम में किसानों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्थान राज्य को बिजली आपूर्ति हेतु क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) कोटा में परमाणु विद्युत के केन्द्र के न्यूक्लीय यूनिटों की बार-बार बन्दी के कारण तथा 1980-81 के दौरान असामान्य मानसून होने के कारण चम्बल जल-विद्युत कामप्लेक्स से कम विद्युत उपलब्ध होने के कारण राजस्थान राज्य विद्युत की कमी अनुभव कर रहा है।

(ख) राजस्थान को उसका पूरा हिस्सा सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र से प्राप्त नहीं हो रहा है। सप्लाई में यह कमी वर्ष 1980-81 में 1.14 मिलियन यूनिट प्रति दिन वर्ष 1981-82 में 0.98 मिलियन यूनिट प्रतिदिन, और 1982-83 में (अगस्त, 1982 तक) 0.90 मि. यूनिट प्रतिदिन थी। तथापि, राजस्थान को सितम्बर 1982 से मध्य प्रदेश से अधिक विद्युत प्राप्त हो रही है जो कि सतपुड़ा से प्राप्त होने वाले हिस्से की तुलना में अधिक है। सिंगरौली सुपर ताप विद्युत का पूरा हिस्सा प्राप्त हो रहा है।

(ग) बदरपुर और सिंगरौली में केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों से राजस्थान को अधिकतम सहायता देने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रणाली से भी राजस्थान को सहायता की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण की जरूरतों का मूल्यांकन

271. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सत्रह राज्यों के नाम क्या हैं जहां नौ शोध संगठन ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण की जरूरतों और तत्सम्बन्धी अन्य तथ्यों का पता लगाने के लिए अध्ययन का आयोजन कर रहे हैं :

(ख) अध्ययन प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ और इसकी क्या सिफारिशें हैं; और

(ग) सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जैसा कि नीचे रखे विवरण में उल्लेख किया गया है, 9 अनुसंधान संगठनों (बाह्य सहयोगियों) के मध्यम से अध्ययन किये गये हैं।

(ख) रिपोर्टें राज्य-वार प्रस्तुत की गई हैं और उस हैसियत से 17 रिपोर्टें हैं। उपरि निर्दिष्ट विवरण यह भी प्रकट करता है कि ये रिपोर्टें कब प्राप्त हुई थी। कार्यपद्धतियां तथा सिफारिशें विभिन्न होने पर, एक व्यापक सम्पादित दस्तावेज प्रकाशित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इन अध्ययनों ने ऐसे विभिन्न व्यवसायों/क्षेत्रों, जिनमें लाभप्रद रोजगार/स्व: रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, प्रशिक्षण के स्वरूप, कौशलों के स्तर की शिनाख्त की है और इस प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अयोजित करने के लिए संगठनात्मक ढाँचे का भी सुझाव दिया है।

(ग) चुने हुए स्थानों में अर्ध-शिक्षित/अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए

उपयुक्त सामग्री तथा सहाय्यों को विकसित करने के लिए प्रयोगात्मक अभ्यास करने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र (अध्ययन के अन्तर्गत लाए गए जिलों सहित)	प्रस्तुत करने की तारीख
1.	महाराष्ट्र (कोलावा)	दिसम्बर, 1980
2.	बिहार (संथाल परगनास)	जनवरी, 1981
3.	उड़ीसा (सुन्दरगढ़)	जनवरी, 1981
4.	केरल (कुईलोन)	जनवरी, 1981
5.	मध्य प्रदेश (बेतुल)	फरवरी, 1981
6.	हिमाचल प्रदेश (सिरमौर)	फरवरी, 1981
7.	पंजाब (जलंधर)	मार्च, 1981
8.	पश्चिम बंगाल (बंकुरा)	मार्च, 1981
9.	तमिल नाडु (कन्या कुमारी)	अप्रैल, 1981
10.	आन्ध्र प्रदेश (अनन्तपुर)	अप्रैल, 1981
11.	राजस्थान (जोधपुर)	अप्रैल, 1981
12.	गोवा, दमन और दीव (गोवा)	अप्रैल, 1981
13.	जम्मू और कश्मीर (अनन्तनाग)	अप्रैल, 1981
14.	कर्नाटक (गुलबर्गा)	अप्रैल, 1981
15.	हरियाणा (अम्बाला)	मई, 1981
16.	गुजरात (भरूच)	जुलाई, 1981
17.	उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद)	अक्तूबर, 1981

नागार्जुन उर्वरक संयंत्र

272. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन उर्वरक संयंत्र चालू करने का है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) काकीनाड़ा, आन्ध्र प्रदेश में नाइट्रोजन उर्वरकों का निर्माण करने के लिये मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. को एक औद्योगिक लाइसेंस पहले ही जारी किया गया है। इस कम्पनी के प्रवर्तक, आन्ध्र प्रदेश सरकार

ने अभी इस प्रायोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करनी है, वित्तीय व्यवस्था पूरी हो जाने के बाद ही प्रायोजना का कार्य आरम्भ हो सकता है।

एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के विस्तार संबंधी आवेदनों की स्वीकृति

273. **श्री ईरा अनवारासु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एम. आर. टी. पी. कम्पनिवों के नाम क्या हैं जिनके संस्थापित क्षमता में विस्तार सम्बन्धी आवेदनों को एम. आर. टी. पी. आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश की है ;

(ख) उन एम. आर. टी. पी. कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन पिछले तीन वर्षों के दौरान एम. आर. टी. पी. सिफारिश के आधार पर स्वीकार किए गए हैं ; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके मामले कम्पनी कार्य विभाग के पास अनिर्णीत पड़े हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) अपेक्षित ब्यौरो युक्त एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिधियम की क्रमशः धारा 21 या धारा 22 के अन्तर्गत उपक्रमों के भारी विस्तार या नये उपक्रमों की स्थापना के लिए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक कम्पनियों के प्रस्तावों, जिनके लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा 1979, 1980 और 1981 की अवधि में अनुमोदन का सुझाव दिया गया था और आयोग के सुझावों पर की गई केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही का ब्यौरा दर्शाता हुआ विवरण-पत्र

क्रम सं०	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनी का नाम	संक्षिप्त प्रस्ताव	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का सुझाव	आयोग की रिपोर्ट प्राप्ति का वर्ष	आयोग के सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड	पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के विनिर्माण में भारी विस्तार	कतिपय शर्तों के आधार पर अनुमोदन का सुझाव दिया	1979	बाद में प्रस्ताव एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 (4) के अन्तर्गत मुक्त हुआ, पाया गया।
2.	मैसर्स हिन्दुस्तान फैरेडो लिमिटेड	एस्बेस्टोज टैक्सटाइल्स आदि के विनिर्माण के लिए नये उपक्रम की स्थापना के लिए	कतिपय शर्तों के आधार पर अनुमोदन का आंशिक सुझाव दिया	1979	कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र वापिस ले लिया गया

1	2	3	4	5	6
3.	मैसर्स ब्रूक बोन्ड इण्डिया लिमिटेड	उसी समय तैयार कॉफी के विनिर्माण के लिए नए उपक्रम की स्थापनार्थ	कतिपय शर्तों के आधार पर अनुमोदन का सुझाव दिया	1980	कतिपय शर्तों के आधार पर अनुमोदित।
4.	मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	स्टेरीन बुटा डाइन रबड़ के विनिर्माण के लिए भारी विस्तार	कतिपय शर्तों के आधार पर अनुमोदन का सुझाव दिया	1980	रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।
5.	—यथोपरि—	स्टेरेन्टेड फनोल के विनिर्माण के लिए भारी विस्तार	—यथोपरि—	1980	—यथोपरि—
6.	मैसर्स स्क्रेडर स्कोविल डकन लिमिटेड	न्यूमेटिक प्रोडक्ट्स और सिस्टिम्स के विनिर्माण के लिए नये उपक्रम की स्थापनार्थ	कतिपय शर्तों के आधार पर अनुमोदन का आंशिक सुझाव दिया।	1981	कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र वापिस ले लिया गया।
7.	मैसर्स अल्कली एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	सिन्थेटिक पाइरेथ्रोराइडस के विनिर्माण के द्वारा भार विस्तार	कतिपय शर्तों के आधार पर अनुमोदन का सुझाव दिया	1981	रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।
8.	मैसर्स नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि०	साइपरमेथ्रिन एण्ड सिन्थेटिक्स पाइरेथ्राइड और तैयार करने की तकनीकी के विनिर्माण के लिए नए उपक्रम की स्थापनार्थ	—यथोपरि	1981	—यथोपरि—
9.	मैसर्स रेलिस इण्डिया लिमिटेड	सिन्थेटिक पाइरेथ्राइड के निर्माण के लिए नये उपक्रम की स्थापनार्थ	—यथोपरि—	1981	—यथोपरि

1	2	3	4	5	6
10.	मैसर्स हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लि०	डीकेमेथ्रीन और इसोप्रोटर्न और उनके तैयार करने की विधि के निर्माण के लिये नये उपक्रम की स्थापनार्थ	कतिपय शर्तों के आधार पर अनुमोदन का आंशिक सुझाव दिया	1981	रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।
11.	मैसर्स किर्लोस्कर आयल इंजिन्स लि०	फ्यूल इंजैक्शन उपस्करों के विनिर्माण के लिए नये उपक्रम की स्थापनार्थ	कतिपय शर्तों के आधार पर अनुमोदन का सुझाव दिया	1981	—यथोपरि—
12.	मैसर्स लुकास टी०वी० एस० लिमिटेड	—यथोपरि—	—यथोपरि	1981	—यथोपरि

पिछले पांच महीनों में विद्युत उत्पादन में प्रगति

274. **श्री बाला साहिब विखेपाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच महीनों में देश में विद्युत उत्पादन में तेजी से प्रगति की है :

(ख) यदि हां, तो मुख्य ताप, पन बिजली और अन्य स्रोतों के अन्तर्गत अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) वे राज्य कौन से हैं जिनमें विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रगति बहुत धीमी है और जो निर्धारित कार्यक्रम से काफी पीछे हैं; और

(घ) कड़ी निगरानी प्रणाली बनाने और राज्य सरकारों को समय पर सहायता देने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ताकि देश में विद्युत उत्पादन, जो किसी भी देश में प्रगति का माप है, को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अप्रैल से अगस्त 1982 की अवधि के दौरान ऊर्जा उत्पादन 53895 मिलियन यूनिट के क्रम में था। जो कि पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान हुए उत्पादन से 7. 1 प्रतिशत अधिक था।

(ख) अप्रैल से अगस्त 1982 के दौरान ऊर्जा उत्पादन के बारे में श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :—

1. ताप विद्युत	32103 मिलियन यूनिट
2. न्यूक्लीय	780 ,, ,,
3. जल विद्युत	21062 ,, ,,
जोड़ :	53895 ,, ,,

(ग) अप्रैल से अगस्त, 1982 के दौरान विद्युत लक्ष्यों की प्राप्ति में केवल कुछेक राज्य कार्यक्रम से पीछे हैं। ये राज्य हरियाणा, राजस्थान बिहार और उड़ीसा हैं।

(घ) देश में मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इनमें ये उपाय शामिल हैं :—

1. विद्यमान ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों से अधिकतम उत्पादन।

2 छठी योजना अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता में शीघ्रता से वृद्धि करना।

3. अधिकता वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को विद्युत के अन्तरण की व्यवस्था करना।

तेल की खोज में भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग

275. **श्री तारिक अनवर**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पल्क जलडमरू मध्य में तेल की खोज के सम्बन्ध में भारत और श्रीलंका के बीच आपसी सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या एक करार पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो उस करार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी हाईड्रोकार्बन्स इण्डिया लिमिटेड (एच. आई. एल.) तथा सिलोन पेट्रोलियम कार्पोरेशन (सी. पी. सी.) के बीच परस्पर बातचीत हुई है तथा ब्यौरों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

त्रिपुरा से प्राकृतिक गैस का उपयोग

276. **श्री बाजूबन रियान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के प्राकृतिक गैस संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या उनको पता है कि त्रिपुरा और बंगला देश के लिए "बेस" संयुक्त थे और बंगलादेश ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार गैस का उपयोग करना आरम्भ कर दिया है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अभी तक तेल एवं प्राकृतिक गैस

आयोग द्वारा त्रिपुरा में 8 अन्वेषी कूपों की खुदाई की गई है, जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक गैस की विद्यमानता स्थापित की गई है। त्रिपुरा में विभिन्न संरचनाओं पर आगे और अन्वेषण कार्य जारी है तथा सम्पूर्ण परिणामों के आधार पर गैस के उपयोग के सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। इसी बीच तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अल्पावधि उपाय के रूप में त्रिपुरा राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली के उत्पादन के लिए 1983 के मध्य तक कुछ गैस की सप्लाई करने के लिए मान लिया है।

(ख) जी, हाँ। हमें जानकारी है कि बंगला देश सीमा पार के अपने गैस क्षत्रों से गैस का उत्पादन कर रहा है।

बीडी और सिगार का कार्य करने वालों के लिए सहकारी समितियों का गठन

277. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी और सिगार बनाने वालों के लिए सहकारी समितियाँ बनाने की आदर्श योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम और पुर्नास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) सरकार कुछ समय से बीड़ी और सिगार श्रमिकों को संगठित करने के प्रश्न पर विचार करती आ रही है। "कम्पैक्ट" स्थायी समिति ने 2 फरवरी, 1982 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि श्रमिकों की इस उद्देश्य से सहायता करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए कि वे स्वयं को संगठित करके सहकारी समितियाँ बना सकें। इस मामले पर 2 जुलाई, 1982 को हुई एक बैठक में विचार विमर्श किया गया था और तदनुसार एक आदेश योजना तैयार करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

हड़ताल करने वाले समाचार-पत्रों की माँगें

278. **श्री रतनसिंह राजदा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रमुख समाचार पत्रों ने 3 सितम्बर, 1982 को हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं तथा उन प्रमुख समाचार पत्रों के नाम क्या है जिन्होंने इस हड़ताल में भाग नहीं लिया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, और अनेक समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों ने "बिहार प्रैस विधेयक" वापस लेने पर दबाव डालते हुए 3 सितम्बर, 1982 को हड़ताल की थी। तथापि जो समाचार-पत्र प्रकाशित हुए थे उनके नाम संकलित नहीं किए गए हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेश

280. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की वर्तमान संख्या तथा इन्हें भरे जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई निदेश जारी किया हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो वह निदेश क्या है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) श्री चरण लाल साहू द्वारा फाइल की गई एक रिट अर्जी पर जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत संघ को विभिन्न उच्च न्यायालयों में 89 न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए एक रिट/निदेश देने की माँग की गई थी, उच्चतम न्यायालय ने तारीख 1-10-82 के अपने आदेश में भारत संघ से उन कारणों को जानने की इच्छा व्यक्त की है, जिनके लिए कतिपय रिक्त पद एक वर्ष से तीन वर्ष तक बिना भरे पड़े रहे। उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश में, भारत संघ को यह निदेश दिया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर अपना शपथ-पत्र फाइल करे। उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश भी दिया है कि "हर दशा में भारत संघ रिट अर्जी की आगामी सुनवाई के पहले एक विवरण फाइल करे जिसमें प्रत्येक उच्च न्यायालय के संदर्भ में यह बताया जाए कि रिक्त पद इतने लम्बे समय तक क्यों बिना भरे पड़े रहे। यह रिट अर्जी 3 नवम्बर, 1982 तक के लिए स्थगित की जाती है।" सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

टिप्पणी—उच्चतम न्यायालय के तारीख 1-10-1982 के आदेश के सम्बन्ध में जानकारी उसकी एक अप्रमाणित प्रति के आधार पर दी गई है क्योंकि प्रमाणित प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

फरुखाबाद-कानपुर तथा फरुखाबाद दिल्ली के बीच टेलीफोन लाइनों का खराब रहना

281. **श्री दया राम शाक्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरुखाबाद-कानपुर तथा फरुखाबाद-दिल्ली के बीच टेलीफोन लाइनें प्राय : खराब रहती हैं और अनेक बार काल बुक करने के 24 घंटे बाद भी लाइन नहीं मिलती ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सुधार लाने के लिये उचित कदम उठाये जायेंगे और यदि हां, तो कब तक; और

(ग) वर्ष 1982 के आरम्भ से आज तक दिल्ली से फरुखाबाद के लिए और फरुखाबाद से दिल्ली के लिए बुक की गई कितनी कालों को रद्द करना पड़ा था और तत्संबन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री यौगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। तथापि अगस्त, 1982 में कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं था।

(ख) इसका मुख्य कारण कन्नौज-फर्रुखाबाद खुली तार प्रणाली का असंतोषजनक कार्य निष्पादन था। (1) यह तारों की चोरी (2) अगस्त, 1982 के दौरान वर्षा तथा तूफान से कई खम्बों का उखड़ जाने के कारण हुई। कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए फर्रुखाबाद-नई दिल्ली डायलिंग सर्किट मंजूर किया गया है और शीघ्र ही चालू होने की संभावना है। सर्किट पर निगरानी रखने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

इसमें आगे और सुधार लाने के लिए, फर्रुखाबाद-मैनपुरी के बीच छठी योजना में एक यू. एच. एफ. रेडियो लिंक संस्थापित करने की योजना बनाई गई है। मैनपुरी, दिल्ली और कानपुर से पहले ही स्थायी और विश्वसनीय संचार माध्यम से जुड़ा हुआ है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन

282. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन कर लिए व्यापक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसे संसद के समक्ष कब तक लाया जायेगा और इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी,

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा 1980 में गठित की गई एक समिति ने कर्म भविष्य निधि योजना के कार्यकरण की पुनरीक्षा की और अधिनियम में संशोधन करने के अनेक सिफारिशें कीं। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के साथ सलाह मशविरा करके इस समिति की सिफा की जांच की गई है और इस अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव विचाराधीन जैसे ही संशोधन संबंधी इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाएगा उपयुक्त संशोधी विधेयक कर दिया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में खानों में कार्य आरम्भ करना

283. श्री अमल दत्त : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में नई खानें शुरू करने का है, यदि हां कितनी और किस क्षेत्र में शुरू की जायेंगी; और

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में कोयला उत्पादन में दीर्घावधि के लिए सुधार वर्तमान कोयला खानों से कोयले की ढुलाई के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी, हां। पश्चिम बंग ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के क्षेत्र में नई और 15 पुनर्गठित खानें पहले से ही कार्य कर हैं। और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कोयला कम्पनी ने नई खानों के लिए पांच प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ख) जी, हां। इन खानों से कोयले के उत्पादन और प्रेषण में सुधार के लिए अने खानें पुनर्गठित की जा रही हैं।

आकाशवाणी रांची में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

284. **श्री एन० ई० होरो :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी रांची में विभिन्न संवर्ग में अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं;

(ख) आकाशवाणी रांची में संवर्ग-वार कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं; और

(ग) यदि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कम हैं तो इसके क्या कारण हैं, और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) आकाशवाणी, रांची में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणी वार संख्या और उनकी प्रतिशतता के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशतता
1.	समूह "क" पद	4	—	—
2.	समूह "ख" पद	15	3	20%
3.	समूह "ग" पद	66	17	25.7%
4.	समूह "घ" पद	28	11	39.3%
5.	स्टाफ आर्टिस्ट	35	3	8.5%

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कम नहीं है। तथापि, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित समूह "ग" का एक पद रिक्त है और उसको भरने की कार्रवाई केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, रांची द्वारा शुरू कर दी गई है।

बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरोप के देशों तथा जापान से प्रस्ताव

285. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली का उत्पादन बढ़ाने के उनके मन्त्रालय के प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए यूरोप के अनेक देशों तथा जापान ने भारत में बिजली का संयन्त्र लगाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं और क्या वे हमारी अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए देश के लिए उपयुक्त रहेंगे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर सप्लाई करने हेतु विदेशों/विदेशी कम्पनियों से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इसमें सरकारी ऋण, सप्लाईकर्ता के ऋण तथा वाणिज्यिक ऋणों के द्वारा वित्तपोषण की संभावनाएं भी हैं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5436/82]

इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मुक्त रूप से सूचना देने के कुछ राज्यों के प्रेस विधेयकों का प्रभाव

286. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुक्त रूप ने सूचना देने और प्रेस की आजादी पर बिहार प्रेस विधेयक और इसी प्रकार के उड़ीसा और तमिलनाडु के दो प्रेस विधेयकों के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने वाले अधिनियम, जो भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 के अनुरूप हैं, क्रमशः 1960 और 1962 से अस्तित्व में हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये अधिनियम सूचना के मुक्त प्रवाह और प्रेस की स्वतन्त्रता के मार्ग में बाधक हुए हैं। क्योंकि बिहार संशोधन विधेयक से विवाद उत्पन्न हो गया है अतः देश की प्रख्यात प्रेस संस्थाओं को हाल ही में लिखा गया है कि वे बिहार विधेयक के उन उपबन्धों, जो उनकी राय में प्रेस की स्वतन्त्रता की संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करते हैं या उसके प्रशासन में उनसे प्रेस को परेशानी होने की सम्भावना है, पर तथा उन कारणों, यदि कोई हों, जिनसे उनको उचित विचारण से वंचित होने की आशंका है, पर अपने विचार भेजें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विशिष्ट सुझाव दें कि अधिनियम के प्रशासन के दौरान कार्यपालिका द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों का दुरुपयोग न हो और विचारण उचित हो।

असम में टेलीफोन केन्द्र

287. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कुल कितने टेलीफोन केन्द्र हैं;

(ख) उनमें से कितने स्वचालित हैं और कितने मानव चालित हैं;

(ग) असम में एस० टी० डी० सेवा वाले टेलीफोन केन्द्र कितने हैं; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए मन्त्रालय ने अगले पांच वर्षों के लिए क्या विशिष्ट योजना तैयार की है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) 31-3-1982 को असम में कुल एक्सचेंज—152

स्वचल एक्सचेंज—124

हस्तचल एक्सचेंज—28

एस० टी० डी० सहित एक्सचेंज—1

(घ) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम को मिलाकर बनाया गया है) में टेलीफोन सेवाओं के विकास के लिए अस्थायी योजनाएं।

1. नए एक्सचेंज :	छठी योजना की शेष अवधि के दौरान 42 एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।
2. मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार	अगले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित एक्सचेंजों का उत्तरोत्तर ढंग से विस्तार करने की योजनाएं तैयार की गई हैं; इस समय गौहाटी, शिलांग, दिसपुर, दिमापुर, कोहिमा, ऐजल एम ए एक्स-II टाइप के एक्सचेंज हैं, इनको एम ए एक्स-I टाइप के मुख्य स्वचल एक्सचेंजों में बदला जायेगा। सामान्यतः अन्य एक्सचेंजों का भी विस्तार किया जायेगा बशर्ते कि उसके लिए अनुकूल मांग हो और उपस्कर उपलब्ध हों।
3. स्वचलीकरण :	निम्नलिखित स्थानों में मौजूदा हस्तचल एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर रूप से स्वचल एक्सचेंजों में बदला जायेगा : **मुख्य स्वचल एक्सचेंज (एम ए एक्स-I) जिनकी योजना बनाई गई है :—** डिब्रूगढ़, तिनसुखिया, जोरहाट, नौगांव, तेजपुर, सिलचर, अगरतला, इम्फाल।

	एम ए एक्स-II टाइप के स्वचल एक्सचेंज, जिनकी योजना बनाई गई है : (जिला मुख्यालय शहरों में) हाफलांग, उत्तरी लखीमपुर, खोनसा, जोवई, तूरा, लेलियिन नगर, मोकोकचुंग, जुमेमोटे, कैलाशहर, राधाकिशोरपुर, तुएनसांग ।
4. ट्रंक स्वचल एक्सचेंज (टी ए एक्स) :	शिलांग स्थित मौजूदा टी ए एक्स का विस्तार करने की सम्भावना है । गौहाटी और जोरहाट में नए ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है । और अधिक जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ।
5. गौण क्षेत्र के परिपथ जाल का संघटित विकास	कोहिमा, मोकोकचुंग और तूएनसा जिलो के लिई संघटित अंकीय परिपथ जाल की योजना बनाई गई है ।
6. उत्तर-पूर्वी सर्किल में संचारण योजना	विश्वसनीय संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र के सभी जिला मुख्यालयों को रेडियो रिले प्रणालियों द्वारा संबंधित राज्य की राजधानियों से जोड़ा जा रहा । शिलांग गौहाटी को जोरहाट, डिब्रूगढ़ और तिनसुखिया को जोड़ने के लिए एक वाइड बैंड माइक्रोवेव प्रणाली का कार्य चल रहा है । जोरहाट-दिमापुर-इम्फाल माइक्रोवेव प्रणाली और जोरहाट-उत्तरी लखीमपुर-इटानगर यू एच एफ प्रणाली को बढ़ाने की योजना भी बनाई गयी है । शिलांग-सिलचर-अगरतला के बीच एक वाइड बैंड माइक्रोवेव प्रणाली की योजना भी बनाई गई है ।
7. मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो संकेंद्रक प्रणालियां	इम्फाल और अगरतला में इन आधुनिक प्रणालियों का उपयोग करके लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन पर संस्थापित किये जाने हैं ।

भारतीय श्रमिकों को खनन कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए सोवियत रूस के साथ करार

288. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय श्रमिकों को खनन कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए सोवियत रूस और भारत के बीच करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है, प्रशिक्षण कितनी अवधि का होगा और अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह प्रशिक्षण भारत में दिया जायेगा या सोवियत रूस में, प्रथम बैच में कितने श्रमिक इस कार्य के लिए भेजे जायेंगे, उस पर अनुमानत: कितना व्यय होगा और इसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) जी, नहीं ।

परन्तु कोयला सम्बन्धी भारत-सोवियत कार्यकारी ग्रुप की पहली बैठक में ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी । प्रशिक्षण के विवरण—जिसमें अवधि भी शामिल है—तैयार किए जा रहे हैं ।

प्रशिक्षण सोवियत संघ में दिया जायगा । प्रत्याशित खर्च अन्तत: भेजे जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या पर निर्भर करेगा और कोल इंडिया लि० द्वारा वहन किया जाएगा ।

कोयला उत्पादन के लिए अनुसंधान परियोजनाएं

289. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना में कोयला उत्पादन के लिए कितनी और कौन-सी अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गईं तथा इनमें से कौन सी पूरी हुई हैं तथा वे कब शुरू और पूरी की गई थीं ;

(ख) सी० एफ० आर० आई०, सी० एम० आर० एस०, सी० एम० पी० डी०आई० तथा अन्य अनुसंधान शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से कौन-सी तथा कब से नई परियोजनाएं शुरू की गई ; और

(ग) इन नई परियोजनाओं पर अनुसंधान और निवेश के क्या परिणाम निकले है और नई परियोजनाएं किस किस्म की हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

नकली गैस सिलेंडरों का बाजार में आना

290. **श्री त्रिलोक चन्द**
श्री दौलतराम सारण } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर, 1982 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित

राजधानी में अपने को गैस कम्पनियों के अधिकृत वितरक बताने वाले कुछ नकली डीलरों द्वारा नकली गैस सिलेंडरों के बाजार में लाए जाने के बारे में समाचार रिपोर्ट की ओर दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास कोई मशीनरी यह जानने के लिए है कि केवल सही और अधिकृत गैस डीलर ही गैस सिलेंडरों को बेचे यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की कोई मशीनरी रखेगी ; और

(ग) सरकार की उपर्युक्त (क) पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी हां। दिनांक 21 सितम्बर, 1982 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट का सम्बन्ध राजधानी में कुकिंग गैस सिलेण्डरों की घटनाओं के भार से है और ये मुख्यत: नकली और चुराये हुए सिलेण्डरों के परिचालन के कारण होती है जो अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उठाये व रखे जाते हैं। तेल कम्पनियां यह देखने के लिए सभी सावधानियां अपनाती हैं कि केवल वही सिलेण्डर, जिन्हें भारतीय मानक संस्थान विधिवत प्रमाणित करता है, अनुमोदित निर्माणकर्ताओं से लिए जाएं। एक संयुक्त अभियान चलाया गया है जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं के आपात को कम करना है, जिसके अन्तर्गत तेल कम्पनियों द्वारा व्यापक उपभोक्ता शिक्षा, कुकिंग प्रणाली के अनुसार सिलेण्डरों को लगाने और उतारने में डिलीवरी लड़कों को बेहतर प्रशिक्षण देना, दोषपूर्ण सिलेण्डरों और उपकरणों की छटनी करना शामिल है और ट्रकों में सिलेण्डरों का लादान और उतराई के समय सिलेण्डरों को हैंडल करने में सुधार किया गया है। तेल कम्पनियों के काफी अच्छे सुव्यवस्थित क्षेत्रीय संगठन हैं जो निरन्तर बाजार का सर्वेक्षण कर रहे हैं और एल० पी० जी० के अनधिकृत वितरकों पर नजर रख रहे हैं। पुलिस भी इन मामलों में सतर्क है। एल० पी० जी० (कुकिंग-गैस) की अधिक उपलब्धता और उपभोक्ता की दूरगामी सन्तुष्टि के साथ ऐसे कदाचारों का प्रभाव पूर्णरूप से भले ही समाप्त न हो परन्तु कम अवश्य हो जायेगा।

औरंगाबाद में बम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

291. श्री उत्तम राठौर
श्री वी० एन० गाडगिल } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के लोगों द्वारा औरंगाबाद में बम्बई उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने की मांग की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायपूर्ति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस मामले में अपनी स्वीकृति दे दी है और यह कई वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विधि मन्त्री ने यह बताया है कि मामला विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और इस समय मामले की क्या स्थिति है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां ।

(ख) और (घ) बम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति ने बम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ औरंगाबाद में स्थापित किए जाने की सिफारिश इस शर्त पर की थी कि न्यायपीठ स्थापित किए जाने से पहले कुछ सुविधाएं जुटा दी जानी चाहिए । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने भी ऐसी न्यायपीठ की स्थापना के लिए सिफारिश की है । संघ सरकार औरंगाबाद में एक न्यायपीठ बनाने के लिए सहमत हो गई है और राज्य सरकार को ऐसी विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में पत्र लिखा है, जो की जानी अपेक्षित हैं ।

(ग) जी हां ।

महाराष्ट्र द्वारा विद्युत उत्पादक योजना

292. **श्री बालकृष्ण वाष्णिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कुछ योजनाएं भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रस्तावों की जांच की वर्तमान स्थिति दिखाने वाला विवरण संलग्न है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने के लिए कार्यवाई किए जाने से पहले विवरण में बताए अनुसार प्रस्तावों में शामिल विभिन्न मामलों का समाधान किया जाना आवश्यक है ।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जल विद्युत तथा ताप विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	स्कीम की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
	जल विद्युत स्कीमें			
1.	भातसा जल विद्युत परियोजना	1×15=15	1205	जल वैज्ञानिक आयोजना तथा सिविल डिजाइन पहलुओं पर के० वि० प्रा०/के० ज० आ० की टिप्पणियों के उत्तरों की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है। के० ज० आ० की टिप्पणियों के आधार पर प्रारम्भिक अध्ययन पूर्ण किए जाने पश्चात् परियोजना रिपोर्ट में संशोधन किए जाने की आवश्यकता होगी।
2.	खड़कवासला जल विद्युत परियोजना	2×8=16	1361	वही
3.	दूधगंगा जल वि० परि०	2×12=24	2086	रिपोर्ट का के० वि० प्रा० तथा के० ज० आ० में मूल्यांकन किया जा रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति के लिए भी पर्यावरण विभाग से प्रतीक्षा है।
	2. ताप विद्युत स्कीमें			
4.	चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (चरण-4) (यूनिट 6)	1×500=500	21409	स्कीम को के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति जून, 82, में दे दी गई थी और योजना

1	2	3	4	5
				आयोग से निवेश अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई है।
5.	दभोल (चरण-I)	2×210=420	19007	के० वि० प्रा० में स्कीम की जांच कर ली गई है। महाराष्ट्र रा० बि० बोर्ड को भी पर्यावरण प्रभाव का ब्यौरा पर्यावरण विभाग को देना है तथा यह पुष्टि भी करनी है कि क्या कोयले की तटीय ढुलाई के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच कर ली गई है।
6.	खापर खेडा विस्तार	3×210=630	35904	प्रस्ताव की के० वि० प्रा० में जांच कर ली गई है। महाराष्ट्र रा० बि० बोर्ड द्वारा अभी राज्य जल प्रदूषण बोर्ड को आवश्यक कुछ उपायों की व्यवस्था के बारे में पुष्टि करनी है। इस स्कीम के लिए कोयला लिंक अभी तक सुनिश्चित किया जाना है। पर्यावरण विभाग से स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

उज्जानी तापीय विद्युत केन्द्र को पूरा करना

293. **श्री भाऊसाहिब थोरट** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिले में उज्जानी तापीय विद्युत केन्द्र के कार्य को छठी पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विकम महाजन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में उज्जानी में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर छठी योजना के दौरान

क्रियान्वयन हेतु विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि 1990-91 की समयावधि के पश्चात् लाभों के अन्य उपलब्ध विकल्पों के साथ-साथ उपर्युक्त स्कीम पर तत्पश्चात् विचार किया जा सकता है।

विद्युत अधिनियम का संशोधन

294. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्र सरकार विद्युत प्रदाय अधिनियम का संशोधन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने 34 वर्ष पुराने विद्युत प्रदाय अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को पहले ही परिचालित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो किए जाने वाले संभावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में विधेयक पेश करने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) 26-27 अगस्त, 1982 को विद्युत मन्त्रियों के वार्षिक सम्मेलन में विचार-विमर्श के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का समेकित रूप में प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र को अधिक शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों को सांविधिक शक्तियां देकर क्षेत्रीय स्तर पर विद्युत सप्लाई उद्योग के संगठनात्मक ढांचे को सशक्त करने की आवश्यकता पर और राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य निष्पादन सहित समस्त प्रबन्ध प्रणाली को सशक्त करने की आवश्यकता पर भी राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इन प्रस्तावों का क्रियान्वयन करने से सांविधिक परिवर्तन करने होंगे। इस सम्बन्ध में कई राज्यों ने अपना संकोच व्यक्त किया है। इस प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पूर्व राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक समझा गया है।

राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अर्जित किये जाने वाले लाभ की न्यूनतम दर तथा इनके लिए एक समान वाणिज्यिक लेखा प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में सरकार ने राज्यों से परामर्श करके कुछेक सांविधिक परिवर्तनों पर विचार किया है। इन पर अगली कार्रवाई करने के लिए कार्य चल रहा है।

बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कानून

296. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा
श्री के० ए० राजन

करेंगे कि ;

(क) देश में बीड़ी श्रमिकों की अनुमानित संख्या क्या है और उनकी संख्या राज्यवार कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों से बीड़ी श्रमिकों की स्थिति की जानकारी शीघ्र प्राप्त करने का अनुरोध किया है ताकि केन्द्र उनके लिए कल्याणकारी कानून बनाने की समीक्षा कर सके;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने उत्तर दिया है और किन-किन राज्यों को अभी इसका उत्तर देना है; और

(घ) उक्त कल्याणकारी कानून का ब्योरा क्या है और कल्याणकारी उपायों की क्या योजना है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण-1 रख दिया गया है।

(ख) से (घ) सदन की मेज पर एक विवरण-2 रख दिया गया है।

विवरण-1

विभिन्न राज्यों में बीड़ी श्रमिकों (धरखाता सहित) की संख्या दर्शाने वाला विवरण

	(लाखों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	2.50
2. बिहार	3.50
3. गुजरात	0.12
4. कर्नाटक	3.00
5. केरल	1.50
6. मध्य प्रदेश	5.00
7. महाराष्ट्र	2.50
8. उड़ीसा	1.60
9. राजस्थान	0.22
10. तमिलनाडु	2.00
11. उत्तर प्रदेश	4.50
12. पश्चिम बंगाल	4.50

विवरण-2

दो केन्द्रीय कानून हैं जिनमें बीड़ी और सिगार प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के कल्याण का व्यवस्था है। बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 मेंबीड़ी आर

सिगार प्रतिष्ठानों में कर्मकारों के लिये कल्याण की व्यवस्था है और यह उनके काम की दशाओं को विनियमित करता है। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 में बीड़ी प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पूंजी की व्यवस्था की गई है। बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अनुसार, उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण का मुख्य दायित्व नियोजकों का है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराना है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था है :—

(i) हर औद्योगिक परिसर स्वच्छ तथा किसी नाली, पाखाने या अन्य न्यूसेन्स से उत्पन्न होने वाली दुर्गन्ध से मुक्त रखा जायेगा और स्वच्छता के ऐसे स्तर भी बनाये रखेगा, जैसा विहित किया जाये।

(ii) नियोजक हर औद्योगिक परिसर में सुविधाजनक रूप से स्थित यथोचित स्थानों पर पीने के स्वास्थ्यप्रद पानी के पर्याप्त प्रदाय का उपबन्ध करने और बनाए रखने के लिए प्रभावी इन्तजाम करेगा।

(iii) हर औद्योगिक परिसर में पर्याप्त मूत्रालयों और शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी।

(iv) हर औद्योगिक परिसर में, जहां पचास से अधिक महिलाएं नियोजित की जाती हैं, वहां ऐसे महिला कर्मचारियों के छः साल से नीचे की आयु वाले बालकों के उपयोग के लिए यथोचित कमरा या कमरों, जैसे शिशु-सदनों, की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाया रखा जायेगा।

(v) हर औद्योगिक परिसर प्राथमिक उपचार की ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, जो विहित की जाएं।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि का उद्देश्य बीड़ी प्रतिष्ठानों में नियोजित श्रमिकों की रहन-सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए नियोजकों और राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देना है। इस अधिनियम के अधीन एक निधि का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य उसमें निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना है।

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के अधीन निम्नलिखित कल्याण उपाय प्रारम्भ किये गये हैं :—

(1) चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(2) मकान बनाने के लिए सहायता देना;

(3) बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां देना।

डाक्टरी देखरेख के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के व्यवस्थापन को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई

है और अब तक ऐसे स्थानों में, जहां बीड़ी श्रमिकों की संख्या 5,000 या इससे अधिक है, 78 औषधालयों की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, मैसूर में 10 पलंगों वाला एक अस्पताल तथा पश्चिम बंगाल में निमतिता में एक चैस्ट क्लीनिक भी कार्य कर रहा है। तपेदिक से पीड़ित श्रमिकों के विशेष इलाज के लिए, टी० बी० अस्पतालों में उनके लिए पलंग आरक्षित रखे गए हैं। इस योजना में टी० बी० मरीजों को खाने-पीने के लिये 50 रुपए प्रतिमाह के निर्वाह भत्ते की अदायगी और अस्पताल जाने तथा अस्पताल से वापिस आने के लिए द्वितीय श्रेणी के रेल भाड़े के भुगतान की भी व्यवस्था है।

बीड़ी श्रमिकों के लिए दो आवास योजनाएं, अर्थात् "अपना मकान बनाओ योजना" और "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना" है। "अपना मकान बनाओ योजना" के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए प्रत्येक श्रमिक को 600 रु० आर्थिक सहायता के रूप में और 900 रुपये बिना ब्याज के ऋण के रूप में दिए जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा बीड़ी श्रमिकों के लिए निर्मित प्रत्येक मकान हेतु राज्य सरकारों को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

दिल्ली के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में नए टेलीफोन कोक्शनों के लिए विचाराधीन आवेदन

297. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में 31 मार्च, 1982 तक नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) इन्हें कनेक्शन देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार तब तक पंजीकरण बन्द करने का है जब तक कि पुराने मामले नहीं निपटाए जाते हैं ; और

(घ) क्या इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली में और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी निकाय में दी गई है।

(ग) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) दिल्ली दूरसंचार में 1985-86 तक नए एक्सचेंज और मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजना विवरण-2 में दी गई है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

विवरण-1

31-3-1982 को एक्सचेंज वार प्रतीक्षा-सूची का विवरण और वह संभावित वर्ष जब तक कि प्रतीक्षा-सूची के निपटाए जाने की संभावना है

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	31-3-82 को प्रतीक्षा-सूची	प्रतीक्षा-सूची को जब तक निपटाए जाने की संभावना है
1	2	3	4 5
1.	शाहदरा पूर्व	3186	1983-86 तक 1100 तथा शेष छठी योजना के पश्चात ।
2.	शाहदरा	5198	1983-84 तक 700 तथा शेष छठी योजना के पश्चात ।
3.	तीस हजारी	5972	1983-84
4.	दिल्ली गेट	4620	1984-85
5.	गाजियाबाद	1613	1982-83
6.	जनपथ	1582	1983-84
7.	सचिवालय	913	1983-84
8.	राजपथ	1386	1983-84
9.	कनाट प्लेस	258	1983-84
10.	ईदगाह	7875	1983-84
11.	जोरबाग	5626	1983-84
12.	ओखला	3472	1983-84
13.	हौजखास	7429	1984-85
14.	चाणक्यपुरी	2194	1983-84
15.	नेहरू प्लैस	2483	1983-84
16.	फरीदाबाद	2473	1983-84 तक 1000 लाइनें तथा शेष छठी योजना के पश्चात ।
17.	बदरपुर	17	1982-83
18.	बल्लभगढ़	664	1983-84
19.	शक्तिनगर	11973	1984-85

1	2	3	4	5
20.	छावनी	674	1982-83	
21.	करोल बाग	7349	1982-83	
22.	राजोरी गार्डन	18671	1984-85	
23.	अलीपुर	—	कोई प्रतीक्षा सूची नहीं	
24.	बादली	225	1983-84	
25.	जनकपुरी	1334	1984-85 तक 1000 लाइनें तथा शेष छठी योजना के पश्चात ।	
26.	बहादुरगढ़	200	1983-84	
27.	नजफगढ़	109	1983-84	
28.	नांगलोई	234	1983-84	
29.	नरेला	121	1983-84	

विवरण-2

1982-83 के दौरान चालू किए जाने के लिए संस्थापन सूची

क्रम सं०	एक्सचेंज	लाइनों की सं०	से तक	कैफियत
(क)	स्थानीय एक्सचेंज			
1.	शाहदरा पूर्व-II	1000	—	मुख्य
2.	गाजियाबाद-II	2000	2000-4000	विस्तार
3.	फरीदाबाद	1200	3900-5100	विस्तार
4.	शाहदरा दक्षिण	1200	—	मुख्य
5.	शक्तिनगर-I	10,000	10000-20000	विस्तार
6.	तीस हजारी-III	10,000	10000-20000	विस्तार
7.	हौज खास-I	1600	5000-6600	विस्तार

1983-84 के दौरान चालू किए जाने के लिए संस्थापन सूची

क्रम सं०	एक्सचेंज	लाइनों की सं०	से तक	कैफियत
(क)	स्थानीय एक्सचेंज			
1.	चाणक्यपुरी-II	10,000	—	मुख्य
2.	जनकपुरी	900	2400-3300	विस्तार
3.	छावनी	600	3000-3600	विस्तार
4.	चाणक्यपुरी-I	1,000	7400-8400	विस्तार
5.	हौज खास-I	1,000	6600-7600	विस्तार
6.	तीस हजारी-IV	10,000	—	मुख्य
7.	ईदगाह-III	10,000	—	मुख्य
8.	बल्लभगढ़	1,500	—	मुख्य
9.	शाहदरा पूर्व-II	1,000	1000-2000	विस्तार
10.	जनपथ-II	2,000	4000-6000	विस्तार
11.	करोलबाग-IV	10,000	—	मुख्य
12.	नेहरू प्लेस-III	10,000	—	मुख्य
13.	ईदगाह-IV	10,000	—	मुख्य

1984-85 के लिए चालू किए जाने का अस्थायी कार्यक्रम

क्रम सं०	एक्सचेंज	लाइनों की सं०	से तक	कैफियत
	स्थानीय एक्सचेंज			
1.	बादली	200	400-600	विस्तार
2.	नजफगढ़	200	300-600	विस्तार
3.	नांगलोई	100	300-400	विस्तार
4.	नरेला	100	600-700	विस्तार
5.	बहादुरगढ़	900		मुख्य
6.	सेना भवन	10,000		मुख्य
7.	किदवई भवन	10,000		मुख्य
8.	राजौरी गार्डन-III	10,000		मुख्य
9.	राजोरी गार्डन-V	10,100		मुख्य
10.	फरीदाबाद-II	1,800		मुख्य

1985-86 के लिए चालू किए जाने का अस्थायी कार्यक्रम

क्रम सं०	एक्सचेंज	लाइनों की सं०	से तक	कैफियत
(क)	स्थायी एक्सचेंज			
1.	तीस हजारी-IV	10,000	10000-20000	विस्तार
2.	नेहरू प्लेस-III	10,000	10000-20000	विस्तार
3.	बदरपुर	1,200		मुख्य
4.	बादली	900		मुख्य
5.	फरीदाबाद-II	300	1800-2100	मुख्य
6.	बल्लभगढ़	300	1500-1800	मुख्य
7.	बहादुर गढ़ मंडी	300	500-1200	विस्तार
8.	शाहदरा दक्षिण	15,000		मुख्य
9.	ओखला	10,000		मुख्य
10.	शक्तिनगर	10,000		मुख्य

छठी योजना के अन्त तक बिजली की स्थिति

298. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा मंत्रालय ने योजना आयोग को यह आश्वासन दिया है कि विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों में आ रही गिरावट के बावजूद छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की कमी 10 प्रतिशत से घटकर लगभग 5 प्रतिशत रह जायेगी ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने छठी योजना तक संयन्त्र-भार घटक (प्लांट-लोड फैक्टर) लक्ष्य 51 प्रतिशत निर्धारित किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान इसके 49 प्रतिशत तक हो जाने की संभावना है ;

(ख) क्या अब तक अधिक प्रगति नहीं हो पाई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और चालू वर्ष तथा छठी योजना के अन्त तक के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1981-82 के दौरान ऊर्जा उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि नोट की गई। इससे देश में विद्युत की कमी जो 1979-80 में 16.1 प्रतिशत थी 1981-82 में घटकर 10.9 प्रतिशत रह गई। यह आशा की जाती है कि देश में विद्युत की कमी 1982-83 में घटकर 8.9 प्रतिशत रह जाएगी। छठी योजना के अन्त तक देश में विद्युत की कमी को कम करने के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) जी हां। इसके बढ़ने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी नहीं। ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। ताप विद्युत संयंत्रों का 1981-82 में प्राप्त किया गया संयंत्र भार अनुपात 46.8 प्रतिशत था। इसकी तुलना में 1980-81 में संयंत्र भार अनुपात 44.6 प्रतिशत था। अप्रैल-सितम्बर, 1982 के दौरान प्राप्त किया गया संयंत्र भार अनुपात 49 प्रतिशत के लगभग था जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान संयंत्र भार अनुपात 44.7 प्रतिशत था।

(ङ) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोनों के श्रेयस्कर कार्यकरण के लिए उपाय

299. श्री बी० वी० देसाई
श्री अर्जुन सेठी
श्री एच० एम० नन्जे गौडा } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग में राजधानी तथा देश के अन्य भागों में टेलीफोन के श्रेयस्कर कार्यकरण के लिये अनेक उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभाग ने दोषयुक्त उपकरणों तथा गड़बड़ी वाले कनेक्शनों के बारे में शिकायतें कम करने के लिये क्या-क्या मुख्य परिवर्तन किये हैं ;

(ग) इन उपायों से प्रयोक्ताओं को कितनी सहायता मिली है और उनकी शिकायतें कहां तक दूर हुई हैं; और

(घ) टेलीफोन प्रणाली को शत प्रतिशत दोष-रहित बनाने के लिये क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) खराब उपकरणों एवं दोषपूर्ण कनेक्शनों से सम्बन्धित शिकायतों को कम करने के

लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(एक) परिपथ जाल में '677' कोड का एक परिष्कृत टेलीफोन उपकरण लगाया जा रहा है।

(दो) उपभोक्ता के अहाते में लगाए गए टेलीफोन की सांवधिक जांच की जाती है तथा खराब उपकरणों को बदल दिया जाता है।

(तीन) उपभोक्ता के अहाते की फिटिंग में एल्यूमिनियम तारों के स्थान पर तांबे के तार लगाए जा रहे हैं।

(चार) दोष की संभावना को कम करने के लिए ऊपरी तारों के स्थान पर इंसूलेटिड ड्राप तार लगाए जा रहे हैं।

(ग) 1981-82 में पिछले वर्ष की 57.3 की तुलना में प्रतिमाह प्रति 100 टेलीफोनों पर शिकायतों की संख्या में कमी आई जो 51.4 थी।

(घ) उपभोक्ता को और अधिक संतुष्टि प्रदान करने तथा शिकायतों में कमी लाने के लिए विभाग ने सार्वजनिक उपयोगी एजेंसियों, अस्पताल, समाचार एजेंसियों आदि के टेलीफनों की दैनिक जांच की योजना शुरू की है।

दिल्ली में विद्युत संकट के बारे में विचार-विमर्श

300. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा राज्य मंत्री ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों के साथ दिल्ली में विद्युत संकट के बारे में सितम्बर के पहले सप्ताह में विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या दिल्ली में विद्युत संकट और कमी अब भी जारी है ; और

(घ) इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं और केन्द्रीय मंत्री ने "डेसू" से विद्युत की कमी दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने को कहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 1-9-82 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। ऐसी बैठकों का आयोजन हर महीने किया जाता है तथा पहली बैठकों में लिए गए निर्णयों की इन बैठकों में समीक्षा की जाती है। 1-9-82 को हुई बैठक में निम्नलिखित मदों की समीक्षा की गई :—

1. दोषपूर्ण केबलों के मरम्मत-कार्य को तेज करने के लिए डेसू द्वारा उठाए गए कदम।

2. उन भूमिगत केबलों के प्रतिस्थापन कार्य की प्रगति की समीक्षा जिसमें बार-बार दोष पाए गए थे।

3. सप्लाई की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए अनुरक्षा कार्य की समीक्षा।

4. अधीनस्थ स्टाफ के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए डेसू द्वारा उठाए गए कदम।

5. 11 के० वी० स्तर तक की ब्रेक डाउन के लिए प्रत्येक सर्किल में मानीटरिंग कक्षों की स्थापना करना।

6. 200 के० वी०, 66/33 के० वी० प्रणाली आदि में ब्रेक डाउन होने पर सप्लाई को तुरन्त चालू करने के लिये केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष को और अधिक सुदृढ़ करना।

7. बोल्टेज की स्थिति में सुधार के लिए डेसू प्रणाली में केपेसिटरों के प्रतिष्ठापन की प्रगति।

8. इन्फ्रा-रेड कैमरा द्वारा जोड़ों की जांच की प्रगति की समीक्षा।

9. अनधिकृत बिजली के कनेक्शनों को नियमित करना।

10. स्वीकृत नक्शे प्रस्तुत करने के बाद घरेलू कनेक्शन देना।

11. ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में वृद्धि करके शहर के चार दीवारी वाले क्षेत्र में और अधिक अच्छी सेवा प्रदान करना।

12. दिल्ली को विद्युत के लिए आत्म-निर्भर बनाने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।

13. उपभोक्ता सेवा की ओर जल्दी ध्यान देने के लिए डेसू को ब्रेकडाउन दल की बढ़ोतरी करनी चाहिए।

14. केबलों और बक्सों की दैनिक जांच ; और

15. गलत बिल बनने के बारे में शिकायतों पर तुरन्त ध्यान देना। ऐसी समीक्षा बैठकों के परिणाम सामने आए हैं।

(ग) दिल्ली में विद्युत की किसी प्रकार की कमी अथवा संकट नहीं है। वास्तव में पहले वर्षों की तुलना में इस वर्ष स्थिति अच्छी है।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोयला परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ढील

301 **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ढील के मामले को गम्भीरता से लिया हैं ;

(ख) क्या सहकारी पूंजी निवेश बोर्ड ने कोयला विभाग को कहा है कि वित्तीय अनुमति के लिए नई परियोजनाएं धीरे-धीरे तैयार करें ;

(ग) क्या योजना आयोग और सरकारी पूंजी निवेश बोर्ड ने विभाग से पूछा है कि परियोजनाओं को चालू करने में विलंब क्यों हुआ है और निर्धारित लागत से अधिक लागत क्यों लगाई गई है ;

(घ) क्या कोयला विभाग ने प्रत्येक परियोजना में विलंब के कारणों का पता लगाने के लिए वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, सरकारी पूंजी निवेश बोर्ड और कोयला कंपनियों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या बैठक हुई और इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किए गए ; और

(च) इन परियोजनाओं में विलंब के मुख्य कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां । सरकार कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी आदि की समस्या से अवगत है और उस सम्बन्ध में उपाय कर रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) , (घ) और (ङ) लोक निवेश बोर्ड ने कहा है कि खानों के विभिन्न वर्गों के लिए छठी योजना अवधि के दौरान अपेक्षित उत्पादन और निवेश के अंशदान की गणना के लिए कार्रवाई की जाए । यह कार्य किया जा चुका है और इस समय इस पर अन्तर-मन्त्रालयीन चर्चा हो रही है ।

(च) कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुए विलंब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(1) भूमि के समय पर उपलब्ध न होने और कानून और व्यवस्था समस्या के कारण विलम्ब ।

(2) इन भंडारों के खनन के लिए खानों के विकास के दौरान प्राप्त कठिन भू-खनन परिस्थितियां और/या प्रौद्योगिकी का उपलब्ध न होना ।

(3) सन्यन्त्र और मशीनरी का समय पर उपलब्ध न होना ।

छठी योजना के दौरान शुरू की जाने वाली ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं और परियोजनाएं

302. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की क्या प्रगति रही है ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं और चालू वर्षों में पहले से शुरू की गई परियोजनाओं का, राज्यवार, ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की क्या भूमिका है तथा राज्य सरकार, राज्य बिजली बोर्डों और निगमों के साथ इसके कार्यकलापों का समन्वय कैसे किया जाता है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान मार्च, 1982 के अन्त तक देश में 92,146 गांव विद्युतीकृत किए गए थे और 16, 20, 225 पम्पसेट ऊर्जित किए गए थे। प्रगति का वर्षवार ब्योरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	विद्युतीकृत किए गए गांव	ऊर्जित किए गए पम्प
1977-78	14,513	2,66,911
1978-79	15,907	2,98,874
1979-80	17,029	3,67,053
1980-81	22,488	3,64,625
1981-82	22,209	3,22,762

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में लगभग एक लाख गाँवों के विद्युतीकरण किए जाने और लगभग 25 लाख पम्पसेटों के ऊर्जन की परिकल्पना की गई है जिस पर 1821.83 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा जो ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत 98,000 गांवों के विद्युतीकरण और 16 लाख पम्पसेटों के उर्जन के लिए 1173.40 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाना है। योजना अवधि के पहले दो वर्षों (1980-82) के दौरान, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 52,538 गांवों के विद्युतीकरण 5.50 लाख पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए 466.25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता

से 1871 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए स्वीकृति दी है। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम राज्य बिजली बोर्डों, ग्राम विद्युत सहकारी सोसाइटियों और जिन राज्यों में बिजली बोर्ड नहीं हैं, वहां राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देता है। निगम सघन क्षेत्र को शामिल करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के लिए धन देता है। निगम राज्य बिजली बोर्डों आदि को विशिष्ट स्कीमें तैयार करने, उनका मूल्यांकन करने तथा प्रगति की समुचित मानीटरिंग करने में सहायता देता है। निगम ने विकास के स्तर तथा विकास करने के लिए उपलब्ध गुंजाइश/क्षमता के आधार पर किसी क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणी की स्कीमें तैयार की हैं। प्रभावी अनुगामी कार्रवाई तथा समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निगम ने राज्यों में फील्ड युनिट खोले हैं। जहां तक सम्भव होता है, निगम का प्रयास यह होता है कि उसके द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं और विभिन्न एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे अन्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों में सामंजस्य रहे।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत 1980-82 की अवधि के दौरान स्वीकृत की गई स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्वीकृत की गई स्कीमों की कुल संख्या	स्वीकृत किए गए ऋण की राशि	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या	उर्जित किए जाने वाले पम्पसेटों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	169	3679	2343	69810
2.	असम	32	2500	2425	1194
3.	बिहार	170	4717	8909	29620
4.	गुजरात	91	2136	1926	31634
5.	हरियाणा	70	817	(क)	10970
6.	हिमाचल प्रदेश	23	830	1190	—
7.	जम्मू व कश्मीर	25	443	240	69
8.	कर्नाटक	98	1990	1560	30900
9.	केरल	19	420	(क)	7280
10.	मध्य प्रदेश	218	6626	9695	64512
11.	महाराष्ट्र	150	2547	2088	72140

1	2	3	4	5	6
12.	मणिपुर	7	335	255	198
13.	मेघालय	5	199	180	—
14.	नागालैण्ड	6	298	90	—
15.	उड़ीसा	75	2034	2748	12554
16.	पंजाब	66	2094	(क)	53796
17.	राजस्थान	182	3458	3631	30457
18.	सिक्किम	9	356	126	—
19.	तमिल नाडु	128	2330	(क)	47414
20.	त्रिपुरा	14	300	182	24
21.	उत्तर प्रदेश	245	6195	12142	84021
22.	प० बंगाल	68	2321	2808	3559
	जोड़	1871	46625	52538	550152

(क) सभी गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

उर्दू में टेलीप्रिन्टर सेवाओं की शुरूआत

303. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उपलब्ध टेलीप्रिन्टर सेवाओं का भाषा-वार ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या भारत में पर्शियन लिपि (उर्दू) में टेलीप्रिन्टर सेवा उपलब्ध है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास उर्दू (पर्शियन लिपि) में टेलीप्रिन्टर सेवा शुरू करने का कोई कार्यक्रम है ;

(घ) क्या सरकार को यह तथ्य मालूम है कि ईरान में पर्शियन लिपि की टेलीप्रिन्टर सेवा सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार पर्शियन लिपि की टेलीप्रिन्टर सेवा का अध्ययन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को ईरान भेजने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तारघरों में टैलीप्रिन्टर सेवा केवल अंग्रेजी और देवनागरी लिपियों में ही उपलब्ध है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में लगाए गये उर्वरक संयंत्रों को हुआ लाभ और घाटा

304. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों को यूनिट-वार और वर्ष-वार कितना लाभ और घाटा हुआ है ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान अधिकांशत: संयंत्रों को घाटा होने के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार इस घाटे को लाभ में बदलने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) इन वर्षों में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों की वर्षवार स्थिति क्या रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों में घाटे लगभग पूर्णत: कम क्षमता उपयोगिता के कारण हैं । 1980-81 में क्षमता के कम उपयोग का मुख्य कारण कोयले और संभरक सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता, उपस्कर तथा बिजली की समस्याएं थीं । 1981-82 में, उपस्कर तथा बिजली की समस्याएं कम क्षमता उपयोगिता के मुख्य कारण थे ।

(ग) उपस्करों के परिवर्तन/बदली, केपटिव पावर जेनेरेशन सुविधाओं की स्थापना आदि की तरह के विभिन्न उपचारी उपाय सतत आधार पर किए जा रहे हैं ताकि सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन निष्पादों तथा वित्तीय नतीजों में सुधार हो ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

पिछले 10 वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों के कम्पनी वार और वर्ष-वार लाभ और हानि दर्शाने वाला विवरण

(रु० लाखों में)

कम्पनी का नाम	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
1. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	(+)579	(+)493	(+)252	(—)2186	(—)3148	(—)5042	(—)2183
2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	—	—	—	—	—	—	(+)94
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०	—	—	—	—	—	—	(—)2252
4. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	—	—	—	—	—	—	(+)814
5. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	(—)232	(—)197	(—)306	(—)1284	(—)1396	(—)886	(—)554
6. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	(—)221	(+)308	(+)505	(+)220	(+)336	(+)1158	(+)1815

कम्पनी का नाम	1979-80	1980-81	1981-82
1. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	(—)4863	(—)10081	(—)12079
2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	(—)1432	(—)4213	(+)5075
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०	(—)3623	(—)5406	(—)4813
4. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	(+)1104	(+)1853	(+)2126
5. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	(+)65	(+)160	(—)1099
6. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	(—)881	(+)693	(+)465

टिप्पणी :—1-4-1978 से भारतीय उर्वरक निगम को पांच कम्पनियों में पुनर्गठित किया गया था, अर्थात् (1) भारतीय उर्वरक निगम (2) नेशनल फर्टिलाईजर्स लि० (3) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० (4) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० और (5) फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) इंडिया लि० जिसका 1-4-82 से प्रोजेक्टस एण्ड डेवलेपमेंट इण्डिया पुनः नाम रखा गया है।

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र का नवीकरण

305. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री गोरखपुर उर्वरक संयन्त्र को हुआ घाटा और उसकी मशीनों को बदलने के बारे में 27 जुलाई 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2782 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर उर्वरक संयंत्र के नवीकरण/बदलने के बारे में क्या कार्यक्रम है जबकि इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि इसकी कार्यकुशलता और क्षमता को सुधारने के लिए पुराने उपकरण बदले जायेंगे ;

(ख) नेपथा और कोयले जैसे आदानों की कमी को पूरा करने और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है या कार्यवाही की जा चुकी है; और

(ग) क्या वर्ष 1981-82 में हुए 641 लाख के घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए यह कार्यवाही पर्याप्त होगी ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) एयर सेपरेशन यूनिट को बदलने के लिए भारतीय उर्वरक निगम लि० द्वारा विश्वव्यापी निविदा पहले ही जारी कर दी गई है तथा अतिरिक्त आक्सीजन कम्प्रेसर तथा अतिरिक्त नाइट्रोजन कम्प्रेसर की प्राप्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि गोरखपुर संयंत्र को पावर सप्लाई में सुधार किया जाये । बोर्ड ने ट्रांसमिशन नेट वर्क को मजबूत किया है/सुधारा है । नेपथा के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता जोड़ी जा रही है । कोयले की आपूर्ति के लिए रेलवे के साथ भारतीय उर्वरक निगम लि० द्वारा सतत समन्वय कायम रखा जा रहा है ।

(ग) आशा है कि इन उपायों से अनुकूल नतीजे प्राप्त होंगे ।

दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में बंगाली संस्कृति

306. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले नए "राष्ट्रीय कार्यक्रम" में बंगाली नृत्यों और संगीत बंगाली संस्कृति और समृद्ध बंगाली परम्परा के अन्य पहलुओं को प्रसारित करने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितने कार्यक्रम कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित किए जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कार्यक्रम में कलकत्ता सहित सभी दूरदर्शन केन्द्रों के सामयिक मामलों, संगीत, नृत्य, युवा कार्यक्रमों, विविध प्रदर्शनों, आदि के चुनींदा कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जाते हैं जिनका चयन उनके निर्माण की गुणवत्ता और उनके अखिल भारतीय आकर्षण तथा विषय के आधार पर किया जाता है । विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यद्यपि अधिक बल दृश्यों पर रहता है ।

15-8 82 से 14-9-82 तक की अवधि के दौरान कलकत्ता केन्द्र द्वारा तैयार किए गए 5.10 घंटे की अवधि के 13 कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत टेलीकास्ट किए गए थे।

राष्ट्रीय ग्रिड के कार्यकरण की विधि

307. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्यों को राष्ट्रीय ग्रिड के कार्यक्रम की विधि के बारे में यदि उन्हें केन्द्रीय सरकार का क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों का गठन करने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है, अपने विचार भेजने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उनके भूतपूर्व सहयोगी द्वारा हाल में आयोजित विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में राज्य विद्युत मन्त्रियों ने राष्ट्रीय ग्रिड का गठन करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव का क्यों विरोध किया था ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) 26-27 अगस्त, 1982 को हुए विद्युत मन्त्रियों के वार्षिक सम्मेलन में राज्यों के साथ अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र को अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता तथा सांविधिक प्राधिकारों के साथ क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों का सृजन करके क्षेत्रीय स्तर पर विद्युत सप्लाई उद्योग के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता के बारे में विचार-विमर्श किया गया था । राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने की विचारधारा का राज्यों ने सामान्यत: स्वागत किया है, जिससे विद्युत के अन्तर्राज्यीय और अन्तर्क्षेत्रीय प्रवाह में सहायता मिलेगी परन्तु कुछ राज्यों ने प्रस्तावित क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों के सृजन के सम्बन्ध में अभी नहीं बताया है । प्रस्तावित क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों के सृजन पर, जिससे क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों के समेकित प्रचालन में सुविधा होगी, आगे कोई कार्यवाही करने से पूर्व राज्यों के साथ परामर्श करना और उनके साथ मतैक्य तैयार करना आवश्यक समझा गया है । तथापि, केन्द्र प्रमुख अन्तर्राज्यीय और अन्तर्क्षेत्रीय अति उच्च वोल्टता पारेषण लाइनें स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय ग्रिड का एक भाग होगा ।

कपड़ा मजदूरों द्वारा अनिश्चित काल के लिए हड़ताल

309. **श्री नवीन रवाणी** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मजदूरों द्वारा अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल कब शुरू की गई थी ;

(ख) उसमें कितने मजदूर शामिल थे;

(ग) कितनी कपड़ा मिलें इससे प्रभावित हुईं; और

(घ) मजदूरों की मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) बम्बई के वस्त्र उद्योग के श्रमिकों द्वारा 18 जनवरी, 1982 से की गई हड़ताल से 60 सूती कपड़ा मिलें और 2.25 लाख श्रमिक प्रभावित हुए ।

(घ) मान्यता न प्राप्त एक यूनियन ने कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की है । इनमें मुख्य मांगे प्रत्येक श्रमिक के लिए मजदूरी में 250 रुपये से 400 रुपए के बीच वृद्धि करने और उद्योग में काम कर रहे सभी अस्थाई श्रमिकों को नियमित करने से सम्बन्धित हैं ।

"इन्सैट-1 ए" की खराबी का दूरदर्शन राष्ट्रव्यापी प्रसारण पर प्रभाव

310. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी
श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्रीमती प्रमिला दण्डवते
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री कमल नाथ
श्री रशीद मसूद
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री हरीश रावत
: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इन्सेट-1 ए" में खराबी आने से दूरदर्शन कार्यक्रमों के राष्ट्रव्यापी प्रसारण पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस कार्यक्रम को त्यागना पड़ेगा और किन-किन क्षेत्रों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार अन्य उपायों द्वारा चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को निरंतर चलाने का प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इन्सेट-1 ए के खराब हो जाने के कारण आठ दूरदर्शन केन्द्र अर्थात् भिज, जयपुर रायपुर, गुलबर्गा, हैदराबाद, सम्बलपुर, मुजफ्फरपुर और नागपुर, जिनको इस उपग्रह के प्रयोग के साथ राष्ट्रीय सर्किट पर रखा गया था, अब स्थानीय और टेप किये गये कार्यक्रमों पर आधारित अपने पहले के टेलीकास्ट कार्यक्रम पर लौट आए हैं। तथापि, उन सभी मौजूदा और प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्रों, जो माइक्रोवेव लिंकों से जुड़े हुए नहीं हैं, को राष्ट्रीय नेटवर्किंग के लिये अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार उपग्रह (इन्टलसेट) का एक टी० वी० ट्रांसपोंडर किराये पर लिया जा रहा है। इससे एशियाई खेलों से पहले चालू होने वाले 21 केन्द्रों सहित देश के सभी 41 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा एशियाई खेलों को साथ-साथ टेलीकास्ट किया जा सकेगा।

2. एशियाई खेलों और राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण इन्सेट-1 ए के प्रयोग से सीधे संग्रहण सेटों के माध्यम से उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनींदा गांवों, में उपलब्ध करने की भी

आशा थी। सीधे संग्रहण सेटों पर इन क्षेत्रों के लिये सेवा इन्सेट-1 बी के छोड़े जाने के बाद ही सम्भव होगी।'

दिल्ली में बिहार प्रेस विधेयक पर चर्चा करने के लिये समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों की बैठक

311. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी
श्री पी० एम० सईद
: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार प्रेस विधेयक पर चर्चा करने के लिये दिल्ली में प्रेस के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करने का है;

(ख) क्या बैठक बुलाई गई थी; और

(ग) समाचार पत्रों की शिकायतें/शंकायें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, देश की प्रमुख प्रेस संस्थाओं से हाल ही में यह अनुरोध किया गया है कि वे भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 के कतिपय पहलुओं पर अपने विचार भेजें। संस्थाओं से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

'इनसेट-1 ए' की असफलता का संचार पर प्रभाव

312. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी
श्री कमल नाथ
श्री एन० ई० होरो
श्री अर्जुन सेठी
श्री नरसिंह मकवाना
: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनसेट-1 ए की असफलता का मंत्रालय के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या भविष्य के लिये शुरू किये गये कुछ कार्यक्रमों पर भी प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) निम्न योजनाओं पर इनसेट के फेल हो जाने का प्रभाव पड़ा है—

(एक) उन दूरवर्ती स्थानों को विश्वसनीय दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने की योजना जिन्हें स्थलीय सम्पर्कों के द्वारा आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता, और

(दो) देश में मुख्य ट्रंक परियात केन्द्रों के बीच सर्किटों में वृद्धि करना ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ।

(घ) इन्टलसेट उपग्रह के माध्यम से दिल्ली और मद्रास के साथ ऐजल, पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार, कावारथी और लेह के 5 भू-केन्द्रों से संचार व्यवस्था ने पहले ही काम करना प्रारम्भ कर दिया है । इनसेट के अन्तर्गत स्थापित शेष भू-केन्द्रों के लिए इन्टलसेट से पट्टे पर लिए गए अतिरिक्त ट्रांसपोंडर क्षमता भी प्राप्त कर ली गई है । हमें उनके अन्तरिक्षयान का उपयोग करने की स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व इन्टलसेट द्वारा भू-केन्द्रों का परीक्षण करना होगा । केन्द्रों का परीक्षण शीघ्र ही प्रारम्भ हो रहा है, हम इन परीक्षणों के लिए तैयार हैं और इन्टलसेट से परीक्षण कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन सेवा

313. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करने के लिए क्या उपाय किए जायेंगे; और

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए कितने भवनों का निर्माण किया जा रहा है तथा ये भवन कहां-कहां बनाये जा रहे हैं और तत्सम्बन्धी खर्च का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी योजना के दौरान : सात जिला मुख्यालयों के एक्सचेंजों को स्वचालित बनाने तथा शिमला के लिये एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने, केलांग और काल्पा में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने, वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करके जहां तक सम्भव हो प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने, लगभग सत्तर नये एक्सचेंज खोलने तथा सभी श्रेणी के स्थानों पर पी० सी० ओ० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है । कैथल जैसे स्थानों पर अधुनातन मल्टी-एसेस-रेडियो कनसेन्ट्रेटर्स के प्रयोग के जरिये लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर भी खोले जा रहे हैं ।

(ख) फिलहाल, टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये किसी इमारत का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। 13.27 लाख रुपये की लागत से सोलन में इमारत के लिये प्रावकलन की मंजूरी दी गई है। हमीरपुर, कुलू, बिलासपुर, ऊना, नहान तथा परवानू में इमारत के लिये प्रावकलन तैयार किया जा रहा है।

जल विद्युत परियोजनायें

314. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन नदियों पर जल-विद्युत बांधों का निर्माण करने के प्रयास किये गये हैं; और

(ख) छठी योजना में सम्मिलित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1979-80 से लेकर क्रियान्वयन के लिये योजना आयोग द्वारा अनुमोदित जल विद्युत/ बहूद्देश्यीय परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-एक में दिया गया है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में जल विद्युत परियोजनाओं से 4768 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इस अवधि के दौरान लाभ देने वाली जल विद्युत स्कीमों की सूची विवरण-दो में दी गई है।

विवरण-एक

1979-80 से लेकर योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नदीवार जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा

क्र० सं०	नदी का नाम	राज्य	जल-विद्युत/ बहूद्देश्यीय परियोजना	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)
1	2	3	4	5
1.	बेदथी	कर्नाटक	गंगावली (बेदथी)	2×105
2.	बोरापानी	असम	लोअर बोरापानी (लग्पी)	2×50
3.	पेरियार	केरल	इदुक्की चरण-दो	3×130
4.	यमुना नहर	हरियाणा	पश्चिमी यमुना नहर चरण-एक	6×8

1	2	3	4	5
5.	भागीरथी	उत्तर प्रदेश	मानेरी चरण-दो	3×52
6.	कावेरी	तमिलनाडु	लोअर मैत्तूर	8×15
7.	पवाना/कृष्णा बेसिन	महाराष्ट्र	पवाना	1×10
8.	कृष्णा	आन्ध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर पम्पड स्टोरेज चरण-दो	3×100
9.	कालीनदी	कर्नाटक	काली नदी ज० वि० चरण-दो	2×25 +4×32 +4×25
10.	कृष्णा	आंध्र प्रदेश	श्रीशैलम चरण-दो	3×110
11.	भवानी	तमिलनाडु	कुडाह-पांच विस्तार	1×20
12.	राजस्थान नहर का हिस्सा	राजस्थान	अनूपगढ़ नहर	6×1.5
13.	गुमटी	त्रिपुरा	महारानी माइक्रो	2×0.5
14.	भवानी	तमिलनाडु	लोअर भवानी बांध	4×2
15.	पिकारा/मोयार/ भवानी	तमिलनाडु	पिकारा बांध पी० एच०	1×2
16.	वैगाय	तमिलनाडु	वैगाय बांध पी० एच०	2×3
17.	बनेर खाद/व्यास बेसिन	हिमाचल प्र०	बनेर	2×3
18.	कल्लाड	कर्नाटक	कल्लाड	2×7.5
19.	रावी	पंजाब	अपर बारी दोआब नहर/चरण-दोके साथ थीन बांध बहूद्देश्यीय परियोजना	4×120 +3×15
20.	महानदी	उड़ीसा	हिराकुड चरण-तीन	1×37.5
21.	थिरोट नल्लाह/ चेनाब बेसिन	हि० प्र०	थिरोट	3×1
22.	गज खड	हि० प्र०	गज	3×3.5

विवरण-दो

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जल विद्युत कार्यक्रम

स्कीम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	1980-85 के दौरान लाभ
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
पश्चिमी यमुना	48	48
आन्ध्रा	15	15
बिनवा	6	6
रोंग टोंग	2	2
बस्सी विस्तार	15	15
आनन्दपुर साहिब	134	134
मुकेरिया	207	90
शनन विस्तार	50	50
देबर विस्तार	330	330
पोंग विस्तार	120	120
माही चरण-एक और दो	140	140
मानेरी भाली चरण एक	90	90
गढ़वाल ऋषिकेश चीला	144	72
यमुना चरण-I	120	120
बैरा स्यूल	180	60
जोड़	1601	1292
पश्चिमी क्षेत्र		
कडाना	240	120
उकई बाया तट नहर	5	5
कोयना डी० पी० एच०	40	20

1	2	3
तिल्लारी	60	60
पैथेम	12	12
भीरा टेल रेस	80	80
पेंच	160	160
जोड़	597	467
दक्षिणी क्षेत्र		
नागार्जुनसागर	400	300
श्री शैलम	440	440
डोंकराई	25	25
बलिमेला डी० पी० एच०	60	60
नागार्जुन सागर दायां तट नहर	60	60
काली नदी चरण-एक	910	775
इदमलयार	75	75
कक्कड	50	50
कदमपराई	400	400
सर्वलार	20	20
जोड़	2440	2205
पूर्वी क्षेत्र		
स्वर्ण रेखा	130	65
रेंगाली	100	100
अपर कोलाब	240	240
जलढाका	8	8
फचेत हिल	40	40
रमण चरण-दो	50	50
जोड़	568	503

1	2	3
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
लोअर बोर पानी	100	50
दिक्खु	1	1
कोपिली	150	150
गुमटी विस्तार	5	5
लोकतक	105	105
जोड़	361	311
जोड़ अखिल भारत	5567	4768

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन विभाग में लाइनमन की संख्या में वृद्धि

315. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकुशलता बढ़ाने तथा बेहतर कार्य-निष्पादन के विचार से हिमाचल प्रदेश के टेलीफोन विभाग मे एक लाइनमैन के मानदण्ड के बदले एक के स्थान पर दो लाइनमैन रखने और मैदानी इलाकों में नियुक्ति करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) जी, नहीं। हिमाचल प्रदेश के टेलीफोन विभाग में लाइनमैनों के पदों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पदों की मंजूरी के लिए वर्तमान मानक पर्याप्त समझे गये हैं।

बिजली इकाइयों को सुव्यवस्थित करना

316. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार की सम्पूर्ण देश में उन बिजली इकाइयों को सुव्यवस्थित करने की कई योजनायें हैं, जिनमें से अनेक काम नहीं कर रही हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : देश में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उठाए गए कुछ बड़े उपाय नीचे दिए गए हैं:—

1. मार्च 1981 तक चालू किए गए 200/210 मेगावाट ए यूनिटों के स्थिरीकरण के लिये

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भेल, आई० एल० के० और सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों के बीच सभी यूनिटों के लिए कार्रवाई योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

2. 110 मेगावाट के यूनिटों के लिए घटिया गुणवत्ता कोयला जलाकर पूरा उत्पादन करने के लिए उपस्कर में आवश्यक संशोधनों का पता लगाकर संयंत्र भार अनुपात में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। समस्याओं का पता लगाने के लिए तथा उनको हल करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई योजना बना ली गई है।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि यूनिटों की समय पर ओवरहालिंग की जाए तथा ओवरहालिंग की लम्बी अवधियों के कारणों का पता लगा करके और उनको समाप्त करके इस अवधि को कम करना।

4. घटिया कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी समस्याओं का पता लगाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भ्रमणकारी मानीटरिंग दलों द्वारा ताप विद्युत केन्द्रों का दौरा करना

5. विद्युत केन्द्रों की कोयलों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोयला विभाग और रेलवे के प्रतिनिधियों के एक कृतिक बल का गठन किया गया है।

6 विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। विद्युत इंजीनियरी प्रशिक्षण सोसायटी ने विद्युत केन्द्र के कार्मिकों के लिए सभी स्तरों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए हैं।

वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण क्षति

317. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत 2-3 महीनों के दौरान राजधानी के कुछ क्षेत्रों में बिजली की वोल्टेज में 150 वोल्ट से 240 वोल्ट तक का उतार-चढ़ाव रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वोल्टेज-स्टेबलाइजरों को लगाने के रूप में राष्ट्रीय क्षति होती है; और

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण वोल्टेज स्टेबलाइजरों पर कुल कितनी पूंजी लगाई गई तथा क्या सरकार का विचार वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) पिछले 2-3 महीनों के दौरान 220 के० वी० प्रणाली पर वोल्टता में 170 से 220 के० वी० तक उतार-चढ़ाव आया है। जिसका मुख्य

कारण डेसू की सीमित वितरण क्षमता तथा कमजोर मानसून होने के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की कृषि सम्बन्धी विद्युत मांग में वृद्धि थी, इसलिए दिल्ली प्रणाली, जो विस्तृत वोल्टता उतार-चढ़ाव वाली उत्तर क्षेत्रीय प्रणाली से सम्बद्ध है, प्रभावित हुई ।

(ख) और (ग) विद्युत उपस्करों के मालिकों द्वारा वोल्टता उतार-चढ़ावों से विद्युत उपस्करों की सूरक्षा के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर एक इशोरेस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत प्रणाली की वोल्टता में सुधार लाने के लिए विभिन्न राज्यों में कैपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करने के लिए पहले से कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है । मांग और आवश्यकता के बीच के अन्तर को कम करने के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता भी शीघ्र चालू की जा रही । इन उपायों से प्रणाली वोल्टता में सुधार होने की सम्भावना है जिससे उपभोक्ताओं द्वारा वोल्टेज स्टेबलाइजरों के प्रयोग में किसी हद तक कमी आ सकती है ।

पिछले 3 वर्षों के दौरान वोल्टेज स्टेबलाइजरों पर अनुमानित कुल निवेश निम्नानुसार है :

1979 — 30 करोड़ रुपये

1980 — 27 करोड़ रुपये

1981 — 25 करोड़ रुपये

नियोक्ताओं द्वारा न्यायसंगत श्रम पद्धतियों का उल्लंघन

318. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान श्रम मंत्रालय को ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें नियोक्ताओं पर औद्योगिक विवाद अधिनियम में उल्लिखित न्यायसंगत श्रम पद्धतियों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं;

(ख) प्रत्येक विवाद के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) ऐसे श्रम विवादों को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार का और क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 अभी लागू नहीं किया गया है जिसमें अनुचित श्रम व्यवहार के बारे में प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन समाचारों का अनुपात अध्ययन

319. **श्री के० राममूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री समाचार-पत्रों में वज्ञापन-

समाचारों के अनुपात के बारे में 3 अगस्त, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 350 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशों के अनुरूप दैनिक समाचार पत्रों विशेषकर अंग्रेजी दैनिकों में विज्ञापन समाचारों के अनुपात का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आदेश देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० सालवे) : विज्ञापन-समाचारों के अनुपात से सम्बन्धित सिफारिशों को, द्वितीय प्रेस आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में निहित अन्य सिफारिशों सहित, उन पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ इस सत्र में संसद के समक्ष रखने का प्रस्ताव है ।

राज्यों के श्रम सचिवों की बैठक

320. **श्री के० राममूर्ति** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 21 अगस्त, 1982 को 10 राज्यों के श्रम सचिवों की हुई उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए थे, जिसमें अन्तर्राज्यिक प्रवासी श्रम अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया था; और

(ख) उन निर्णयों पर क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) 21 अगस्त, 1982 को हुई श्रम सचिवों की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(एक) चूंकि प्रवास आर्थिक जरूरत है, इसलिए इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। बेहतर मजदूरी वाले रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं ताकि प्रवास के लिए उन्हें प्रेरणा न मिल सके ।

(दो) वे राज्य, जिन्होंने अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनिमय और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अधीन अभी तक नियम नहीं बनाये/अधिसूचित नही किये हैं, ऐसा बिना किसी और विलम्ब के कर सके ।

(तीन) संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके दो संयुक्त अध्ययन दल गठित किए जाएं और यथासंभव संबंधित राज्यों में उनके दौरों की व्यवस्था की जाए ताकि मौके पर ही प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों को दूर किया जा सके ।

(चार) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 में इस आशय के स्पष्टीकरण को शामिल करने के प्रस्ताव की कि बंधित श्रम पद्धति की शर्तों को पूरा करने वाले प्रवासी श्रमिक

इस अधिनियम के अन्तर्गत आएंगे, विस्तार से जांच की जाए और यदि आवश्यक हो, तो अधिनियम में स्पष्टीकरण शामिल किया जाये ।

(पांच) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रवासी श्रमिक बोर्ड गठित करने के प्रस्ताव की श्रम मंत्रालय में जांच की जाए और इस मामले में राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् अन्तिम निर्णय लिया जाये ।

(ख) जहां कहीं आवश्यक समझा गया राज्य सरकारों को पत्र लिखे गये हैं ।

प्राकृतिक गैस के उपयोग के बारे में कृतिक बल की रिपोर्ट

321. **श्री के० राममूर्ति :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस कृतिक बल की पहली रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है, जिसने आगामी 20 वर्षों तक प्रति वर्ष तट-दूर प्राकृतिक गैस के उपयोग के बारे में अध्ययन किया था; और

(ख) क्या यह कृतिक बल इस विषय पर और रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) कार्यकारी दल को प्रत्येक तेल और गैस क्षेत्र में गैस की प्रक्षिप्त उपलब्धता पर आंकड़े एकत्र करने हैं और सम्बन्धित क्षेत्रों में गैस के संभव उपयोगों का पता लगाना है ।

कार्यकारी दल ने उपयुक्त आंकड़े अपतटीय प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए हैं। कार्यकारी दल द्वारा पता लगाये गए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ।

तटीय क्षत्र में गैस के संबंध में, कार्यकारी दल ने प्रारम्भिक आंकड़े प्रस्तुत किये हैं तथा प्रत्येक तेल और गैस क्षेत्र के दौरों द्वारा विस्तृत आंकड़े एकत्र कर रहा है ।

(ख) जी, हां ।

तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित किया जाना

322. **श्री नवीन रवाणी**
श्री सनत कुमार मंडल
श्री जी० वाई० कृष्णन
श्री के० मालन्ना } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट में तेल की खोज और विदोहन करने के लिए विदेशी कम्पनियों से पेशकश आमंत्रित करने के ब्यौरे को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और किन-किन विद्ध
किए जा रहे हैं तथा क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(ग) क्या वित्तीय व्यय का हिसाब लगा लिया गया है, य
क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी

(ख) और (ग) 50 खण्डों (42 अपतटीय तथा 8 तटीय) के
तथा उपयोग के लिये 37 तेल कम्पनियों को आमंत्रण पत्र जारी किये
रण में दर्शाया गया है । कम्पनियों को यह बता दिया गया है कि स
आधार पर होगी । कम्पनियों से यह कहा गया है कि वह खण्ड में
किये जाने वाले कार्य के न्यूनतम कार्यक्रम तथा वित्तीय व्यय के बारे
वित्तीय व्यवस्था के बारे में गणना करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

विवरण

तेल अन्वेषण के लिये प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए चयन

1. मोबिल आयल कार्पोरेशन, यू० एस० ए०
2. सुपीरियर आयल कम्पनी, यू० एस० ए०
3. पेट्रोब्रास इन्टरनेशनल एस० ए०, ब्राजील
4. टेक्सकसे इन्टरनेशनल पेट्रोलियम कम्पनी, यू० एस० ए०
5. अमोको इन्टरनेशनल आयल कम्पनी, यू० एस० ए०
6. माराथन इन्टरनेशनल आयल कम्पनी, यू० एस० ए०
7. शेवरॉन ओवरसीज पेट्रोलियम इंक०, यू० एस० ए०
8. सनमार्क एक्सप्लोरेशन कम्पनी०, यू० एस० ए०
9. अमोराडा हेसे कार्पोरेशन, यू० एस० ए०
10. शैल आयल कम्पनी इन्टरनेशनल, यू० एस० ए०
11. गल्फ आयल एक्सप्लोरेशन एण्ड प्राडक्शन कम्पनी, यू० ए
12. एस्सो एक्सप्लोरेशन इंक०, यू० एस० ए०
13. शैल एक्सप्लोरेशन वी० वी० नीदरलैंड्स
14. कोमोको इंक० इन्टरनेशनल एक्सप्लोरेशन, यू० एस० ए०

15. कैम्पेजिन फ्रैंच डयू पेट्रोल्स, फ्रांस

16. एo जीo आईo पीo स्पाo, इटली

17. आर्को इन्टरनेशनल आयल एंड गैस कम्पनी, यूo एसo एo

18. गेट्टी आयल कम्पनी, यूo एसo एo

19. यूनियन आयल कम्पनी ऑफ केलीफोर्निया, यूo एसo एo

20. ओक्सीडेन्टल एक्सप्लोरेशन एंड प्राडक्शन कंo, यूo एसo एo

21. सोसाइटी नेशनल इल्फ एक्वेटेन, फ्रांस

22. ब्रिटिश पेट्रोलियम, यूo केo

23. सिटीज सर्विस ईस्ट एशिया इंकo, यूo एसo एo

24. फिलिप्स पेट्रोलियम कंo, फार ईस्ट, सिंगापोर

25. पीमेक्स, मेक्सिको

26. हडवे आयल इन्टरनेशनल लिo, यूo एसo एo

27. सेडको इनर्जी कार्पोरेशन, यूo एसo एo

28. यूनियन टेक्सास पेट्रोलियम कार्पोरेशन, यूo एसo एo

29. डेमिनेक्स, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी

30. हंट आयल कंपनी, यूo एसo एo

31. रोम पेट्रोल, रोमानिया

32. हिस्पेनिका डि पेट्रोल्स एसo एo, स्पेन

33. कनाडियन सुपीरियर आयल लिमिटेड, कनाडा

34 वर्मा आयल कम्पनी, यूo केo

35. वो-वैली एक्सप्लोरेशन, सिंगापुर

36. अमीन आयन, यूo एसo एo

37. इन्टरनेशनल इनर्जी डेवलपमेंट कार्पोरेशन, जेनेवा, स्विटजरलैंड

एशियाड का दूरदर्शन पर प्रसारण के उपकरण

323. **श्री नवीन रवागी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड के लिए दूरदर्शन प्रसारण प्रणाली का आयात किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो किस देश से आयात की जाएगी और उस पर कितना खर्च आएगा;

(ग) क्या इनसेट-1 ए के खराब हो जाने के कारण इस नई प्रणाली का पूर्ण उपयोग किया जाएगा; और

(घ) इस सैटों का आयात करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) 20 केन्द्रों के लिए इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नलाजी डिवेलपमेंट कारपोरेशन, जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, के माध्यम से 1.45 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के अंश सहित 2.84 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्प्रसारण उपकरण अमरीका से आयात किये जा रहे हैं ।

(ग) इन्सेट-1 ए के असफल हो जाने पर कार्यक्रम को इन्टेलसेट के माध्यम से रिले करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है । इन्टेलसेट के साथ इस्तेमाल करने के लिए संग्रहण उपकरणों में आपरिवर्तन करने के लिए कुछ अतिरिक्त यूनिटें हासिल की जा रही हैं ।

(घ) उपकरणों को एशियाई खेलों की समयावधि के अन्दर देशी स्रोतों से हासिल करना सम्भव नहीं था ।

कोल माइन्स आफिसर्स एसोसिएशन के प्रैसिडेंट से ज्ञापन

324. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल माइन्स आफिसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के प्रैसीडेन्ट से खान सुरक्षा के महा-निदेशक द्वारा प्रत्येक कोयला खान का प्रमाणीकरण करने के बारे में दिनांक 23 अगस्त, 1982 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में आफिसर्स एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि खान सुरक्षा महानिदेशक को यह अनुदेश जारी किए जाएं कि वह सारी खानों का निरीक्षण करें और प्रत्येक खान के लिए 31.8.1982 तक सुरक्षा स्थिति के संबंध में प्रमाण-पत्र जारी करें क्योंकि अधिकारियों को यह चिन्ता थी कि असुरक्षित खानों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं । उन्होंने यह भी कहा कि कामगारों में आम अनुशासनहीनता की समस्या के कारण सुरक्षा संबंधी कानूनों को लागू करने में और भी बाधाएं आ रही हैं । अत: उन्होंने यह निर्णय लिया था कि वे 1.9.1982 से असुरक्षित खानों में कोयला निकालने का काम नहीं करेंगे ।

यह कहा जा सकता है कि जब किसी खान या खान के किसी भाग को असुरक्षित माना जाता है तो खान सुरक्षा महा निदेशक खान अधिनियम की धारा 22(3) के अधीन निषेधक आदेश जारी करते हैं और इस प्रकार असुरक्षित घोषित खानों में कार्य तब तक नहीं किया जाता जब तक विद्यमान खतरे को समाप्त नहीं कर दिया जाता ।

अधिकारियों ने इस मसले को लेकर अंततः काम बंद नहीं किया ।

आकाशवाणी में स्टेशन डायरेक्टरों के रिक्त पद

325. **श्री पी० नामग्याल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों में विशेष रूप से आकाशवाणी के लेह स्टेशन में स्टेशन डाइरेक्टरों के कुल कितने पद किस तारीख से रिक्त हैं;

(ख) क्या यह सच है कि स्टेशन डाइरेक्टरों की अनुपस्थिति के कारण इन स्टेशनों का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है; और

(ग) इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं और यह पद कब भरे जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) इन केन्द्रों का काम प्रभावित नहीं हुआ है । केन्द्र इंजीनियर, सहायक केन्द्र इंजीनियर आदि जैसे अन्य वरिष्ठ अधिकारी काम की देखरेख करते हैं । इसके अलावा, 10 केन्द्रों में रिक्तियां लगभग एक मास पहले ही हुई हैं । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अक्तूबर, 1982 के मध्य में होने की सम्भावना है जो रिक्तियों को भरने के लिए अधिकारियों के पैनल की अनुशंसा करेगी ।

विवरण

आकाशवाणी केन्द्रों के केन्द्र निदेशकों के 13 पद इस समय खाली पड़े हैं । उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	किस तारीख से पद खाली है	कैफियत
1.	आकाशवाणी, लेह	4-5-1982	
2.	कानपुर	17-7-1982	पदधारी की तैनाती कर दी गई है, उन्होंने अभी कार्यभार ग्रहण करना है

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	किस तारीख से पद खाली है	कैफियत
3.	मंगलोर	16-8-1982	
4.	भद्रावती	30-8-1982	नये सृजित पद
5.	भागलपुर	30-8-1982	
6.	कुडप्पाह	30-8-1982	
7.	जबलपुर	30-8-1982	
8.	गुलबर्गा	30-8-1982	
9.	जोधपुर	30-8-1982	
10.	मैसूर	30-8-1982	
11.	तिरूनेलवेली	30-8-1982	
12.	कलकत्ता	1-9-1982	
13.	गंगटोक	1-9-1982	पदधारी की तैनाती कर दी गई है, उसने अभी कार्यभार ग्रहण करना है।

तापीय संयंत्रों का क्षमता-उपयोग

326. **श्री जय नारायण रौत**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री ई० बाला नन्दन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के वर्तमान तापीय विद्युत संयंत्रों के क्षमता-उपयोग में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और कब तक इसमें वृद्धि की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) देश में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उठाये गए कुछ बहु उपाय नीचे दिये गए हैं :

(1) मार्च 1981 तक चालू किए गए 200/210 मेगावाट के यूनिटों के स्थिरीकरण के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भेल, आई० एल० के० और सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों के बीच सभी यूनिटों के लिए कार्रवाई योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

(2) 110 मेगावाट के यूनिटों के लिए घटिया गुणवत्ता का कोयला जलाकर पूरा उत्पादन करने के लिए उपस्कर में आवश्यक संशोधनों का पता लगाकर सयत्र भार अनुपात में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। समस्याओं का पता लगाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई योजना बना ली गई है।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि यूनिटों की समय पर उनको समाप्त करके ओवरहालिंग की जाये तथा ओवरहालिंग की लम्बी अवधियों के कारणों का पता लगा करके और इस अवधि को कम करना।

(4) घटिया कार्य-निष्पादन के लिए उत्तरदायी समस्याओं का पता लगाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भ्रमणकारी मानीटरिंग दलों द्वारा ताप विद्युत केन्द्रों का दौरा करना।

(5) विद्युत केन्द्रों की कोयले की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोयला विभाग और रेलवे के प्रतिनिधियों के एक कृतिक बल का गठन किया गया है।

(6) विद्युत केन्द्रों के परिचालन और अनुरक्षण के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। विद्युत इन्जीनियरी प्रशिक्षण सोसाइटी ने विद्युत केन्द्र के कार्मिकों के लिए सभी स्तरों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए हैं।

राजस्थान में तेल/गैस का पाया जाना

327. **श्री जयनारायण पुरोहित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस वर्ष राजस्थान राज्य में जिन स्थानों पर तेल और गैस पाई गई है उनके नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : इस वर्ष राजस्थान राज्य में कोई तेल और गैस नहीं निकला।

कृषि श्रमिकों के लिए कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

328. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों के लिए अद्यतन राज्यवार न्यूनतम मजदूरी कानूनी रूप से निर्धारित कर दी गई है;

(ख) क्या निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को पूरी तरह से व्यवहार में लाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) राज्यवार स्थिति क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जुलाई, 1980 से 23 राज्य सरकारें/प्रशासन कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनरीक्षण कर चुकी हैं और छः राज्य सरकारों ने या तो इस प्रयोजन के लिए समितियां नियुक्त की हैं या अधिसूचनाएं जारी की हैं। एक राज्य न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करना जरूरी नहीं समझता और एक दूसरे राज्य में खेतिहर श्रमिक नहीं हैं और एक तीसरे राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अभी तक विस्तारण नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) कृषि में नियोजित अधिकांश श्रमिक राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसलिए न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/प्रशासनों की है, जिन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निरीक्षक नियुक्त कर रखे हैं। कुछ राज्यों में न्यूनतम दरों को लागू कराने के लिए अलग कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने निरीक्षकों के जरिये या अन्य विभागों, अर्थात् राजस्व पंचायत इत्यादि के कर्मचारियों के जरिये प्रत्येक राज्य में विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार आवधिक निरीक्षण करके, अभियोजन इत्यादि चलाकर न्यूनतम मजदूरी दरें लागू कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों में कार्वान्वयन के काम पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियां स्थापित की गई हैं।

———

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग

329. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग 1 अप्रैल, 1982 से महंगाई भत्ते, सरकारी उपक्रमों में दिये जाने वाले वेतन के समान वेतन, एफ० आर० 17 ए के निरसन आदि की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मकवाना) (क) और (ख) : सेवा शर्तें, जिनमें वेतनमानों से संबंधित शर्तें भी शामिल हैं, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय स्तर पर निर्धारित की जाती हैं। ये डाक तार कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के समक्ष समान वेतन की मांगों तथा एफ० आर० 17ए के निरस्तीकरण पर केवल डाक तार कर्मचारियों के संबंध में ही विचार नहीं किया जा सकता। जहां तक 1 अप्रैल, 1982 से देय महंगाई भत्ते का सम्बन्ध है, यह जुलाई, 1982 में सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया गया था, जिसमें डाक तार विभाग के कर्मचारी भी शामिल थे।

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कृषि, भवन निर्माण और निर्माण उद्योग क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

330. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अतंर्गत कृषि, भवन-निर्माण और निर्माण उद्योग क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी में हाल में कोई वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) नई दरों को लोकप्रिय बनाने तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां। सरकार ने कृषि, भवन-निर्माण और निर्माण उद्योग में लगे श्रमिकों के लिए क्रमश: 21 अगस्त और 26 अगस्त, 1982 से न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है।

(ख) कृषि, भवन-निर्माण उद्योग में क्षेत्रों के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें इस प्रकार हैं :

अकुशल श्रमिक के लिए प्रतिदिन 6.75 रुपये से 10 रुपये।

अर्ध-कुशल श्रमिक के लिए प्रतिदिन 8.50 रुपये से 12.50 रुपये।

कुशल श्रमिक के लिए प्रतिदिन 10.75 रुपये से 16/-रुपये।

उच्च कुशलता प्राप्त श्रमिक के लिए प्रतिदिन 13.75 रुपये से 20 रुपये।

लिपिक के लिए प्रतिदिन 10.75 रुपये से 16 रुपये।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र में कृषि, भवन-निर्माण और निर्माण उद्योग में लगे श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों में वृद्धि सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई है। इसका मुख्य समाचार-पत्रों द्वारा तथा आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि से प्रसारण कराके व्यापक प्रचार किया गया है। अधिसूचना की प्रतियां क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न फील्ड अधिकारियों को कड़ाई से पालन करने के लिए भेजी गई हैं।

टोपा कोयला खान में अधिकारियों का निलंबन

331. **श्री भोगेन्द्र झा**
श्री कमला मिश्र मधुकर
श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स की टोपा कोयला खान में इस वर्ष एक दुर्घटना के पश्चात् उसके दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्रवाई के विरोध में कोल इंडिया के सभी अधिकारियों को 10 सितम्बर से हड़ताल करने का नोटिस दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) टोपा कोलियरी में 16.7.1982 को एक दुर्घटना के परिणाम-स्वरूप 16 कामगार मारे गए। इस दुर्घटना के फलस्वरूप कंपनी प्रबंधमंडल ने कोलियरी के प्रबंधक और सहायक प्रबंधक को मुअत्तल कर दिया।

(ग) और (घ) कोल माइन्स आफिसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया से अभिवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें यह कहा गया था कि सुरक्षा कार्य को देखने वाले अधिकारी 10.9.1982 से काम पर नहीं जाएंगे। किन्तु उन्होंने जिस हड़ताल की धमकी दी थी वह बाद में वापस ले ली। दो अधिकारियों के निलंबन आदेश अब वापिस ले लिए गए हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा गलत बिल तैयार करना

332. **श्री भीखाभाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा पिछले कुछ समय से गलत तैयार किए गए बिलों के आधार पर दावा करने की एक आम प्रथा बन गई है; और

(ख) गलत तैयार किए गए बिलों के संबंध में 1-1-1982 से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा संख्या क्या है और बिल तैयार करने की प्रणाली को ठीक करने की क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) डेसू. उपभोक्ताओं से अपनी देय राशियों का दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करता है। उपभोक्ताओं पर भार कम करने की दृष्टि से, खराब मीटरों की स्थिति में या ऐसे मामलों में जहां पर किसी एक या दूसरे कारण से रीडिंग नहीं ली जा सकी, अनन्तिम बिल दिए जाते हैं।

(ख) बिलों के संबंध में जब कभी भी उपभोक्ताओं से शिकायत प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित जिले के कार्यालय द्वारा उपयुक्त समयावधि में कार्रवाई की जाती है। लगभग 10·5 लाख उपभोक्ताओं की संख्या को मद्देनजर रखते हुए दो महीनों की अवधि में 47 कार्य दिवसों के आधार पर (बिल दो महीनों में एक बार बनाए जाते हैं) शिकायतों की प्रतिशतता 2.2% है।

भारतीय खाद्य निगम में ट्रेड यूनियनों की जांच

333. **श्री भीखा भाई** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री भागवत झा आजाद ने आदेश जारी किए थे कि भारतीय खाद्य निगम की यूनियनों की सदस्यता की 1.9.1977 की गई जांच को रद्द कर उन के सदस्यता की पुनः जांच की जाए; और यदि हां, तो किस तारीख को पुनः जांच की जाएगी; और

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रम मंत्री ने सभी भारतीय खाद्य निगम के चारों जोन की यूनियनों की सदस्यता की जांच के लिए मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) और भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों को लगभग एक महीने पहले आदेश दिए थे परन्तु इन दोनों प्राधिकारियों ने जांच में विलम्ब किया है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं, और यदि नहीं तो वास्तविक स्थिति क्या है, और प्रमुख श्रमायुक्त और भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों को दिए गए जांच आदेशों का ब्यौरा क्या है और ये आदेश किस तारीख को दिए गए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी हां। गणना की तारीख उस महीने की पहली तारीख होती है जिसमें औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र द्वारा पक्षों को रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम में यूनियनों जिन पर भारतीय खाद्य निगम स्टाफ विनियम लागू होते हैं, के सदस्यों की संख्या की नये सिरे से जांच करने की संभाव्यता पर भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियम में हुए विभाजन को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है। यह निगम में काम कर रही एक महत्त्वपूर्ण अखिल भारतीय यूनियन है। इस यूनियन का एक गुट कानूनी उपचार के लिये न्यायालय में गया है।

भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतंत्र को भारतीय खाद्य निगम के सभी चार जोनों में स्टाफ यूनियनों की सदस्यता की नये सिरे से जांच कराने के निर्णय की सूचना 27 सितम्बर, 1982 को दे दी गई।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत विभाग के कर्मचारियों को मकान के लिए ऋण

334. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्प आवंटन के कारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत विभाग के अनेक कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए अग्रिम राशि प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों को कम धनराशि आबंटित करने के क्या कारण हैं तथा

कितने कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ा है और मकान बनवाने अथवा खरीदने के लिये मकान निर्माण अग्रिम राशि के रूप में कुल कितना धन आबंटित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये गृह निर्माण अग्रिम के अनुदान के लिये प्रावधान वित्त मन्त्रालय में सम्बन्धित अनुदान संख्या 43 के अन्तर्गत किया गया है। विभिन्न मन्त्रालय/विभागों को गृह निर्माण अग्रिम के लिये निधियों का आबंटन आवास और निर्माण मन्त्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विद्युत विभाग के लिये 28.68 लाख रुपये की आवश्यकता की तुलना में 15 लाख रु० की राशि आबंटित की गई है। इसमें के० वि० प्रा० को आबंटित की गई 12 लाख रु० की राशि भी शामिल है। यह राशि उन 66 सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं है जिन्होंने गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन किया है तथा जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में काम कर रहे हैं। वित्तीय कठिनाइयों के कारण वित्त मंत्रालय के लिए आवश्यकता को पूर्णतः पूरा कर पाना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है।

हिन्दी स्टेनोग्राफी ट्रेड सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की बैठक

335. श्री भोखा भाई : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी स्टेनोग्राफी ट्रेड संबंधी विशेषज्ञ समिति की बैठक किस तारीख को हुई थी;

(ख) उक्त बैठक में भाग लेने के लिये किन-किन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था;

(ग) उन विशेषज्ञों की शैक्षिक और विषय-संबंधी अर्हतायें क्या हैं;

(घ) उक्त बैठक में क्या निर्णय लिये गये; और

(ङ) उन निर्णयों के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकारों को क्या अनुदेश जारी किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 25.9.1981।

(ख) बैठक में भाग लेने के लिये आमंत्रित विशेषज्ञकों की सूची नीचे दी गई है:—

1. श्री ओ० पी० कुठियाला,
   निदेशक, अध्ययन,
   पिटमैन शार्टहैंड स्कूल,
   51/3, डी० बी० गुप्ता रोड, नई दिल्ली।

2. श्री तुलसी दास,
उप निदेशक (उत्तर)
हिन्दी शिक्षण योजना,
10वीं मंजिल, मयूर भवन, नई दिल्ली।

3. श्री आर० सी० पी० सिन्हा,
सहायक निदेशक,
हिन्दी शिक्षण योजना,
राजभाषा विभाग
ऊपरी मंजिल, जी० पी० ओ० बिल्डिंग, पटना–1 (बिहार)

4. श्री जे० पी० पंत,
सहायक निदेशक,
हिन्दी शिक्षण योजना,
5वीं मंजिल, रेल भवन, नई दिल्ली

5. श्री एम० एस० कठैत,
सहायक निदेशक,
हिंदी आशुलिपी तथा टाईपिंग प्रशिक्षण केन्द्र,
राजभाषा विभाग, ईस्ट ब्लाक,
आर० के० पुरम, नई दिल्ली।

6. श्रीमती सुदेश कुमारी,
सहायक निदेशक,
हिंदी आशुलिपि तथा टाइपराइटिंग प्रशिक्षण केन्द्र,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
एफ-ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली-110002.

7. श्री सी० आर० दत्त,
आशुलिपि व्याख्याता,
कमर्शियल प्रैक्टिस संस्थान,
मोरी गेट, दिल्ली-6

8. कुमारी निर्मल सेठी,
भाषा प्रशिक्षक, आई० टी० आई० (महिला),
के० जी० मार्ग, नई दिल्ली-110001.

(ग) अपेक्षा यह है कि विशेषज्ञों के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंधित क्षेत्र में अच्छा अनुभव होना चाहिये और उपर्युक्त सभी विशेषज्ञ इस अपेक्षा को पूरा करते हैं।

(घ) बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय नीचे दिये गये हैं:—

(एक) राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य प्रणाली अपनाना।

(दो) शिक्षण के घंटों की संख्या में वृद्धि।

(तीन) प्रशिक्षण और कार्य-कुशलता के स्तर को ऊपर उठाना ताकि प्रशिक्षणार्थियों को और अधिक रोजगार-योग्य बनाया जा सके।

(चार) औजारों तथा उपस्करों की सूचियों को अद्यतन बनाना।

(ङ) उपर्युक्त निर्णयों को शामिल करते हुये पाठ्य-विवरण में संशोधन किया गया है और संशोधित पाठ्य-विवरण की प्रतियां कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य निदेशकों को भेजी गई हैं।

बिजली की कमी

336. श्री रविन्द्र वर्मा
श्री रास बिहार बहेरा
श्री मोती भाई आर० चौधरी
श्री बापू साहिब परुलेकर
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये कोई नई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या योजनाओं के लिये राज्य सरकार का सहयोग भी मांगा गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष विद्युत सप्लाई की स्थिति काफी अच्छी रही है। इस समय केवल कुछ राज्यों में ही विद्युत की कमी है। जुलाई और अगस्त, 1982 के महीनों में गत वर्ष के इन्हीं महीनों की

अवधि की तुलना में विद्युत की कमी घट गई है । विद्युत की कमी को घटाने के लिये निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है।

(1) अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना।

(2) देश के वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना ।

(3) फालतू बिजली वाले राज्यों से कम बिजली वाले राज्यों को विद्युत का अंतरण करना । इसके अतिरिक्त राज्यों से सहयोग करने के लिये भी अनुरोध किया जा रहा है ।

कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने की मांग

337. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन विमन (राष्ट्रीय भारतीय महिला परिसंघ) ने हाल ही में बलात्संग, छेड़खानी और विवाह संबधी विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिये कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या विनिश्चय किया गया है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय भारतीय महिला परिसंघ (दि नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन विमन) ने एक पत्र के साथ ज्ञापन भेजा है जिसमें आग्रह किया गया है कि:—

(एक) बलात्संग, छेड़खानी और विवाह संबंधी विवादों के मामलों का विचारण करने के लिए कुटंब न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए;

(दो) बलात्संग के मामलों का शीघ्रता से विचारण किया जाना चाहिये;

(तीन) बलात्संग के किसी मामले में, उससे शिकार हुए व्यक्ति का साक्ष्य दण्ड देने के लिये निश्चायक और पर्याप्त माना जाना चाहिये; और

(चार) जब किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के दस वर्ष के भीतर हो जाती है, तब अनिवार्य रूप से दो डाक्टरों द्वारा शव परीक्षा की जानी चाहिये ।

(ग) कौटुंबिक विवादों का विनिश्चय करने के लिए कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करने के

प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। किंतु बलात्संग जैसे मामलों का विवारण करने के लिये कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करने के बारे में विचार करना उचित नहीं होगा।

राज्य सभा में पुरःस्थापित दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 के उपबंध बलात्संग से संबंधित विधि में कुछ परिवर्तन करने के लिये हैं। इस विधेयक पर इस समय संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है।

राज्य सरकारों से भी निम्नलिखित उपाय करने को कहा गया है:—

(एक) पुलिस को विवाहित युवा महिलाओं की उनके विवाह के प्रथम 10 वर्ष के भीतर प्रयतित आत्महत्या या संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु के सभी मामलों के बारे में गम्भीरता से कार्रवाई करनी चाहिए;

(दो) ऐसे मामलों में अन्वेषण ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिये जो नप पुलिस अधीक्षक से कम रैंक के न हों?

(तीन) यदि शव परीक्षा की जाती है, तो शव परीक्षा दो डाक्टर के दल द्वारा की जानी चाहिए;

(चार) मृतक के शव की अंत्येष्टि, उन मामलों को छोड़कर जिनमें पुलिस द्वारा आपत्ति न होने का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, शव परीक्षा किए बिना अनुज्ञात नहीं की जानी चाहिये;

(पांच) पुलिस द्वारा आपत्ति न होने का प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि कुटुंब के वधू पक्ष के माता-पिता या संरक्षक या अन्य निकट नातेदारों द्वारा शव को देख नहीं लिया जाता है।

किंतु विधि का संशोधन करके दो डाक्टरों द्वारा शव परीक्षा किए जाने को आज्ञापक बना देना व्यावहारिक नहीं है।

वर्ष 1979 से 1982 तक की अवधि के दौरान नष्ट हुए जन-दिवस

338. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 (अब तक) कि अवधि के दौरान (राज्यवार) श्रमिकों आदि की हड़ताल के कारण कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : श्रम ब्यूरो से प्राप्त सूचना के आधार पर, 1979-82 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए जन दिवसों की संख्या (राज्य-वार) दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1979-1982 के दौरान श्रमिकों द्वारा हड़तालों के नष्ट हुए जन-दिवसों की संख्या (राज्यवार) दर्शाने वाला विवरण.

क्रमांक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	नष्ट हुए श्रम-दिनों की संख्या (हजारों में)			
		1979 के दौरान	1980 के दौरान	1981 के दौरान	1982 (अ) के दौरान (जनवरी-जुलाई)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	597	538	776	664
2.	असम	31	83	44	1
3.	बिहार	947	401	1,299	199
4.	गुजरात	416	694	405	215
5.	हरियाणा	664	262	325	21
6.	हिमाचल प्रदेश	12	20	37	...
7.	जम्मू और कश्मीर	2	58	10	...
8.	कर्नाटक	358	797	3,213	105
9.	केरल	3,277	957	882	324
1.0	मध्य प्रदेश	1,200	426	1,414	182
11.	महाराष्ट्र	1,747	1,685	2,706	2,350
12.	मणिपुर	2	%	56	...
13.	मेघालय	—	—	—	—
14.	नागालैण्ड	5	—	—	...
15.	उड़ीसा	87	157	307	68
16.	पंजाब	75	190	65	108
17.	राजस्थान	125	301	656	57
18.	सिक्किम	5	2	—	—

क्रमांक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	नष्ट हुए श्रम-दिनों की संख्या (हजारों में)			
		1979 के दौरान	1980 के दौरान	1981 के दौरान	1982 (अ) के दौरान (जनवरी-जुलाई)
1	2	3	4	5	6
19.	तमिल नाडु	7,803	2,784	2,995	755
20.	त्रिपुरा	2	%	—	...
21.	उत्तर प्रदेश	634	617	822	142
22.	पश्चिम बंगाल	14,979	1,809	1,142	206
23.	अण्डमान और निकोबार	7	19	30	46
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	...
25.	चण्डीगढ़	16	3	7	2
26.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—
27.	दिल्ली	2,217	65	61	18
28.	गोवा, दमण और दीव	157	64	310	38
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	438	84	165	3
	कुल=	35,804	12,018	17,728	5,509

अ=अंतिम (%)=500 से नीचे

(—)=शून्य (...)=उपलब्ध नहीं

विशेष ध्यान दीजिये=यह जरूरी नहीं है कि पूर्णांक के कारण आंकड़ों का जोड़ मेल खाये।

रोजगार कार्यालयों में सुधार किया जाना

339*. श्री मोहम्मद असरार अहअद : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रोजगार कार्यालयों में सुधार करने का विचार है ताकि वे रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्तियों को स्व-नियोजन के अवसरों के लिये मार्ग निर्देश प्रदान कर सकें;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नई योजना कब चालू की जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार कार्यालयों को सुदृढ़ करने संबंधी एक स्कीम वार्षिक योजना 1982 83 में शामिल की गई है। विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के विचार-विमर्श के साथ ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। छठी योजना (1982-85) के अंतिम तीन वर्षों के लिये स्कीम के संबंध में 3.98 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा राष्ट्रीय त्रिपक्षीय वार्ता का बहिष्कार

340. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने उनके मंत्रालय को औपचारिक रूप से यह सूचित किया था कि राष्ट्रीय त्रिपक्षीय वार्ता का बहिष्कार करने संबंधी उनके संघटकों द्वारा किए गए निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं है;

(ख) क्या इस बहिष्कार के बावजूद उन्होंने 17 सितम्बर, 1982 को त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की थी, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस त्रिपक्षीय वार्ता में क्या चर्चा हुई; और

(घ) क्या वह श्रमजीवी वर्ग के हितों के प्रतिकूल वर्तमान कानूनों में विभिन्न परिवर्तन करने जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) श्रम मंत्री जी ने बहिष्कार करने वाली ट्रेड यूनियनों को 10-9-1982 को एक बैठक में आमंत्रित किया जिसमें उन्होंने उनसे अपील की कि वे अपने निर्णय पर पुनः विचार करें और सम्मेलन में ही अपने द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करें। जब वे सम्मेलन का बहिष्कार करने के अपने निर्णय पर अड़े रहें, तो श्रम मंत्री जी ने महसूस किया कि उनका निर्णय राजनीति से प्रेरित है जिससे सरकार को सम्मेलन करने से रुकना नहीं चाहिये।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन विचारित कार्य सूची की मदें और इन पर लिये गये मुख्य निर्णय/सिफारिशें दी गई हैं।

(घ) सरकार ने सम्मेलन की सिफारिशों को उचित कार्यवाही के लिये नोट कर लिया है।

विवरण

नई दिल्ली 17 और 18 सितम्बर, 1982 को हुए राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन की कार्यसूची मदें

कार्यसूची :

1. औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति ।
2. भारतीय श्रम सम्मेलन का गठन ।
3. केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्यता का सत्यापन ।
4. महत्वपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध विषय—

   संसद में पेश किए जाने वाले और संशोधन :—

   (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

   (ख) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
5. बढ़े हुए उत्पादन और उत्पादकता में श्रमिकों की भूमिका, जिसमें श्रमिक सहभागिता शामिल हैं ।
6. राष्ट्रीय मजदूरी नीति ।

मुख्य सिफारिशें

सम्मेलन ने औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की सर्वसम्मति से सिफारिश की । इन सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सामूहिक सौदाकारी के लिए वार्ता एजेन्ट का चयन, स्वैच्छिक विवाचन द्वारा ऐसे विवादों का निपटान जहां संराधन असफल रहे, केन्द्र और राज्यों में औद्योगिक संबंध आयोग स्थापित करना शामिल है । इसने ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया और भारतीय श्रम सम्मेलन के गठन के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड की भी सिफारिश की है । सम्मेलन ने राष्ट्रीय मजदूरी नीति के प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों सहित त्रिपक्षीय समिति की स्थापना करने की भी सिफारिश की है ।

दिल्ली में खानों और खदानों में मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि

341. श्री कमला मिश्र मधुकर
श्री के० ए० राजन } : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा खानों का अधिग्रहण

किए जाने के बाद खानों और खदानों में होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं तथा प्रत्येक मामले में कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ग) खानों के अधिग्रहण से पहले और बाद की स्थिति के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या इन खानों को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है ?

(ङ) क्या वही पुराने ठेकेदार खानों को चला रहे हैं; और

(च) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) दिल्ली संघशासित क्षेत्र में खानों को 1975 और 1976 के दौरान दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के अन्तर्गत लिया गया था । नीचे दी गई सारणी में तुलनात्मक सूचना दी गई है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मरे व्यक्तियों की संख्या
1971	2	5
1972	3	6
1973	—	—
1974	3	4
1975	2	5
1976	2	3
1977	3	4
1978	6	6
1979	3	3
1980	6	9
1981	7	10
1982 (30-9-82)	6	6

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (डी० एस० आई० डी० सी०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मृतकों के आश्रितों को डी० एस० आई० डी० सी० द्वारा 5000/- रुपए की अनुग्रह-पूर्वक अदायगी की जाती है ।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, जो राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है, के अधीन मुआवजा दिया जाता है।

(घ) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम की बजरी खानों और पत्थर की दो खानों में खनिज निकालने के लिए श्रमिकों को नियोजित करने पर खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 के अधीन रोक लगाने के आदेश समय-समय पर जारी किए गए हैं क्योंकि खानों में काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन या सुरक्षा को तत्काल खतरे की आशंका थी।

(ङ) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कुछ ठेकेदारों द्वारा, जो डी० एस० आई० डी० सी० द्वारा खानों को अपने नियन्त्रण में लेने से पूर्व खनन प्रक्रियाओं में लगे थे, अभी भी खनन प्रक्रियायें की जा रही हैं।

(च) निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करके व्यक्तियों को नियोजित करने तथा दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार ठहराए गए निगम के प्रबंधतन्त्र के विरुद्ध मामले न्यायालयों में दायर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा डी० एस० आई० डी० सी० को समय-समय पर चेतावनी भी दी गई है। यह मामला दिल्ली प्रशासन के ध्यान में भी लाया गया है।

ट्रक मलिकों द्वारा डी० एस० आई० डी० सी० को अपेक्षित राशि का भुगतान न किया जाना

342. **श्री कमला मिश्र मधुकर**
श्री के० ए० राजन } : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी ट्रक-आप्रेटर दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को अपेक्षित 15 रुपये प्रति फेरा की दर से भुगतान नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) इस मामले के सम्बन्ध में संबंधित प्राधिकारियों से सूचना मांगी गई है। यह यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

असुरक्षित कोयला खानें

343. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्हें इस बात की जानकारी है कि कोल इंडिया लि० की अधिकांश खानें

असुरक्षित हैं और उनमें से कुछ खानों में बड़ी दुर्घटना की पूरी संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो असुरक्षित कोयला खानों में उत्पादन कब बंद किया जायेगा और अधिकारियों को केवल खानों की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए कब निर्देश दिए जाएंगे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा और कोयाली तेल शोधक कारखानों को हुई हानि

344. **श्री रशीद मसूद**
श्री बी० डी० सिंह
श्री बाल कृष्ण राम चन्द्र वासनिक } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा और कोयाली तेल शोधक कारखानों को भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1982 से इन् तेल शोधक कारखानों को औसतन कितनी मासिक हानि हो रही है ; तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने और हानि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मथुरा शोधनशाला अंशतः जनवरी, 1982 को आरंभ हुई। शोधनशाला को जनवरी से मार्च, 1982 के दौरान 14.14 करोड़ रुपये की हानि हुई क्योंकि प्रारंभिक कार्यसंचालन के दौरान क्रूड थ्रूपुट कम था। इसके अतिरिक्त शोधनशाला जबकि तीन महीने कार्यरत रही लेखा प्रथा के अनुसार पूरे वर्ष का मूल्यह्रास चार्ज किया गया। अप्रैल, 1982 के बाद से शोधनशाला लाभ अर्जित कर रही है। कोयाली शोधनशाला को कोई हानि नहीं हुई।

"दूरदर्शन बांगलार समय चान्तई" शीर्षक से समाचार

346. **श्री नारायण चौबे** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अगस्त, 1982 के आनन्द बजार पत्रिका में "दूरदर्शन बाँगलार समय चान्तई" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसका तात्पर्य दूरदर्शन द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 1982 के बंगाली कार्यक्रम में कटौती करने से है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां। लेख में राष्ट्रीय कार्यक्रम के चालू होने के बाद दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता से टेलीकास्ट होने वाले बंगला के कार्यक्रमों में कटौती करने और मुख्य अवलोकन समय के दौरान टेलीकास्ट के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को दी गई प्राथमिकता के बारे में टिप्पणियां की गई हैं।

(ख) दूरदर्शन केन्द्रों के कुल प्रेषण समय में उपयुक्त रूप से वृद्धि कर दी गई है ताकि राष्ट्रीय कार्यक्रम के चालू होने के बाद प्रादेशिक कार्यक्रमों में कोई कटौती न हो। राष्ट्रीय कार्यक्रम का समय भी रात्रि 8.00 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक से बदल कर रात्रि 8.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक कर दिया गया है ताकि 2 घन्टे के मुख्य अवलोकन समय (रात्रि 7.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक) में से 1½ घन्टे का समय प्रादेशिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध हो सके।

पत्रकारों के लिए आचार-संहिता

347. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सूरज भान } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रेस परिषद से कहा जा रहा है कि वह पत्रकारों और समाचार-पत्रों द्वारा उच्च व्यावसायिक स्तर बनाये रखने के लिए एक आचार-संहिता बनाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : जी, हां। भारतीय प्रेस परिषद से अगस्त, 1982 में यह कहा गया है कि सरकार यह महसूस करती है कि परिषद को अब, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (ख) के अन्तर्गत, समाचार-पत्रों, समाचार एजेन्सियों और पत्रकारों के मार्ग दर्शन के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए और उसको शीघ्र प्रकाशित करना चाहिए।

बंधुआ मजदूर और उनका पुनर्वास

348. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सूरज भान } : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र में बंधुआ मजदूरों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में, उनकी संख्या कम करने की दिशा में राज्यवार क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) उनका पुनर्वास करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 30.6.1982 तक राज्यों में पता लगाए गए, मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की भेज पर रख दी जाएगी।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए आंकडे (30-6-1982 तक) बंधुआ श्रमिकों की संख्या

राज्य	जिनका पता लगाया गया और जिन्हें मुक्त किया गया	जिन्हें पुनर्वासित किया गया
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	13,422	8,610
2. बिहार	7,651	4,503
3. गुजरात	63	62
4. कर्नाटक	62,699	31,189
5. केरल	8,829	452
6. मध्य प्रदेश	1,777	263
7. उड़ीसा	15,632	1,323
8. राजस्थान	6,047	6,027
9. तमिलनाडु	27,874	26,964
10. उत्तर प्रदेश	8,644	4,584
11. महाराष्ट्र	292	292
	जोड़ 1,44,930	84,269

न्यायालयों में मामलों के निपटारे के लिए दो पारियों का सुझाव

349. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए बकाया मामलों को निपटाने के लिए न्यायालयों में दो पारियों की

प्रणाली की व्यवस्था करने या न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई सुझाव आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) बकाया मामलों को निपटाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि न्यायालयों में बकाया मामलों को निपटाने के उद्देश्य से न्यायालयों में कार्यकरण की दो पारी वाली प्रणाली आरम्भ की जाए। इन पारियों में न्यायाधीशों और कर्मचारियों के अलग-अलग सैट होंगे, किन्तु एक ही भवन, फर्नीचर आदि का उपयोग किया जाएगा। यह सुझाव भी दिया गया था कि संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या परिसीमित नहीं की जानी चाहिए और सम्बन्धित मुख्य न्यायमूर्ति को इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह जितने चाहे न्यायाधीश रखे।

सरकार का विचार है कि दो पारियों वाली प्रणाली व्यावहारिक नहीं है।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अधीन विधि बनाकर नियत की है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाती है। सरकार इस सुझाव को व्यावहारिक नहीं मानती कि सम्बद्ध मुख्य न्यायमूर्तियों को जितने चाहे न्यायाधीश रखने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

(ग) बकाया मामलों को निपटाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उन्हें विवरण में बताया गया है।

विवरण

लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए किए गए उपाय

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए-धारा 100क)।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अधिनियमित की गई और उसका 1978 और 1980 में संशोधन किया गया।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31-12-1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायाधिपति सम्मिलित नहीं है।

(4) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में समय-समय पर वृद्धि की गई है।

(5) उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चैंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

(6) उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(i) कुछ मामलों को पूर्विकता दी जाती है।

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

(iii) ऐसी रिट पिटीशनों को जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैंच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं।

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया था और उसमें यह उपबन्ध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः कुछ दिनों से इस न्यायालय ने जहां कहीं भी सम्भव होता है अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरम्भ कर दिया है परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथ-पत्र और प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर देते हैं।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को जिनमें, एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है।

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना।

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना ;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना ;

(8) सरकार ने भी उन राज्यों के जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित हैं, मुख्य मंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को यह लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 224-क के अधीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार किया जाए ।

(9) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (18वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है ।

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए ;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ;

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए ; न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना ।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके ।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

350. श्री चिन्तामणि जेना
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया गया है ; और

(ख) कितने टेलीफोन केन्द्रों के आयात किये जाने की सम्भावना है और ये किन देशों से आयात किये जायेंगे तथा उन्हें कहां स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) (1) इक्तालीस—18 जापान से (चार एक्सटेंशनों सहित) 23 फ्रांस से (4 टेंडम एक्सचेंजों सहित) । इन्हें निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित करने की योजना है :—

बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता, कानपुर, अहमदाबाद, श्रीगंगानगर, मद्रास, पठानकोट और दिल्ली ।

(2) लगभग 60,000 लाइनों के कंटेनराइज्ड इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के आयात का भी एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(3) नार्वे से दो मेटा कोंटा एक्सचेंजों का आयात किया जा रहा है । इन्हें उझानी और अल्मोड़ा में स्थापित किया जाएगा ।

(4) इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग (भारत) को, 9 लाइनों की क्षमता वाले लगभग 100 रूरल इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों के लिए आदेश दिए गए हैं ।

सूक्ष्म तरंग चेनल के माध्यम से केरल में दूरदर्शन पर एशियाई खेल देखना

351. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सूक्ष्म तरंग चेनल्स का उपयोग उस राज्य में दूरदर्शन पर एशियाई खेल देखने के लिए करने की अनुमति देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम में अल्प शक्ति वाली दूरदर्शन संग्रहण-व-रिले पद्धति स्थापित की जा रही है जो अन्तर्राष्ट्रीय संचार उपग्रह (इन्टेलसेट) के माध्यम से एशियाई खेलों का दूरदर्शन कवरेज उपलब्ध करेगी।

पाकिस्तान और बंगलादेश से आए शरणार्थियों का पुनर्वास

352. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और बांगलादेश से भारत आए शरणार्थियों का विभिन्न शिविरों में पुनर्वास का कार्य पिछले दो दशकों में पूरा हुआ है;

(ख) विभिन्न राज्यों में प्रत्येक शिविर में कितने शरणार्थी हैं;

(ग) पारगमन शिविरों, फार्मों, लघु ट्रेडों, दुकानों और घरों में काम कर रहे शरणार्थियों के पुनर्वास की क्या योजना है;

(घ) इन शिविरों में, बूढ़ों, अशक्त लोगों, विधवाओं और लड़कियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) यहां आए शरणार्थियों की कुल कितनी सम्पत्ति है और उसमें पुनर्वास के लिए कितने धन का उपयोग किया गया है; और

(च) शरणार्थियों की सम्पत्ति के मामले को सुलझाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) देश के विभाजन के परिणामस्वरूप भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आए व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित कार्य क्रमश: 1958-59 और 1960-61 तक लगभग पूरा हो गया था। 1-1-1964 से 25-3-1971 तक पूर्वी पाकिस्तान से आए व्यक्तियों, जिन्हें "नए प्रवासी" कहा जाता है, के पुनर्वास का कार्य, लगभग 585 परिवारों को छोड़कर, जो विभिन्न राज्यों में कर्मी शिविरों/स्थायी दायित्व गृहों में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अधिकांशत: पूरा हो गया है। भारत-पाक संघर्ष, 1971 के परिणामस्वरूप सिंध (पाकिस्तान) से कुल 10,200 परिवार भारत आए थे और राजस्थान और उन्हें गुजरात में स्थापित 32 राहत शिविरों में प्रवेश किया था। इनमें से 6,900 परिवार बसा दिए गए हैं और उन्होंने राहत शिविर छोड़ दिया है। शेष परिवारों को बसाने के लिए राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आबंटित की गई है। इस विभाग ने इन शरणार्थियों को नए स्थलों पर जाने के लिए सवारी प्रभार, उनके अस्थायी निवास तथा 6 माह के लिए भरण-पोषण सहायता देने के लिए धन-राशि दी है।

(ख) "नए प्रवासियों" के लिए विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए सभी राहत शिविर अब बन्द कर दिए गए हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम और त्रिपुरा राज्यों में 5 स्थायी दायित्व गृह हैं जिनमें 2461 परिवार हैं। इन गृहों का प्रशासनिक नियन्त्रण संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया है। राजस्थान और गुजरात राज्यों में सिंध (पाकिस्तान) से आए शरणार्थियों के लिए स्थापित सभी शिविर बन्द कर दिए गए हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों में कर्मी शिविरों और स्थायी दायित्व गृहों में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे नए प्रवासियों के सभी 585 परिवारों को अनुमोदित पैटर्न के अनुसार 1983-84 में कृषि अथवा गैर-कृषि व्यवसायों में बसा दिए जाने की सम्भावना है। लघु व्यापार, दुकान आदि जैसे गैर-कृषि व्यवसायों में पुनर्वास के पैटर्न में पुनर्वास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 5,000 रु० तक व्यावसायिक ऋण दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में 6000 रुपये प्रति परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति परिवार 3000 रुपये (इसमें अनुदान के रूप में 700 रु० शामिल हैं) आवासीय ऋण भी दिया जाता है। व्यावसायिक स्थल के लिए ऋण की राशि शहरी क्षेत्रों में 1000 रु० तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रु० है। बसाए गए व्यक्ति निर्धारित पैमाने पर 3 माह के लिए भरण-पोषण सहायता पाने के भी पात्र हैं।

(घ) स्थायी दायित्व गृह में कोई स्थायी दायित्व वाला परिवार उस समय पुनर्वास योग्य बन जाता है जब एक स्वस्थ पुरुष बच्चा 16 वर्ष की उम्र का हो जाता है। पुनर्वास-योग्य परिवारों की जांच की जाती है और उन्हें पुनर्वर्गीकृत करके अनुमोदित पैटर्न के अनुसार लघु व्यवसाय अथवा कृषि में बसाया जाता है।

(ङ) निष्क्रान्त सम्पत्ति और पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को हस्तांतरित सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 507133 दावेदारों को मुआवजे के रूप में कुल 192 करोड़ रुपये की राशि दी गई है और पश्चिमी पाकिस्तान में उनके द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में इनके दावों का सत्यापन किया गया था। इसमें नकद रूप में भुगतान किए गए 61.95 करोड़ रु० भी शामिल है।

(च) कुछ विवादग्रस्त मामलों को छोड़कर निष्क्रान्त सम्पत्तियों से सम्बन्धित सभी मामले बहुत पहले निपटा दिए गए थे। सम्बन्धित राज्य सरकारों को अन्तिम निपटान हेतु अवशिष्ट कार्य हस्तांतरित कर दिया गया है। दिल्ली में शेष निष्क्रान्त सम्पत्तियों के निपटान के लिए कार्यवाही चल रही है।

लघु ग्रामीण इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों को शुरू करना

353. **श्री के० लकप्पा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था को फैलाने और देश में लघु ग्रामीण इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों को शुरू करने का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण कार्य के अन्तर्गत कौन-कौन से राज्य शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) प्रस्तावित कार्य के अन्तर्गत कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है; और

(घ) टेलीफोन प्रयोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की सेवाएं किस सीमा तक बेहतर होंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) सभी राज्य।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में 3500 नए टेलीफोन एक्सचेंजों की व्यवस्था करने का विचार है। इनमें से अधिकांश ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थापित होंगे। आरम्भ में स्ट्रोजर टाइप के परम्परागत छोटे स्वचल एक्सचेंजों की व्यवस्था की जाती है। 10 लाइनों की क्षमता वाले लगभग 100 नए छोटे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज और जिला मुख्यालयों में मौजूदा हस्तचल एक्सचेंजों को बदलने के लिए 200/400/600 लाइनों की क्षमता वाले 60 एक्सचेंज, जिनका आयात किया जाना है, प्रदान करने की योजना पर कार्रवाई की जा रही है। छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान 18 जिलों में समाकलित दूरसंचार परिपथ जाल का विकास करने की भी योजना है जिसका भावी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान और अधिक जिलों में उत्तरोत्तर विस्तार किया जायेगा।

(घ) चल पुर्जे न होने के कारण इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज साधारणतया अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं।

कोल इण्डिया लिमिटेड के सहायक कारखानों का विभाजन

354. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इण्डिया लिमिटेड के चार कोयला उत्पादन सहायक कारखानों को दस प्रभागों (डिवीजनों) में विभाजित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सरकार ने कोल इंडिया लि० की चार कोयला उत्पादन सहायक कम्पनियों अर्थात् भा० को० को० लि०, ई० को० लि०, से० को० लि० और वे० को० लि० को क्रमश: 2, 2, 3 और 2 प्रभागों में उपविभाजित करने का निश्चय किया है। असम में कोयला खानें कोल इंडिया लि० के सीधे नियन्त्रण में एक अलग प्रभाग के अधीन रहेंगी। प्रत्येक प्रभाग का प्रधान एक निदेशक होगा।

उमेरकोट, दण्डकारण्य में शरणार्थियों का पुनर्वास

355. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उमेरकोट में शरणार्थियों को बसे हुए 23 वर्ष हो चुके हैं फिर भी दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा उमेरकोट (उड़ीसा) में पुनर्वास योजना पूरी करने में असफल रहने और केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनर्वास योजनाएं पूरी किए बगैर ही पुनर्वास विभाग को सम्बन्धित राज्यों को सौंपने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : चूंकि उड़ीसा में दंडकारण्य परियोजना के उमेरकोट जोन में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से सम्बन्धित कार्य लगभग पूरा हो गया है, सरकार ने उमेरकोट जोन के प्रशासन को सामान्य बनाने तथा दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा उस जोन में उत्पन्न की गई परिसम्पत्तियां तथा संस्थान को उड़ीसा सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। सरकार ने इन परिसम्पत्तियों तथा संस्थानों में कमियों को पूरा करने सम्बन्धी व्यय को वहन करने तथा उस अवधि तक, जैसा भी सहमत हो, इन परिसम्पत्तियों तथा संस्थानों के बनाए रखने की सहमति दे दी है।

नागरिक अधिकारों, दहेज के मामलों और सरकारी भूमि के अनधिकृत कब्जे के लिए विशेष न्यायालय

356. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में नागरिक अधिकारों, दहेज के मामलों, सरकारी भूमि के अनधिकृत कब्जे और इसी प्रकार के अन्य किस्म के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा दिल्ली प्रशासन से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पानीपत उर्वरक संयंत्र द्वारा उत्पादन सामग्री का जलाया जाना

357. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानीपत स्थित उर्वरक संयंत्र को प्रतिवर्ष लगभग 12 करोड़ रुपये के मूल्य की उत्पादन सामग्री जलानी पड़ती है;

(ख) क्या उत्पादन सामग्री की इस भारी बरबादी को रोका जा सकता है;

(ग) क्या वोल्टेज में निरन्तर ट्रिपिंग होने के कारण संयंत्र में विस्फोट की घटना को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है; और

(घ) संयन्त्र की सुरक्षा बनाए रखने तथा भारी मात्रा में बेकार जाने वाली इस उत्पादन-सामग्री के सदुपयोग के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) पानीपत में स्थित उर्वरक संयन्त्र फीडस्टाक के रूप में फर्नेस आयल/एल० एस० एच० एस० पर आधारित है। इस प्रकार संयन्त्र में, प्लांट के रुक जाने तथा आरम्भ करने के दौरान कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। जब तक संयन्त्र उत्पादन करना प्रारम्भ न कर दे। उत्पादन प्रक्रिया की यह सामान्य विशेषता है।

(ख) इन अवधियों के दौरान कच्चे माल की खपत को न्यूनतम करने के लिए प्लांट को रोकने/आरम्भ करने की प्रक्रिया कम करने के हमेशा प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ) संयन्त्र का डिजाइन इस प्रकार का है कि इसके अन्दर ही व्यापक सुरक्षात्मक तथा बचाव उपाय किए गए हैं/पुर्जे लगाए गए हैं। जब कभी संयत्र वाल्टेज डिप्स और पावर ट्रिप्स आदि से प्रभावित होता है तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक पूर्वोपाय किए जाते हैं। संयन्त्र में पावर सप्लाई को स्थिर रखने के लिए एक कैपटिव पावर प्लांट की व्यवस्था की जा रही है तथा वोल्टेज डिप्स और पावर ट्रिप्स को न्यूनतम करने के लिए राज्य विद्युत प्राधिकारियों से परामर्श करके अनेक अल्पकालिक उपाय भी किए गए हैं। इससे संयन्त्र को रोकने/आरम्भ करने की प्रक्रिया न्यूनतम होगी और इसके फलस्वरूप इन अवधियों के दौरान कच्चे माल की खपत कम होगी।

अन्तर उद्योग तथा अन्तर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए नई राष्ट्रीय मजदूरी नीति

358. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उद्योगों तथा विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी सम्बन्धी असमानताओं को कम करने के लिए कोई नई राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सरकार ने अभी किसी राष्ट्रीय मजदूरी नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया है। इस प्रकार की नीति से सम्बन्धित मुद्दों पर 17-18 सितम्बर, 1982 को हुए राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श

किया गया था। सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि इस विषय के महत्व और उसके जटिल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की जाए, जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल हो, ताकि वह इन पेचीदा मुद्दों की शीघ्र जांच करे और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। सरकार ने इस सिफारिश को समुचित कार्यवाही हेतु नोट कर लिया है।

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर तथा मिजोरम में ऐजवाल में नए तार इन्जीनियरी डिवीजन स्थापित करना

359. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेहतर संचार व्यवस्था के लिए अवमानक आधार पर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर तथा मिजोरम में ऐजवाल में नए तार इन्जीनियरी डिवीजन स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक निर्णय किए जाने की संभावना है और बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

दूरसंचार "स्टोर्स" (स्टाल्कस सहित) की कमी

360. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्यतौर पर "स्टोर्स" और विशेष रूप से "स्टाल्कस" की कमी पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं ताकि देश में दूरसंचार कार्य के विस्तार की गति को बनाये रखा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है और "स्टाल्कस" रिलीज करने के विशेष सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 1982-83 की पहली दो तिमाहियों के दौरान देश में प्रत्येक दूरसंचार सर्किल और जिले को जारी की गई "स्टोर्स" की प्रत्येक वस्तु और लाइन सामग्री की मात्रा क्या है ; और

(ग) यह कमी किस तारीख तक पूरी हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) स्टॉक तथा यू बैंक जैसी कुछ मदों को छोड़कर 1981-82 के दौरान लाइन स्टोर की सभी मदों की सप्लाई में पर्याप्त

सुधार हुआ था। उनकी सप्लाई में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। विवरण में दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि लाइन स्टोर की मदों में निरंतर सुधार हुआ है।

विवरण

आयातित लाइन स्टोर मदों की सप्लाई की स्थिति

	1980-81	1981-82	1982-83 (31-8-82) तक
1. हैमिल्टन पोल्स	4,55,600	6,94,300	3,26,000
2. सॉकेट	1,85,500	9,43,000	4,18,000
3. ब्रैकेट्स	6,61,500	9,20,000	8,42,000
4. स्टॉल्कस	6,82,900	12,25,000	6,70,000
5. आइरन वायर मीटर में	19,800	43,500	21,550
6. एस० सी० एस० आर० वायर किलोमीटर में	24,800	92,100	36,690
7. यू० बैंक	6.10,000	6,57,500	2,45,000

हमीरपुर जिले के नादौन और सुजानपुर खण्डों के गांवों के विद्युतीकरण के लिए नई योजना

361. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमीरपुर जिले के नादौन और सुजानपुर खण्डों में विद्युतीकरण के लिए 442 गांवों में से बचे गांवों के विद्युतीकरण हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा प्रस्तुत नई लघु योजना को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना किस तारीख को प्रस्तुत की है और इस योजना को किस तारीख को स्वीकृति प्रदान की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 70,789 लाख रुपये तथा 53.887 लाख रुपए की दो स्कीमें प्रस्तुत की हैं जिनमें क्रमश: नदोव-ब्लाक में शेष 88 गांवों तथा सुजानपुर ब्लाक में शेष 61 गांवों को शामिल किया गया है। उपर्युक्त स्कीमें निगम को 26 अगस्त, 1982 को प्राप्त हुई थीं। इनकी जांच की जा रही है।

ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन

362. **श्री हरीश रावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में व्याप्त ऊर्जा स्थिति को सुधारने के बारे में केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री की अध्यक्षता में राज्यों के ऊर्जा मन्त्रियों की हाल में हुयी बैठक में किस प्रकार के उपबन्धों के प्रति सहमति हुई है ; और

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों की मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए राज्याध्यक्ष समिति की समिति के कार्यान्वयन के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) हाल ही में विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किए गए उपाय मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं।

1. निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में स्वीकार करना ;
   (1) ताप विद्युत केन्द्रों को अधिक कोयला सप्लाई करना।
   (2) विद्युत केन्द्रों के निर्बाध प्रचालन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिये भा० है० ई० लि० और इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा द्वारा विद्युत केन्द्र के प्राधिकारियों की सहायता करना।
   (3) अतिरिक्त पुर्जों की समय पर उपलब्धता।
2. विद्युत परियोजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार चालू करना।
3. विभिन्न विद्युत प्रणालियों के समेकित प्रचालन के लिए राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड स्थापित करना।
4. राज्य बिजली बोर्डों के समस्त कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उनके वित्तीय प्रबन्ध को व्यवस्थित बनाना।

(ख) राज्याध्यक्ष विद्युत समिति द्वारा राज्य बिजली बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए जो विभिन्न सिफारिशें की गई हैं उनमें से कुछेक सिफारिशों पर हाल ही में हुए विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में कुछ राज्यों ने अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है, जिसमें राज्य बिजली बोर्डों के उच्च स्तर के प्रबन्ध कार्मिकों की भर्ती, सेवाकाल तथा हटाने की अवधि भी शामिल है।

ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे राज्य और उसकी मात्रा

363. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों को ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ रहा है और राज्यवार यह कमी कितनी है ; और

(ख) ऊर्जा की कमी के क्या कारण हैं और ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए क्या संभावित उपाय हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में विद्युत् सप्लाई की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अच्छी है। कमियों में भी कमी आई है। मानसून आने के, बाद पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य आत्मनिर्भर हो गये हैं।

(ख) जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में मामूली कमी है, महाराष्ट्र, राजस्थान पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में 10% से अधिक कमी है।

कोयला श्रमिकों द्वारा एक दिन की हड़ताल का आवाह्न

364. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला श्रमिकों के संघों के प्रतिनिधियों ने समूचे देश में 8 नवम्बर को कोयला श्रमिकों द्वारा एक दिन की हड़ताल किये जाने का आवाह्न किया है ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के लिये उक्त आवाह्न के क्या कारण हैं ;

(ग) कोयला श्रमिकों की मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में एक माननीय संसद सदस्य और इण्डियन माइन वर्कर्स फेडरेशन के महा सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र में 8-11-1982 से प्रस्तावित हड़ताल का मुख्य कारण हाल ही में "कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति" के पुनर्गठन को बताया गया है। कुछ अन्य विचाराधीन मुद्दों से संबद्ध मसले भी उठाये गये हैं, जैसे सुरक्षा, कामगारों के लिये जूतों की व्यवस्था, कामगारों के लिये आवास और कल्याण सुविधाएं, आदि। सरकार ने माननीय संसद सदस्य और इण्डियन माइन वर्कर्स फेडरेशन के महा सचिव से अनुरोध किया है कि वह अपने निर्णय पर फिर विचार करें और "कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति" की अगली बैठक में भाग लें ताकि यह अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें और अगला कोयला मजदूरी समझौता समय से तैयार हो सके।

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन-पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के श्रम मन्त्रियों द्वारा बहिष्कार

365. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राज्यों के श्रम मन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले श्रम मन्त्रियों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के श्रम मन्त्रियों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था ; और

(घ) यदि हां, तो उनके बहिष्कार के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया उनकी एक सूची संलग्न है।

(ग) और (घ) यद्यपि त्रिपुरा के श्रमायुक्त से इस आशय का एक तार प्राप्त हुआ था कि श्रम मन्त्री, श्री बिरेन दत्ता सम्मेलन में शामिल होंगे, तथापि उन्होंने ऐसा नहीं किया। सम्मेलन में शामिल न होने के कारण नहीं बताए गए। पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री से प्राप्त हुए एक संदेश में यह स्पष्ट किया गया कि जिन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय किया है, पश्चिम बंगाल सरकार उन यूनियनों द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि उन्हें कार्य-सूची की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई।

विवरण

16-9-1982 को हुए श्रम मंत्री सम्मेलन में शामिल हुए व्यक्तियों की सूची

क्रमांक	नाम	राज्य
	श्रम मन्त्री	
1.	श्री तारा सिंह वियोगी	मध्य प्रदेश
2.	श्री एम० जी० रोरकर	उप-मंत्री, महाराष्ट्र
3.	श्री यू० खरबुली	मेघालय
4.	श्री जे० के० पटनायक	उड़ीसा
5.	श्री बृज सुन्दर शर्मा	राजस्थान
6.	श्री राजेश कुमार	हरियाणा
7.	श्री सी० एन० पटेल	उप-श्रम मंत्री, गुजरात
8.	श्री सनत मेहता	श्रम तथा वित्त मंत्री, गुजरात
9.	श्री जाइरेमथंगा	मिजोरम

क्रमांक	नाम	राज्य
10.	श्री ए० एन० नायक	गोवा
11.	श्री के० स्वेदासन	केरल
12.	श्री ए० बी० जकानुर	कर्नाटक
13.	श्री सुनील शास्त्री	उत्तर प्रदेश
14.	श्री एन० एच० खान	बिहार
	श्रम सचिव	
1.	श्री बी० एन० ढोंडीयाल	राजस्थान
2.	श्री डब्ल्यू० ईचाओबा सिंह	मणिपुर
3.	श्री आर० ईजंग	नागालैंड
4.	श्री के० राय	उड़ीसा
5.	श्री वी० कृष्णमूर्ति	केरल
6.	श्री जे० अलेक्जेन्डर	कर्नाटक
7.	श्री वी० नटराजन	असम सरकार के सलाहकार
8.	श्री एस० डी० श्रीवास्तव	मुख्य सचिव, दिल्ली
9.	श्री के० वी भानुजन•	गुजरात
10.	श्री आर० एन० पुरी	दिल्ली
11.	श्री जे० एम० श्रीवास्तव	अरूणाचल प्रदेश
12.	श्री दिवाकर देव	उत्तर प्रदेश
13.	श्री गंगाधर जस	तमिलनाडु
14.	श्री एल० के० मल्होत्रा	मध्य प्रदेश
15.	श्री एम० कुट्टप्पन	आयुक्त तथा सचिव, श्रम, हरियाणा
16.	श्री हरदयाल सिंह	पंजाब
	श्रमायुक्त	
1.	श्री धर्मवीर	राजस्थान
2.	श्री के• सी० महापात्र	उड़ीसा
3.	श्री डब्ल्यू० आर० लाइतफलांग	मेघालय
4.	श्री पी० जे० ओविड	अपर श्रम आयुक्त, महाराष्ट्र

क्रमांक	नाम	राज्य
5.	श्री ए० एम० निम्बलकर	महाराष्ट्र
6.	श्री यू० सी० जैन	संयुक्त श्रमायुक्त, राजस्थान
7.	श्री० सी० टी० सुकुमारन	केरल
8.	श्री बी० एन० बेटकेरूर	कर्नाटक
9.	श्री ए० एन० वर्मा	सहायक श्रमायुक्त, चंडीगढ़
10.	श्री गुरवचन सिंह	गुजरात
11.	श्री यू० विस्वास	असम
12.	श्री० वी० वी० रेड्डी	आंध्र प्रदेश
13.	श्री एस० एम० ए० रेगे	अपर श्रमायुक्त, आंध्र प्रदेश
14.	श्री के० ए० सेठ	अपर श्रमायुक्त, गुजरात
15.	श्री बी० डी० महेश्वरी	उत्तर प्रदेश
16.	श्री एम० वाई० थलालिगम	तमिलनाडु
17.	श्री वी० के० मजोतरा	मध्य प्रदेश
18.	श्री वी० एस० चौधरी	उप-श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश
19.	श्री वी० एस० चौधरी	हरियाणा
20.	श्री एस० आर० बंगर	पंजाब
21.	ए० एस० तालबगर	उप-श्रमायुक्त, पंजाब

नकली औषधियों के उत्पादन की जांच के लिए बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड द्वारा गठित समिति

366. **श्री नारायण चौबे**
श्री कमला मिश्र मधुकर
श्री विजय कुमार यादव } : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड के प्रबन्धकों ने इस इकाई में नकली और घटिया किस्म की औषधियों के निर्माण सम्बन्धी मामलों की जांच के लिए एक चार सदस्यीय समिति गठित की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) एम्पीसिलिन ड्राई सिरप जैसे कुछ मदों की गुणवत्ता के बारे में कम्पनी को जुलाई 1982 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और इन शिकायतों की जांच करने तथा जहां आवश्यक हो गुण नियंत्रण पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी।

(ग) और (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसकी जांच कर रही है।

सितम्बर, 1982 में दिल्ली में हुए राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें

367. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री उत्तम भाई एच० पटेल
श्री अजित कुमार मेहता
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव } : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 17 सितम्बर, और 18 सितम्बर, 1982 को एक राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, इस सम्मेलन में किन-किन संगठनों (उनके प्रतिनिधियों के नाम सहित) ने भाग लिया था ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमे श्रमिकों और नियोजकों के उन संगठनों का उल्लेख है जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया।

विवरण

1. श्री गोपेश्वर	इण्टक	प्रतिनिधि
2. श्री कांति मेहता	यथोक्त	प्रतिनिधि
3. श्री जी० रामानुजम	यथोक्त	प्रतिनिधि
4. श्री एन० के० भट्ट	यथोक्त	प्रतिनिधि
5. श्री एन० एम० थापा	यथोक्त	सलाहकार

6. श्री बी० चौधरी	इण्टक	सलाहकार
7. श्री एस० एन० राव	यथोक्त	सलाहकार
8. श्री लक्ष्मी नारायण	यथोक्त	सलाहकार
	एच० एम० एस० (के०)	
9. श्री एस० आर० कुलकर्णी	एच० एम० एस० (के०)	प्रतिनिधि
10. श्री ए० सुब्रामान्यम	एच० एम० एस० (के०)	सलाहकार
	एन० एफ० आई० टी० यू०	
11. श्री नारेन सैन	एन० एफ० आई० टी० यू०	प्रतिनिधि
12. श्री पी० एन० भार्गव	यथोक्त	सलाहकर
	विशिष्ट आमंत्रित व्यक्ति	
13. श्री ए० एन० चुघ	एन० एल० ओ०	प्रतिनिधि
14. श्री डी० के० पटेल	एन० एल० ओ०	सलाहकार
	भारतीय नियोजक महा संघ	
1. श्री नवल एच० टाटा	ई० एफ० आई०	प्रतिनिधि
2. श्री डी० डी० पुरी	ई० एफ० आई०	प्रतिनिधि
3. श्री आर० एम० भंडारी	ई० एफ० आई०	प्रतिनिधि
4. श्री एम० घोष	ई० एफ० आई०	सलाहकार
5. श्री आर० एल० एन० विजया नगर	ई० एफ० आई०	सलाहकार
6. श्री एन० एम० वकील	ई० एफ० आई०	सलाहकार
	अखिल भारतीय नियोजक संगठन	
7. श्री आई० पी० आनन्द	ए० आई० ओ० ई०	प्रतिनिधि
8. श्री सुधीर जालन	यथोक्त	प्रतिनिधि
9. श्री के० के० पोद्दार	यथोक्त	प्रतिनिधि
10 श्री वाई० के० मोदी	यथोक्त	सलाहकार
11. श्री बी० एम० सेठी	यथोक्त	सलाहकार
12. श्री एम० सैन	यथोक्त	सलाहकार

अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन

13. श्री आई० पी० पोद्दार	ए० आई० एम० ओ०	प्रतिनिधि
14. श्री आर० विश्वनाथन	यथोक्त	सलाहकार

स्कोप

15. श्री बी० एल० वडेरा	स्कोप	प्रतिनिधि
16. श्री एम० के० गर्ग	स्कोप	प्रतिनिधि
17. श्री एम० आर० आर० नायर	स्कोप	प्रतिनिधि

मझोले और छोटे समाचारपत्रों को बढ़े हुए डाक-शुल्क से छूट

368. श्री सुधीर कुमार गिरी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मझोले और छोटे समाचार पत्रों को बढ़े हुए डाक शुल्क से छूट देने के प्रयत्न किए जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि मझोले तथा छोटे समाचार पत्रों को पहले से ही बहुत अधिक छूट दी गई है अत: इसमें और छूट दे पाना संभव नहीं है।

बम्बई में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल

369. श्री के० टी० कोसलराम
श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय } : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल को समाप्त कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) पिछले नौ महीनों से, जब से कि कपड़ा मजदूरों की हड़ताल चल रही है, निर्माण तथा गैर-निर्माण इकाइयों में कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई है तथा इस अवधि के दौरान हुई उत्पादन हानि का मूल्य कितना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) महाराष्ट्र

सरकार यह बात बार-बार बतला चुकी है कि उद्योग में सामान्य स्थिति के बहाल होने पर श्रमिकों की वैध मांगों का कानूनी तौर से गठित तन्त्र के माध्यम से हल निकाला जाएगा। उन्होंने श्रमिकों से काम पर लौट आने की अपील की है। भारत सरकार राज्य सरकार के इस मत से सहमत है। श्रमिकों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बम्बई सूती कपड़ा उद्योग की कुछ विशिष्ट समस्याओं की जांच करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित करने का निर्णय किया है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ मकान किराया भत्ते, सवारी भत्ते और अतिरिक्त मजदूरी सम्बन्धी श्रमिकों की मांगों के सम्बन्ध में रिपोर्ट देगी। मकान किराये भत्ते और सवारी भत्ते के सम्बन्ध में उक्त समिति की सिफारिशों के प्राप्ति तक सरकार ने श्रमिकों को काम पर लौट आने की अपील करते हुए सभी कर्मकारों को समंजन की शर्त के अध्यधीन 30 रुपये प्रति माह की तदर्थ राशि देना भी स्वीकार किया है तथा 650 रुपये की पेशगी देना भी मन्जूर किया गया है, जिसे बाद में वसूल कर लिया जाएगा।

(ख) बम्बई के कपड़ा उद्योग की यह हड़ताल, जो अभी जारी है, 18 जनवरी, 1982 से शुरू हुई थी। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार जनवरी-जून, 1982 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 396 लाख श्रम दिनों की हानि हुई। श्रम ब्यूरो, शिमला में प्राप्त हुई सूचना के आधार पर इसी अवधि के दौरान महाराष्ट्र में हुई उत्पादन-हानि का मूल्य 38.01 करोड़ रुपये था।

तापीय विद्युत केन्द्रों को कोयले की अपर्याप्त ढुलाई के बारे में शिकायतें

370. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनेक राज्यों से शिकायत मिली है कि तापीय केन्द्रों को कोयले की ढुलाई अपर्याप्त है और इसमें राख की मात्रा बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और क्या कोयले की अपर्याप्त ढुलाई और उसमें राख की अधिक मात्रा के कारण इन राज्यों में विद्युत उत्पादन कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है और इस सम्बन्ध में तापीय विद्युत केन्द्रों की समस्या का समाधान करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोयले में राख की अधिक मात्रा होना तथा विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की ढुलाई की समस्याओं के बारे में सरकार को जानकारी है। पिछले एक वर्ष से ताप विद्युत केन्द्रों में कोयला सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है। वर्ष 1981-82 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा 44 मिलियन टन

कोयला प्राप्त किया गया तथा 43.5 मिलियन टन कोयला उपभोग में लाया गया इस प्रकार वर्ष 1980-81 की तुलना में वृद्धि क्रमशः 20.24 प्रतिशत तथा 18.24 प्रतिशत है। अप्रैल-अगस्त, 1982 की अवधि के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयले की प्राप्ति में और वृद्धि होकर 13.19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

पिछले एक वर्ष के दौरान कुछ विद्युत केन्द्रों में राख की अधिक मात्रा वाला कोयला प्राप्त हुआ। तथापि ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए गए कोयले में राख की अधिक मात्रा के कारण उत्पादन में हुई हानि की मात्रा बता पाना कठिन है।

विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की गुणवत्ता और मात्रा में सतत मानीटरिंग की जा रही है।

श्री मोहम्मद, फजल, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में भारत सरकार ने हाल ही में एक समिति का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ ताप विद्युत केन्द्रों की गुणवत्ता के आधार पर आवश्यकताओं के साथ, सुधार के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश करेगी।

कोल इंडिया में खनन इंजीनियरों की भारी कमी

371. **श्री गुफरान आजम**
कुमारी पुष्पा देवी सिंह } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड खनन इंजीनियरों की भारी कमी का सामना कर रहा है;

(ख) क्या इस प्रकार की भारी कमियों को दूर करने हेतु एक उच्चस्तरीय तकनीकी दल इसके उपायों की जांच कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो यह तकनीकी दल सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अखबारी कागज के आबंटन की नीति

372. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखबारी कागज के आबंटन की नीति सम्बन्धी निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह विलम्ब अखबारी कागज की कमी होने की आशंका के कारण है ;

(ग) क्या देश में अखबारी कागज का उत्पादन आशा के अनुरूप नहीं हो रहा है ;

(घ) चालू वर्ष के लिए अखबारी कागज के उत्पादन का लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन सम्बन्धी स्थिति क्या है ; और

(ङ) मांग को पूरा करने के लिए अखबारी कागज की कितनी मात्रा आयात करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) चालू वर्ष के लिए अखबारी कागज आबंटन की नीति की घोषणा 30-9-1982 को की जा चुकी है। नीति की घोषणा में देरी अखबारी कागज की कमी के बारे में किसी भी आशंका से किसी भी तरह से जुड़ी नहीं थी।

(ग) 1982-83 के दौरान 1.5 लाख मीट्रिक टन देशी अखबारी कागज के अनुमानित उत्पादन की तुलना में लगभग 15,000 मीट्रिक टन की कमी का अनुमान है।

(घ) वर्ष 1982-83 के प्रथम पांच मास के दौरान, 56,000 मीट्रिक टन (संशोधित अनुमान के अनुसार) के देशी उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन 42,698 मीट्रिक टन था।

(ङ) इस लाइसेंसिंग वर्ष की शेष अवधि के दौरान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज आयात किया जायेगा। अखबारी कागज की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से अखबारी कागज की स्थिति का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है।

अधिक विद्युत उत्पादन की योजनाओं में ढील

373. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्यों द्वारा अधिक विद्युत उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत ढील दी गई है और इसके परिणामस्वरूप भारी विद्युत उद्योग में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अधिक विद्युत उत्पादन की योजनाओं के क्रियान्वयन में इतनी अधिक ढील देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1979-80 की तुलना में कमियां कम हैं। तथापि 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान 2687 मेगावाट और 3212 मेगावाट कार्यक्रम की तुलना में प्राप्ति क्रमशः 1823 मेगावाट तथा 2175 मेगावाट हुई थी। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में कमी रहने के परिणामस्वरूप देश में भारी विद्युत उद्योग मे कोई संकट ध्यान में नहीं आया है।

(ख) विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में कमियां निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक कारण होने से आती हैं—

भूमि अधिग्रहण में देरी, अपर्याप्त स्थल अन्वेषण, परियोजना के लिए इंजीनियरी विशिष्टियों को अन्तिम रूप देने में देरी, आनुषंगिक उपस्कर के लिए आर्डर देने ठेके देने में देरी विभिन्न सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा उपस्कर की सप्लाई में देरी, सिविल कार्यों में देरी तथा संसाधनों की कमी।

(ग) परियोजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रकार परियोजनाओं को मानीटरिंग को पर्याप्त रूप से तेज कर दिया गया है। परियोजनाओं के विभिन्न कार्यकलापों की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निर्माण मानीटरिंग निदेशालयों की स्थापना की गई है। परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं, निर्माताओं, निर्माण एजेन्सियों आदि के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में समन्वय तथा समीक्षा बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। उपचारी कार्रवाई के लिए सभी बाधाओं पर काफी ध्यान दिया जाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं और बाधाओं को दूर करने के लिए मामले को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं। उचित कार्रवाई के लिए विद्युत विभाग में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं। ऊर्जा मंत्री के स्तर पर राज्यों के विद्युत मंत्रियों की राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें भी की जाती हैं जिनमें निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को चालू करने के बारे में उपचारी उपाय करने के लिए समीक्षा की जाती है। परियोजना स्तर पर प्रबन्ध में सुधार करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को 1980 में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्य-कलापों पर नजर रखने के लिये विभिन्न तार-जाल और फार्मेट शामिल किए गए हैं। कारगर समन्वय और उपस्कर तथा सामग्री के मुख्य सप्लाईकर्त्ता नामशः भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड तथा आई० एल० के० से समय पर प्राप्ति तथा परियोजना प्राधिकारियों तथा अन्य सप्लाईकर्त्ताओं से अन्य विभिन्न सामग्रियों की उपलब्धता के लिए हारमोनोग्राम की एक पद्धति इस वर्ष से लागू की गई है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भविष्य में चालू करने के कार्यक्रम का समन्वय इन हारमोनोग्राम्स के अनुसार किया जाएगा।

तालचर उर्वरक परियोजना के कोयला गैसीकरण संयंत्र में मृत्यु

374. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तालचर उर्वरक परियोजना के कोयला गैसीकरण संयंत्र के भीतर वाल्व के रिसने से 14 अगस्त, 1982 को दो व्यक्तियों, एक श्रमिक और एक परियोजना इंजीनियर की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कार्बन-मोनोक्साइड के रिसने के क्या कारण हैं ; उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटना फिर न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। जब तलचर संयंत्र के कोल गैसीफिकेशन सेक्शन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिसिपेटर को इसकी निष्कासन नली के माध्यम से साफ किया जा रहा था तब एक ठेका श्रमिक तथा एक परियोजना अभियन्ता गैस के अभिमुखीकरण के कारण मर गये। यह दुर्घटना उस समय हुई जबकि इलेक्ट्रोस्ट्रेटिक प्रिसिपिटेटर की निष्कासन नली को खोला जा रहा था। इस प्रकार के कारणों की जांच करने के लिए गठित की गई जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय उर्वरक निगम आवश्यक उपचारी उपाय करेगा।

(ग) ठेका श्रमिक के परिवार को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन ठेकेदार द्वारा 18,000/- रुपये की राशि देय है।

परियोजना अभियन्ता का परिवार सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 1,20,000/- रु० की राशि पाने का हकदार है तथा ग्रेच्युटी, भविष्य निधि की बकाया राशियां और छुट्टी के बदले नकदी पाने का भी हकदार है।

यह सुनिश्चित करने के लिए निगम ने उपाय किए हैं कि ये दावे शीघ्र तय किए जाएं।

तालचर और रामगुंडम उर्वरक संयंत्रों को घाटा

375. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तालचर और रामगुंडम में दो उर्वरक संयंत्रों को प्रतिवर्ष 73 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन्हें सक्षम बनाने को लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) तालचर और रामगुंडम स्थित कोयले पर आधारित दो उर्वरक प्लांटों को वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान निम्नलिखित हानियां उठानी पड़ी :—

रु० लाखों में

	1980-81	1981-82
तालचर	(—) 1935	(—) 3741
रामगुंडम	(—) 1492	(—) 2599

(ख) उपकरणों में बार-बार खराबी, कोयले की घटिया किस्म, अपर्याप्त/अनियमित बिजली सप्लाई, हानि के प्रमुख कारण थे।

(ग) कमियों का पता लगाने और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिये इन प्लांटों का सम्पूर्ण सर्वेक्षण करने हेतु एक तकनीकी अध्ययन दल नियुक्त किया गया था। समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है।

"टोपा" खान दुर्घटना के कारण

376. डा० ए० यू० आजमी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 16 जुलाई, 1982 को "टोपा" खान दुर्घटना में 16 व्यक्ति मरे और यह दुर्घटना महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा निर्धारित खान सुरक्षा नियमों को सरासर उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कोल इन्डिया लिमिटेड छत को रोकने के सहारों के लिए लकड़ी के टेक खरीदने हेतु करोड़ों रुपये खर्च करता है परन्तु दुर्घटना स्थल पर एक भी टेक नहीं पाई गई ; और

(ग) यदि हां, तो यह लकड़ी कहां जाती है, सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं किया जाता, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०/कोल इण्डिया लि० के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक घरेलू जांच बोर्ड ने पाया है कि दुर्घटना खान के गोफे एरिया में कोयला सीम के बिल्कुल ऊपर वाली 2 इंच से 10 इंच तक की मोटाई की शेल स्पुट गिरने के कारण हुई थी।

. यहां उल्लेखनीय है कि सरकार ने उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त या कार्यरत जज की अध्यक्षता में खान अधिनियम के अधीन एक जांच अदालत बैठाने का निर्णय किया है। दुर्घटना का कारण और इस मामले में अधिकारियों और स्टाफ की जिम्मेदारी का पता जांच अदालत द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के बाद ही लग सकेगा।

चन्द्रपुर विद्युत परियोजना

377. डा० ए० यू० आजमी
श्री राजेन्द्र कुमार सिंह } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने चन्द्रपुर विद्युत योजना 1981 में स्वीकृत की थी और सम्बन्धित राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अभी तक किसी भी प्रकार की निविदा जारी नहीं की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीस की ऐसी फर्म के साथ एक व्यापार को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है, जिसने केन्द्र द्वारा परियोजना को स्वीकृत किये जाने से पूर्व परियोजना के लिए अनपेक्षित कोटेशन दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो सार्वभौमिक निविदायें आमन्त्रित किये बिना इस व्यापार को अन्तिम रूप दिये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र में 500 मेगावाट के एक यूनिट (यूनिट सं० 5) के विस्तार से सम्बन्धित महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड का प्रस्ताव जून, 1981 में स्वीकृत किया गया था। यूनिट सं० 6 के लिए निवेश सम्बन्धी स्वीकृति अभी की जानी है। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को इस परियोजना के लिए उपस्कर सप्लाई करने के लिए, (1) स्विस पश्चिम जर्मनी कंसोरिटियम ; (2) पश्चिमी जर्मनी-इटली कंसोरिटियम तथा (3) भारत हैवी इले० लि० से बजटीय प्रस्ताव, के तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्विटजरलैण्ड और पश्चिम जर्मनी उत्पादकों के कंसोरिटियम से 500-500 मेगावाट की दो यूनिटों को आयात करने का एक प्रस्ताव भेजा था। इस परियोजना के लिए उपस्कर आयात करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

"पोर्टो नोवो स्ट्रक्चर" से तेल तथा गैस

378. श्री राजेश कुमार सिंह
श्री सुभाष यादव
स्वामी इन्द्रवेश. } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 सितम्बर, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित

इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पांडिचेरी समुद्रतट से 40 कि०मी० दूर "पोर्टो नोवो स्ट्रक्चर" में पहली बार तेल तथा गैस का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कुएं से तेल तथा गैस की कुल कितनी मात्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ; और

(घ) इस कुएं में कब तक कार्य शुरू होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पोर्टो नोवा संरचना पर पी० वाई०-1-4 कूप में, जो कि इस समय परीक्षणाधीन है, आरंभिक परीक्षण पर 1445-48 मीटर के अन्तराल में चूना-पत्थर के एक शैल समूह में तेल तथा गैस की उपस्थिति का पता चला था। तथापि, निरन्तर परीक्षण किये जाने पर संरचना से तेल तथा गैस का बहाव निरन्तर नहीं रहा है।

(ग) और (घ) अगर कुछ गैस या तेल उपलब्ध होता है उसकी कुल मात्रा तथा लगने वाले समय इत्यादि का पता केवल अन्वेषण के पश्चात ही चल सकता है जो कि आजकल चल रहा है।

दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया जाना

379. प्रो० रूप चन्द पाल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस परिवर्तन पर दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस नई समय सारणी के कारण क्षेत्रीय कार्यक्रमों को भारी धक्का लगा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियां सामान्य दर्शकों, प्रेस, लोगों के प्रतिनिधियों, आदि से प्राप्त हुई हैं। कुल मिला कर टिप्पणियां राष्ट्रीय कार्यक्रम की गुणवत्ता और विषय, प्रादेशिक केन्द्रों के कार्यक्रम बनाम इसके समय, राष्ट्रीय कार्यक्रम की भाषायी रचना, फीचर फिल्मों के समय, इत्यादि से सम्बन्धित हैं।

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय कार्यक्रम का समय रात्रि 8.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक निश्चित किया गया है ताकि दो घण्टे के सब से अधिक देखे जाने वाले समय (रात्रि 7.00

बजे से रात्रि 9.00 बजे तक) में से डेढ़ घण्टा प्रादेशिक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध हो सके। दूरदर्शन केन्द्रों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने प्रेषण समय में उपयुक्त रूप से वृद्धि करें ताकि प्रादेशिक कार्यक्रमों के कुल टेलीकास्ट समय में कोई कटौती न हो ।

प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा

380. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुछ भागों में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रहार के वर्तमान विवाद को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये विशेष उपाय करने की व्यापक मांग की ओर दिलाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार को कभी-कभी ऐसी रिपोर्टें मिलती रहती हैं जिनमें देश के कतिपय भागों में प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रहारों का आरोप होता है और इसकी सुरक्षा के लिए उपाय सुझाए गए होते हैं। हमारे जैसे देश के संवर्धन और विकास में मुक्त जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उससे सरकार पूर्णतया सजग है। सरकार यह महसूस करती है कि मौजूदा संवैधानिक तथा कानूनी उपाय तथा अन्य बातों के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता का परिरक्षण करने के उद्देश्य से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अधीन स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय, भारतीय प्रेस परिषद सहित संस्थान प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं ।

ईटों के भट्टों और पत्थर खानों में बंधुआ मजदूर

381. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्थरों की खानों, ईंटों के भट्टों, निर्माण कार्यों आदि के बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने और पुनर्वास के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे तत्काल और प्रभावी कदम उठाएं जिनमें बंधुआ श्रमिकों को शीघ्र मुक्त करने और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए प्रभाव्य क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण करना शामिल है। हाल ही में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-व-कश्मीर और त्रिपुरा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पत्थर खदानों और ईट भट्टों में प्रायोगिक अध्ययन करें ताकि इन उद्योगों के रोजगारों में बंधुआ श्रमिकों की संख्या का पता लगाया जा सके और बंधुआ श्रमिकों को, जहां कहीं उनका पता लगाया गया है, मुक्त करने तथा पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाएं ।

राजस्थान व बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधाएं

382. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में ऐसे, अनेक गांव हैं जहां थाना मुख्यालय तो हैं परन्तु सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र या टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले में इन स्थानों पर कानून और व्यवस्था की मशीनरी में सुधार करने की दृष्टि से उनको प्राथमिकता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो वहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र या टेलीफोन एक्सचेंज सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) पुलिस स्टेशन वाले उन स्थानों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घर की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है जो विभाग की वर्तमान नीति के अनुसार इस सुविधा के पात्र हैं। किसी एक स्थान पर टेलीफोन के लिये रजिस्टर्ड मांग के आधार पर टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाते हैं बशर्ते कि प्रस्ताव तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों।

(ग) सम्पूर्ण भंडार प्राप्त हो जाने पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

भारत में पचास लाख दास

383. **ई० बालानन्दन :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 50 लाख व्यक्ति दास हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पोर्टोन्होवो से तट दूर संरचना के कुएं में से तेल और गैस का निकास

384. **श्री ई० बाला नन्दन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पोर्टोन्होवो से तट दूर संरचना में के चौथे कुएं से तेल और गैस की निकाल की दर क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : पोर्टो नोवो संरचना पर पी० वाई०-1-4 कूप में इस समय परीक्षण चल रहा है, 1445-48 मीटर के अन्तराल में चूना-पत्थर शैल समूह से प्रारम्भिक परीक्षण पर तेल एवं गैस की विद्यमानता का पता लगा। तथापि, निरन्तर परीक्षण करने पर संरचना से कोई निरन्तर प्रवाह नहीं देखा गया।

दिल्ली टेलीफोन विभाग में दैनिक वेतन पर कार्यरत टेलीफोन आपरेटर

385. श्री सुभाष यादव
स्वामी इन्द्रवेश } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक लड़किया दिल्ली के टेलीफोन विभाग में टेलीफोन आपरेटर के पद पर लगातार गत 2-3 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवाओं को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी टेलीफोन आपरेटरों को नियमित करने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई हाई के कुएं में आग

386. श्री अनन्त रामुलुमल्लु
श्री कृपा सिंधु भोई
श्री बापू साहिब परूलेकर
श्री मोती भाई आर० चौधरी
डा० बसन्त कुमार पण्डित } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई में 30 जुलाई को एस० जे० 5 कुएं के फट जाने से 2 अगस्त, 1982 को आग भड़क गयी जिसे 11 सितम्बर, 1982 को बन्द किया गया; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित नुकसान और अत्याधिक खराब मौसम में उस पर नियन्त्रण पाने के लिये किये गये उत्साहजनक प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। कूप में 2 अगस्त, 1982 को आग लग गयी थी परन्तु इस पर 12 सितम्बर, 1982 को ढक्कन लगा दिया गया था। अनुमानित हानि इत्यादि के ब्यौरे, सर्वेक्षण, जो कि किया जा रहा है, की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही पता लगेगा।

बम्बई हाई में आग लगने का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विस्तार क्रम पर प्रभाव

387. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में आग का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने उत्पादन में विस्तार और आत्म निर्भरता कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) सरकार/तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कुल कितनी वित्तीय हानि हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यक्रम चालू रखने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आग लगने के बावजूद तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को वर्ष 1982-83 में तेल उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति की आशा है। इस वर्ष के अन्त तक एस० जे० प्लेटफार्म से उत्पादन आरम्भ किये जाने के लिये कार्यवाही भी की जा रही है।

(ख) इसकी जानकारी सर्वेक्षण, जो कि किये जा रहे हैं, के पूरे हो जाने के बाद होगी।

(ग) कार्यक्रम को चालू करने के लिये किये जाने वाले उपायों में (I) सागर विकास की प्रतिस्थापना करने के लिए दूसरे जेक-अप रिग का किराये पर लिया जाना और (II) एस० जे० प्लेटफार्म के कूपों को पूरा करने के लिए प्रचलित रिगों का पुनः लगाया जाना, ताकि इस वर्ष के अन्त तक इस प्लेटफार्म से उत्पादन हो सके, शामिल है।

राष्ट्रीय वेतन नीति

388. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करने और उसके अन्तर्गत उत्पादकता को मजदूरी से जोड़ने में कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : राष्ट्रीय मजदूरी नीति से सम्बन्धित कुछ मदों पर 17-18 सितम्बर, 1982 को हुए राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में विचार किया गया था। इस सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि इस विषय की महत्ता और इसके जटिल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञों की एक त्रिपक्षीय समिति गठित की जाये जो जटिल मसलों की जांच करे और शीघ्र अपनी सिफारिशें करें। सरकार ने इस सिफारिश को उपयुक्त कार्यवाही के लिए नोट कर लिया है।

बम्बई, हाई कुओं में हुए विनाश के कारण

389. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस प्रकार की गलती (तोड़-फोड़, लापरवाही, जल्दबाजी, गलत अनुमान अथवा कुछ अन्य) के कारण बम्बई हाई में विनाश हुआ;

(ख) किन परिस्थितियों के कारण, सामूहिक रूप से गलती हुई; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं का मुकाबला करने के लिए यदि विशेष जानकारी का अभाव है अथवा पूरी तैयारी नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति एस० जे० कूप प्लेटफार्म में हुए धमाके के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है।

धमाके के कारणों इत्यादि का पता तभी चलेगा जब समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

इंडियन आयल कम्पनी द्वारा सामान खरीदने के लिए विदेश फर्मों से समझौता

390. श्री फूल चन्द्र वर्मा
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्री रतन सिंह राजदा } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयल कम्पनी ने कुछ माल की खरीद के लिए 6 फरवरी, 1980 को दो विदेशी फर्मों के साथ, समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्मों के नाम क्या हैं और कौन सा सामान खरीदा जाना है तथा कितना; और

(ग) उन फर्मों के साथ हुए समझौतों में क्या अन्तर है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार इंडियन आयल कारपोरेशन ने 50,000 एम० टी० एच० एस० डी० की सप्लाई करने के लिए इन्टरपिट्रोल के साथ और 150,000 एम० टी० एच० एस० डी० और 50,000 एम० टी० एल० डी० ओ० की सप्लाई करने के लिए कुवैत नैशनल पेट्रोलियम कारपोरेशन के साथ किये गये समझौतों को अन्तिम रूप 6 फरवरी, 1980 को दिया गया था। जबकि पहला एक स्थल समझौता था, दूसरा एक दीर्घ अवधि समझौता था जिसमें मार्च से दिसम्बर, 1980 तक डिलीवरी करनी थी।

दिल्ली की बिजली सप्लाई सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन से विशेष दल

391. श्री फूल चन्द वर्मा
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्री रतनसिंह राजदा } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की बिजली सप्लाई सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन से एक विशेषज्ञ दल को आमन्त्रित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल, यू० के० के० दो इंजीनियरों की सेवाएं उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड में बार-बार होने वाली ग्रिड गड़बड़ियों के कारणों की जांच करने के लिए तथा ग्रिड की गड़बड़ियों से बचाव करने के लिये सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने के बारे में सुझाव देने के लिये प्राप्त की गई थीं। दिल्ली शहर की वितरण प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये विदेशी परामर्शदाता शीघ्र ही आ रहे हैं।

(ख) विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशें अल्पकालिक, मध्यम कालिक और दीर्घकालिक उपायों के रूप में हैं। विशेषज्ञों द्वारा अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा प्रणाली में सुधार, दिल्ली की प्रणाली में 400 के० वी० स्तर को आरंभ करना, पारेषण लाइनों के अनुरक्षण में माडल तकनीकें शुरू करना आदि कुछ उपाय सुझाए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है और कार्यान्वित भी किये जा रहे हैं।

बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की जांच के लिए एक पैनल का गठन

392. **श्री निरेन घोष** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया गया है ;

(ख) क्या राज्यों के बिजली मंत्रियों ने घटिया किस्म के कोयले की बार-बार सप्लाई, जिससे बिजली के उत्पादन में बाधा पड़ती है, के बारे में अनेक शिकायतें की हैं ;

(ग) यह कब से चल रहा है ;

(घ) क्या ओफीसर्स एसोसिएशन आफ कोल माईन्स ने पैनल के लोगों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किन आधारों पर ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) कोयला विभाग द्वारा 30 अगस्त, 1982 को योजना आयोग के सदस्य श्री मोहम्मद फजल, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह समिति ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की समस्या का अध्ययन करेगी।

(ख) और (ग) ताप बिजली संयंत्रों को सप्लाई किए गये कोयले की गुणवत्ता के बारे में समय-समय पर शिकायतें की गई हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारों की हड़ताल

393. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 सितम्बर, 1982 को देश में अखबारों की हड़ताल थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस दिन कौन-कौन से अखबार प्रकाशित हुए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, अनेक समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ने "बिहार प्रेस विधेयक" को वापस लेने पर दबाव डालते हुए 3 सितम्बर, 1982 को हड़ताल की थी।

(ग) नामों को संकलित नहीं किया गया है।

कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रम में कटौती

394. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली केन्द्र के 70 प्रतिशत कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रमों में अत्यधिक कटौती की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू हो जाने के बाद, दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता का प्रेषण समय उपयुक्त रूप से बढ़ा दिया गया है ताकि प्रादेशिक भाषा के कार्यक्रम में कोई कटौती न हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास कालोनियों में बिजली की कमी

395. **श्री राम लाल राही :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में बिजली की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन निर्धन लोगों की आवश्यकता के अनुरूप इन कालोनियों को बिजली सप्लाई करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले वर्षों की तुलना में दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में इस वर्ष विद्युत सप्लाई की स्थिति काफी अच्छी है। पुनर्वास कालोनियों में प्रत्याशी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत की कमी नहीं है।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 3.7.82 को जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को अपनी कालोनियों में बिजली का घरेलू कनेक्शन लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना पड़ता था। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 14.9.82 को जारी किए गए अद्यतन अनुदेशों के अनुसार पुनर्वास कालोनियों के उपभोक्ताओं को बिजली का घरेलू कनेक्शन लेने के लिए, "अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है।

आन्ध्र प्रदेश में काकीनाड तथा उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना किया जाना

396. **श्री राम लाख राही :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिला में काकीनाड स्थान पर एक उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत एवं उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा क्या उत्तर प्रदेश में भी एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जायेगी, और

(ग) यदि हां, तो किस स्थान पर तथा तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) लगभग 83.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रतिवर्ष 3 लाख टन डाईअमोनियम फास्फेट उर्वरक के उत्पादन के लिए आन्ध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में तहसील काकीनाडा में एक नए उपक्रम की स्थापना के लिए मैसर्स गोदावरी फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि० को हाल ही में एक आशय पत्र जारी किया गया है।

यह भी निर्णय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित चार नाईट्रोजन-युक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाए, जो बरबाला (बदायूं जिला) औनला (बरेली जिला), शाहजहांपुर (शाहजहांपुर जिला) और जगदीशपुर (सुलतानपुर जिला) में एक-एक स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन के लिए अभिकरण, कार्यान्वयन की समय सूची, पूंजी लागत, आदि जैसे ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

397. **श्री राम लाल राही :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) शाहजहांपुर जिले में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना छठी योजना की अनुमोदित परियोजनाओं में शामिल नहीं है। शाहजहांपुर जिले सहित अभी तक कवर न हुए क्षेत्रों के लिये दूरदर्शन सेवा का उपलब्ध करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

तेल/गैस के नए स्त्रोतों का पाया जाना

398. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत छः महीनों के दौरान किन-किन और नए स्थानों पर तेल और गैस का पता लगा है ;

(ख) व्यावसयिक दृष्टि से इन नये स्त्रोतों की स्थिति क्या है ; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान बम्बई-हाई में किसी न किसी कारण से व्यर्थ गई उस गैस का क्या मूल्य है, जिसका उपयोग नहीं किया जा सका। जिसे प्रयोग में नही लाया जा सका ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पिछले छः महीने (अप्रैल से सितम्बर, 1982) के दौरान निम्नलिखित चार स्थानों पर तेल पाया गया था। प्रत्येक स्थल के सामने उसकी व्यापारिक व्यवहार्यता भी दर्शायी गयी है ;

(एक) असम में ओराजन संरचना	व्यापारिक व्यवहार्यता सिद्ध हो चुकी है क्योंकि यह प्रमाणित संरचनाएं हैं व्यापारिक व्यवहार्यता का पता लगाने से पूर्व वहां और अधिक विस्तृत परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है।
(दो) असम में मोरान खनन पट्टे का क्षेत्र	
(तीन) गुजरात में अगनेज	
(चार) पोर्टो नोवो संरचना (अपतटीय)	

(ग) चालू वर्ष 1982-83 (अगस्त, 1982 तक) में बम्बई हाई से कुल 825.946 एम० एम० एम०3 गैस का उपयोग किया गया था। इसमें से 391.656 एम० एम० एम०3 गैस का उपयोग किया गया था। बाकी 434.290 एम० एम० एम०3 गैस जला दी गयी थी।

लखनऊ स्थित समाचार-पत्र संगठनों द्वारा पालेकर पंचाट का क्रियान्वयन

399. **श्री चतुर्भुज** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ स्थित कुछ समाचार-पत्र संगठनों ने अन्य राज्यों की राजधानियां में अपने संस्करण आरम्भ किए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि इन समाचार-पत्रों ने पालेकर पंचाट क्रियान्वित कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कौन-कौन से समाचार-पत्र प्रतिष्ठान अन्तर्ग्रस्त हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के आदेशों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की है । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार लखनऊ में दस समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में से आठ प्रतिष्ठान (नामत: नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज नार्दरन इंडिया पत्रिका, दैनिक लखनऊ मेल, दैनिक स्वतंत्र भारत, पाइनीयर और अमृत प्रभात) ने इन आदेशों को कार्यान्वित किया है, एक प्रतिष्ठान (दैनिक जागरण) न्यायालय में गया है और न्यायालय के आदेशों के अनुसार वृद्धि की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कर रहा है आर एक प्रतिष्ठान (वर्कस हैराल्ड) इसके अन्तर्गत नहीं आता है ।

दिल्ली में समाचार पत्रों में पालेकर पंचाट को लागू करना

400. **श्री चतुर्भुज** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे समाचार पत्र संस्थान कौन से हैं जिनके मुख्यालय अथवा कार्यालय शाखा दिल्ली में हैं :

(क) जिन्होंने अभी तक पालेकर पंचाट लागू नहीं किया है ; और

(ख) जिन्होंने अभी तक भविष्य निधि/कर्मचारी बीमा योजना का भुगतान नहीं किया है और उनमें प्रत्येक के पास कितनी धनराशि बकाया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

ताप संयंत्रों के लिए कोयले की सप्लाई संबंधित मामले में जांच के लिए समिति

401. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ताप संयंत्रों के लिए कोयले की सप्लाई से सम्बन्धित मामले की जांच करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मुस्लिम स्वीय विधि में सुधार के लिए आयोग का गठन

402. **श्री वित्त बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुस्लिम स्वीय विधि में सुधार से, जिसके लिए विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं द्वारा मांग की जा रही है, संबंधित प्रश्नों पर विचार करने के लिए आयोग स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार की यह नीति रही है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय की स्वीय विधि में तब तक परिवर्तन न किया जाये जब तक कि ऐसा परिवर्तन करने के लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं पहल न करें और अभी तक अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से ऐसी पहल नहीं की गयी है।

सांविधिक आधुनिकीकरण निधि-उपलब्ध कराने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन

403. **श्री चित्त बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्पनियों की 'इंटर-कनेक्शन' वर्तमान परिभाषा को बदलने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) क्या सरकार का सांविधिक आधुनिकीकरण निधि उपलब्ध कराने के विचार हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) माननीय सदस्य शायद एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 2 (छ) में विनिर्दिष्ट अन्तःसम्बन्धित उपक्रम की परिभाषा का हवाला दे रहे हैं। सच्चर समिति के, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के सम्बन्ध में सुझावों, जिनमें अन्तःसम्बन्धित उपक्रमों के विषय में भी सुझाव सम्मिलित हैं, पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का संशोधन करने के लिए विस्तीर्ण विधेयक को शीघ्र संसद में पुरःस्थापित किये जाने की सम्भावना है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के विस्तार संबंधी आवेदन का अस्वीकृत किया जाना

404. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आर० एन० टी० पी० कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विस्तार सम्बन्धी आवेदनों को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, यद्यपि एम० आर० टी० पी० आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे विस्तार की अनुमति देने की सिफारिश की है ; और

(ख) ऐसी एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के आवेदनों की अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) केन्द्रीय सरकार ने 1979, 1980 तथा 1981 के वर्षों के दौरान, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 अथवा 22 के अन्तर्गत क्रमशः अपने कार्य-कलापों के विस्तार अथवा नवीन उपक्रम की स्थापनार्थ, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के किसी भी प्रस्ताव को जिस पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा अनुमोदन की सिफारिश की गई थी, निरस्त नहीं किया है। तथापि, आयोग की कुछ शिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से, उत्पन्न नहीं होता।

कटक रेडियो स्टेशन का दर्जा बढ़ाना

405. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक रेडियो स्टेशन का दर्जा बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस रेडियो स्टेशन पर क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं अथवा देने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं। कटक केन्द्र 100 किलोवाट मीडियम वेव के उच्च शक्ति वाले एक ट्रांसमीटर से पहले ही सुसज्जित है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भुवनेश्वर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

406. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र किस स्थान पर खोला जाएगा;

(ग) दूरदर्शन के लिये इस काम्प्लेक्स में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) कटक भुवनेश्वर के लिए छठी योजना के दौरान 10 किलोवाट का एक ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है और इसके लिए स्थान का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस ट्रांसमीटर के 1984-85 तक चालू हो जाने की उम्मीद है। भुवनेश्वर में स्टूडियो सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ने कुछ स्थानों की पेशकश की है जिनका सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस बीच एशियाई खेलों का कवरेज उपलब्ध करने के लिए भुवनेश्वर में अल्प शक्ति वाली दूरदर्शन संग्रहण-व-रिले पद्धति की स्थापना की जा रही है।

कटक में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

407. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कटक में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान कटक में 10 किलोवाट का दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) उक्त ट्रांसमीटर के लिए स्थान का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ट्रांसमीटर के लिए उपकरणों के लिए आर्डर मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को दे दिया गया है। इस ट्रांसमीटर के छठी योजना अवधि के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

ऊर्जा मन्त्रियों का सम्मेलन

408. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1982 के अन्त में राज्यों के ऊर्जा मन्त्रियों का नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या सम्मेलन में यह बात नोट की गई कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 5000 मेगावाट बिजली की कमी रहेगी; और

(ग) क्या सरकार ने बिजली उत्पादन और इसके वितरण में अपनी भूमिका बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो सम्मेलन में क्या सुझाव रखे गये और विशेष रूप से राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाने और देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या निर्णय किए गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र को अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता के सम्बन्ध में तथा सांविधिक शक्तियों के साथ-साथ क्षेत्रीय बिजली प्राधिकरणों का सृजन करके क्षेत्रीय स्तर पर विद्युत सप्लाई उद्योग के संगठनात्मक स्वरूप को सुदृढ़ करने की आवश्यकता के बारे में विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था।

राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए तथा देश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए सम्मेलन में लिये गए प्रमुख निर्णय नीचे दिए गये हैं :—

(1) राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय व्यवस्था को सरल और कारगर बनाने के लिए राज्य सरकार और राज्य बिजली बोर्ड विशेष ध्यान देंगे और आन्तरिक संसाधनों का निर्माण करने के साथ-साथ सम्पूर्ण निवेश भी सुनिश्चित करेंगे।

(2) चालू वर्ष के लिए 49 प्रतिशत का अखिल भारत संयंत्र भार अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुसार ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाना।

(3) निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय पर चालू करना।

(4) सभी संभव माइक्रो जल विद्युत स्कीमों की शक्यता का पता लगाना और मूल्यांकन करना और 20 सूत्री कार्यक्रम में इन पर जोर देने की दृष्टि से अगली वार्षिक योजना में शामिल करने के लिए 31 दिसम्बर, 1982 से पहले केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इनकी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

तट-दूर क्षेत्रों में "चेवरान" द्वारा छिद्रण

409. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि एक अमरीकी फर्म "चेवरान" ने भारत के तट-दूर क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और उसने उन स्थलों के नाम भी सुझाए हैं जहां छिद्रण किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें इस फर्म द्वारा "तेल की संभावना वाले क्षेत्र" घोषित किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार का विचार इन संभावी क्षेत्रों में छिद्रण का कार्य कुछ विदेशी कम्पनियों को सौंपने का है, और यदि हां, तो कितनी फर्मों को यह कार्य सौंपा जाना है; और

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को छिद्रण के लिए इन क्षेत्रों में से उचित हिस्सा मिलेगा तथा इन क्षेत्रों में खनिज तेल निकालने के लिए विदेशी फर्मों से समझौते की क्या शर्तें होंगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) शेवरान ने उनके दिए गए सौराष्ट्र तट-दूर ब्लाक-II का भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है और आंकड़ों पर प्रक्रिया की जा रही है। व्यधन के लिए अभी तक स्थानों का पता नहीं लगाया गया है।

(ग) और (घ) 30 मार्च 1982 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6019 के उत्तर में समझौते की मुख्य शर्तें लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत की गई थी। समझौतों की शर्तों के अनुसार, व्यधन सहित समस्त गतिविधियों की व्यवस्था करना ठेकेदार का उत्तरदायित्व है।

जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता

410. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक जीवन रक्षक औषधियां, उदाहरण के लिए आइसोप्टीन, कलकत्ता और दिल्ली के बाजार में काफी समय से उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि जीवन रक्षक औषधियां बाजार से गायब न हों ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) कुछ आवश्यक दवाइयों के विशिष्ट ब्रेंडों की कमी की सूचना आवधिक सा से सम्बन्धित राज्य औषध नियन्त्रकों से प्राप्त हुई है। इसमें कलकत्ता में इसोपटिन गोलियों की कमी भी शामिल है। सरकार ने सम्बन्धित उत्पादकों के साथ इन कमियों के प्रश्न को उठाया है। उत्पादकों ने अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया है कि ये कमियां (क) मांग में वृद्धि, (ख) कुछ बीमारियों की घटना में अचानक वृद्धि, (ग) समिति पावर सप्लाई और (घ) औद्योगिक अशांति के कारण हुई हैं।

इन सभी मामलों में, सम्बन्धित उत्पादकों तथा समकक्ष ब्रेंड के उत्पादकों को तार से परामर्श दिया गया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में अपने उत्पाद शीघ्र भेजे और अधिकांश उत्पादकों ने इस परामर्श का अनुपालन करने की सूचना दी है।

कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों को स्वास्थ्य कार्डों का वितरण

411. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों को स्वास्थ्य कार्डों का वितरण करने के बारे में निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनको यह कार्ड कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है; और कुल कितने कार्ड जारी किए जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हजीरा, गुजरात में पेट्रो-केमिकल्स काम्प्लेक्स

412. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में केन्द्रीय सेक्टर में हजीरा, गुजरात में पेट्रो-केमिकल्स काम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू करने हेतु कितना प्रावधान किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में इस कम्पलेक्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । तथापि सलीमपुर (उत्तर प्रदेश) में एरोमेटिक्स रिकवरी यूनिट और डी० एम० टी०/पी० टी० ए० परियोजना के लिए और हल्दिया और गुजरात में प्रस्तावित पेट्रो-रसायन काम्पलेक्सों हेतु इन परियोजनाओं के लिए मूल और विस्तृत इंजीनियरिंग और प्रोद्योगिकी के चयन जैसे कुछ प्रारम्भिक उपाय करने हेतु 25 करोड़ रुपयों की व्यवस्था किये जाने की आशा है ।

परम्परागत दूरदर्शन सेटों पर एशियाई खेलों के प्रसारण का देखा जाना

413. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सामुदायिक दर्शक सेटों सहित परम्परागत दूरदर्शन सेटों पर एशियाई खेलों का प्रसारण देखा जा सकेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : एशियाई खेलों का प्रसारण सम्बन्धित ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र के अन्दर लगे वी० एच० एफ० सामुदायिक अवलोकन सेटों सहित परम्परागत दूरदर्शन सेटों पर देखा जा सकेगा ।

नई टेलीफोन उपकरण परियोजनाओं की स्थापना

414. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई टेलीफोन उपकरण परियोजनाओं की स्थापना सम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव क्या हैं ;

(ख) नई परियोजनाओं और वर्तमान फैक्टरियों के विस्तार और उनकी क्षमता में वृद्धि के लिए विदेशी सहयोग हेतु विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कुछ दूर-संचार परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा धन दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वर्तमान कारखानों की उत्पाद क्षमता में वृद्धि कर तथा नये उत्पादन कारखानें स्थापित कर, देश में दूर-संचार उपस्कर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने से सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव नीचे लिखे अनुसार है—

(एक) मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई० टी० आई०) के बंगलौर और नैनी कारखानों में समसामयिक डिजाइन के 10 लाख टेलीफोन उपकरण और 15 लाख प्रमुख घटक बनाने की क्षमता स्थापित करना। यह परियोजना विदेशी सहयोग से चलाई जायेगी।

(दो) विदेशी सहयोग से इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नैनी और बंगलौर स्थित कारखानों के पारेषण प्रभागों में चैनलिंग/मल्टीप्लेकिसंग उपस्करों के नये रूपों की उत्पादन क्षमता स्थापित करना।

(तीन) विदेशी सहयोग से इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के नैनी और बंगलौर कारखानों में अति उच्च आवृत्ति/परा उच्च आवृत्ति प्रणाली के उपस्करों के उत्पादन की क्षमता स्थापित करना।

(चार) सरकार ने निर्णय लिया है कि संचार मंत्रालय के अधीन, प्रत्येक में 5 लाख लाइनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले दो बड़े इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग कारखानें स्थापित किए जाएं। प्रस्तावित इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग कारखानों में से एक कारखाना इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के अधीन विदेशी सहयोग से गोंडा, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा।

(पांच) छोटे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की 10,000 लाइनों की वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के पालघाट कारखाने की उत्पादन क्षमता

को विदेशी सहयोग से और बढ़ाकर इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज, ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज और निजी स्वचल शाखा एक्सचेंजों के उत्पादन को शामिल कर, 1.5 लाख लाइनें तैयार करना ; और

(छः) मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड (एच० टी० एल०) द्वारा हासूर, तमिलनाडु में विदेशी सहयोग से, वर्तमान इलैक्ट्रो-मकेनिकल टेलीप्रिंटरों के स्थान पर प्रतिवर्ष 8,000 इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की उत्पादन क्षमता स्थापित करना।

(ग) ऊपर बताई परियोजनाओं में से निम्नलिखित के लिए विश्व बैंक से धन प्राप्त करने का प्रस्ताव है—

(एक) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पालघाट कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता को 10,000 लाइनों से बढ़ाकर 1.5 लाख लाइनों तक ले जाने की योजना ; और

(दो) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के अधीन 8,000 इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों के उत्पादन की योजना।

जैक-अप रिगों की लागत

415. **श्री बाजूबन रियान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तट-दूर छिद्रण के लिए एक जैक-अप रिग की लागत क्या है ;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक कितने जैक-अप रिग खरीदे गए हैं ;

(ग) इनकी सप्लाई करने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इन रिगों के लिए कुल कितना धन खर्च किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विशिष्टताओं और सप्लाई के साधन पर निर्भर करते हुए उपलब्ध सूचना के अनुसार एक जैक-अप रिग की वर्तमान लागत 39 करोड़ रुपये के बीच भिन्न-भिन्न रहती है।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी तक छः जैक-अप रिग की खरीद की है, जिनमें से दो पर अभी विचार किया जा रहा है और दूसरा अपने मांगे पर है।

(ग) सप्लाई करने वाले देश हैं—

1. जापान
2. फ्रांस
3. सिंगापुर

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभिन्न समय पर छः जैक-अप रिगों की खरीद पर खर्च की गई कुल लागत 188.22 करोड़ रुपये की है ।

दिल्ली में हुए श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिश

416. **श्री कमल नाथ :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए राज्यों के श्रम मन्त्रियों के सम्लेलन में सिफारिश की गई थी कि अनिर्णीत श्रम विवादों को अन्ततोगत्वा न्याय-निर्णयन के लिए सौंपा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) इस सम्मेलन में वैयक्तिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु कई सुझाव प्राप्त हुए , जिनमें अनिवार्य मध्यस्थता का सहारा लेने सम्बन्धी सुझाव भी शामिल थे ।

विभिन्न राज्यों में बिजली उत्पादन तथा उसकी आवश्यकता

417. **श्री कमल नाथ :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बिजली के उत्पादन और उसकी आवश्यकता सम्बन्धी वर्तमान-स्थिति क्या है ; और

(ख) देश में ऊर्जा के संकट को दूर करने में चालू मानसून कहां तक सहायक होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अप्रैल, 1982 से अगस्त, 1982 के दौरान देश में विद्युत-सप्लाई की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंध के रूप में सन्लग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5437/82]

(ख) देश में विद्युत की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है । इसके अलावा, देश में विद्युत-सप्लाई की स्थिति में 1982 के मानसून के पश्चात सुधार हुआ है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु में लागू विद्युत-कटौतियां, मानसून के पश्चात पूरी तरह से हटा ली गई हैं । उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में विद्युत सप्लाई की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है । उड़ीसा में भी विद्युत की कटौती समाप्त हो गई हैं ।

इस वर्ष देश में कुछ बृहत जलाशयों, नामश: पश्चिमी क्षेत्र में उकई और टाटा समूह, दक्षिणी श्रेत्र में कुन्डाह, इद्दुकी, पम्बा-कक्की तथा मचकुण्ड और पूर्वी क्षेत्र में बलिमेला के जलग्रहण क्षेत्रों में मानसून सन्तोषजनक नहीं था । तथापि, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और राजस्थान में उर्जा सन्कट बना रहेगा ।

जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता

418. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक जीवन रक्षक औषधियां, उदाहरण के लिये आइसोप्टीन, कलकत्ता और दिल्ली के बाजार में काफी समय से उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि जीवन रक्षक औषधियां बाजार से गायब न हों ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) कुछ आवश्यक दवाईयों के विशिष्ट ब्रेन्डों की कमी की सूचना आवधिक सा से सम्बन्धित राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त हुई हैं । इस में कलकत्ता में इसोपाटिन गोलियों की कमी भी शामिल है । सरकार ने सम्बन्धित उत्पादकों के साथ इन कमियों के प्रश्न को उठाया है । उत्पादकों ने अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया है कि ये कमियां (क) मांग में वृद्धि, (ख) कुछ बीमारियों की घटना में अचानक वृद्धि, (ग) सीमित पावर सप्लाई और (घ) औद्योगिक अशांति के कारण हुई हैं ।

इन सभी मामलों में, संबंधित उत्पादकों तथा समकक्ष ब्रेंड के उत्पादकों को तार से परामर्श दिया गया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में अपने उत्पाद शीघ्र भेजे और अधिकांश उत्पादकों ने इस परामर्श का अनुपालन करने की सूचना दी है ।

आकाशवाणी के आर्टिस्टों के साथ और अच्छा बर्ताव

419. डा० कृपासिंधु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के आर्टिस्टों में भेदभाव को रोकने हेतु आकाशवाणी के सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए एक समान संवर्ग की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनके साथ और बेहतर बर्ताव सुनिश्चित करने और अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले समान लाभ उनके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

आकाशवाणी के कर्मचारियों के सभी वर्गों अर्थात् इन्जीनियरी, प्रशासनिक, कार्यक्रम और स्टाफ आर्टिस्टों के संवर्गों के लिये एक समान संवर्ग की कोई मांग नहीं रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट पेंशन के सिवाए उन सभी मुख्य लाभों के हकदार हैं जो नियमित सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं । सरकार ने हाल ही में स्टाफ आर्टिस्टों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है अर्थात् (1) आर्टिस्ट और (2) अन्य कर्मचारी, जो उसी तरह के काम करते हैं जिस तरह के काम सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में आमतौर पर करते हैं ।

उक्त श्रेणी (2) के अन्दर आने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जायेगा बशर्ते कि वे सरकारी कर्मचारी बनने के लिए अपना विकल्प दें और उनकी छानबीन हो जाये । श्रेणी (1) के अन्दर आने वालों को रखने सम्बन्धी शर्तों में संशोधन करना है और उनको आकर्षक बनाना है यद्यपि वे संविदागत शर्तों पर ही बने रहेंगे । इन नई शर्तों को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद उनको नई शर्तों पर आने या मौजूदा शर्तों पर बने रहने का विकल्प दिया जायेगा । नई शर्तों पर आने वाले भी छानबीन, आदि जैसी औपचारिकताओं के अधीन पेंशन के हकदार होंगे ।

फ्रांस की कम्पनी द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रणाली की आपूर्ति के लिए करार

420. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस ने हाल ही में फ्रांस की एक कम्पनी द्वारा डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज सिस्टम की आपूर्ति हेतु किसी सहमति ज्ञापन (मेमोरेंडम आफ अन्डरस्टेन्डिंग) पर हस्ताक्षर किये हैं; जिसमें करारों की शर्तें सन्निहित हैं;

(ख) यदि हां, तो किये गये करारों की शर्तों सहित मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ये करार इस क्षेत्र में हमारी आवश्यकताओं को कहां तक पूरा करेंगी और यदि उनको स्थापित करने के लिए किन्हीं स्थलों का चयन किया गया है तो वे कौन से हैं ?

संचार मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) इस समझौते की प्रमुख बातें हैं ।

(एक) तकनीकी जानकारी देने और डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर की प्रतिवर्ष 5 लाख लाइनें तैयार करने की उत्पादन क्षमता वाली एक इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का कारखाना स्थापित करने के लिए मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और फ्रांस के मैसर्स सी० आई० टी० अल्केटल के बीच करार ।

(दो) सम्बन्धित सेवा के साथ डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर की 2 लाख समतुल्य लाइनों के आयात के लिए डाक तार विभाग और मैसर्स सी० आई०टी० अल्केटल के बीच समझौता ।

(तीन) अनुसंधान और विकास में सहायता के लिए डाक तार सी० आई ०टी० अल्केटल के बीच समझौता ।

(चार) परामर्श सेवा और विभिन्न उपस्कर देने के लिए, डाक तार विभाग और फ्रांस की कम्पनी सोफरेकाम के बीच समझौता ।

दो अन्य समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं । एक ज्ञापन के अधीन डाकतार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र और फ्रांस के दूरसंचार प्रशासन में उनके प्रतिपक्षी संगठन सी०एन०ई०टी० के बीच, अनुसंधान और विकास के सहयोग की व्यवस्था है । उपर्युक्त सभी समझौतों की व्यवस्थाओं के पालन में फ्रांस सरकार के सहयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक और समझौते पर भारत और फ्रांस के संचार मन्त्रियों के हस्ताक्षर हुए हैं । वर्तमान मूल्य के अनुसार इन समझौतों के अधीन 87 करोड़ फ्रांसीसी फ्रैंक की वित्तीय वचनबद्धता आती है ।

(ग) चालू योजना के दौरान, टेलीफोन एक्सचेंज उपस्करों की कमी, कुछ अंशों में आयातित से पूरी की जायेगी । देश में उत्पादन क्षमता स्थापित करने से, टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर की उपलब्धि में काफी वृद्धि होगी । इससे अगली योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी ।

सीधे आयात किये एक्सचेंज, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पठानकोट और श्रीनगर में स्थापित किये जायेंगे ।

कोयले का उत्पादन

421. **श्री अमल दत्त** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने कोयले का उत्पादन हुआ है इसमें से कितना कोयला ताप बिजली घरों (राज्य-वार ब्यौरा) के लिये काम में लाया गया ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयला खानों में सुरक्षा उपाय

422. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असुरक्षित कोयला खानें— जो संख्या में 99 हैं — बिना उचित सुरक्षा उपायों के चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी खानों में दुर्घटनाएं रोकने के लिए मन्त्रालय ने अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का दोषी कम्पनियों से भविष्य में निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करवाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) देश में कोल इंडिया लि० के अधीन किसी असुरक्षित खान में कार्य नहीं किया जा रहा है। फिर भी, जब किसी खान या खान के किसी भाग को असुरक्षित माना जाता है तो खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 (3) के अधीन एक आदेश तत्काल लागू किया जाता है और कार्य रोक दिया जाता है। इस प्रकार असुरक्षित घोषित खान में कार्य तब तक नहीं किया जाता जब तक विद्यमान खतरे को समाप्त नहीं कर दिया जाता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी भत्ता

423. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन से राज्य बेरोजगारी-भत्ता देते हैं तथा प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि किस-किस अवधि के लिए दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही बेरोजगारी भत्ता/लाभ सम्बन्धी स्कीमों का ब्यौरा

क्रमांक	राज्य	स्कीम का शीर्षक	पात्रता की शर्तें	बेरोजगारी भत्ते की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पश्चिम बंगाल	पहली अप्रैल, 1978 से लागू बेरोजगारी सहायता	ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जिनकी आयु 23-40 वर्ष है और जो 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए रोजगार कार्यालयों के पास वैद्य रूप से पंजीकृत हैं। परिवार की आय 500 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होनी चाहिए।	प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए 50 रुपये प्रति मास। सरकार द्वारा तथा कुछ अन्य ऐजेंसियों द्वारा प्रायोजित कार्य में 100 दिनों तक भाग लेने के लिए 200 रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त पारितोषिक। सहायता केवल तीन वर्षों तक जारी रहेगी बशर्ते कि उस व्यक्ति/महिला को इस अवधि के दौरान लाभकारी रोजगार प्राप्त नहीं होता।
2.	पंजाब	अप्रैल 1978 से लागू बेरोजगारी सहायता।	रोजगार कार्यालयों के पास 5 वर्ष से अधिक अवधि (जिसे 1-4-1980 से कम करके 3 वर्ष कर दिया गया है) तक पंजीकृत 17-40 वर्ष की आयु के नौकरी चाहने वाले व्यक्ति दृष्टिहीन, बधिर तथा मूक नौकरी चाहने वाले व्यक्ति जो	(क) मैट्रिकुलेट्स 80 रुपये प्रति मास। (ख) स्नातक तथा स्नातकोत्तर 100 रुपये प्रति मास।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			शिक्षित हैं के सम्बन्ध में इस शर्त को शिथिल कर दिया गया है। परिवार की आय 500 रुपये प्रति मास (जिसे अब कम करके 300 रुपये कर दिया गया है) से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
				भाग ए
3. महाराष्ट्र	(i) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता जो कि 1-1-1979 से लागू हुई।		रोजगार कार्यालयों या जिला समाज कल्याण कार्यालयों में 5 वर्ष या इससे अधिक समय से दर्ज नौकरी चाहने वाले (ज० जा/अ० ज० जा/विमुक्त जाति/खाना बदोश के मामले में चार वर्ष) ऐसे 21-30 वर्ष की आयु के एस० एस० सी० पास बेरोजगार उम्मीदवार जो रोजगार कार्यालयों या जिला समाज कल्याण कार्यालयों में	बेरोजगार एस० एन० सी० डिप्लोमाधारियों, स्नातकों और स्नातकोत्तरों को 100 रु० प्रति माह का मानदेय। इस भाग के अन्तर्गत नामंकित व्यक्तियों को माह के दौरान लगभग 15 दिन के लिए 3 से 4 घण्टे प्रति दिन के लिए अंशकालिक कार्य दिया जाता है। यह सहायता उस समय बन्द कर दी जाएगी जैसे ही लाभानुभोगी को पूर्ण कालिक रोजगार या तीन वर्ष के अन्त में जो भी पहले हो, प्राप्त कर लेता है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3 वर्ष से दर्ज है) अ० जा०/ अ० ज० जा०/विमुक्त जाति खानाबदोश जाति के मामले में दो वर्ष)	भाग ख अधिक से अधिक 3 वर्ष तक 100/-रुपये प्रति माह दिये जाएंगे ।
		(ii) रोजगार गारण्टी	कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य की मांग करता है, तो ऐसी मांग प्राप्त होने के 15दिन के अन्दर-अन्दर कार्य की व्यवस्था नहीं करता है ।	1/-रुपये प्रति दिन
4.	गुजरात	शिक्षित वेरोजगारों के लिए पहली नवम्बर, 1979 से लागू धारण भत्ता	30-11-1979 को 5 वर्ष या इससे अधिक (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के मामलों में 3 वर्ष (समय से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 20-30 वर्ष की आयु के नोकरी चाहने वाले व्यक्ति । * (विकलांग व्यक्तियों के मामलों में 31-12-79 को 6 माह या अधिक) पारिवारिक आय प्रति वर्ष 4800 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिये ।	1. एस० एम० सी० उत्तीर्ण प्रति सप्ताह तीन बार 2 घंटे कार्य करने के लिए 50 रुपये प्रति माह । 2. तकनीकी डिप्लोमाधारियों के लिए या कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि में स्नातक व्यक्तियों के लिए प्रति सप्ताह तीन बार 3 घंटे कार्य के लिए 75 रु० प्रतिमाह । 3. सभी स्नातकोतर और व्यावसायिक स्नातक व्यक्तियों के लिए प्रति सप्ताह तीन बार 4 घंटे कार्य के लिए 100 रुपये प्रति माह ।
5.	कर्नाटक	वृत्तिभोगी रोजगार1978 से लागू	बेरोजगार स्नातक, स्नात-कोत्तर और डिप्लोमाधारी ।	वृत्तिका 150 रुपये प्रति माह । वृत्तिका 1-2-1981 से 200 रुपये प्रति माह तक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			पारिवारिक आय 3600 रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । परिवार में कोई सदस्य कमाने वाला न हों	बढ़ा दी गई थी ।
6.	केरल	(i) बेरोजगारी राहत 1978-79 1979-80 से समाप्त कर दी गई ।	5 वर्ष या इससे अधिक समय से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वाले । पारिवारिक आय 4000/-रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो ।	400/-रु० प्रति वर्ष
		(ii) रोजगार सामान्य योजना 1979-80 समाप्त कर दी गई ।	तीन वर्षों या अधिक समय से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्ति । शारीरिक कार्य करने के इच्छुक सभी बेरोजगार व्यक्ति जो पंचायतों के साथ पंजीकृत हैं, के लिए कुछ योजनाएं चालू हैं ।	योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विभागों में भत्ते की राशि भिन्न-भिन्न है ।
		(iii) बेरोजगारी सहायता 1980-81 से लागू	18-40 वर्ष की आयु के नौकरी चाहने वाले व्यक्ति जिन्होंने	50 रु० प्रति माह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3 वर्ष से अधिक समय से रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराए हुए हैं। पारिवारिक आय 4000 रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
7. राजस्थान	अनु० ज०/अ० ज० जा० के बेरोजगार स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों को वृत्तिका।	सभी अ० जा०/अ० ज० जा० के स्नातक एवं स्नातकोत्तर।		अ० जा०/अ० ज० जा० के स्नातकों को 150 रु० प्रति माह। अ० जा०/अ० ज० जा० के स्नातकोत्तरों को 250/- रु० प्रति माह उनके कार्य प्राप्त कर लेने तक ग्राह्य होगी (21-5-1980 से वृत्तिका केवल 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए ग्राह्य हो)।
8. तमिल नाडू	रोजगार सहायता, पहली जुलाई, 1980 से लागू।	सभी फैकल्टीज में बेरोजगार स्नातक/स्नातकोत्तर, योग्यता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर ग्रेड अध्यापक, स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापक, योग्यता प्राप्त तमिल और अन्य भाषा के पण्डित योग्यता-प्राप्त दस्तकारी अनुदेशक और इन्जिनियरी में डिप्लोमाधारक जिनकी आयु		50 रु० प्रति माह। व्यक्तिगत मामलों में सहायता 3 वर्ष की कुल अवधि के लिए जारी रहेगी। तथापि, जैसे ही पुरुष/महिला लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर लेती हैं, यह समाप्त कर दी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			35 वर्ष तक हो (अ० जा०/अ० ज० जा० के मामले में 40 वर्ष), रोजगार कार्यालयों में कम से कम 5 वर्ष तक पंजीकृत हों। पैतृक वार्षिक आय 24,000 रु० से अधिक न हो।	
		(ii) ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम	ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति जो काम की मांग करता है और यदि पंजीकरण। मांग की तारीख से 30 दिनों में काम नहीं दिया जाता।	प्रतिदिन एक रुपये के मूल्य का चावल।
9. बिहार		बेरोजगारी भत्ता 1981-82 से लागू	21-40 वर्ष की आयु के बेरोजगार व्यक्ति जो रोजगार कार्यालयों के पास 5 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हैं (अ० जा०/अ० ज० जा० के मामले में 4 वर्ष और अपंग उम्मीदवारों के लिए एक वर्ष)। संरक्षकों की वार्षिक आय 5000/- रु० से अधिक न हो और परिवार के पास	50 रुपये प्रति माह।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			अपनी 5 एकड़ सिंचाई की गई भूमि या 10 एकड़ गैर-सिंचाई की गई भूमि से अधिक न हो।	
10.	आन्ध्र प्रदेश	रोजगार गारन्टी स्कीम—पहली मई, 1981 से लागू।	ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जिन्हें काम मांगते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिनों में रोजगार प्रदान नहीं किया जाता।	एक किलो ग्राम चावल प्रतिदिन अथवा आधा किलो ग्राम चावल और 50 पैसे नकद।

* अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी यह रियायत उपलब्ध है।

सूचना अधिकारियों द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियां

424. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बद्ध सूचना अधिकारी बार-बार प्रेस विज्ञप्तियां जारी करते हैं और उनको कुछ गिने-चुने संवाददाताओं में वितरित करते हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सूचना अधिकारियों की ये गतिविधियां "भेदभावपूर्ण" हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सभी सम्बन्धित संवाददाताओं को सभी सरकारी समाचार और प्रेस विज्ञप्तियां देने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले प्रेस रिलीजों को उन सभी संवाददाताओं/पत्रकारों जो पत्र सूचना कार्यालय की वितरण सूची में शामिल हैं, को बिना किसी भेदभाव के सप्लाई किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रेस सम्मेलन बुलाने के लिए सूचना अधिकारियों को परिपत्र

425. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने परिपत्र जारी किए हैं कि संबंधित सूचना अधिकारी अपने मन्त्रालयों के प्रेस सम्मेलन प्रेस कक्ष, शास्त्री हाल में बुलाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सूचना अधिकारी इन अनुदेशों का पालन कर रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

असम में गांवों का विद्युतीकरण

426. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 32 वर्षों में असम के कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ;

(ख) असम में बिना बिजली के गाँवों की कुल संख्या क्या है ;

(ग) अगले दस वर्षों में राज्य के गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए केन्द्र और राज्य द्वारा राज्यवार क्या योजनाएं बनाई हैं ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में राज्य द्वारा कुल कितनी धनराशि की मांग की गई और केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) असम राज्य के कुल 21,995 गांवों में से अगस्त, 1982 के अन्त तक 6765 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं ।

(ख) 31 अगस्त, 1982 की स्थिति के अनुसार असम में 15,230 गांव विद्युतीकृत किए जाने बाकी हैं ।

(ग) छठी योजना के प्रारम्भ में अर्थात 1-4-1980 को राज्य में 4,226 गांव विद्युतीकृत थे । छठी योजना के प्रस्तावों के अनुसार राज्य के 6,000 अतिरिक्त गांवों को विद्युतीकृत किए जाने का कार्यक्रम था जिसमें 57.86 करोड़ रुपये का परिव्यय निहित था । तथापि, साधनों की स्थिति तथा विभिन्न स्कीमों आदि के क्रियान्वयन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग में विद्युत पर कार्यकारी दल के विचार-विमर्शों के पश्चात् वार्षिक आधार पर कार्यक्रम की सुनिश्चित रूप-रेखा तैयार की जाती है ।

(घ) 1980 से 1983 के दौरान तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्राम विद्युतीकरण के लिए असम राज्य द्वारा प्रस्तावित तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

	1980-81		1981-82		1982-83	
	राज्य द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत	राज्य द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत	राज्य द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत
राज्य योजना	101	100	101	100	100	100
एम० एन० पी०	283.0	362	1392	700	1794	700
प्रा० वि० नि०	423.0	293	254	322	81	354
जोड़	797.0	755	1747	1122	1975	1154

आसाम में अखबारी कागज का आवंटन

427. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में प्रत्येक वर्ग के समाचार-पत्र-(क) बड़े समाचारपत्रों (ख) मध्यम समाचार पत्रों (ग) लघु समाचार पत्रों को 1980-81 और 1981-82 में कुल कितनी मात्रा में अखबारी कागज आवंटित किया गया ;

(ख) क्या मन्त्रालय को कुछ आवंटियों द्वारा अखबारी कागज के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

समाचारपत्र की श्रेणी	अखबारी कागज की आवंटित की गई मात्रा (मीटिक टन में)	
	1980-81	1981-82
बड़े	536	618
मझौले	761	847
छोटे	437	398
योग	1734	1863

(ख) इस प्रकार की कोई शिकायत निकट भूतकाल में प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एशियाई खेलों को टेलीविजन पर दिखाने की व्यवस्था

428. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्सेट-1" के खराब हो जाने के कारण आगामी एशियाई खेलों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए टेलीविजन पर खेल दिखाने बन्द कर दिया जायेगा जिसके लिए अत्यधिक प्रचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये टेलीविजन पर खेल दिखाने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या बंगलादेश सरकार तथा पाकिस्तान सरकार ने एशियाई खेलों को टेलीविजन पर दिखाने के अधिकार के लिये आवेदन किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां। इन्सेट-1ए के खराब हो जाने के कारण कार्यक्रमों को इंटेलसेट के माध्यम से रिले करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। एशियाई खेलों को टेलीकास्ट करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगरतला, कोहिमा, ईटानगर, ऐजवाल, इम्फाल शिलांग तथा गोहाटी में 15 नवम्बर, 1982 से पहले संग्रहण-व-रिले केन्द्र लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

(ग) एशियाई प्रसारण संघ, जिसके सदस्य बंगलादेश और पाकिस्तान भी हैं, के सदस्यों को दूरदर्शन कवरेज की सुविधाएं उपलब्ध करने का एकमात्र अधिकार एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति को है । इसलिए वे विशेष आयोजन समिति के साथ एशियाई प्रसारण संघ की संविदा के अन्दर आने वाले पर एशियाई खेलों का कवरेज उपलब्ध करेंगे।

पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन

429. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में पश्चिम बंगाल राज्य में विद्युत उत्पादन में कितनी कमी रही है ;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों के विद्युत संयंत्रों में उनकी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में विद्युत उत्पादन कितना है ;

(ग) यदि विद्युत उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से कम है तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विकम महाजन) : (क) पश्चिम बंगाल में 1981-82 के दौरान ऊर्जा की कमी लगभग 22.2 प्रतिशत थी।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के विद्युत संयंत्रों के सम्बन्ध में 1981-82 के दौरान केन्द्रवार प्रतिष्ठापित क्षमता और विद्युत उत्पादन बताने वाला विवरण निम्नानुसार है :—

केन्द्र का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1. बंडेल	320	1512
2. संथालडीह	480	1347
3. दुर्गापुर परियोजना लि०	280	745

(ग) संथालडीह और दुर्गापुर परियोजना लि० का कार्य निष्पादन अपेक्षित स्तर से काफी कम है। संथालडीह की यूनिटें स्वदेश में बनाई गई हैं तथा स्वत: नियन्त्रण और इन्स्ट्रूमेंटेशन प्रणाली सम्पूर्ण रूप से स्थापित नहीं की गई है। तथापि दुर्गापुर परियोजना लि० के कार्य निष्पादन में हाल के महीनों में कुछ मामूली सुधार हुआ है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भ्रमणशील दलों ने पश्चिम बंगाल में विद्युत केन्द्रों का दौरा किया और इन केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कार्रवाई योजनाएं तैयार की हैं।

सेकरीन का उत्पादन और आयात

430. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी सेकरीन का उत्पादन हुआ है ;

(ख) भारत में पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी सेकरीन का आयात किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि सेकरीन बनाने के कच्चे माल का उत्पादन भारत में होता है और संचयन के कारण उत्पादन करने वाले एककों को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ङ) क्या सेकरीन के कच्चे माल के उत्पादन-कर्ताओं ने सरकार को अगस्त, 1982 में अभ्यावेदन किया है, और यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) संगठित क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान सैकरीन के उत्पादन आंकड़े निम्न प्रकार हैं—

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
1979	82.25
1980	92.31
1981	78.17

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेकरीन के आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि सेकरीन को वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 की आयात नीति में परिशिष्ट-4 (अत्यन्त प्रतिबन्धित मद) में शामिल किया गया था। वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत भी इसको परिशिष्ठ-4 में शामिल किया गया है।

(ग) से (ङ) सेकरीन के निर्माण के लिए अपेक्षित कच्चे माल का उत्पादन देश में ही हो

रहा है। सेकरीन के अलावा अन्य मदों के लिए भी इन कच्चे मालों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे एक एकक से प्राप्त अभ्यावेदन को आवश्यक कार्यवाही के लिए उद्योग मन्त्रालय को आदेश गया है।

कोयले के लिए छिद्रण की नई तकनीक लागू करना

431. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के लिए छिद्रण के तरीकों में नए तकनीक जोड़े गए हैं ; यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किन स्थानों पर क्या नए तकनीक अपनाए गए हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या छिद्रण के नए तकनीकों से लागत में किफायत हुई है और क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) छिद्रण के नए तकनीकियों को लागू करने पर कितना व्यय हुआ है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

छठी योजना में बायो-गैस संयन्त्रों की स्थापना

432. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए क्या प्रावधान था; इसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या था और वर्षवार क्या उपलब्धि रही है ; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए कुल कितनी राशि दी गई थी और प्रति वर्ष क्या प्रावधान किया गया तथा क्या उपलब्धि रही ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) 1981-82 वर्ष में प्रारम्भ हुई छठी पंचवर्षीय योजना में, जैव-गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। पहले दो वर्षों का बजट प्रावधान और किया गया। वास्तविक व्यय नीचे दिया गया है :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
1981-82	500	337.65
1982-83	500	422.74 (सितम्बर, 1982 तक)

जैव-गैस यूनिटों के वर्षवार वास्तविक लक्ष्यों और स्थापित किये गये यूनिटों के रूप में उपलब्धियों को नीचे दिया गया है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1981-82	35,000	25,369
1982-83	75,000	9,774 (जुलाई-अगस्त, 1982 तक)
1983-84	1,25,000	
1984-85	1,65,000	
कुल :	4,00,000	

राज्यवार स्थापित किये गये जैव गैस यूनिटों की संख्या को विवरण में दिया गया है।

लघु घरेलू टाइप के जैव गैस यूनिटों के कार्यक्रम को 6 दिसम्बर, 1982 तक कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा था। जबकि 6 सितम्बर, 1982 को उसे ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत नए स्थापित ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों के विभाग को स्थान्तरित कर दिया गया था।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	स्थापित जैव गैस यूनिटों की संख्या	
		1981-82	1982-83 (जुलाई और अगस्त, 1982 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	515	730
2.	असम	23	—
3.	बिहार	2064	1264
4.	गुजरात	1807	1001
5.	हरियाणा	47	25
6.	हिमाचल प्रदेश	10	35
7.	जम्मू एवं कश्मीर	3	—
8.	कर्नाटक	1282	857
9.	केरल	262	136
10.	मध्य प्रदेश	468	238

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	3061	1838
12.	मेघालय	1	—
13.	नागालैंड	8	2
14.	उड़ीसा	280	237
15.	पंजाब	505	650
16.	राजस्थान	1220	406
17.	तमिलनाडु	1275	1103
18.	त्रिपुरा	4	1
19.	उत्तर प्रदेश	12188	1052
20.	पश्चिमी बंगाल	274	112
21.	दादरा और नगर हवेली	9	—
22.	दिल्ली	5	1
23.	गोवा	46	77
24.	मिजारम	2	—
25.	पांडिचेरी	10	2
26.	चंडीगढ़	—	7
	कुल :	25369	9774

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोयले की किस्म में सुधार का कार्यक्रम

433. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल ने कोयले की किस्म में सुधार करने तथा विदेशी कोयले पर हमारी निर्भरता समाप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बम्बई में सागर विकास में आग लगने के कारण हानि

434. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में सागर विकास में हाल ही में आग लग जाने के कारण उत्पादन में हानि सभा उपमरण की हानि के रूप में कितनी वित्तीय हानि हुई ; और

(ख) जले हुए उपकरण के स्थान पर दूसरा उपकरण लगाने के बाद सामान्य कार्य कितना जल्दी आरम्भ होने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बम्बई हाई में सागर विकास में हाल ही की लगी आग से हुई वित्तीय हानि की सही राशि का पता सर्वेक्षण, जो इस समय समुद्री सर्वेक्षणकर्त्ताओं द्वारा किया जा रहा है, के पूरे होने के पश्चात ही चल सकता है ।

(ख) इस वर्ष के अन्त तक सामान्य कार्य-संचालन पुनः आरम्भ किये जाने की संभावना है ।

तेल की खोज के लिए विदेशी तेल कम्पनियों को आमंत्रित करने का निर्णय

435. **श्री तारिक अनवर**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने 42 तट-दूर तथा 8 तटीय ब्लाकों में तेल की खोज और उत्पादन करने के लिए ठोस तकनीकी तथा वित्तीय क्षमताओं वाली विदेशी तेल कम्पनियों को आमन्त्रित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या विदेशी कम्पनियों को, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड के पास अपेक्षित प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण आमन्त्रित किया गया है ;

(ग) क्या कुछ कम्पनियों ने इस निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं, इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाएंगे और समझौते का मुद्दा क्या होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) तेल की खोज के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० के अधिकतम प्रयासों में सहायता के लिए विदेशी तेल कम्पनियों को आमन्त्रित किया गया है ।

(ग) बोलियां प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15 जनवरी, 1983 है तथा अभी तक कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अखबारी कागज का वितरण

436. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम की बजाय राज्य सरकारों के माध्यम से समाचार पत्रों को अखबारी कागज के वितरण करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या नागरिक पूर्ति और सरकारी उपक्रमों जैसी राज्य एजेन्सियां अखबारी कागज की डिलीवरी लेंगी, इसके भंडारण की तथा समाचार पत्रों को इसका वितरण करने की व्यवस्था करेंगी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) आयातित अखबारी कागज का वितरण राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना जारी रहेगा। स्वदेशी अखबारी कागज का वितरण भी सम्बन्धित मिलों की वितरण पद्धति के अन्तर्गत किया जाना जारी रहेगा। क्योंकि उन डिपो, जिनके माध्यम से अखबारी कागज का वितरण किया जाता है, की संख्या सीमित है, इसलिए सहकारी संस्थाओं, राज्य सरकारों की वितरण एजेंसियों आदि के माध्यम से अखबारी कागज के वितरण का व्यवस्था करके समाचार-पत्रों को अखबारी कागज के वितरण सम्बन्धों सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया था। यह विचार है कि समाचारपत्र अखबारी कागज या तो राज्य व्यापार निगम और सम्बन्धित स्वदेशी मिलों से सीधे या सहकारी संस्थाओं या राज्य सरकारों की वितरण एजेंसियों की मार्फत लेने के लिए स्वतन्त्र होंगे। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के साथ कार्यवाई की जा रही है।

विद्युत उत्पादन में केन्द्र का हिस्सा बढ़ाया जाना

437. **श्री गुलाम रसूल कोचक**
श्री अमर राय प्रधान } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन में केन्द्र का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ाए जाने का कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने की प्रस्तावित योजना में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीन पांच क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों की स्थापना करना भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा; और

(घ) क्या सभी राज्यों ने केन्द्र सरकार के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई वृहत् क्षेत्रीय ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना कर रहे हैं। केन्द्र सरकार की इन दो निगमों द्वारा स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता से आगामी वर्षों में विद्युत के उत्पादन में केन्द्र के हिस्से में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होने की आशा है।

(ख) से (घ) 26-27 अगस्त, 1982 के दौरान आयोजित विद्युत मन्त्रियों के वार्षिक सम्मेलन में सांविधिक प्राधिकार के साथ क्षेत्रीय बिजली प्राधिकरणों का सृजन करके क्षेत्रीय स्तर पर विद्युत सप्लाई उद्योग के संगठनात्मक स्वरूप को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रशासनिक नियन्त्रण में सांविधिक संस्थाओं के रूप में क्षेत्रीय बिजली प्राधिकरणों का सृजन करने से क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन करने में मदद मिलेगी। बहुत से राज्यों ने इस प्रस्ताव पर आशंकाएं व्यक्त की हैं। इस प्रस्ताव पर आगे किसी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले राज्यों के साथ परामर्श करना तथा उनके साथ मतैक्य तैयार करना जरूरी समझा गया है।

———

श्री राम विलास पासवान [हाजीपुर] : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रैस विधेयक के सम्बन्ध में.....

अध्यक्ष महोदय : उस पर तो डिसकशन हो गई है।

श्री रामविलास पासवान : प्रैस का मामला कांस्टीट्यूशन की कान्करेन्ट लिस्ट में है। वह विधेयक तब तक एक्ट नहीं बन सकता, जब तक सैंट्रल गवर्नमेंट और प्रैजिडेंट उस पर मोहर नहीं लगाते। आज सारे देश में बिहार प्रैस विधेयक के खिलाफ आन्दोलन चल रहा है। इसलिये हमने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया है, आप उस पर बहस करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा जो काम था, वह मैंने कर दिया है। मैंने उस पर डिसकशन करवा दी है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर करवा दीजिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों की पिटाई हो रही है।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) लागत लेखापरीक्षा (प्रतिवेदन) संशोधन नियम, 1982 जो 14 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 681 में प्रकाशित हुए थे।

(2) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार की सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1982, जो 4 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 555 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) कम्पनी असंदत्त लाभांश (केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अन्तरण) (संशोधन) नियम, 1982, जो 3 सितम्बर 1982, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 556 (अ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5422/82]

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, डा० अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माताओं में से एक हैं। लोग चाहते हैं कि किसी विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जाए परन्तु महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या संसद में हमारे पास इस सम्बन्ध में कुछ करने का कोई रास्ता नहीं है ? डा० अम्बेडकर का नाम देश में सम्मान के साथ लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : कोई रास्ता है तो मुझे बताइए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, कल यहां दिल्ली में सात लाख लोगों का पीस मार्च हुआ लेकिन आल इंडिया रेडियो के न्यूज बुलेटिन, जो पौने नौ बजे हिन्दी में प्रसारित होती है, उसमें उसका कोई जिक्र तक नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैंने तो चित्र भी देखे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : इतनी बड़ी रैली हुई लेकिन उसका जिक्र तक नहीं था...
(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस संसद पर आपका पूर्ण नियन्त्रण है। मैं आपको पहले ही एक पत्र दे जा चुका हूं जिसमें संकेत किया गया था...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कार्यवाही की है। मैंने आपके सामने ही आर्डर कर दिया था।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने आपसे मामले की जांच कराने का आग्रह किया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कर रहा हूं बिना किसी विलम्ब के ।

प्रो० मधु दण्डवते : बस हम चाहते थे कि आप मामले की जांच कराएं । यह इतना गम्भीर है कि कल कक्ष में प्रवेश करते समय वे हमारे मामले में इसका प्रयोग कर सकते हैं ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहब, मैंने आपको लिखा है । इंक्वायरी से मेरा मतलब नहीं है लेकिन फ्यूचर में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने आदमी लगा रहा हूं ।

श्री रशीद मसूद : हम यहां पार्लमेंट में आते हैं, क्या हमें मेटल डेटेक्टर से चेक किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्राब्लम नहीं है ।

श्री रशीद मसूद : प्राब्लम तो है ।

अध्यक्ष महोदय : कह दिया, कोई प्राब्लम नहीं होगी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, हम दिल्ली विश्वविद्यालय पर चर्चा करना चाहते हैं जिसका नियन्त्रण पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया है । उपकुलपति एक पुलिस महा-निरीक्षक की भांति व्यवहार कर रहे हैं । विद्यार्थी, अध्यापक और कर्मचारी सभी स्थिति से उत्तेजित हैं । क्या आप इस पर चर्चा करने की अनुमति देंगे.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मोशन दिया है, वह अंडर कंसिड्रेशन है । मैंने रेजेक्ट तो नहीं किया है । लेकिन यह इसका कोई टाइम नहीं है । आप क्यों ऐसा करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) दिल्ली : विश्वविद्यालय को एक थाने के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है । कृपया चर्चा करने के हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लीजिए । हम इस पर कहां चर्चा कर सकते हैं । अन्य कोई मंच नहीं है.....(व्यवधान)

औषधि मूल्य नियन्त्रण (चौथा संशोधन) आदेश, 1982

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत औषधि (मूल्य नियंत्रण) (चौथा संशोधन) अदेश, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 17 अगस्त, 1982 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 610 (अ) में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5423/82]

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय, 16 अगस्त, 1982 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों को मैं सभा पटल पर रखता हूं।

(1) असम विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1982

(2) मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1982

(3) सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1982

(4) चिट फंड विधेयक, 1982

(5) लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1982

2. महोदय, सभा को 16 अगस्त, 1982 को सूचित करने के पश्चात पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 13 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रभावीकृत प्रतियां भी मैं सभा पटल पर रखता हूं

(1) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 1982

(2) कर्ण पट्ह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1982

(3) नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1982

(4) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1982

(5) विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 1982

(6) संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1982

(7) चापरमुख-शिलाघाट रेल लाइन और काटाखल-लालाबाजार रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1982

(8) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) संशोधन विधेयक, 1982

(9) पूर्वी पंजाब नगर भाटक निर्बन्धन (चन्डीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1982

(10) राज्यपाल (उपलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार) विधेयक, 1982

(11) लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1982

(12) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1982

(13) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1982

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

26 वां प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंककारी डिविजन)-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ऋण सुविधाओं के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 14 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 26 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मनीपुर के बारे में...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ करके बात करिए। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि संवाददाताओं को न केवल पीटा गया बल्कि उनके कार्यालयों पर भी हमला किया जा रहा है। यह निरन्तर प्रेस पर बलप्रयोग करना और उसे भयभीत करना है। इससे पता चलता है कि प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सदन का समय क्यों जाया करते हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मान्यवर, दिल्ली में जो रिंग रेलवे सिस्टम बना है उसके क्लोज होने की सम्भावना हो गई है। किराए की बात को लेकर···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मोशन दीजिए। यहां पर कहने से क्या फायदा है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : यहां नहीं तो और कहां कहें ?

कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय :यहाँ किस लिए कहेंगे ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : चालीस करोड़ का रेलवे सिस्टम बना है और वह बन्द होने जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता इस बात को यहां कहने का कारण क्या है। आपने नोटिस दिया है और वह मेरे विचाराधीन है । मैं देखूंगा कि इसे कब किया जा सकता है इसमें मजाक क्या है ?

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, क्या आप सरकार को निर्देश दे सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यदि बैठकर थोड़ा सा सदन के रूल्स को पढ़ने और समझने का कष्ट कर लें, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपकी बात कह दूं । आपने रिंग-रेलवेज के बारे में दे दिया है तो मेरे पास कालिंग एटेंशन मौजूद हैं । समयानुसार एक-एक करके सब्जैक्ट आते हैं, आपका सब्जैक्ट भी उसी अनुसार आ सकता है, अगर आपको कुछ कहना हो तो आकर बात कर सकते हैं यदि इतना जरूरी काम हो। सदन का समय खराब करने से कुछ नहीं होता है।

मैं आपके लिए हर समय उपस्थित हूं।

श्री जगपाल सिंह : (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : कोई फायदा नहीं होगा। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं दिया जाएगा।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : यह सज्जन जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाऐगा क्योंकि वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : विशेषधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है बैठ जाइए

(व्यवधान) **

कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। मेरे पास आ कर बात कर लीजिए। वह अनावश्यक रूप से सदन का समय लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत हो चुका। प्रत्येक बात संदर्भ और सीमा के बाहर उठाई जा रही है। इसने मर्यादा को भी तोड़ दिया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विभिन्न राज्यों में पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के समाचार तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं गृह मन्त्री महोदय का ध्यान निम्न अविलबनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह उस पर वक्तव्य दें :

"विभिन्न राज्यों में पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के समाचार और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : लेकिन गृह मन्त्री कहां है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर भी यहीं हैं।

गृह मन्त्री राज्य सभा में उत्तर दे रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : मन्त्री महोदय ने लोक सभा की बजाय राज्य सभा में जाना ही क्यों ठीक समझा। वहां पहले शुरू हो गया।

अध्यक्ष महोदय : दोनों सदनों का समान महत्व है। आप उनमें भेद उत्पन्न करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : जानबूझकर लोकसभा की प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश की गई है। अपर-हाउस में सीनियर मिनिस्टर रहेगा और लोअर-हाउस में नहीं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कृपया फूट डालने का प्रयत्न मत कीजिए।

श्री जार्ज फर्नांडीस : यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे···नहीं रखना चाहता...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीस : महोदय, आपने कहा कि मन्त्री महोदय राज्य सभा में हैं। राज्य सभा और लोक सभा में से उन्होंने राज्य सभा में जाने का निश्चय किया जबकि यहां लोक महत्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जानी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों डिफ्रेन्शियेशन पैदा करना चाहते हैं, अननेसरीली। कल तो आप कह रहे थे कि हम बराबर हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीस : हम संविधान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कुछ परम्पराओं की चर्चा कर रहे हैं।...

अध्यक्ष महोदय : कोई परम्परा नहीं...

श्री जार्ज फर्नांडीस : आपकी दृष्टि में जब लोक महत्व के एक गंभीर मामले की चर्चा की जा रही है तो मन्त्री महोदय को यहां उपस्थित रहना चाहिए। अंततः वह भी मन्त्रिमंडल में है। यह मन्त्री कभी भी मन्त्रीमण्डल में नहीं बैठते।

श्री राम विलास पासवान : पालिसी का मेटर होना तो ये क्या कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य सभा में हैं।...(व्यवधान)...

आप क्यों सदन का समय नष्ट करते हैं।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : महोदय, सरकार देश के पुलिस बलों में अनुशासन बनाये रखने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह सजग है और विभिन्न राज्यों में पुलिस के मामलों पर निरन्तर निकट से ध्यान दे रही है। 1979 में पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, तमिल नाडु, जम्मू व कश्मीर तथा राजस्थान में व्यापक पुलिस अशांति और अनुशासनहीनता थी। तब से स्थिति काफी सुधर गई है और महाराष्ट्र और हरियाणा पुलिस में हाल की घटनाओं और एक या दो अन्य राज्यों में कुछ छुटपुट घटनाओं के बावजूद कुल मिलाकर पुलिस अनुशासन को सन्तोषजनक समझा जा सकता है।

महाराष्ट्र और हरियाणा में अगस्त, 1982 के दौरान उत्पन्न स्थिति बल में अनुशासन को सुधारने के लिए उदण्ड तत्वों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप थी।

बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात तथा उड़ीसा राज्यों से भी पुलिस कर्मचारियों में असन्तोष के कुछ मामले सूचित किये गये हैं। ये मुख्यतया पुलिस कर्मचारियों की व्यक्तिगत शिकायतों से संबंधित हैं। स्थानीय अधिकारी स्थिति से सन्तोषजनक ढंग से निपटने में समर्थ हुए और इन राज्यों अथवा अन्य राज्यों में पुलिस बलों में किसी अशांति अथवा व्याप्त असन्तोष के कोई संकेत नहीं है।

[श्री निहार रंजन लास्कर]

केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में पुलिस बलों में स्थिति पर निकट से निगरानी रख रही है और उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता के प्रति सचेत है। साथ ही सरकार देश की आवश्यकताओं के हित में बलों में उच्च कोटि का अनुशासन बनाये रखने के लिए दृढ़ संकल्प है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं तो कहूंगा कि इस नोटिस पर मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया वह उत्तर से बचने का एक अनुकरणीय और खेदजनक प्रयास है। ऐसा लगता है मेरे माननीय सहयोगी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखे हुए शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। प्रस्ताव में अनुशासन अथवा अनुशासनहीनता का उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि असन्तोष के बारे में कहा गया है ; और मेरे माननीय सहयोगी ने असन्तोष के कारणों और घोर असन्तोष प्रवृत्ति के बारे में सदन को कुछ नहीं बताया है। उन्होंने इस सदन को डराने का प्रयत्न किया है और कहा है कि मेरे पास बड़ी शक्ति है और इस लिए मैं देश की पुलिस में अनुशासन लाने का विश्वास देता हूं।

मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने विपरीत बात कही है और सदन के समक्ष असंगत बात कहने का प्रयास किया है। उन्होंने शुतुरमुर्ग का उदाहरण दिया है और उनका विचार है कि सही जानकारी को छिपा कर वह पिछले कुछ महीनों में देश में हुए उपद्रव की घटनाओं को मानने से इंकार कर सकते हैं।

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वे इतिहास में गए हैं और 1979 की बात कही है। मैं भी इतिहास में जा सकता हूं और 1953 और 1970 की बात कर सकता हूं जब कि मन्त्रालय मेरे माननीय सहयोगी के पास था···

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट के लिए मुझे क्षमा करें।

मैं समझता हूं कि मैं इस 5 बजे तक स्थागित करूंगा मैं चाहता हूं मन्त्री महोदय यहां उपस्थिती रहे।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैं समझता हूं जब मैंने प्रश्न पूछा था तभी आपने यह बात कही थी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आप का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अपने जो सदन की डिगनिटी रखी है, उस के लिए आप को धन्यवाद।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : आपने सदन की प्रतिष्ठा बनाए रखी है।

कार्य मन्त्रणा समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 4 अक्तूबर, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए 35वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 4 अक्तूबर, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए 35वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : इससे पहले कि आप आरंभ करें मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। चूंकि ध्यानाकर्षण को 5 बजे तक स्थगित कर दिया गया है, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसे तदनुसार समायोजित किया जाए क्योंकि वे सब सदस्य जिन्होंने नियम 377 के अधीन नोटिस दिए हैं, इस समय उपस्थित भी नहीं हो सकते ; वे संभवतः यह सोच रहे होंगे कि इसे ध्यानाकर्षण के समाप्त होने के बाद ही उठाया जाएगा।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नंगल जलाशय में बच्चों का डूब जाना

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम मनीराम बागड़ी (लोकदल) है। इसमें (च) या (क) नहीं लगा हुआ है। (व्यवधान)

आप बैठ जाइए शास्त्रीजी, आपका कोई ठिकाना नहीं हैं। कभी रूस जाते हैं, कभी चीन जाते हैं। मैं न पोलेंड जा रहा हूँ और न अफगानिस्तान जा रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 29 सितंबर, 82 को गोविन्द सागर, नांगल में एक नाव में 114 बच्चे पटियाला जिले के स्कूल के घूमने और सैर करने निकले। नदी में नाव डूब गई जिसके कारण 30 बच्चे डूबे। जिनमें से कुछ बच्चों की लाश भी अभी तक नहीं मिली। इतना भयानक और दर्दनाक काण्ड शायद कुतुब मीनार में ही हुआ होगा। इस तरह से मासूम बच्चों को नौका में बिठा-

[श्री मनीराम बागड़ी]

कर ले जाना और नौका का उलट जाना, बच्चों का मारा जाना राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति की हानि है। इन बच्चों में आने वाली पीढ़ी, जिसमें शायद कोई गांधी भी बन सकता हो, तबाह हुई। वो बच्चे सिर्फ एक-दो या 20-30 माओं के लाल नहीं थे, बल्कि भारत मां की आंतड़ी पर चोट लगी है।

इसके लिए न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ हिदायत बच्चों को इस तरह से जब सैर करने ले जाएं तो राज्य सरकारें या केन्द्र सरकार जरूर जारी करे। जिससे बच्चों के जीवन की रक्षा हो सके। बच्चों के जीवन का सवाल सिर्फ राज्य या राष्ट्र का नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाए जाते हैं।

1. जिस नौका या बस में सफर ऐसे बच्चों को करना हो उसकी पहले जांच होना जरूरी है।

2. मौसम और इलाके में समान व्यवस्था होनी चाहिए।

3. समय के अनुकूल सफर किया जाए। बस या नौका से रात का सफर न किया जाए। ऐसी तरकीबें निकालने के लिए एक कमीशन मुकरर किया जाए।

मैं उन परिवारों को जिनके बच्चों की मौत हुई है, उनके शोक में न सिर्फ अपने आप को शामिल करता हूं बल्कि समूचे सदन को भी मैं महसूस करता हूँ कि मुझसे ज्यादा शोक में पीड़ित हैं।

न्यायिक जांच में जो दोषी पाए जाएं उनको सख्त सजा दी जाए और दुखी परिवारों को पूरी सहानुभूति और सहायता दी जाए।

(दो) कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को ट्रैफिक लेंडिंग अधिकार देकर उनका मार्ग कलकत्ता से होकर करने की आवश्यकता

श्री नीरेन घोष (दमदम) : तकनीकी और रखरखाव की दृष्टि से कलकत्ता हवाई अड्डा हमारे चार बड़े नगरों के हवाई अड्डों में से सबसे उत्तम है। जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन प्राधिकरण ने प्रमाणित किया है। एक समय था जब यह सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डा था किन्तु अब यहां सुनसान सा रहता है।' हमें पूरा विश्वास है कि विदेशी एयरलाइनों को कहा गया है कि वे कलकत्ता जाना छोड़ कर दिल्ली हवाई अड्डे का प्रयोग करें। लेकिन यदि आप यदि यह कहें कि ट्रैफिक लेंडिंग अधिकारों के लिए स्वेच्छा से दिल्ली गए, तो प्रश्न उठता है कि आप उन्हें दिल्ली में जगह क्यों देते हैं, आपको उन्हें मना करके कलकत्ता हवाई अड्डा

का प्रयोग न करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अब कुछ विदेशी कम्पनियां जैसे कि के० एल० एम०, एयर कनाडा और कैथी पैसिफिक ट्रैफिक लैंडिंग अधिकार के लिए कह रही हैं। इसका निर्णय नहीं लिया जा रहा है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की कि दिल्ली और बम्बई में बड़ी संख्या में विमान आते जाते हैं और वे इतनी भीड़ को नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए कुछ उड़ानें कलकत्ता और मद्रास भेजी जाएं। अभी तक इस सिफारिश की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जहाँ तक यात्री भाड़े का सवाल है दिल्ली और बम्बई में एक से किराए हैं जबकि कलकत्ता में ऐसा नहीं है। परिणाम स्वरूप पूर्वी प्रदेश के लोगों को पश्चिम जाने वाले विमान में यात्रा करने के लिए दिल्ली या बम्बई तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। यदि आई० ए० टी० ए० अनुमति नहीं देता है तो आप स्वयं अपने नियम क्यों नहीं बना लेते ? इसके अतिरिक्त पूर्व को जाने वाली सभी उड़ाने कलकत्ता से शुरू होनी चाहिए और उन्हें सुदूर पूर्व और आस्ट्रेलिया जाकर कलकत्ता में आकर समाप्त हो जाना चाहिए। कलकत्ता में उचित एयरक्राफ्ट अड्डा नहीं है लेकिन वहाँ सबसे अधिक निपुण तकनीकी कर्मचारी हैं।

यह 'डकोटा' और 'फोक्कर फ्रैंडशिप' का अड्डा है। 'एवरोज' का अड्डा हैदराबाद में है, 'बोइंग' का दिल्ली में और 'एयरबसों' का बम्बई में पूरी मरम्मत की क्षमता के अभाव में क्या आपको कलकत्ता में 'एयर बस' और बोइंग' आदि की मरम्मत के अन्य प्रबन्ध नहीं करने चाहिए ? अत्याधिक सरकारी धन व्यय किया जा रहा है, क्योंकि यदि वे कलकत्ता में पड़े रहते हैं तो उन्हें अतिरिक्त पुर्जों और इन्जीनियरों के लिए दिल्ली या बम्बई जाना पड़ता है। यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि कलकत्ता सुदूर पूर्व जाने का मुख्य रास्ता है। अत: यह स्पष्ट है कि ऐसे बहुत से मामले इससे जुड़े हुए हैं जिन पर पूर्ण चर्चा करने की आवश्यकता है लेकिन यह सिद्ध करने के लिए कि कलकत्ता हवाई अड्डे का दर्जा कम कर दिया गया है, इतने ही उदाहरण पर्याप्त हैं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस स्थिति में शीघ्रता से सुधार करें और सदन के समक्ष वक्तव्य दें।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(तीन) दिल्ली में जलपूर्ति में सुधार करने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, पेय जल का संकट दिल्ली के बहुत सारे मौहल्लों में है। आबादी विस्तार के अनुसार पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वस्तुत: यह समस्या दिनोदिन गम्भीर बनती जा रही है।

पानी के अभाव से संसद सदस्य भी कम प्रभावित नहीं हैं। नार्थ एवं साउथ एवैन्यू स्थित

[श्री रामावतार शास्त्री]

संसद सदस्यों के फ्लेटों के ऊपरी तल पर पानी का अभाव विशेष रूप से है। गर्मी हो या जाड़ा, उन्हें 10 से 4 बजे दिन तक एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। कभी-कभी तो साढ़े आठ, नौ बजे से ही नलों में पानी आना बन्द हो जाता है जैसा कि 3 अक्तूबर को हुआ और आज भी हुआ। स्थिति इतनी हास्यास्पद हो जाती है कि नहाने और मुंह धोने को भी पानी नही मिलता। कभी-कभी नहाते समय शरीर में साबुन लगा रह जाता है और नल का पानी जाता रहता है। यदा कदा मजबूर होकर शौचालय के पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है।

पानी के अभाव की इस समस्या की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान बार-बार खींचा गया। इतना ही नहीं इस वर्ष संसद के बजट और पावस सत्रों में तो लोकसभा के माध्यम से अध्यक्ष और अधिकारियों का ध्यान भी कई बार खींचा गया है। स्थिति में सुधार लाने के आश्वासन भी दिए गए हैं, परन्तु खेद की बात है कि स्थिति में अब तक कोई भी सुधार नहीं देखा जा रहा है। पानी का संकट ज्यों का त्यों बना हुआ है।

अस्तु आवास और निर्माण मन्त्री से मेरा अनुरोध होगा कि वह दिल्ली के विभिन्न मोहल्लों की स्थिति में सुधार तो लावें ही, संसद सदस्यों के फ्लेटों में भी नियमित रूप से पानी सप्लाई करने की व्यवस्था करें ताकि उनका असन्तोष दूर हो सके।

(चार) कृषि पम्प सेटों की खरीद के लिए पर्याप्त ऋण देने की आवश्यकता

श्रीमति जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के विषय को उठाना चाहती हूं।

इलैक्ट्रिक मोटर उद्योग को मंदी का सामना करना पड़ रहा है। मोटर उद्योगों में यह मंदी मुख्य रूप से कृषि पम्पों के लिए ऋण पर रोक के कारण है। बिजली मोटर के निर्माताओं ने जनवरी 1982 से अपना उत्पादन कम कर दिया है। इस उद्योग का उत्पादन 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।

जब तक सरकार उत्पादन में कमी होने की प्रवृति को बदलने के लिए आवश्यक रूप से योजनाबद्ध कार्यवाही नहीं करती तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इसे ध्यान में रखते हुए मेरी मांग है कि भारत सरकार को कृषि पम्पों की खरीद के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इलैक्ट्रिक मोटर उद्योग में मंदी समाप्त की जा सके।

(पांच) कपास एकाधिकार खरीद योजना के अन्तर्गत कपास के गारंटीशुदा मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : महाराष्ट्र में कपास एकाधिकारी क्रय योजना के अन्तर्गत

रुई की कई किस्मों के गारन्टी शुदा मूल्य 50 रुपये प्रति क्विंटल घटाये जा रहे हैं। इससे महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों को निराशा हुई है।

पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्षों के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाईयों के मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ गये हैं लेकिन कपास के गारन्टी शुदा मूल्य उसी स्तर पर रखे गए हैं। कृषि मूल्य आयोग ने रुई के मूल्य बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया यद्यपि वे जानते थे कि उर्वरक तथा कीटनाशी दवाईयों के मूल्य काफी बढ़ गए हैं। भारत सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रुई एकाधिकार क्रय योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष के गारन्टी शुदा मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाये।

(छः) रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन डाक और तार कार्यालयों को खुला रखने की व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता

***श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** (तिरनेलवेली) : डाक तथा तार विभाग में 20 सरकारी छुट्टियां होती हैं। अभी हाल तक वर्ष में केवल कुछ ही इतवार के दिनों में डाकघर पूरी तरह से बन्द रहते थे। सरकारी छुट्टियों में डाकघर छः घण्टे तक काम करते थे। ऐसे दिनों में डाक एक बार बांटी जाती थी और एक बार भेजी जाती थी।

कुछ महीने पहले सभी इतवारों तथा सरकारी छुट्टियों में डाकखानों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश निकाले गए। रविवार के दिनों में डाकखानों में कोई भी काम नहीं होता था। छुट्टियों में काम करने वाले डाकतार विभाग के कर्मचारियों को सर्वोपरि भत्ता मिलता था। अब उन्हें कोई भी समयोपरि भत्ता नहीं मिलता है, क्योंकि वे छुट्टियों में काम नहीं करते हैं। यह अनुभव किया जाता है कि कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता न देने के उद्देश्य से अब सरकारी छुट्टियों तथा इतवारों में डाकघर काम नहीं कर रहे हैं।

रेलवे तथा बिजली विभाग की तरह डाक तथा तार विभाग भी लोगों के लिए एक अनिवार्य उपयोगिता सेवा है। प्रत्येक रविवार को रेलगाड़ियां चलती हैं और बिजली की सप्लाई बन्द नहीं होती है। कारण समयोपरि भत्ता न देने का हो या कुछ और डाकघरों में इतवार को काम नहीं है और लोगों के हितों को क्षति पहुंचती है।

अब एक्सप्रेस डिलिवरी की प्रणाली नहीं है। लोगों की सुविधाओं में कमी हो रही है। डाक तथा तार विभाग सेवा में शनैः शनैः कमी होती जा रही है।

सर्वसाधारण की सेवा के हित में, मैं मांग करता हूँ कि इतवारों तथा अन्य सरकारी छुट्टियों में डाकघरों में कुछ घंटों के लिए काम करने की प्रणाली को फिर शुरू किया जाये।

*तमिल में दिये गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(सात) पिगमी जमा योजना की बहाली

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर-दक्षिण) : काफी समय से बैंकों की एक योजना के अनुसार गरीब तथा मध्यम वर्ग के ऐसे लोगों से बचत के लिए राशि एकत्र की जाती है जो साधारणत: बैंकों में जमा खाते बचत-बैंक खाते नहीं खोलते, जहाँ जमाकर्ताओं को अपने लेखों में पैसा जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता है। छोटे जमा कर्ताओं के छोटे लेखों के मामले में बैंकर (अधिकृत एजेन्टों द्वारा) जमाकर्ताओं के पास जाकर 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये प्रतिदिन अथवा प्रति सप्ताह एकत्र करके उनके खातों में जमा करते हैं। जमा राशि पर थोड़ा सा ब्याज दिया जाता है। एजेन्ट (छोटी राशि एकत्र करने वाला) एकत्र राशि के आधार पर कमीशन प्राप्त करेगा।

छोटे जमा खातों के गुण ये हैं :

1. छोटे खातों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। यदि एकत्र न की गई तो वह गैर उत्पादन कार्यों पर खर्च होगी।

2. एजेन्टों को कमीशन मिलता है, जिससे इन कठिन दिनों में जीवनयापन के लिए काफी सहारा मिलता है।

3. बैंकों में राशि जमा होगी। यह चाहे एक बड़ी राशि भी न हो, फिर भी बहुत से छोटे-छोटे खातों से एक बड़ी राशि बन जाती है।

4. छोटी राशि जमाकर्ता को एक वर्ष या इससे अधिक समय के बाद एक बड़ी राशि मिलेगी। वह इसका उपयोग व्यापार के लिए कर सकता है अथवा उसे ऋण आदि के चुकता करने में भी सहायता मिल सकती है।

इस राशि के लिए, चाहे वह एक बड़ी राशि भी न हो, बैंक अपनी सेवा प्रदान करता। छोटी जमा राशि से अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता और न ही बैंकों पर इसका भार पड़ता है। अब बैंकों को नये जमा खाते खोलने का काम बन्द करने की रिजर्व बैंक की अनुपातें प्राप्त है। जिसका अर्थ यही है कि छोटे जमा खाते धीरे-धीरे बन्द हो जायेंगे।

इसका सबसे बुरा प्रभाव छोटी जमा राशि के एकत्र करने वाले लोगों और कुछ हद तक जमाकर्ताओं पर पड़ेगा जिनकी संख्या कर्नाटक में 6000 से 8000 से अधिक है। ये लोग बेरोजगार हो जायेंगे और उन्हें भूखे मरना पड़ेगा। बैंक कमजोर वर्गों की सेवा करने के अवसर से वंचित हो जायेंगे।

असंख्य छोटी जमा राशि एकत्र कर्ताओं की ओर से मैं यह मांग कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है।

इस छोटी जमा राशि द्वारा प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता मिलेगी।

(आठ) किमोर स्थित कम्पनी तथा फैक्ट्री को लेवी/गैर-लेवी सीमेंट जारी करने तथा उसकी सप्लाई अधिकृत करने की आवश्यकता

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : ऐसबस्टस सीमेंट लिमिटेड का किमोर, तहसील मझारा, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा घोषित क्षेत्र है, में एक कारखाना है, जहाँ यह 1934 से ऐसबस्टस तथा अन्य इमारती सीमेंट का सामान तैयार कर रहा है। इसमें 1000 से अधिक श्रमिक काम करते हैं।

आर्डीनेरी पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रमुख कच्चा माल है जो ऐसबस्टस सीमेंट सामान तैयार करने के लिए लगता है और इसी कारण ऐसबस्टस सीमेंट लिमिटेड ने ए. सी. सी. लिमिटेड जो 1920 में शुरू किया गया था, के नजदीक किमोर में अपना कारखाना लगाया है। कम्पनी अपनी ओ. पी. सी. की सप्लाई ए. सी. सी. के नजदीकी कारखाने से काम शुरू करने के बाद से ही प्राप्त करती रही है।

ए. सी. सी. ने 26 अगस्त, 1982 से कम्पनी को सीमेंट की सप्लाई बन्द कर दी है और कम्पनी को 2 सितम्बर, 1982 से जरूरी छुट्टी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ए. सी. सी. ने कहा है कि वह ऐसबस्टज सीमेंट लिमिटेड को कुछ महीनों तक सीमेंट की सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसे लेवी कोटे की सप्लाई के दायित्वों को पूरा करना होता है और इसके पास गैर-लेवी उपभोक्ताओं अथवा मार्केट में ओ. पी. सी. सप्लाई करने के लिए माल नहीं है।

कम्पनी किमोर में इस पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु अपनी गतिविधियों में वृद्धि करती आ रही है। शुरू में, 1934 में कम्पनी ने अपना काम एक मशीन से शुरू किया। 1957 में इसने दूसरी मशीन चलाकर अपनी क्षमता को दुगना किया। इसने पाईप निर्माण भी शुरू किया है।

इस समस्या को हल करने के लिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं वह किमोर स्थित कम्पनी के कारखाने के लिए लेवी अथवा गैर-लेवी सीमेंट जारी करने तथा उसकी सप्लाई अधिकृत करें।

इससे कम्पनी जरूरी छुट्टी न कर सकेगी तथा उत्पादन फिर शुरू कर सकेगी।

(नो) बिहार में महात्मा गांधी पुल का निर्माण पूरा करना

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पटना हाजीपुर के बीच नवनिर्मित महात्मा गांधी सेतु चालू तो हो गया लेकिन उसका एक भाग ही बन पाया है। फलस्वरूप दुर्घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। एक तो किसी तरह से बनाए गए इस पुल की फ़िनिशिंग नहीं हुई है, दूसरे यह पुल सबसे अधिक व्यस्त पुल हो गया है। यदि अविलम्ब दूसरे हिस्सों को नहीं बनाया गया तो वरदान के बजाए यह अभिशाप हो जायेगा।

अत: केन्द्र सरकार स्वयं दिलचस्पी लेकर इस पुल के अधूरे कार्य को पूरा कराए और आवश्यकता हो तो बिहार सरकार को आर्थिक सहायता भी दे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विचारार्थ तथा पारित करने हेतु विधायी कार्य विधेयक लेंगे।

अमृतसर आइल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

> "कि पौष्टिक वनस्पति और परिष्कृत खाद्य तेलों को उचित कीमतों पर जनता को प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित लोक स्वामित्व के या नियंत्रत यूनिटों के केन्द्रों को कायम रखने और उन्हें सुदृढ़ करने की दृष्टि से, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिये राज्य की नीति का क्रियान्वित किया जा सके, अमृतसर आइल वर्क्स के सम्बन्ध में अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी के उपक्रमों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विधेयक में अमृतसर आइल वर्क्स, जो अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी लिमटेड का वनस्पति उत्पादन एकक है, 65.59 लाख रुपये की राशि के मुआवजे का भुगतान करने पर, के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का उपबंध किया गया है।

अमृतसर आइल वर्क्स अमृतसर, अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड का एक उपक्रम है। केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकल्प और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 18 क(क) के अधीन 12 सितम्बर, 1974 से इसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया था। वित्तीय अनियमितताओं

तथा कुप्रबन्ध के कारण उपक्रम को 1971 के बाद बहुत हानि हुई जिसके फलस्वरूप इसे 18 महीनों के लिये बंद करना पड़ा। पंजाब सरकार तथा भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने शुरू में पांच साल के लिये अमृतसर आइल वर्क्स के प्रबन्ध को अपने हाथों में लिया। अधिकार में लिये जाने की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और नवीनतम बढ़ायी गयी अवधि 12 सितम्बर 1982 तक की थी। 3 सितम्बर, 1982 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 1410, जिसे अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी के एक निदेशक ने दायर किया था। निर्णय दिया कि केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत समय-समय पर इस उपक्रम के प्रबन्ध को हाथ में लेने की अवधि को बढ़ाये जाने के लिए जारी किए गए आदेश अवैध थे और उपक्रम प्रबन्ध को 15 अक्तूबर, 1982 तक मूल मालिकों को सौंपा जाये।

केन्द्रीय सरकार का विचार है कि उपक्रम के प्रबन्ध को मूल मालिकों को सौंपना जन-हित में नहीं होगा। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार 15 अक्तूबर, 1982 से पहले कानून बनाकर उपक्रम को अधिकार, हक, और हित को अपने हाथ में ले ले।

सितम्बर 1974 में, उपक्रम के प्रबन्ध को हाथ में लेने के समय, इसकी कुल सम्पत्ति 85 लाख रुपये की थी। सरकारी प्रबन्ध के दौरान, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने 65 लाख रुपये का ऋण दिया और भारतीय स्टेट बैंक ने 200 लाख रुपये तक की कार्य संचालन पूंजी नकद दी। केन्द्रीय सरकार द्वारा एकक को अपने अधिकार में लिये जाने के बाद पिछली देनदारियों के भुगतान को स्थगित किया गया।

केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता तथा व्यवसायिक प्रबन्ध की व्यवस्था से एकक ने उसके बाद हर वर्ष प्रगति की। इसको अपने अधिकार में लिये जाने से तीन वर्ष के बाद एकक लगातार लाभ कमाता रहा है। इस लाभ को क्षमता के विस्तार तथा उत्पादन पर लगाया गया। सभी घाटों को समाप्त कर दिया गया है और 1.12 करोड़ रुपये के ऋणों का भुगतान कर दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : किसको ?

श्री भागवत झा आजाद : उनको जिन्होंने ऋण दिया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बैंक को छोड़ कर अन्य कोई व्यक्ति।

श्री भागवत झा आजाद : हमने बैंक से जो ऋण लिया था, उसको हमने वापिस कर दिया है।

इकाई ने भारी संशोधन इकट्ठे कर लिए हैं।

[श्री भागवत झा आजाद]

इस इकाई और गणेश फ्लोर मिल कम्पनी लिमिटेड को, जिसका प्रबन्ध भी केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है, केन्द्रीय सरकार अपनी तेल नीति कार्यान्वयन हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधीन उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए आयातित कच्चे तेल को लगभग पूर्णतया इन्हीं दो उपक्रमों द्वारा साफ किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वे दोनों ही देश के कुल वनस्पति उत्पादन का लगभग एक बटा छः भाग उत्पादित करते हैं।

तेल और बनस्पति के बाजार विनियमित करने और उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को वनस्पति तथा खाने के तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को प्रभावी भूमिका प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई भारत सरकार की खाने के तेल की नीति के सन्दर्भ में, ऐसा अनुभव किया जाता है कि सरकार के प्रबन्धाधीन पर्याप्त उत्पादन क्षमता तैयार की जानी चाहिये और इस उद्देश्यार्थ अमृसर आइल वर्क्स तथा दि गणेष फ्लोर मिल्स दोनों को ही मिलकर एक सशक्त केन्द्र बिन्दु का कार्य करना चाहिए।

अमृतसर आइल वर्क्स की वर्तमान स्वस्थ स्थिति, 1974 में केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के बाद उठाये गये विभिन्न कदमों का सम्मिलित परिणाम है। यदि इकाई का राष्ट्रीयकरण न करके उसे उसके मूल मालिकों को वापिस दे दिया जाता है तो इसके फिर से बीमार पड़ने का काफी खतरा है। इस प्रकार सरकारी प्रबन्धकाल में जो परिणाम उपलब्ध हुए हैं वे व्याप्त हो जायेंगे इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाने के आयातित तेलों के प्रबन्ध में भी बाधा होगी। अतः लोक हित में अमृतसर आइल वर्क्स का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है।

विधेयक में क्षतिपूर्ति के बदले 65.29 लाख रुपये की धनराशि के भुगतान का प्रबन्ध है। इसमें, जितने समय तक इकाई सरकार के प्रबन्धाधीन रही है, उतने समय की 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से क्षतिपूर्ति राशि भी सम्मिलित है। विधेयक में भुगतान आयुक्त की नियुक्ति का भी प्रावधान है जिसको क्षतिपूर्ति के बदले में यह राशि सौंप दी जायेगी। ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि अपूर्तिभूत ऋणों को और जन चालू देनदारियों को जिन्हें प्रबन्ध हाथ में लिए जाने के बाद ऋण स्थगन के अधीन रखा गया था और जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है उन्हें क्षतिपूर्ति के बदले में दी जा रही इस राशि में से पूरा किया जाना चाहिये। शेष राशि मूल मालिकों को देने का प्रस्ताव है।

इस उपक्रम को चलाने के लिए एक नई कम्पनी का गठन करने का प्रस्ताव है। यह कम्पनी पूर्णतया सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी होगी।

विधेयक में उपक्रम के कर्मचारियों के, नई प्रस्तावित कम्पनी में रोजगार चालू रखने का प्रावधान है ।

मुझे पूरा विश्वास है कि प्रस्तावित विधेयक को समस्त सभा का समर्थन मिलेगा । इन परिचात्मक टिप्पणियों के साथ, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अमृतसर आइल वर्क्स, उपक्रम का आधिग्रहण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पौष्टिक वनस्पति और परिष्कृत खाद्य तेलों को उचित कीमतों पर जनता को प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित लोक स्वामित्व के या नियंत्रित यूनिटों के केन्द्रों को कायम रखने और उन्हें सुदृढ़ करने की दृष्टि से, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिये राज्य की नीति को क्रियान्वित किया जा सके, अमृतसर आइल वर्क्स के सम्बन्ध में अमृतसर सुगर मिल्स कम्पनी के उपक्रमों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री टी० आर० शमन्ना ।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को 30 नवम्बर, 1982 तक उस पर राय जानने हेतु परिचालित किया जाए ।" (4)

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ अर्थात राष्ट्रीयकरण से सम्बद्ध कार्य । परन्तु इसी के साथ-साथ मैं यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर देता हूँ कि इस कम्पनी-विशेष के भूतपूर्व स्वामियों को जो पारितोषिक भरपूर मात्रा में दिया जाता है, मैं उसका समर्थन करता हूँ । यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं परन्तु निहितार्थ में और मन्त्री महोदय द्वारा अभी-अभी दिए गए वक्तव्य में, उन्होंने कहा है कि कम्पनी अकुशल और अक्षम थी ।

महोदय, हम राष्ट्रीयकरण के उपाय का इसलिए समर्थन नहीं कर रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी मरीचिकामय परिकल्पना की गई है कि यह हमें समाजवाद की ओर ले जायेगा, परन्तु इसलिए कर रहे हैं कि जब उत्पादन के साधन का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और राज्य के नियन्त्रणाधीन हो जाता है तो उसमें भी लोक-उत्तरदायित्व की भावना घर कर जाती है । अतः उस दृष्टिकोण से, हम राष्ट्रीयकरण के कदम का समर्थन करते हैं । इस विधेयक के

[श्री सुनील मैत्रा]

उद्देश्यों और कारणों के कथन में मन्त्री महोदय ने कहा है :

"यह खुले बाजार में उचित कीमतों पर विक्रय करने के लिए पौष्टिक वनस्पति का उत्पादन भी करता रहा है।"

क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूँ कि जब सरकार कम्पनी का अधिग्रहण कर चुकी है और सरकार उसे चला रही है और गत 7 या 8 वर्षों से चल रही है और इस कम्पनी-विशेष को कुशलतापूर्वक चलाने की प्रक्रिया में क्या उसके उत्पादन को सस्ते दामों में बेच रहे हैं ? कम्पनी में न केवल घाटे को समाप्त कर दिया है, परन्तु वर्ष-दर-वर्ष लाभ भी कमा रही है। पर क्या आप निजी क्षेत्र की उन अन्य कम्पनियों के मुकाबले में, अपने उत्पाद को कम मूल्य पर बेच रहे हैं, जो इन उत्पादों को बाजार में बेच रही हैं ? अत: "खुले बाजार में उचित कीमतों पर विक्रय" कहने से आपका क्या तात्पर्य है ? क्या यह निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा ली जाने वाली कीमतों से कम है ?

दूसरे, आपने कहा है कि इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करके, जहाँ तक खाने के तेलों का सम्बन्ध है, आप सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभाना चाहते हैं। आपने अपने वक्तव्य में यही कहा है। जहाँ तक खाने के तेलों का सम्बन्ध है, सार्वजनिक क्षेत्र में इस क्षण इसका 16 प्रतिशत योगदान है। आप उन विदेशी एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों का क्या करने जा रहे हैं जो कि निजी क्षेत्र में पहले से ही खाने के तेल बना रही हैं ? इस उद्योग में हिन्दुस्तान लीवर और अन्य निजी एकाधिकार प्राप्त कम्पनियां कार्यरत हैं। अत: क्या आप ऐसे ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे कि यह महत्वपूर्ण वस्तु, खाने का तेल, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकतम महत्व प्राप्त कर सके, जिससे कि कीमतें निर्धारित की जा सकें, उत्पादन बढ़ाया जा सके और लोगों को लाभ मिल सके ? क्या आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जो उत्पादन करती हैं उसका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हो ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको यह वचन अवश्य देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : मुझे यह खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि यहां पर संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 39 (ख) में कहा गया है :

"(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से हित साधन हो;"

अनुच्छेद 39 (ग) में कहा गया है : धन और उत्पादन-साधनों के केन्द्रण को टोकना।

इस कम्पनी का अधिग्रहण करते समय, जिसके लिए आप 65 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दे रहे हैं, जो कि कुल उत्पादन के 16 प्रतिशत से अधिक उत्पादन नहीं देता है तो क्या आप वास्तव में अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) का अनुपालन कर रहे हैं अर्थात संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्त का पालन कर रहे हैं ? टाटाओं, बिरलाओं, सिंघानियाओं तथा अन्यों के बारे में आपको क्या कहना है—जो कि समस्या का मूल मर्म है—जो कि आज औद्योगिक क्षेत्र की न केवल महत्वपूर्ण ऊचाइयों को छू रहे हैं; बल्कि आज तो इस देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का गला उनकी जकड़ में है ? जहां तक इन बड़े लोगों का सम्बन्ध है, उन पर संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को लागू नहीं किया जा रहा है। जब इस छोटे से उपक्रम का अधिग्रहण किया जा रहा है—यह बुरा नहीं, हम इसका राष्ट्रीयकरण करने के कदम का समर्थन करते हैं—तो इसी के साथ-साथ इन छोटे और मध्यम उपक्रमों का अधिग्रहण करते समय, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के इस प्रकार के द्वेषपूर्ण शोषण को नहीं अपनाना चाहिए। यह द्वेषपूर्ण शोषण के सिवाय और कुछ नहीं है। जब विपक्ष आपको संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के बारे में बताता है तो आप कहते हैं "हम उनके अनुसार चल रहे हैं।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अनुच्छेद 31 (ग) के लाभार्थ उल्लिखित किया जाता है।

श्री भागवत झा आजाद : आप यह कहीं अधिक अच्छी तरह जानते हैं कि इसे क्यों दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए, आप इसे उस तक सीमित कर दें।

श्री सुनील मैत्रा : वह सिनिक शोषण मात्र है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : न्यायालय में चुनौती से बचने के लिए।.....

श्री भागवत झा आजाद : यह शोषण का प्रश्न नहीं है यह तो अपने आपको बचाने के लिए मैंने किया है।

श्री सुनील मैत्रा : उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में यह कहा गया है कि कम्पनी अपने आकार और स्थिति के अनुरूप संचालित नहीं की जा रही थी। अभी-अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि कम्पनी 85 लाख रुपये के घाटे में पहुंच गई थी। यदि मैंने उनकी बात सही सुनी है तो, जब कम्पनी का अधिग्रहण किया गया था तो, उन्होंने कहा था यह 'घाटा' 86 लाख रुपये का था। अतः मेरे विचार से इसका अर्थ है कि कम्पनी का अधिग्रहण करते समय घाटा 85 लाख रुपये तक पहुंच चुका था। अब कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। कम्पनी के अधिग्रहण और राष्ट्रीयकरण के मध्य, जबकि आज लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है, प्रबन्धकों

[श्री सुनील मैत्रा]

को सरकार में मिला लिया गया है, घाटा को समाप्त कर दिया गया है और आज यह कम्पनी लाभ कमा रही है। आप फिर किस बात के लिए 65 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति कर रहे हैं ? क्या यह कम्पनी के लिए कुप्रबन्धन के लिए या अंकुशलता के लिए अथवा अक्षमता पूर्ण संचालन के लिए है। इन चोरों और ठगों पर अभियोजन के बजाय आपने न केवल उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की है; अपितु देश और जनता के साथ भी की है जिसमें आप 65 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के रूप में अच्छी खैरात दे रहे हैं।

केवल इतना ही नहीं, खण्ड 7 (1) में आप 65 लाख क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव कर रहे हैं और खण्ड 7 (2) में आप यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि कम्पनी भूतपूर्व प्रबन्धकों को प्रबन्धन से हटाए जाने के लिए 10,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएं। मुझे याद नहीं पड़ता कि अन्य विधेयकों में भी ऐसे उपबन्ध रखे गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जनता के धन से एक और ऐसा ही दान दिया गया है।

श्री सुनील मैत्रा : आप 10,000 रुपयों का प्रतिवर्ष क्यों भुगतान कर रहे हैं ? यह इसलिए क्योंकि इन लोगों को प्रबन्धन से वंचित कर दिया गया है ? उन पर तो अभियोग चलाया जाना चाहिए था। परन्तु उन पर अभियोग चलाने की बजाय, उन्हें दण्डित करने की बजाय, आप अधिग्रहण की तिथि से धन के भुगतान तक 10,000 रुपए प्रति वर्ष का पुरस्कार दे रहे। इसके अतिरिक्त 10 000 रुपए प्रति वर्ष देने और 65 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति करने के बाद भी, जब तक रुपयों का भुगतान नहीं कर दिया जाता आप 4 प्रतिशत की दर से ब्याज भी दे रहे हैं।

अतः, मेरे विचार से कम्पनी का यह राष्ट्रीयकरण संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों से मेल नहीं खाता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) के अनुरूप नहीं है।

धारा 16 (2) (ख) में यह बताया गया है :—

"कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन अमृतसर आइल वर्क्स के सबंन्ध में अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांग हो जाने के सबंन्ध में प्रतिकर के लिये या दायित्व की बाबत सभी शोध्य रकमें जब तक कि उक्त कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 में वर्णित बीमा कर्त्ता के साथ ऐसी संविदा के अधीन उक्त कम्पनी के अधिकार, कर्मकारों को अंतरित होने या उनमें निहित होने योग्य न हो।"

यह अच्छी बात है कि आपने इसके लिये व्यवस्था की है। लेकिन मैं यह जानना चाहता

हूँ कि कर्मकारों के उन बकाया वेतनों अथवा धनराशियों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख उपरोक्त धारा में उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में एक उपबन्ध क्यों नहीं बनाया गया है। मेरी यह राय है कि यदि इस उपबन्ध को भी इसमें सम्मिलित किया जाये, तो यह बेहतर होगा।

धारा 16 (2) ग, में कहा गया है :—

"अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी द्वारा किसी भविष्य निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिये स्थापित किसी अन्य निधि में जमा करने के किसी कर्मचारी के वेतन या मजदूरी से काटी गई सभी धनराशियां किन्तु जो ऐसी निधियों के खाते में जमा न की गई हो"

दूसरे शब्दों में इसका यह तात्पर्य है कि यदि प्रबन्धकों ने कर्मकारों के वेतन से कटौतियां की हैं और कर्मकारों के भविष्य निधि लेखे में पैसा जमा नहीं किया है तो उन पर दायित्वों को न निभाने का यह पहला आरोप। यह बात अच्छी है कि आप भुगतान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ? जो लोग इस कम्पनी की व्यवस्था कर रहे थे क्या उनसे ही यह धनराशि वसूल नहीं की जानी चाहिये ? मैं इस बात को मानता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें कुछ ऐसी धनराशि होनी चाहिये, जिसको प्रबन्धकों द्वारा कर्मकारों को दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह सुझाव दे सकते हैं कि जब सरकार द्वारा मुआवजे का भुगतान किया जाये, तब इसकी कटौती की जा सकती है।

श्री सुनील मैत्रा : जी हां। यह बात ठीक है। आप इस धनराशि को कर्मकारों के भविष्य निधि तिथि में जमा कर दीजिये। मैं इससे सहमत हूँ। यह बात ठीक है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने पहले ही इस खाते के लिये कर्मचारियों से धनराशि वसूल की है और उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया है, तभी सरकार को मुआवजा देना पड़ा है।

श्री सुनील मैत्रा : मेरा प्रश्न यह है कि इसके साथ ही इन व्यक्तियों को भी सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिये। आप यह कहते हैं कि अभियोग चलाने के लिए कोई भी कानून मौजूद नहीं है। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्शित करना चाहता हूं कि जब कर्मकारों को उनके उचित वेतनों से वंचित करने का कोई कानून नहीं है, इस संसद अथवा सातवीं लोकसभा द्वारा एक नया कानून बनाया जा रहा है, ताकि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को उनके बकाया वेतनों से वंचित न किया जा सके। ऐसा इसलिऐ किया जा रहा है क्योंकि यहां पर कोई कानून नहीं है और जो कानून विद्यमान था उसको उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रभावहीन कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय का यह कहना है कि विद्यमान कानूनों द्वारा भारत सरकार के जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों की कोई सुरक्षा नहीं है। इसके विपरीत विद्यमान कानूनों के

[श्री सुनील मैत्रा]

द्वारा कर्मचारियों को सहायता मिलती है। ऐसी स्थिति में नियोजकों के हितों की सुरक्षा के लिए किसी विधान की घोषणा करना अथवा बनाना आपके लिऐ संभव था।

यदि इस मामले में आपका यह तर्क है कि ऐसे भूतपूर्व मालिकों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई कानून नहीं है जिन्होंने कर्मकारों के धन का दुरुपयोग किया हो अथवा गबन किया हो, और यदि वास्तव में सरकार कर्मकारों के इन हितों को सुरक्षित करने के पक्ष में है, जिनकी सरकार द्वारा समय-समय पर घोषणा भी की गई है, तब ऐसी स्थिति में सरकार को एक विधान लाना चाहिए और उसमें इस प्रकार के उद्योगों के भूतपूर्व संस्थापकों को सजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

यह एक अच्छी बात है कि सरकार राष्ट्रीयकरण के लिए आज इस विधेयक को लाई है।

मैं सरकार के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कम्पनियों, कारखानों तथा मिलों के बहुत संख्या में ऐसे मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं, जिनका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। उदाहरण के तौर पर कलकत्ता शहर में इंन्चेक, नेशनल रबड़, स्टील तथा अलौह उत्पाद बंगाल पोटरीज तथा इसी प्रकार की वहां की बहुत सी 'कम्पनियों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया है। भारत सरकार हमें बार-बार यह आश्वासन दे रही है कि इन सभी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाऐगा। सरकार पहले ही इन उद्योगों में 30-50 करोड़ रुपये की धनराशि लगा चुकी है। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इन उद्योगों का राष्ट्रीकरण नहीं किया गया है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ—नि:सदेह रूप से मंत्री महोदय इन उद्योगों के राष्ट्रीकरण करने के लिऐ जिम्मेदार नहीं हैं—लेकिन मंत्री महोदय के माध्यम से मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे उद्योगों के मामले में, जिनका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया है उनका राष्ट्रीकरण करने के लिऐ विधेयक लाऐ जायें ताकि कर्मकार और जनता यह महसूस कर सके कि सरकार वास्तव में ही जनता के हितों का ध्यान रखती है।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक भोजनकाल के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 7 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अमृतसर आइल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री गिरधारीलाल डोगरा।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाब डिप्टी स्पीकर सहाब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं वनस्पति घी की इंडस्ट्री की कुछ बातों की तरफ जनाब मिनिस्टर साहब की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं।

आज वनस्पति घी हमारी सोसायटी के लिए बहुत जरूरी चीज है। हर गरीब और अमीर इन्सान इसका इस्तेमाल करता है। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वनस्पति घी को रीजनैबल प्राइस पर बेचने का इन्तजाम किया जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी को अच्छा रखते हुए मुनासिब क्वान्टिटी को रिलीज करते रहना चाहिए। सिर्फ कानून का सहारा ले कर नहीं, बल्कि काम्पीटीशन के जरिये प्राइस और क्वालिटी को कंट्रौल किया जा सकता है।

यह एक काबिले-तहसीन और काबिले-तारीफ बात है कि जब से गवर्नमैंट ने एक बिल्कुल शिकस्त-खुर्दा यूनिट को टेक ओवर किया है, तब से वह एक हैल्दी यूनिट बन गया है। इससे पता लग जाता है कि पब्लिक सैक्टर के यूनिट को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है और खराब यूनिट को भी अच्छे रास्ते पर लाया जा सकता है। पब्लिक सैक्टर के खिलाफ जो बुहतान तराशे जाते हैं, उस पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं, इससे वे गलत साबित हो जाते हैं। पब्लिक सैक्टर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए मैं समझता हूँ यह काबिले तारीफ बात है।

इस इण्डस्ट्री के मुताबिक और भी बहुत सी बातें हैं। मैं खास तौर पर आजाद साहब से कुछ कहना चाहूंगा। उनके साथी को तो ज्यादा वाकफियत है क्यों वे इसके साथ वाबस्ता रहे हैं। होता यह है कि कुछ इण्डस्ट्रीज जो इम्पार्टेड तेल बाहर लेते हैं उसको तो मार्केट में फरोख्त कर देती है और खुद जैतून का तेल, जोकि हाई टेम्प्रेचर पर भी मेल्ट नहीं होता है। उसी को वे कनस्तरों में भर-भरकर बेचते हैं। मैं इस सिलसिले में किसी यूनिट का नाम नहीं लेता क्योंकि यह ना मुनासिब होगा लेकिन आप टेस्ट करवायेंगे तो आपको पता चल जायेगा। अफसोस की बात यह है कि आपके यहां सुर्पविजन की जो एजेन्सी है वह भी बहुत नाकाफी है। जो स्टेट गवर्नमेन्ट्स हैं वह भी इसको अच्छी तरह से नही देखती हैं। और जो बड़े-बड़े पैसे वाले लोग हैं जोकि इस किस्म की बातें करते हैं वे रियासती गवर्नमेन्टस को अपनी जेब में डाले हुए हैं। वे लोग जैतून का तेल देकर जनता को मार रहे हैं। इन्सान के अन्दर जो गर्मी है उससे यह तेल पिघल नहीं सकता है। इसलिए इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर में सभी लोग ऐसा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसा काम करते हैं, बाकी लोग अच्छा माल भी बना रहे हैं। लेकिन जो जैतून का तेल बेचने वाले हैं, साबुन बनाने के लिए, उन्होंने आपके दफ्तर में अछूत असर और रसूक बनाया हुआ है। वे लोग सेक्रेटेरियट में, नेहरू प्लेस में या जगह आपके दफ्तर में जाते हैं तो उनके साथ आओभगत का व्यवहार किया जाता है क्योंकि उनके पास फालतू पैसा है। उन लोगों के असर का अन्दाज आप नहीं कर सकते हैं। जो शरीफ हैं उनको आपके दफ्तरों में धक्के पड़ते हैं आपकी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसने यह लिखा

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

था कि 50 टन पर डे प्रोडक्शन वाली यूनिट एकोनामिकली वायबल होगी लेकिन जो छोटी यूनिटें पहले से ही सैक्शन हो चुकी है उनकी बात आपके दफ्तर में सुनी नहीं जाती है। ठीक माल बनाने के लिए उनकी कैपेसिटी बढ़ाकर उन्हें बायबल बनाना चाहिए। लेकिन यह जो कंज्यूमर गुड्ज हैं वह आम तौर पर प्राईवेट या कोऑपरेटव एक्ट होना चाहिए लेकिन कारखाना पब्लिक सेक्टर में इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ठीक तरह से चला नहीं। एक बात तो आपकी नोटिस में आ गई लेकिन दूसरी बातें जो और भी ज्यादा खतरनाक हैं उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। जो अच्छी तरह से चलने वाली यूनिट्स हैं, जोकि 50 टन से कम हैं, उनको भी आप मेहरबानी करके एकोनामिकली वायबल लेवल पर ले आइये ताकि वह भी अच्छी तरह से चल सकें वरना उनको भी आपको टेक-ओवर करना पड़ सकता है।

मुझे इस सिलसिले में कुछ स्टडी करने का मौका मिला है और मैं चाहता हूं मैं वह बातें आपकी नोटिस में ले लाऊं ताकि जो आप मुनासिब समझें उस पर आप अमल करें। प्राइसेज कन्ट्रोल करने के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन डिफरेन्ट यूनिट्स को तेल की सप्लाई करता है लेकिन अगर आप हर स्टेट में डिस्ट्रिब्यूशन सेन्टर्स नहीं बनायेंगे तो किसी स्टेट में जिसमें तेल का डिपो नहीं है सेल्स टैक्स चार परसेन्ट बढ़ जाता है औद कांसिक्वेंटली इसकी वजह से प्राइसेज बढ़ जाती है 8-10 परसेन्ट तक, जोकि एक गरीब आदमी के लिए बहुत बडा इजाफा होता है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को कहे कि वनस्पति बनाने के लिए तेल आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सैन्टर हर स्टेट में हों, ताकि इन्टरस्टेट सैल्स टैक्स में सुविधा हो सके।

दूसरी बात यह है कि तेल कान्डला में टैंकरों के जरिए आता है। टैंकर वाले, इन्शोरेंस कम्पनी और प्रोड्यूसर ये तीनों मिलकर कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया और टैंकर के टैंकर गायब हो जाते हैं लीकेज का रेट भी बहुत ज्यादा है, जबकि इतना लीकेज़ नही होता है। इस की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अमृतसर में भी तेल कांडला रोड़ से आता है। पंजाब के अन्दर डिस्ट्रीब्यूशन सेन्टर होने की वजह से आपको तेल बिना टैक्स मिल जाता होगा। प्राइवेट सैक्टर वाले बहुत आसानी से अच्छा तेल दे सकते हैं, लेकिन क्वालिटी तभी अच्छी हो सकती है यदि एडिबल आयल अच्छा इस्तेमाल किया जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह भी आपकी तवज्जह जानी चाहिए। कांडला से पहले कोशिश करनी चाहिए जितना तेल आए वह रेलवे टैंकर्स के जरिए आना चाहिए। मैं आपके नोटिस में यह बात इसलिए ला रहा हूं कि आप इस रैकेट को दूर कर सकेंगे।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनकी कैपेसिटी आपको पूरी करनी है, उनको पूरा करिए लेकिन आइन्दा के लिए जितने भी आपको यूनिट खोलने हैं, वे सब को-आपरे-

टिव सैक्टर में खोलिए या पब्लिक सैक्टर में—यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । जैतून का तेल बिल्कुल वनस्पति की तरह होता है । देश की जनता को पहचानने में कठिनाई होती है। इस प्रकार की कोई शिकायत आपके सामने आती है, तो आप उस कारखाने को टेकओवर कर ले 'अन-एडिबिल आयल' का ट्रेड वनस्पति की शक्ल में बदल के।

मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए, यही कहना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में आपके पास जो कोई भी शिकायत आयेगी तो उसका आप समाधान करेंगे और इस इंडस्ट्री को आप राहत देंगे, इन्सान की जिन्दगी के लिए यह बहुत ही जरूरी इन्डस्ट्री है । खास कर के यह गरीब आदमियों के लिए बहुत जरूरी है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी ने नए-नए नारे देकर इस देश की जनता को गुमराह करने की बार-बार कोशिश की है। वायादा चाहे राष्ट्रीयकरण के नाम पर हो या किसी भी ऐसे कारखाने के अर्जन के नाम पर जो पूंजीपतियों की गलत नीतियों की वजह से खराब चल रहा हो, उन को करोडों-करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में देकर इस देश के खजाने को खाली करने की कोशिश की जा रही है। जनता से यह वायदा किया जाता है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के नाम पर, कारखानों के अर्जन के नाम पर हम तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से इस देश के लोगों को गरीबी बढ़ी है, कम नहीं हुई है और न उसको कम करने का इरादा इस देश की सरकारों का रहा है। माननीय मंत्री जी संविधान के 39 वें अनुच्छेद का सहारा लेकर इस बिल को सदन में लेकर आए हैं। क्योंकि राष्ट्रीयकरण के नाम पर कारखानों का अर्जन करके और गरीबी मिटाने के नाम एक माहौल इस देश में बनाया गया है, जिस का फंडामैंटली हम विरोध नहीं कर सकते लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जितने कारखाने आप ने अभी तक अर्जित किये हैं, और प्राइवेट सेक्टर को बदल कर के पब्लिक सैक्टर को मजबूत करने की कोशिश की है, उन से गरीबी मिटाने के कोई नतीजे सामने आए हैं। अभी आपके आंकड़ों के अनुसार ही इस देश के 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, जिनको हम आधा पेट पर खाना भी नहीं दे सकते। इन्टरनेशनल मैडीकल एसोशिऐशन की यह रिपोर्ट आई है कि दुनिया के अन्दर जितने अन्धे हैं, उन में से एक-तिहाई हिन्दुस्तान में हैं और उसका कारण सिर्फ यह है कि इस देश के लोगों को यह सरकार जूतियाँ तक पहनने के लिए नहीं दे पा रही है। मैं इस बात को इसलिए यहां पर लाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप की फंडामेन्टल नीति ही गलत है। आप इस देश के चाहे जितने भी कारखाने अर्जित कर लीजिए, जब तक आप की बुनियादी नीति इस देश की गरीबी मिटाने के लिए नहीं बनेगी, आप ऐसे कारखानों को अर्जित कर के देश की गरीबी को नहीं मिटा सकते। आपके सामने यह तथ्य है ही और यह आप के ही आंकड़े बताते हैं कि आज भी 36 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। यह स्थिति तब है जबकि दुनिया में हमारे मुल्क

[श्री जगपाल सिंह]

के अन्दर सब से बड़ा मैदान है तिलहन, दलहन और अनाज पैदा करने के लिए और हम दुनिया के कारखानों को यह सब चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन इतने बड़े प्राकृतिक साधन होने के बावजूद भी आज हिन्दुस्तान को एडिबिल आयल इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। मैं आप को बुनियादी पालिसी की तरफ ले जाना चाहता हूं। जब तक इस देश के किसानों को, उन के खेतों को आप मजबूती प्रदान नहीं करेंगे, इस देश के खेतों और किसानों को बिजली मुहय्या नहीं करेंगे, तब तक आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते। आज विदेशों से जो एडिबिल आयल इम्पोर्ट करते हैं, उस में जो थोड़ी-बहुत विदेशी मुद्रा हमारे देश के साइंटिस्ट और/व्यापारी लोग कमाते हैं, तेल के इम्पोर्ट पर करोड़ों-करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च कर देते हैं। तो कौन सा सोर्स हमारे मुल्क के सामने बचता है, जिससे हम विदेशी मुद्रा कमा सकें। आज हमारे यहां खेतों में जितना उत्पादन हो सकता है, उतना नहीं हो पाता है जिस से इस देश के गरीब लोगों को आप सस्ते दामों पर इन चीजों को मुहय्या नहीं करा सकते। आज हमारे यहां ऐसी बुरी स्थिति इन गरीब लोगों की है। आप इस देश के करोड़ों-करोड़ों लोगों को एडिबिल आयल सस्ते दामों पर देने की बात करते हैं जबकि नमक के साथ रोटी खाने की कैपेसिटी भी उन में नहीं है। वे बाजार से सब्जी खरीद कर के सादी रोटी सब्जी के साथ खा सकें, ऐसी स्थिति भी उन की नहीं है और आप एडिबिल आयल सस्ता देने की बात करते हैं। मैं जनता पार्टी की सरकार की प्रशंसा के हिसाब से यह नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के जमाने में आपके सामने 5 और 6 रुपये किलो एडिबिल आयल इस देश के अन्दर बिका था और उस पर कोई प्रतिबन्ध बेचने का नहीं था और हमारी माताएं और बहनें जा कर जब चाहा उस को खरीद लेती थीं लेकिन आप के इन ढाई सालों के अन्दर 15 रुपये किलो एडिबिल आयल बिक रहा है। आप इस कारखाने को अर्जित करके 86 लाख रुपये उन कारखानेदारों को देने जा रहे हैं, जिन के कुप्रशासन से यह कारखाना ठीक से नहीं चल सका। उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लिया और हमारे देश के लोगों की पूंजी लेने के बावजूद भी वे इस कारखाने को ठीक से नहीं चला सके। उन की गलत नीति से ऐसा कुप्रबन्ध रहा और उनका व्यवहार मजदूरों के साथ भी गलत था। अगर मजदूरों के साथ उनका व्यवहार अच्छा होता, तो यह कारखाना कभी भी बीमार नहीं हो सकता था।

आप रोहानाकलां की शुगर फैक्टरी भी लेने जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और जानता हूं कि वहां पर फैक्ट्रियों के मिल-मालिकों ने किसानों का शोषण किया है, किसानों को उनके गन्ने का ठीक दाम नहीं दिया। जो उन के परचेजिंग सेन्टर देहातों के अन्दर है, उन में कांटों पर बहुत बड़े स्केल पर बेईमानी हुई है और इस देश के किसानों का करोड़ों रुपया उन्होंने लूटा है और मजदूरों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह सब स्थिति सरकार के सामने है और मैं इस पर नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने कभी उन मिल-मालिकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। देश के करोड़ों लोगों का जो पैसा बैंक में था, उस पैसे को उन्होंने लिया है लेकिन फिर भी वे कारखाने को ठीक

से नहीं चला पाए और सिर्फ अपनी तिजोरियों में ही उन्होंने भरा है। इससे मजदूर बेकार हुए हैं और देश के किसानों का नुकसान हुआ है। और आप इन लोगों को लाखों रुपया इनाम के तौर पर देकर इन फैक्ट्रियों को लेने जा रहे हैं। इसलिए मेरी अपील है कि आप इस देश की बुनियादी नीतियों को बदलिए। जब तक आप अपना ध्यान खेती और देहात की तरफ नहीं लगाएंगे, तब तक आप कल-कारखानों को कच्चा माल कहां से दे पाएंगे ? कब तक विदेशों से रुई और तेल मगाकर आप इन कारखानों को चलाएंगे ? जबकि हम कच्चा माल दे सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया है।

आज इस देश का दुर्भाग्य है कि जो पानी इस देश के लिए वरदान बन सकता है, वही आज इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है। पानी न मिलने की वजह से खेत में पैदावार नहीं होती और जानवर प्यासे मर जाते हैं। सरकार की ज्वाइंट रेसपांसबिलिटी है, इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ कि आप सरकार की बुनियादी नीतियों को बदलिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आप ये नीतियां बदलिए और इस पानी पर कंट्रोल कीजिए। जिस पानी की वजह से बाढ़ आती है और उसी पानी की वजह से लोग प्यासे मर जाते हैं। आप अपनी नीतियों को बदलिए।

यह पैसा आप क्यों देने जा रहे हैं। उन लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है। आप कांस्टीट्यूशन का सहारा ले सकते हैं, जिसमें अमीर और गरीब का फर्क काम करने की बात कही गई है। आज इस देश में 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। देश को आजाद हुए 35 साल हो गए हैं। कब तक आप देश की जनता को धोखा देते रहेंगे। यदि आप कुछ करना चाहते हैं और इस मुल्क को टूटने से बचाना चहाते हैं तो आपको अपनी नीतियों को बदलना होगा। आपको खेती की पैदावार को कारखानों से जोड़ना होगा। इंपोर्ट के सहारे कारखाने चलाए जाएंगें तो देश गरीब होगा और कर्जा और बढ़ेगा।

कर्जे के बारे में गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि आज हिन्दुस्तान का प्रत्येक नागरिक 700 रुपए के विदेशी धन का कर्जदार है। पहले इस कर्ज को उतारने की योजना बनाइए, उसके बाद गरीबी दूर हो सकती है। इस देश के किसान को जब तक कारखाने से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक राष्ट्रीयकरण के नाम पर इस देश के लोगों को धोखा ही दिया जाता रहेगा। इसी प्रकार बिजली के बारे में योजना बनाइए। आप लोगों को धोखा देने वाली नीति अपना रहे हैं और इस देश की जनता भी बार-बार धोखा खा रही है। यदि किसान को कारखाने से जोड़ा जाएगा तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। इससे उसकी परचेजिंग केपेसिटी बढ़ेगी और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी।

इसलिए मैं इस बिल का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बुनियादी नीतियों को बदलिए, क्योंकि मुल्क की हालत बहुत खराब होती जा रही है। 36 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। पूरी आबादी के लिए पानी तक पीने के लिए नहीं है। लोग बरसात का पानी इकट्ठा करके सारा साल पीते हैं। जब तक बुनियादी नीतियों को नहीं बदला जाएगा, तब तक देश की हालत नहीं सुधर सकती। नीतियां बदलने से ही इस देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर)। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा था जैसे श्री जगपाल सिंह वित्त विधेयक पर बोल रहे हों और उन्होंने सभी प्रकार के विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। वास्तव में सदन के समक्ष जो विधेयक है वह बहुत ही साधारण है। अमृतसर आइल वर्क्स का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है और इससे सम्बन्धित बात केवल लोगों को मुआवजा दिए जाने के बारे में थी। इस मुद्दे को मेरे से पूर्व के वक्ता श्री मैत्रा द्वारा भी उठाया गया था और उन्होंने यह कहा था जिन लोगों की सम्पत्ति को अर्जित किया जाए उनको कोई मुआवजा न दिया जाये। हमारी सरकार का प्रमुख सिद्धान्त तथा नीति यह है कि समानता तथा न्याय के आधार पर किसी भी अर्जित की जाने वाली सम्पत्ति का मुआवजा दिया जाए। और हम उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

जहां तक अमृतसर शुगर मिल का सम्बन्ध है, इस कम्पनी को 1924 में एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया था लेकिन कुछ समय के पश्चात इस इकाई की स्थिति खराब हो गई और यह इसलिए नहीं हुई कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा था अथवा मशीनें खराब हो गईं थीं बल्कि इसका कारण यह था कि निदेशकों के बीच मनमुटाव था। धन का दुरुपयोग किया गया और इसके परिणामस्वरूप कारखाने को बन्द करना पड़ा।

मैं अमृतसर का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और उस समय मैंने सरकार से यह अनुरोध किया था कि सरकार द्वारा इसकी प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत संख्या में कर्मकार बेरोजगार हो गए थे। तथा मालिकों के साथ इन मामलों को निपटाने के उनके प्रयत्न तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह कम्पनी उचित ढंग से कार्य करे मेरे तथा जिला अधिकारियों द्वारा जो प्रयत्न किये गये वे असफल रहे। मैंने वर्ष 1974 में, जब श्री बी० पी० मौर्य इसके कार्यभारी मन्त्री थे, भारत सरकार से निवेदन किया था। मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने तुरन्त निर्णय लिया तथा कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया।

जब इस कम्पनी का अर्जन किया गया तब कुछ महत्वपूर्ण मशीनों को मालिक उठाकर ले गये और 18 महीने तक यह कारखाना बन्द रहा। अत: इस कारखाने को चालू करने के लिये काफी परिश्रम तथा कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। इसका श्रेय उन बेकार पड़े कर्मकारों को जाता है जो इस बात के लिये बहुत ही उत्सुक थे कि इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जाये। इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के तुरन्त पश्चात् कर्मकारों ने अपनी ग्रेच्युटी की परवाह किए बिना, बोनस आदि का भुगतान न होने की परवाह किये बिना इस कम्पनी को चालू रखने के लिए दिन रात कार्य किया और यथासंभव थोड़े ही समय में यह कम्पनी कार्य करने लगी। अत: मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसका श्रेय कर्मकारों तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रबन्धकों को जाता है, जिन्होंने अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया। हमारे पास खाद्य तेलों तथा वनस्पति

घी की कमी थी तथा इस कम्पनी के बन्द होने के कारण अन्य प्राइवेट कम्पनियों द्वारा भारी मुनाफा अर्जित किया जा रहा था। जब इसको खोला गया और इसने कार्य करना प्रारम्भ किया तब इन वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता आई। भारत सरकार का भी यह विचार था कि इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जाये। उस समय इसके द्वारा केवल 50 टन प्रति दिन के हिसाब से उत्पादन किया जा रहा था। उसके पश्चात इसकी क्षमता को बढ़ाकर 80 टन तथा बाद में 100 टन प्रति दिन किया गया और अब इसके द्वारा 150 टन प्रति दिन का उत्पादन किया जा रहा है। तथा इसके द्वारा स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।

जैसा कि मैंने बताया है, इस कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के पश्चात पंजाब में वनस्पति के मूल्यों में स्थिरता आई। इसका कारण इस कम्पनी का गति-निर्धारक होना था। इस कम्पनी को लाभ अर्जित करने के लिए राष्ट्रीयकृत नहीं किया था। इसका राष्ट्रीयकरण केवल दो बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया था—उनमें से एक यह था कि बेरोजगार श्रमिकों को काम उपलब्ध करांया जाए और दूसरी बात यह थी कि इस आवश्यक वस्तु को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाये।

एक ऐसा समय था जबकि वनस्पति पर कोई नियन्त्रण नहीं था। तब इस कम्पनी के द्वारा स्वत: अनुशासन लागू किया गया था। न्यूनतम लाभ रखकर उन्होंने मूल्य का निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप पंजाब में सभी प्राइवेट कम्पनियों को इसका अनुसरण करना पड़ा और इस प्रकार इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण होने से पंजाब को काफी लाभ पहुंचा। मैं श्री झा को बधाई देता हूं। अब वे इस कम्पनी का अर्जन तथा राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। इससे पूर्व प्रबन्ध व्यवस्था को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया था। श्री झा एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं और श्रमिकों को वे अथाह प्रेम करते हैं, इसी उद्देश्य से वह कार्य करते हैं। इस उद्योग का अधिग्रहण किये जाने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण करने का एक उद्देश्य यह भी था कि हम जनता को आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर सप्लाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। और राष्ट्रीयकरण का तीसरा उद्देश्य यह है कि हम सरकारी उपक्रमों के लिए वचनबद्ध हैं। चूंकि निजी क्षेत्र एक अनियंत्रित क्षेत्र है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में सरकारी उपक्रमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण से सरकार इसकी क्षमता बढ़ा सकेगी, उसके उत्पाद उचित मूल्यों पर लोगों को उपलब्ध करा सकेगी और उनकी सप्लाई भी सुनिश्चित कर सकेगी।

यद्यपि मैं इसके लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं, तथापि मैं इसके बारे में कुछ अन्य बातें भी कहना चाहता हूं।

इस विधेयक के अनुसार उन्होंने मुआवजा देने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन मजदूरों ने जिन्होंने यह कारखाना 1974 में आरम्भ किया था और जो 18 मास तक बेकार रहे, उन्हें भी उनका पिछला वेतन, उपदान और बोनस दिया

(श्री रघुनन्दन लाल भाटिया)

जायेगा, अगर हां तो कौन देगा ? और इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी निश्चित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उनका बकाया वेतन उन्हें मिले ? श्रीमन्, सरकार कम्पनी को 84 लाख रुपये मुआवजा देने जा रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार यह आश्वासन दे कि वे मजदूरों को देय राशि की कम्पनी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि में से कटौती करेगी। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस मामले पर विचार करें, क्योंकि हमारे सामने यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

दूसरी बात जो मैं यह कहना चाहता हूं वह यह है कि कुछ माह पहले कम्पनी में आग लगने की एक घटना हुई थी, जिसमें करीब 2 करोड़ की हानि हुई थी, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार किसी पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अमृतसर सुगर मिल्स के मालिक, जिनसे सरकार ने यह कम्पनी ली हैं, इस आग लगने की घटना के लिए जिम्मेवार तो नहीं हैं ?

श्री सुनील मैत्रा : क्या इकसा बीमा नहीं किया हुआ था ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इसका बीमा किया हुआ था, पर इसके लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं ? सरकार को किसी पर जिम्मेवारी अवश्य ही सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि किसी बाहरी एजेंसी को यह जांच करने का कार्य सौंपना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ।

दूसरी बात यह है कि आज देश में वनस्पति के भावों पर कोई नियंत्रण नहीं है, और यह कम्पनी खुद ही उचित मूल्य निश्चित करके इसे बेच रही है। मैं नहीं चाहता कि सरकार को घाटा हो या बेफजूल लाभ कमायें। लेकिन क्योंकि सरकार ने गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली जैसी कुछ अन्य वनस्पति कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण किया हुआ है, इसलिए वनस्पति के भावों को निश्चित करने में कुछ समानता होनी चाहिए, क्योंकि बाजार में तेलों के भाव में उतार-चढ़ाव से वनस्पति के भाव भी घटते-बढ़ते रहते हैं इसलिए इस कम्पनी में भी इस बारे में कुछ स्थायित्व आवश्यक है।

मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि इस कम्पनी के उत्पाद का वितरण एक ही व्यक्ति अर्थात् कम्पनी के प्रबन्धक के हाथ में ही रहे। यह कम्पनी का प्रबन्धक ही है, जो किसी को प्रतिदिन 100 टन देता है तो दूसरों को बहुत ही कम सप्लाई करता है।

यह पक्षपात ही है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने इसके वितरण का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं लिया है। मैं चाहता हूं कि वितरण प्रणाली को युक्ति संगत बनाया जाये। और इसके लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाये, जोकि एक नीति निर्धारण करे, जिसके अनुसार वितरण किया जाए। पंजाब सरकार बदनामी के डर से इस आवश्यक वस्तु का वितरण अपने हाथ में नहीं लेना चाहती, लेकिन यह जरूरी है कि उचित और समान वितरण व्यवस्था का प्रबन्ध किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय को इस प्रगतिवादी कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए मुद्दों पर वह उचित ध्यान देंगे।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक अमृतसर आइल वर्क्स के उपक्रम को सरकार द्वारा अधिगृहित करने के लिए लाया गया है, उसकी प्रक्रिया के प्रति किसी का विरोध नहीं होगा। लेकिन सरकार की इस नीति के जो परिणाम होते हैं, उनका ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसा लगता है कि सरकार ने सभी बीमार उपक्रमों को लेने का ठेका ले लिया है। बड़े-बड़े उद्योगपति एक योजनाबध तरीके से इन मिलों में घाटे की स्थिति पैदा करते हैं, जिसके कारण सरकार उन्हें लेने के लिए बाध्य हो जाती है। चूंकि सरकार के सामने मसला मिल में काम करने वाले हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी का होता है, इसलिए वह बीमार यूनिटों को ले लेती है। लेकिन उसके बाद भी उनका प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं हो पाता है, जिससे फिर घाटा होता है और वह बढ़ता जाता है।

उज्जैन की विनोद और विमल कपड़ा मिलों में बहुत समय से संकट चला आ रहा था। हमने बहुत आग्रह किया कि सरकार उन्हें ले ले, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं लिया। न जाने क्यों उसने उन्हें एक प्राईवेट कनसर्न, लीला एण्ड संज, को दे दिया है। पुराना मिल-मालिक कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड का जमा खा गया था। मिल-मालिक जो चाहे, करते रहें, सरकार का उन पर कोई अंकुश नहीं रहता है। अगर समय रहते उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाये, तो ऐसी स्थिति पैदा न हो। मिल-मालिक न सिर्फ मजदूरों का पैसा खाते हैं, बल्कि बिजली, वाटर चार्जेज आदि का सरकार का पैसा भी खाते हैं। एक आम आदमी से बकाया की वसूली के लिए सरकार कुर्की तक का सहारा लेती है, लेकिन जब बड़े लोग ऐसा काम करते हैं, तो उन्हें सजा नहीं मिलती है, बल्कि उन्हें इनाम दिया जाता है।

इस उपक्रम के मालिकों ने मिल का कुप्रबन्ध किया, मगर सरकार उन्हें 6 लाख रुपये देने जा रही है। मिल 18 महीनों तक नहीं चली। उस अवधि में मजदूरों ने कितनी यातना में अपना जीवन बिताया होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। कानून के अन्तर्गत मिल-मालिकों को जेल के सीखचों के भीतर भेजना चाहिये, लेकिन उन्हें इनाम के तौर पर बहुत बड़ी धनराशि दी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी पैसा जनता का पैसा है। सरकार को यह पैसा ठीक ढंग से इस्तेमाल करना चाहिये और अच्छे कामों में लगाना चाहिए।

जहां तक विदेशों से मंगाए जाने वाले पाम आयल और रेपसीड आयल आदि एडिबल आयल का सम्बन्ध है, सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि वह गरीबों को 8-15 रुपये के हिसाब से मुहैया किया जाता है, लेकिन वह आम लोगों तक नहीं पहुंच पहुंच पाता है और रिफाइनरीज के माध्यम से ब्लैक में बेचा जाता है। इन्दौर में तेल का कोटा उठाया नहीं जाता था और वह कैलाश सहारा एण्ड कम्पनी की रिफाइनरी को दे दिया जाता था। वह सारा तेल ब्लैक में 16, 17 रुपये के हिसाब से बिका। मैं मांग करता हूं कि इन मिलों की करतूतों की जांच करके इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

[श्री सत्यनारायण जटिया]

सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि उद्योगों और मिलों को लेकर वह कोई बड़ा अच्छा काम कर रही है और देश की इकानामी में सुधार ला रही है। सरकार को अच्छे उपक्रम भी अपने हाथ में लेने चाहिए, ताकि उनमें होने वाले फायदे से बीमार उपक्रमों को सहायता मिले और वे हमेशा के लिये बीमार न रहें।

शकर कारखानों का सम्बन्ध किसानों से है। मध्य प्रदेश की दो शूगर मिलों, जावरा और महिदपुर रोड की शूगर मिलों, के पुराने मैनेजमेंट ने कर्मचारियों का बहुत पैसा खाया है और किसानों को गन्ने का पैसा नहीं दिया है। इस तरह लाखों रुपये मिल-मालिकों के पास पड़े हुए हैं। वह किसानों को मिलने वाला नहीं है। किसानों का पैसा वहां पर आज भी चुकाया नहीं जा रहा है। इस प्रकार की जो सारी बातें हैं उन पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से कर्मचारियों का जो प्राविडेन्ट फंड और दूसरी बातें हैं उनको कैसे हल किया जाएगा—यह भी सरकार को देखना चाहिए।

जहां तक खाद्य तेल का सवाल है, अभी जो स्थिति चल रही है उसमें हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। विदेशों से हमें तेल आयात करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि तेल आयात करके हम अपनी विदेशी मुद्रा बाहर भेज रहे हैं। खाद्यान्न की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। कल यहां पर कृषि मन्त्री ने बताया था कि बाहर से आयातित गेहूं इस देश में आकर 203 रुपए 61 पैसे प्रति क्विंटल पड़ेगा जबकि इस देश के किसान को आप केवल 142 रुपए क्विंटल का भाव ही देना चाहते हैं। मैं नहीं सोच पाता कि इस देश के किसानों ने क्या गुनाह किया है? उसको फर्टिलाइजर भी मंहगा मिलता है और उसकी वर्किंग कंडीशन्स भी बड़ी कठिन हैं। खेतिहर मजदूरों को भी अधिक मजदूरी मिलने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप किसान को उसकी उपज का ठीक दाम देंगे और सरसों या मूंगफली अथवा आइलसीड्स का तेल जो है उसके लिए भी आप उचित समय पर मुनासिब दामों की घोषणा करेंगे तभी किसानों को यह निश्चित करने का अवसर मिल सकेगा कि किस चीज की खेती में उनको लाभ मिलने वाला है।

इस देश की भूमि भी उपजाऊ है और यहां पर पानी के स्रोत भी उपलब्ध है लेकिन किसान को समय पर डीजल और बिजली नहीं मिलती है। अतः उपजाऊ भूमि का लाभ किसान को तथा इस देश को नहीं मिल पाता है। आप इस देश में माडर्नाइजेशन और आटोमेशन करना चाहते हैं लेकिन जब तक किसान को उन्नत करने की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक यह देश आत्म-निर्भर नहीं हो सकता है। इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना था। मैं आशा करता हूं कि सरकार सारे कुप्रबन्ध को सुप्रबन्ध में बदलकर सारी मिलों को अच्छी तरह से चलाने का प्रबन्ध करेगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय झा साहब ने जो बिल

इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मन्त्री जी को बधायी देना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। पहले सरकार किसी उद्योग को टेक-ओवर करती थी तो उसकी सिकनेस का इलाज करके और पैसा इनवेस्ट करके पुनः उसको वापिस लौटा देती थी। लौटाने का तात्पर्य यह होता था कि भारत सरकार का पैसा उसमें इन्वेस्ट करके उस इण्डस्ट्री को वापिस कर दिया जाए। लेकिन अब मन्त्री जी ने जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। इण्डस्ट्रीज में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि वे सिक न होने पायें, पहले से ही उनको अंकुश में रखा जाए लेकिन अगर वह बीमार हो जाती हैं तो उनको भारत सरकार अपने कब्जे में ले ले और उनको ऐसी हालत में पहुंचाए कि मजदूर भी बेकार न रहें और देश का उत्पादन भी बढ़े। इसलिए मन्त्री जी ने अब जो व्यवस्था की है उसके लिए वे बधायी के पात्र हैं।

दूसरी बात यहां पर भाटिया साहब ने यह कही कि संविधान के अन्तर्गत कम्पेन्सेशन देना जरूरी है लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। पूंजीपति इतने वर्षों तक शोषण करें, इण्डस्ट्री को सिक कर दें और सारा पैसा खा जायें, उसके बावजूद 65 लाख मुआवजा उनको दिया जाए तो यह अनुचित बात है। मैं इसके विपरीत हूं। इण्डस्ट्री को सिक करने की जिम्मेदारी इन्डस्ट्रियलिस्ट की है, मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट ने उसको सिक किया है, ऐसी हालत में उसको मुआवजे से वंचित किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। मुझे उम्मीद है माननीय मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे। उसको जो कम्पैंसेशन दे रहे हैं, वह हमारे खून-पसीने की कमाई है, यदि यह पैसा शोषण करने वालों को देंगे तो निश्चित तरीके से बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए इस बात को रोकने की व्यवस्था कीजिए।

तीसरी बात, जैसा कि आपने कहा है, जब यह इण्डस्ट्री आपके हाथ में आई है, यह प्रोफिट कमा रही है। मैं निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि मैनेजमेंट जो भी लोग बैठते हैं, आपके अधिकारी लोग बैठते हैं, आई० ए० एस० आफिसर बैठते हैं, दूसरे आफिसर बैठते हैं, वे किस प्रकार ट्रेड को व्यवस्थित तरीके से रख सकेंगे, इसके सम्बन्ध में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमको यह कटु अनुभव है कि सैंकड़ों करोड़ों रुपया भारत सरकार का पब्लिक सैक्टर में फंसा हुआ है। इसलिए आपकी इस इंडस्ट्री में मिस-मैनेजमेंट करने वाला कोई अधिकारी फंस गया, तो सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मैनेजमेंट की तरफ पूरा ध्यान दीजिए।

चौथी, बात, माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कही कि मजदूर अठारह महीने तक बैठा रहा, उसका पैसा कौन देगा। निश्चित तरीके से यह जिम्मेदारी इन्डस्ट्री की है। मैनेजमेंट फेल हो गया, सिक हो गया, टेक-ओवर किया गया है, जो भी मजदूर का जो भी बकाया है, चाहे प्रोविडेंट फंड हो या ई० एस० आई० हो, वह सब मजदूर को दिया जाना चाहिए। जो पैसा उनकी तरफ

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

से काट लिया गया है, वह पैसा भी सरकार को अपनी तरफ से कन्ट्रीब्यूट करके, दोनों को मिलाकर जमा करना चाहिए, ताकि मजदूर को किसी प्रकार का नुकसान न हो। यह व्यवस्था नितान्त आवश्यक है।

एक बात और कहना चाहता हूं। प्रोविडेंट फण्ड और ई० एस० आई० का पैसा खा गए; अब आप उनको 65 लाख रुपये का इनाम मत दीजिए ऐसे लोगों को आपको बन्द करना चाहिए, ताकि इस पैसे का दुरुपयोग न हो सके। इस सम्बन्ध में आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसे पूंजीपतियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब आप लेबर मिनिस्टर थे, तब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहां एक इन्डस्ट्री ने 30 लाख रुपया प्रोविडेंट फण्ड का खा लिया और 3 5 लाख रु०, ई० एस० आई० का खा लिया, मगर भारत सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया ताकि उनको सजा दी जा सके। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है। हमारी नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी, बार-बार कहती है कि मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है। इन लोगों को जब तक जेल के अन्दर बन्द नहीं किया जाएगा, तब तक ठीक प्रकार से काम नहीं हो सकता है।

एडिबल आयल इन्डस्ट्री को कब्जे में लिया गया। पहले उसका प्रोडक्शन 50 टन था, बाद में 80 टन हुआ और अब 100 टन चल रहा है। इसको आप विकसित करें। लेकिन जिस एजेंसी से तेल मिलता है, वह किस प्रकार चल रही है। उस एजेंसी की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। जिस एजेंसी को मिलता है, वह किस प्रकार डिस्ट्रिब्यूट होता है। यह सारी व्यवस्था जब तक आप नहीं देखेंगे, तब तक गरीब लोगों को, 8 रु० 15 पै० में जो तेल मिलना चाहिए, वह नहीं मिलेगा। आज सारा तेल ब्लैक में जाता है। कोआपरेटिव संस्थाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है। आपकी डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सीज भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन एजेन्सियों को आप मजबूत बनाइए, जिससे आपको कन्ट्रोल की आर्टीकल्स लोगों तक पहुंच सकें।

कपड़े की भी यही बात है। जो सिक इंडस्ट्रीज हैं, उन को नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन अपने कब्जे में लेती है। मैंने आप के सामने बार-बार इस बात को कहा है और जब आप लेबर मिनिस्टर थे, तब भी कहा था कि पूंजीपति गरीब मजदूरों का शोषण करते हैं मगर उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। पूंजीपतियों की बात सुनी जाती है और मेम्बर पार्लियामेंट की बात को न सुना जाए, तो इस से बढ़ कर दुःख की बात क्या होगी। पूंजीपतियों पर कोई कार्यवाही न की जाए, इस से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उन की रोजी-रोटी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैं इस बारे में यहां गले फाड़-फाड़ कर बोलता हूं लेकिन आप की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, दूसरे लोगों की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इस प्रकार का जो अन्याय होता है; इस को निश्चित तरीके से रोकना चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय, आप का खास तौर से इस सम्बन्ध

में सरकार को आदेश देना चाहिए और पूंजीपतियों के खिलाफ निश्चित तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए। जब ऐसा होगा, तभी सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सकती है। कन्ट्रोल के कपड़े का जो सवाल है, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के तहत 105 मिलें हैं, जो कन्ट्रोल का कपड़ा बनाती हैं। क्या यह कपड़ा ठीक प्रकार से गांवों में पहुंच रहा है? क्या वह गरीबों के पास पहुंच रहा है, जिन के लिए कपड़ा बनाती हैं? क्या डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सीज ठीक प्रकार से काम कर रही हैं? अगर डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सीज को ठीक करना है, तो काआपरेटिव्ज की व्यवस्था ठीक कीजिए, जिन के तहत सारी व्यवस्था चलती है मगर उस तरफ तवज्जह नहीं है। आप कायदे-कानून बनाते हैं और लोगों के फायदे के लिए करोड़ों-अरबों रुपया खर्च करते हैं लेकिन उन को वह फायदा नहीं पहुंचता है। धोती और साड़ी गरीब लोगों के लिए बनती हैं, गांवों के गरीब लोगों, किसानों और मजदूरों के लिए वे बनती हैं लेकिन उन को बाजार में ब्लैक में बेच दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था आज डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सियों के जरिये हो रही है। जब तक आप कोई माकूल व्यवस्था नहीं बनाएगें, तब तक डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सियां ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगी।

वेजीटेबिल आयल के जितने कारखाने हैं, उन की कैसी व्यवस्था है। व्यापारी लोग बाजार में स्कैयरसिटी कंडिशन्स पैदा कर देते हैं और फिर कीमतें बढ़ा देते हैं मगर सरकार का अंकुश इन पर नहीं हैं। इस तरह से ऐसी व्यवस्था को निश्चित रूप से ठीक किया जाना चाहिए गरीबों को तेल ठीक प्रकार से मिले, वेजीटेबिल आयल ठीक प्रकार से मिले, कन्ट्रोल का कपड़ा ठीक प्रकार से मिले, शूगर ठीक प्रकार से मिले और अन्य जो चीजें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वे उन तक ठीक प्रकार से पहुंच सकें, ऐसा इन्तजाम इस विभाग को करना चाहिए जोकि इस आयल कम्पनी को नेशनेलाइज कर रहा है। जब तक आप व्यवस्था को माकूल नहीं बनाएगें, यह ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि आप कोआपरेटिव्ज को मजबूत बनाइए। आज उन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके पास कपड़ा खरीदने को पैसा नहीं है, शूगर खरीदने को पैसा नहीं है, अनाज खरीदने को पैसा नहीं है और अन्य चीजें जो आप सप्लाई करते हैं, उन को खरीदने को पैसा नहीं है। ऐसी हालत में जो आप ने ढाई लाख दुकानें सारे देश में खोली हैं, आप को यह देखना होगा कि यह सारी व्यवस्था सचारू रूप से चले। इस के लिए आप बैंक्स को, कोआपरेटिव सोसाइटीज को मार्जिन मनी दिलवाइए, जिस से सारा काम ठीक प्रकार से ये कर सकें और चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक प्रकार से कर सकें और जो हमारी सरकार की मंशा है, जो हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की मन्शा है कि इस देश के गरीब से गरीब आदमी को ये तमाम चीजें सस्ते दामों में उपलब्ध हों, वह पूरी है। मन्त्री महोदय, हम आपसे उपेक्षा करते हैं और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपने लेबर डिपार्टमेंट में मजबती से काम किया, उसी प्रकार से इस डिपार्टमेंट को ठीक ढंग से चलाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, पहले तो मैं सरकार को कम से कम इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कम्पनी का जिसका कि दिवाला निकलने वाला था, राष्ट्रीयकरण किया है । जिसका परिणाम यह हुआ है कि जो कम्पनी दीवालिया होने जा रही थी, अब फल-फूल रही है और लाभ कमाने लगी है । उद्यमियों द्वारा एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में पैसा अन्तरित करने के लिए कम्पनियों को अपने हाथ में लेने का यह एक अच्छा उदाहरण है । खासकर इस मामले में एक चीनी कम्पनी द्वारा तेल कम्पनी को लिया गया है । यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है क्योंकि चीनी कम्पनी और तेल कम्पनी में कोई मेल नहीं है । यह तो मात्र इसलिए हुआ है क्योंकि चीनी कम्पनी दूसरी कम्पनी के ऊपर कुछ वित्तीय तालमेल करने के लिए नियत्रंण करना चाहती थी ।

सरकार नियत्रंण वाले उपक्रमों में एक आम मुख्यः समस्या, उस कम्पनी का प्रबन्ध करने के लिए कर्मचारियों का पर्याप्त संख्या में न होना है, दिवालियापन होने का एक मुख्यः कारण नई अधिनियम मशीनों का न होना है । आज के युग में मशीनें विज्ञान की शीघ्र ही प्रगति की वजह से पुरानी होती जा रही हैं और उन्हें शीघ्र बदलने की आवश्यकता होती है । कई मामलों में वित्तीय मुश्किलों की वजह से कम्पनी उन्हें बदलने में असमर्थ होती हैं । दूसरा कारण प्रबन्धकों और मजदूरों के मध्य झगड़ा है । इन कारणों की वजह से कई एक कम्पनियां काफी खस्ता हालत में हैं और दिवालियापन की स्थिति में हैं । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे प्रबन्धकों पर नियन्त्रण रखने के लिए उचित तंत्र बनाए । अच्छा यह है कि इसके लिए औद्योगिक और व्यापार प्रबन्ध में अनुभवी लोगों का एक संवर्ग बनाया जाये । अगर एक भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी को एक कम्पनी में नियुक्त किया जाता है और वह स्थायी तौर पर नहीं नियुक्त किया जाता तो, वह उपक्रम के सफलतापूर्ण कार्यकरण में व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं लेगा । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे ऐसे प्रशिक्षित अधिकारियों का एक संवर्ग बनाये जिन्हें औद्योगिक और व्यापार प्रबन्ध का अच्छा अनुभव हो ।

यह एक बहुत सरल विधेयक है । इस विधेयक की बहुत सी धाराओं का प्रबन्ध, मजदूरों को आदायगी और अन्य देनदारियों आदि की अदायगी से सम्बन्ध है । जहां तक इन धाराओं का सम्बन्ध है इन पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

सरकार ने एक ऐसी कम्पनी को जोकि दीवालियेपन के नजदीक हो, अपने हाथ में लेना

मुश्किल है। प्रत्येक सयुंक्त पूंजी कम्पनी को, रजिस्ट्रार, सयुंक्त पूंजी कम्पनी के पास प्रतिवर्ष अपनी कम्पनी का लाभ-हानि लेखा और सन्तुलन पत्र की एक-एक प्रति प्रस्तुत करानी होती है। मगर इन विवरणों पर नजर रखी जाये, खासकर उन कम्पनियों पर जो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन या वितरण करती हैं तो सरकार को पहले ही यह जानकारी मिल सकती है कि कौन सी कम्पनी ठीक चल रही है या ठीक नहीं चल रही है। जो कम्पनियां सही नहीं चल रही हैं, उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए। अगर वे इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कम्पनी पहले ही बहुत खराब हालत में है तो सरकार द्वारा इसे सही करना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। इसलिए संयुक्त पूंजी कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक तकनीकी कक्ष होना चाहिए जो कि सन्तुलन पत्र विवरणों और लाभ-हानि लेखों का बार-बार जांच करता रहे। होता यह है कि ये विवरणियां केवल पेश की जाती हैं, लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं किया जाता है। अगर इन विवरणियों का सक्षम लोगों द्वारा अध्ययन किया जाये तो यह सम्भव है कि कुछ एक उपक्रम जो कि दिवालियेपन के नजदीक हैं उनको इस स्थिति से बचाया जा सकता है।

इसलिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए; उन्हें कम्पनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, खासकर उन कम्पनियों पर जो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। अमृतसर आइल वर्क्स के मामले में सरकार ने इसे अपने हाथ में लेकर एक अच्छा काम किया है। साथ ही सरकार ने पिछली देनदारियां चुका दी हैं। इसकी परिसम्पत्तियों की लागत के रूप में 65 लाख रुपये और ब्याज आदि का भुगतान करने का प्रबन्ध भी किया है। साथ ही सरकार द्वारा इस कम्पनी को अपने हाथ में लेने के समय से 10 हजार रुपये वार्षिक का लाभ भी कमाया है जो कि एक सराहनीय कार्य है। इसी प्रकार ऐसी अनेक कम्पनियां होंगी जो कि दिवालियेपन के निकट होंगी, उन्हें भी सरकार को लाभप्रद ढंग से चलाने के लिए, समय रहते कदम उठाने चाहिए। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या धन की है, क्योंकि जब किसी कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जोकि पहले ही खस्ता हालत में होती है तो उसके लिए पुरानी मशीनों को बदलने, तुरन्त देनदारियों को चुकाने और कच्चा माल खरीदने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार को कुछ प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कि इन कम्पनियों को अच्छी हालत में लाया जा सके और खासकर जब कि इनका पुनर्निमाण करना हो तो धन की कठिनाई न आए।

श्रीमन्, आजकल कुछ एक मामलों में सरकार सीधे ही खरीद कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की क्या नीति है। कुछ मामलों में वे सीधे ही खरीद करते हैं और कुछ मामलों में वे इसे प्रबन्धकों पर छोड़ देते हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस बारे में क्या नीति है, यानि कब वे खरीद करते हैं और कब वे प्रबन्धकों पर छोड़ते हैं। अच्छा यह है कि इन कम्पनियों की कार्य पद्धति का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी कक्ष नियुक्त किया जाए।

[श्री टी० आर० शमन्ना]

मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उचित व्यक्तियों के हाथ में प्रबन्ध दिया जाना चाहिये। अगर प्रबन्ध उन व्यक्तियों के हाथ में हो जिन्हें औद्योगिक और व्यापारिक प्रबन्ध का अनुभव नहीं है, तो वह अच्छा कार्य नहीं कर सकते। अगर इन कम्पनियों का सही प्रबन्ध करना है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रबन्ध उचित प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के हाथ में दिया जाए।

जब मैंने अपना संशोधन पेश किया था तो मुझे इसका पता नहीं था कि सरकार ने क्या भूमिका अदा की है। अब मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि सरकार ने एक अच्छा कार्य किया है। इसलिए मैं सन्तुष्ट हूं और मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा। मुझे खुशी है कि अमृतसर आयल वर्क्स अब अच्छी स्थिति में है, इसलिए मैं सन्तुष्ट हूं कि सरकार ने एक अच्छा कार्य किया है। इसलिए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, आर्टिकिल 39(1) और (2) के अन्तर्गत मैं इसका हामी हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जो अनुभव पिछले सालों के हो रहे हैं यह सरकारीकरण बन जाता है। नेशनेलाइजेशन नहीं होता है, ज्यादातर यह सरकारीकरण बन जाता है और कुछ लोगों के हाथ में आकर जैसे सिक इन्डस्ट्रीज जितनी ली गयीं 103 एन० टी० सी० में तो मैंने देखा न तो जनता को कपड़ा मिला, और एक अरब से ज्यादा घाटा हुआ है। आज नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन की हालत क्या है? दिनों दिन वहां घाटा बढ़ता जा रहा है। 103 सिक मिल लेने के बाद आज हमको कम से कम 1 अरब 8 करोड़ रुपये का घाटा है। यह सारी मशीनरी किस भावना से काम करती है, यह सवाल पैदा होता है। आपने मिलें ली हैं, ठीक समझा, लेकिन इन छोटी यूनिट्स को स्टेट्स क्यों नहीं लेती हैं? पंजाब जैसी स्टेट को अगर आज सैंटर में बैठे हुए लोग एडमिनिस्टर करना चाहें तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं। छोटी यूनिट्स को तो स्टेट्स को खुद ले लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों की नीति बन गई है।

आपने इस आयल इंडस्ट्री को लेने के लिए अच्छा काम किया, लेकिन थोड़े दिन पहले कहा था कि आग लग गई, 2 करोड़ का घाटा हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार था, एकाउन्टेबिलिटी किस की थी? 2 करोड़ का जो तेल जल गया, खत्म हो गया, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी थी? जो सारा काम आप मैनेजमेंट को सौंप रहे हैं, उसमें लोकल या पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं या नहीं? जो पब्लिक अन्डरटेकिंग में लोग लगते हैं, जिसका हमारा मकसद है, अब 18 महीने तक 600 मजदूरों ने काम किया, उसका पेमैंट कौन करेगा? अभी मालूम नहीं, मारूति को अंडरटेक किया, लेकिन अभी तक कमिश्नर आफ पेमैंट मुकर्रर नहीं किया, 2 साल हो गए मारूति को टेक-ओवर किए हुए। इसका क्या कारण है? मैंने देखा कि :

"केन्द्रीय सरकार, धारा 7 के अधीन अमृतसर शुगर मिल्स कंपनी को संदेय रकमों के संविवरण के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी।"

कितने समय में आयुक्त नियुक्त करेगी ? कब तक आप इसे एप्वाइन्ट कर देंगे, यह बहुत बड़ा सवाल होता है । इसके एप्वाइन्टमैंट का कितना पीरियड होगा ? क्या कमिश्नर को आप जल्दी एप्वाइन्ट कर देंगे ? 18 महीने तक जिन 600 मजदूरों ने काम किया है, उसका पेमैंट कौन करेगा, इससे तो कुछ मालूम नहीं होता ।

अन्डरटेकिंग लेने के बाद जो बताया कि अच्छी क्वालिटी का माल निकले, अच्छा विकास हो, मुझे मालूम नहीं कि इसमें कितनी कास्ट की मशीनरी थी, कैसी थी आउट-डेटेड या नई ? लेने के बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं, यह सारी बातें मालूम होनी चाहिएं ।

यह भी पता लगना चाहिए कि इतनी नई मशीनरी खरीदनी होगी, इतना इन्वैस्टमैंट होगा । काम करने वालों की तनख्वाह पहले इतनी थी, अब इतनी चुकानी पड़ेगी, हमारे सामने कम्पैरेटिव फिगर्स आनी चाहिए ।

पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज को लेने के लिए हमारा आर्टिकल 39 है, उसमें है कि कुछ लोगों के हाथ में जो सम्पत्ति है, वह ले ली जाए जो कि जरूरी है, लेकिन उसका 35 साल के बाद क्या परिणाम निकल रहा है ?

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि गरीब आज और गरीब होता जा रहा है और कुछ लोग मालदार होते जा रहे हैं । आज उल्टा हो रहा है । हम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि 21 हजार करोड़ रुपया पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज में लगा हुआ है, उस पर 3 परसैंट ब्याज भी नहीं मिलता जब कि बैंक भी 9 परसैंट और 10 परसैंट ब्याज देता है, 15 परसैंट ब्याज भी आज हमें मिल सकता है । यह जो सरकारीकरण हो जाता है, सरकार के बाबू वहां बैठ जाते हैं जो जानते नहीं कैसे काम होता है, आई० ए० एस० अफसर आ जाते हैं, जिनको बिजनेस की बैकग्राउन्ड का पता नहीं होता, जिनको कुछ नालेज ही नहीं है कि किस प्रकार से हैंडिल करना है, उनकी जिम्मेदारी नहीं, हमारे मन्त्री महोदय बतायें कि पहले जो मैनेजमेंट था वह क्या तनख्वाहें लेता था, जब आपने मैनेजमेंट ले लिया काम शुरू कर दिया तो उसकी अब कितनी तनख्वाहें हुई ?

मन्त्री महोदय बताएं कि सरकार ने जो मशीनरी ली है, वह कैसी है और उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है । क्या वह कुछ वर्षों के बाद जंक तो नहीं बन जाएगी ? सरकार 64 लाख रुपये इस समय दे रही है और उसके बाद भी कुछ रकम दी जाएगी । लेकिन सवाल यह है कि इन बातों की जांच कौन करता है । जनता के प्रतिनिधि तो नहीं करते हैं । मुझे याद है कि 1973-74 में जब श्री मौर्य मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस सदन में कहा था कि इसको ले लिया जाएगा । आज कितने समय के बाद इसको लिया गया है ।

[श्री मूल चन्द डागा]

क्या सरकार ने कोई प्लान बनाया है कि इतनी अवधि में हमारी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी और हमें इतना रिटर्न मिलेगा ? यह बहुत आवश्यक है कि जब सरकार कोई यूनिट ले, तो उसकी प्रापर्टी, मशीनरी और आर्थिक स्थिति की पूरी छान-बीन करनी चाहिए। आज बी० एच० ई० एल० घाटे में चल रहा है, जब उस तरह के दूसरे संस्थान मुनाफा कमा रहे हैं। मन्त्री महोदय बताएं कि अगले साल कितने परसेंट मुनाफा होगा।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सभापति महोदय, वास्तव में हमारी सरकार एक विशेष प्रकार की नीति का अनुसरण कर रही है तथा राज्य पूंजीवाद को समाजवाद के रूप में दिखाने का प्रयत्न कर रही है । और यहां भी हमे बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है सरकार ने स्वयं ऐसा कहा है कि इस कम्पनी के प्रबन्धक इस कम्पनी को उचित प्रकार से चलाने मे सफल नहीं हुए हैं और उन्हें हानि हुई है। उन्होने तीन महीने तक मजदूरों को वेतन नहीं दिया है। उन्होंने उस धन को भी हड़प कर लिया जो श्रमिकों ने भविष्य निधि में दिया था। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निधि में जमा नहीं किया। ऐसी हमारी हालत है ऐसा हमारा राज्य है ऐसी हमारी नीति है और भारत की ऐसी हालत है—मेरा तात्पर्य है पूंजीवाद । अभी भी सरकार प्रबन्धकों को सजा देने की बजाय उनको चौंसठ लाख और कुछ हजार रुपये देने जा रही है इसका पहले ही जिक्र किया जा चुका है केवल यही नहीं प्रतिवर्ष 10,000 रु० की राशि दी जा रही है और अधिकतम राशि 81,000 रु० है और उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री व्यास जी ने भारत देश की आम श्रमिक जनता के प्रति बड़े ही वास्तविक उद्‌गार प्रकट किये हैं और वह आशा करते हैं कि भारत सरकार अवश्य ही कुछ कर रही होगी और करेगी परन्तु स्वतन्त्रता के 35 वर्ष बीत जाने पर भी ऐसे लोगों को गिरफतार करने के लिए कोई नियम तथा प्रावधान नहीं हैं सरकार के पास हड़तालों को तोड़ने के लिए प्रावधान हैं। सरकार के पास संघर्ष करने वाले किसानों के अधिकार छीनने के लिए प्रावधान है। सरकार को किसी भी प्रजातान्तिक आन्दोलन को तोड़ने का अधिकार है सरकार को उन शान्ति पूर्ण पैदल प्रदर्शन कारियों को पीटने का अधिकार है जो कल लखनऊ, इलाहाबाद, और कानपुर के रेलवे प्लेट फार्मों पर प्रदर्शन में भाग लेने आये थे। श्री व्यास आशा करते हैं कि इस सरकार को श्रमिकों के लिए कुछ करना चाहिए। परन्तु यदि मन्त्री कुछ करना भी चाहता है वह तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक देश मे यह पूंजीवाद की णाली है। इसलिए हम चाहे रोयें या विलाप करे अथवा जो कुछ भी करें यह चलता ेगा।

कुछ भी हो, हम इस का विरोध करते हैं हम नहीं चाहते कि इन लोगों को यह क्षति

पूर्ति की भारी राशि दी जानी चाहिए । यदि माननीय मन्त्री के पास कोई विशेष शक्ति हो तो उन्हे उसका उपयोग करना चाहिए । ताकि क्षति पूर्ति की इस भारी राशि को रोका ज सके । हम किसी भी क्षति पूर्ति के लिए भुगतान करने के पक्ष में नहीं है । यदि उनके पास इसको न्यूनतम करने की कोई शक्ति है तो उन्हें उसका उपयोग करना चाहिए । कम से कम 18 महीने की वह राशि जो श्रमिकों को ही जानी है या भविष्य निधि की वह राशि जो सरकार द्वारा इसको अपने अधिकार में लिए जाने के बाद दी जाती है इन लोगों से तथा इन प्रबन्धकों से क्यों न ली जाये । उनको दी जाने वाली क्षति पूर्ति की राशि से क्यों न इसे काट लिया जाये ? मुझे ऐसे किसी विशेष नियम या प्रावधान की जानकारी नहीं है जिसका वह उपयोग कर सकें ताकि प्रबन्धकों को कुछ सजा दी जा सके जो सब कुछ खा गये हैं और समस्त घोटाला किया है ।

दूसरे में, जहां तक तेल का सम्बन्ध है, आपको मालूम है कि हमारा देश खाद्य तेल की एक गम्भीर समस्या का मुकाबला कर रहा है और सरकार इसका आयात करने के लिए बाध्य हो रही है । मैं इसे दोष नहीं दे रहा हूं । जब तक यह संकट रहेगा तब तक वे इसका आयात करने के लिए बाध्य रहेगें स्वाभाविक है यह कम्पनी भी आयातित तेल पर ही निर्भर करती है । कब तक यह आयात होता रहेगा ? यद्यपि यह आपका विभाग नहीं है परन्तु फिर भी आप मन्त्रालय में हैं, मन्त्री मंडल में हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या देश में पर्याप्त मात्रा में तिलहन पैदा करने के प्रयत्न किये जायेंगे ताकि हम अपने धन तथा अपनी विदेशी मुद्रा को बचा सकें तथा हमारा देश खाद्य तेल के मामले में आत्म निर्भर बन सके ।

दूसरी बात यह है जैसा कि उस पक्ष से श्री व्यास ने ठीक ही कहा था और यहां भी प्रतिध्वनित हो रहा है कि जो कुछ हम आयात करते हैं उसका वितरण भी ठीक प्रकार से नहीं होता है । यह शिकायत सभी तरफ से है कांग्रेस (इ) की तरफ से भी, इस तरफ से भी और सदन के सभी कोनों से है । और फिर भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । अत: जो कुछ तेल आयात किया जा रहा है उसका उचित वितरण होना चाहिए सरकार को हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वितरण ठीक ढंग से किया जाये ।

आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पक्ष में हैं । केवल उचित दर की दुकानें खोलने से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली अस्तित्व में नहीं आ जाती । यह तो खिचड़ी है जो हम चला रहे हैं । कुछ बहुत ही छोटी इकाइयां तथा तेल उत्पादक मिलें सरकारी नियंत्रण में है । लगभग तेल उत्पादक मिलें सारी की सारी गैर-सरकारी क्षेत्र में है । स्वभावत: सरकार के लिए कोई भी नियन्त्रण रखना सम्भव नहीं है । इसी प्रकार से कपड़ा ऊद्योग क्षेत्र में कुछ कपड़ा मिलें सरकार के नियन्त्रण में है और उनमें भी पूरी तरह से कुप्रबन्ध है । अधिकांश कपड़ा मिलें गैर सरकारी क्षेत्र में हैं अत: हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जिस क्षेत्र में

[श्री नारायण चौबे]

प्रवेश करें आप उस सम्पूर्ण क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दें एक मिल का नहीं। यदि आप हमारे देशवासियों को उचित दर पर खाद्य तेल प्रदान करना चाहते हैं, यदि आप तेल के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो आपको सम्पूर्ण क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा और आपको तिलहन के थोक व्यापार में प्रवेश करना पड़ेगा। अन्यथा, आप अपनी सभी शुभकामनाओं के साथ भी इस देश के गरीब लोगों को उचित दर पर तेल प्राप्त नहीं करा सकते।

अन्त में जैसा कि कांग्रेस (इ) के सदस्य ने कहा है प्रबन्धक ही उत्पादन करता है और वही वितरण करता है। अतः जाने या अनजाने में आन्तरिक रूप से या बाह्य रूप से आप भ्रष्टाचार को बढ़ाने तथा उसे जारी रखने की अनुमति दे रहे हैं। मैं सुझाव देता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जो कुछ भी उत्पादन होता है उसका उचित वितरण करने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रबन्धकों के सम्बन्ध में भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज हम अपने माननीय मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी से भी मिले हैं।

आपको मालूम है कि बंगाल से रबड़ तथा अन्य राष्ट्रीय फैक्टरियां हैं। आप उन्हें एक मुश्त धन दे रहे हैं और वे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं यह आपके द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने का परिणाम है।

कृपया यह ध्यान रखिए कि तेल उत्पादन करने वाले कारखाने में ऐसे आदमी को न लगायें जो मिट्टी का तेल पैदा करे। जूता बनाने वाले कारखाने में ऐसा आदमी न लगायें जिसे केवल गेहूं तोलना आता हो। उचित प्रबन्ध आवश्यक है। कृपया इस मुद्दे पर भी ध्यान दीजिए।

इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि यह राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है अतः हम इसके विरुद्ध नहीं है हम इसका समर्थन करते हैं।

परन्तु हम आशा करते हैं कि आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, हम समाजवादी समाज की रचना के लिए वचनबद्ध हैं। परन्तु जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में यह सरकार बनी है, इसने समाजवादी समाज की रचना का काम तो लिया है, लेकिन वास्तव में यह पूंजीपतियों की सरकार है।

श्रीमन्, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बीमार कारखाने को ले लेते हैं, किसी अच्छे भले कारखाने को आप क्यों नहीं लेते हैं। बीमार कारखाना कैसे पड़ता है, क्या कमियां उसमें आ जाती हैं या लाई जाती हैं योजनाबद्ध तरीके से—यह सरकार

बहुत अच्छे तरीके से जानती है। स्वदेशी काटन मिल का मामला हो, वहां 50 लाख रु० से भी अधिक मालिकान खा गये। जब श्रमिकों का सवाल आया तो सरकार को नैशनलाइज करना ही पड़ेगा। जो कारखाना दस लाख का भी नहीं होगा, सरकार से 15 लाख वसूल करेंगे। सरकार के स्वदेशी काटन मिल वाले दोस्त नहीं हुए –तो क्या हुए। मारुति लिमिटेड का हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया। हो सकता है कि यह बात कहते हुए तकलीफ हो, लेकिन मैं पूरी क्षमा याचना के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि स्व० श्री संजय गांधी जैसे ही इमरजेंसी समाप्त हुई उसमें ताला मारकर चले आये। जब तक इसका नेशनलाइजेशन हुआ है, उस वक्त तक और अपने मृत्यु तक वे कभी भी उस कारखाने में झांकने के लिए नहीं गये। कार कभी बन नहीं पाई। जो कुछ भी बना है, उसके ऊपर गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट है। एक्वीजिशन का पैसा नहीं दिया गया किश्तें करने के बाद कारखाना लगाया जा रहा हो और कारखाने के मामले में सरकार कम्पैन्सेशन का पूरा पैसा जमा कर लेती हो और किसानों को बांटती हो। इस मामले में किश्तें कर दी गई कि बाद में दे देंगे। मेरा इस प्रकार की बातों को कहने का तात्पर्य नहीं है। मेरा मतलब कहने का यह है कि अगर मशीनें चार करोड़ रुपये की थी तो साढ़े तीन साल के बाद वह तीन करोड़ रुपये की रह गई। सब सैन्ट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, दुनिया भर का जितना भी कर्जा था, उसको अदा करने का ठेका सरकार ने ले लिया। आप विधिवत् नीलामी करते, जो पैसा मिलता देखा जाता। इसी तरीके से अमृतसर फ्लोर मिल और अमृतसर आयल वर्क का मामला है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मजदूरों को 18 महीने तक वेतन नहीं मिला, घर बैठ गए, तो क्या सरकार ने मालिकान के खिलाफ कोई कार्यवाही की या नहीं ? वे लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। अगर स्ट्रीट में दो आदमी लड़ते हैं तो पुलिस 151 में एक्शन लेती है और 107 का मुकदमा बनाकर दोनों को जेल में बन्द कर देती है। मैनेजमेंट की भूल के कारण या उनके यहां झगड़े के कारण या कोई नेगलीजेंस बरती गई, जिससे हमारे श्रमिक बेकार हो रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह 1974 की बात थी। 25 जून, 1975 को आपने इमर्जेन्सी लागू कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कि इस मिल के मालिक को मीसा में बन्द क्यों नहीं किया गया। मारुति लि० का मैनेजिंग डाइरेक्टर मीसा में बन्द क्यों नहीं किया गया। स्वदेशी मिल का मैनेजिंग डाइरेक्टर मीसा में बन्द क्यों नहीं किया गया। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि कितने पूंजीपति मीसा के अन्दर अब तक बन्द हुए हैं ? इसलिए मैं जब यह कहता हूं कि यह पूंजीपतियों की सरकार इन डिसगाइंज है, तो कौन सा जुल्म कर रहा हूं। आपने उस समय कितने ही एम० एल० एज और और एम० पीज बन्द कर दिए, भूतपूर्व मन्त्री और पार्टी के सबसे बड़े नेता और अध्यक्ष, जिन्होंने सरकारें चलाई, आपने बन्द कर दिए। उनसे आपको डर था लेकिन जिन्होंने मजदूरों के प्रोवीडेंट फंड का पैसा 10 साल तक जमा नहीं किया, जिन्होंने मजदूरों की तनख्वाह नहीं दी और उनको घर पर बिठाल दिया और मुनाफा कमाते रहे, उनको आपने बन्द नहीं किया। सेन्ट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक से कर्जा लेकर उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया और पैसा वापस नहीं किया और मिलों को ऐसी स्थिति में ला दिया कि आपको नेशनेलाइज करना पड़ा, ऐसे पूंजीपतियों को कितनी बार आपने मीसा में बन्द किया। इसका जवाब दीजिए। इसलिए यह जो

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

सब कहा जाता है, वह ठीक कहा जाता है लेकिन इससे आपको तकलीफ नहीं है। समाजवादी समाज की रचना का संकल्प आपने संविधान में तरमीम करके लिया है लेकिन उसमें तरमीम करने के बाद भी समाजवादी समाज की रचना का ढोंग रचते हुए आप पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह पूंजीपतियों की सरकार है।

आपने बहुत से कानून बना रखे हैं, प्रोवीडेंट फंड के बारे में भी कानून बना रखे हैं कि जो व्यक्ति इसे अदा नहीं करेगा, सही टाइम पर पेमेंट नहीं करेगा उसका चालान किया जायेगा, उसको सजा करवाई जायेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने ऐसे लोगों को सजा दिलवाई। आप बता दीजिए प्रोवीडेंट फंड के मुताबिक कौन से पूंजीपतियों को सजा दिलवाई। मैंने बार-बार कहा है कि पीलीभीत में शूगर मिल पर लाखों रुपया प्रोवीडेंट फंड का आज भी बाकी है। आप आंकड़े मंगा लें। उन्होंने प्रोवीडेंट फंड का रुपया जमा नहीं किया है। ऐसी स्थिति और भी जगहों पर है और सारे उत्तर प्रदेश में ऐसी ही स्थिति है। आपने उसके कितने चालान किये और कितनी बार उनको मीसा में बन्द किया, कितनी बार जेल भिजवाया और इसीलिए हमारा कहना है कि यह सरकार पूंजीपतियों के सहारे चल रही है और पूंजीपतियों के खिलाफ इसलिए कार्यवाही नहीं करवा पाती क्योंकि चुनाव में बड़ी-बड़ी रकमें वे इनको देते हैं आपने ऐसे कारखाने का राष्ट्रीयकरण किया, जिसकी मशीन खराब हो चुकी है और उसमें कार बनाने का निर्णय लिया। 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आप लगाएंगे और 500 करोड़ रुपये 5 साल में खर्च करेंगे। मैं कहता हूं कि आपने प्रीमियर आटोमोबाइल्स का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया, जो फियट कार बनाती है, क्यों नहीं बिरला की हिन्दुस्तान आटोमोबाइल्स का राष्ट्रीयकरण किया और क्यों नहीं महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के उस कारखाने का राष्ट्रीयकरण किया, जो जीप बनाते हैं। अगर इनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया और इनको लेने की आपने जरूरत महसूस नहीं की तो 10-20 करोड़ रुपये आप इन लोगों को दे देते और ये कार बना लेते क्योंकि इनके पास टेक्निकल नो-हाऊ मौजूद है। वे कार को मैनूफैक्चर कर सकते थे लेकिन आपकी नीति मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी नीति आप चला रहे हैं, ऐसी नीति जो नेशनेलाइजेशन की नीति है और जो बीमार मिलों को लेने की नीति है। बीमार कारखानों को लेकर आप पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। यह नीति कब तक चलेगी। इस तरह की नीति आप नेशनेलाइजेशन को लेकर सामने आते हैं, जोकि मेरी समझ में ठीक नीति नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा यह चार्ज है इन कारखाने वालों पर। पूंजीपतियों का यह एक तरीका है कि जब कर्जा बढ़ जाता है या ज्यादा पैसा खा जाते हैं तो मिल को बन्द कर देते हैं। श्रमिक चिल्लाता है तो सरकार मजबूर होकर श्रमिकों के हितों के लिए नेशनलाइजेशन कर लेती है। इस तरह से जिस मिल को पूंजीपति चाहेगा उसका नेशनलाइजेशन करवा देगा और जिसको चाहेगा नहीं करवाएगा। सरकार पर निर्भर नहीं है। साठ साल से आप अपने हाथ में लिये थे, अदालत से फैसला भी हो गया। जब फैसला हो गया तो आपने कहा कि नेशनलाइजेशन कर लो। इसमें कौन सा आपने बड़ा भारी तीर मारा है।

आपकी पालिसी क्लीयर नहीं है। जब डंडा लगा, टेक ओवर का आर्डर गलत निकल गया तब नेशनलाइजेशन की बात कही गई। इसलिए आप अपनी पालिसी को क्लीयर कीजिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं। कितना कर्जा बैंकों का देना बकाया है, कितना सूद अदा किया है, मजदूरों का कितना पैसा बकाया है। ये सब बातें सामने आनी चाहिएं और पता लगना चाहिए कि 65 लाख रुपया देकर आप दुधारू भैंस ले रहे हैं या सड़ी हुई भैंस ले रहे हैं। इन सब बातों को स्पष्ट किया जाना चाहिये।

कंपंसेशन आप किस बात का दे रहे हैं ? जिसने मजदूरों को मार डालने की कोशिश की, 18 महीने तक मजदूरों को खाना नहीं मिलने दिया और मुनाफा कमाता रहा, उसको आप कंपंसेशन दे रहे हैं। यह 65 लाख रुपया मशीनरी का दे रहे हैं ? इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए और अगर बैंकों का कर्जा समय पर नहीं दिया गया तो 8 साल से आपने उसके बारे में क्या कार्यवाही की ?

इसलिए मेरा कहना बिल्कुल सही है कि सरकार पूंजीपतियों का पक्ष ले रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां जो घी बनेगा और खाने वाला तेल तैयार किया जायेगा, विदेश से आएगा यह अलग बात है, लेकिन आप जो कीमतों के बारे में रोज कहते हैं कि कीमतें स्थिर हो गई हैं, इनकी कीमतों को स्थिर करने के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? आज घी की कीमतें 40 गुनी बढ़ गई हैं। जो घी एक रुपये का एक किलो बिकता था वह अब 40 रुपये किलो है और वनस्पति भी एक रुपये का चार किलो आता था, उसकी कीमतें भी 40 गुनी बढ़ गई हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पापूलेशन बढ़ गई है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप पापूलेशन की बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजनाएं किस लिए बनाई जाती हैं, क्या उसमें पापूलेशन का ख्याल नहीं रखा जाता। पापूलेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो सन् 80 से अब तक ढाई गुना कीमतें बढ़ गई हैं, क्या इस अवधि में ढाई गुना पापूलेशन बढ़ी है ? इसी तरह से और वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। कम से कम कीमत पर घी मिल सके और उचित दाम पर पूंजीपति बेचें, इस बात को देखें। नेशनलाइजेशन कर के कारखाने को लगाने का मतलब यह नहीं है कि जैसे कपडे का कारखाना है तो बाजार में जिस भाव पर और कपड़े वाले बेच रहे हैं उन्हीं के हिसाब से आप भी बेचें, या घी का कारखाना भी बाजार भाव पर ही घी बेचे। नेशनलाइजेशन करने के बाद आप कम कीमत पर लोगों को ठीक चीज मुहैया करायें, क्योंकि जो मुनाफा कारखाने का मालिक ले जाता था वह खत्म हो गया है।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि नेशनेलाइजेशन के विषय में कोई साफ पालिसी बनाकर सदन में आप आयें।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का वास्तव में आभारी हूं जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया है।

वस्तुतः उनमें से कुछ की अपनी शर्तें हैं और वे शर्तें उनकी अपनी पार्टियों की जो नीतियां है उन्हीं में से निकलती हैं। जिन्होंने विधेयक की आलोचना की है उनमें से कुछ की शिकायतें यह है कि हम बहुत तेजी से नहीं चल रहे हैं और वे, जिसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, उसके विरूद्ध नहीं है उनमें से कुछ यह महसूस करते हैं कि समूचे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

इसमें जो मुख्य मुद्दे उठाये गये हैं वह तेल के मूल्य के बारे में इसके उत्पादन और इसके वितरण के बारे में है। यह तो एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू क्षति पूर्ति के बारे में है। तीसरा श्रमिकों के भुगतान के बारे में है। चौथा उचित प्रबन्ध के बारे में है। यदि मैं उनकी आलोचनाओं का विभाजन करूं तो वे चार प्रकार की हैं। एक पांचवीं श्रेणी की आलोचना भी है। उनमें से दो एक ने सभी प्रकार के विषयों पर बोला है—किसानों के, सिंचाई, बिजली, राष्ट्रीयकरण तथा बहुत सी बातों के बारे में बोला है। किन्तु उन्होंने अमृतसर आइल वर्क्स का नाम नहीं लिया है। यह पांचवीं श्रेणी है। स्वभावतः सभी ने अच्छी तथा सम्भवतः बहुत लम्बी टिप्पणियां की हैं इनका मुझे उत्तर नहीं देना है। जहां तक दूसरी आलोचनाओं का सम्बन्ध है वे बहुत ही रचनात्मक हैं और उन्होंने इस विधेयक का समर्थन भी किया है। अतः मैं उनका आभारी हूं।

आज देशों में तेल के उत्पादन तथा वितरण के बीच एक अन्तर है। अन्तर 12 से 14 लाख टन के बीच है। समय-समय पर हमें उसका आयात करना पड़ता है परन्तु वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस देश में किसानों के पास बहुत कम विकल्प हैं। तिलहनों के उत्पादन पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिये जाने पर भी किसानों को दूसरी फासलों से तिलहन के उत्पादन करने पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि दूसरी फसलों पर उन्हें अधिक लाभ मिलता है। अतः प्रोत्साहन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ देश में तेल की खपत भी बढ़ गयी है। यह काफी हद तक बढ़ा है—1975-76 में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इसके बाद हम इसको बढ़ा नहीं सके इसका कारण यह है कि किसानों के पास और बहुत से विकल्प है। उनके पास अन्य फसलों को उगाने का विकल्प है जिन पर उन्हें तिलहनों से अधिक लाभ मिलता है। मैं अपनी कठिनाई को स्पष्ट रूप से सदन के सामने रखना चाहता हूं। हम किसानों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, हम मूंगफली का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं ताकि हमें तेल मिल सके। दूसरा काम हम यह कर रहे हैं कि हम अपरम्परागत वस्तुओं से भी तेल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे है। अब हम चावल की भूसी से तेल निकालने प्रयास कर रहे हैं। हमें कणस के बीज तथा साल के बीज से भी तेल निकालपाना चाहिए। सरकार इस प्रकार प्रयतन कर रही है। मैं आशा करता हूं और जैसे ही हम आगे बढ़ेगें, देश में अब जो अन्तर है उसको पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने में समर्थ होंगे।

दूसरी तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो माननीय सदस्यों ने कही है वह इसके मूल्य तथा वितरण के बारे कही गई है। श्री डोगरा श्री मैत्रा ने तथा अन्य मित्रों कहा है कि जो कुछ भी हम लाते हैं उसका उचित विवरण होना चाहिए। यह सही है। फिल हाल मांग और पूर्ति में अन्तर है। अत: हमें विदेशों से इसका आयात करना पड़ता है। विभिन्न राज्यों की मांगों के अनुसार कुछ सिद्धान्तों के आधार पर हम राज्यों को इसका वितरण करते हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्य-क्षेत्र तेल के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं। हम हमेशा उनसे मिलने तथा उन्हें परामर्श और अपनी राय भी देते हैं। सदन में हुई चर्चा और आलोचना के प्रकाश में इस तरह का संशोधन करना चाहिए कि इससे अधिक संतोष मिल सके। हम पुन: ऐसा करेंगें।

महोदय, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आलोचना मुआवजे के बारे में की गई है। आप इसके विशेषज्ञ हैं और मेरे अन्य सहयोगियों तथा आपको यह जानकारी है कि 65 लाख रुपये का यह मुआवजा उस दिन की परिसम्पत्तियों के बही-मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है जबकि इस मिल को नियन्त्रण में लिया गया था। यह मुआवजा हमें वर्तमान मुआवजे के कानून के अन्तर्गत देना है जिसमें आरम्भ से ही पहले संशोधन, दूसरे संशोधन, तीसरे संशोधन और चौथे संशोधन के समय संशोधित किया गया। माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए कि हम उन मामलों में भी नहीं पड़ना चाहते जहां उन्होंने कुप्रबन्ध किया है लेकिन उनका वही मूल्य 65 लाख रुपये था। संभवत: हम मुआवजा न भी देते परन्तु वर्तमान कानून के अन्तर्गत सांकेतिक मुआवजा देना ही पड़ता है। महोदय, इस मामले में, वे पुन: चुनौती दे सकते हैं और कह सकते हैं कि यह आज की परिसंपत्तियों के मूल्य के आधार पर होना चाहिए। लेकिन महान्यायाभिकर्त्ता ने हमें सुझाव दिया है और उनका कहना है कि यह उस दिन की परिसम्पत्तियों के बही मूल्य के आधार पर होना चाहिए जिस दिन उसे नियन्त्रण में लिया गया था।

सभापति महोदय : लेकिन यह राशि मनमाने रूप में नहीं होनी चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : यह बही मूल्य है। यह स्वेच्छापूर्वक लगाया गया मूल्य नहीं है। यह पुस्तक मूल्य तथा प्रदान की गई राशि है।

महोदय, माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि इस मामले में यह मिल रुग्ण पड़ गया था। हमने इसे अपने नियंत्रण में लिया। हमने स्टेट बैंक से ऋण लेकर इसे व्यवस्थित किया। वर्ष-दर वर्ष हमें लाभ होता गया। हमने रक्षित ऋण चुकता कर दिया। कम्पनी के एक निदेशक न्यायालय गए और दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कहा कि इस उपक्रम को 15 अक्तूबर से पहले ही वापस दे दीजिए। न्यायालय का यह निर्णय था। हम इसका प्रबन्ध भली भांति कर रहे हैं।

महोदय, यह हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि माननीय सदस्यों ने भी चिन्ता व्यक्त

[श्री भागवत झा आजाद]

की है। इस देश की तेल नीति को ध्यान में रखते हुए देश में आज हमें इन दो मिलों—अमृतसर आइल वर्क्स और गणेश फ्लोर ऑयल मिल्स से हमें वनस्पति तेल का 1/6 भाग तथा रिफाइंड रेपसीड तेल मिल रहा है जिसका वितरण देश की 2.85 लाख उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम किया जाता है। यदि इसे वापस दिया जाता है तो इससे हमारी सार्वजनिक वितरण नीति को भारी धक्का पहुँचेगा। यही कारण है हमने यह रास्ता अपनाया है। मेरे माननीय मित्र श्री सुनील मैत्रा ने कहा कि हमें अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) का सहारा क्यों लेना पड़ा। (व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : इन धोखेबाजों पर मुकदमा चलाने के लिए मैं चाहता हूं कि विधान बनाया जाये।

श्री भागवत झा आजाद : मैं अपने मित्र की इस बात से सहमत हूं कि धोखेबाजों पर मुकदमा किसी कानून के अधीन चलाया जाना चाहिए। इस विशेष मामले में हमने अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) का सहारा लिया है क्योंकि हमें आशंका है कि यह महाशय, जिन्होंने कुप्रबन्ध किया है, पुनः न्यायालय में जा सकते हैं।

अतः अपनी राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित करने के लिए हम इसे नियन्त्रण में ले रहे हैं। क्योंकि हमारी तेल नीति एक महत्त्वपूर्ण नीति है। यह एक आवश्यक वस्तु है जिसे हमें नियन्त्रण में लेना ही होगा और हमने उस पर नियन्त्रण कर लिया है। जहां तक उनकी मजदूरी का सम्बन्ध है, श्रमिकों को 18 महीने तक कष्ट उठाना पड़ा है। हमने क्षतिपूर्ति आयुक्त नियुक्त किया है। मुआवजे के रूप में जो राशि हमने निर्धारित की है वह मालिकों को नहीं दी जायेगी बल्कि वह राशि क्षतिपूर्ति आयुक्त के पास रखी रहेगी। यह अरक्षित ऋण अधिक नहीं हैं। जहाँ तक कर्मचारियों को बकाया राशि का सम्बन्ध है, उन्हें क्षतिपूर्ति आयुक्त को आवेदन करना होगा और वह राशि उन्हें आयुक्त से प्राप्त हो जायेगी। हमें आशा है कि कर्मचारियों को आयुक्त से यह राशि बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सकेगी। उचित प्रबन्ध के सम्बन्ध में, यह ठीक है कि यह पर्याप्त नहीं हैं कि हम रुग्ण मिलों पर नियंत्रण कर लें, उनका राष्ट्रीयकरण कर दें और इस मिल की भांति सरकार के स्वामित्व में कम्पनी बनाएं लेकिन महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसे चलाने के लिए हमारे पास कुशल कर्मचारी हों, अच्छे प्रबन्धक हों। इस मामले में हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

माननीय सदस्यों ने सरकारों क्षेत्र की नीति, राष्ट्रीयकरण की नीति आदि, के और अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में कहा। यहां सरकारों के स्वामित्व वाली कम्पनी के प्रबंध का उदाहरण है जिसने अच्छा लाभ दिखाया हैं। 1975-76 के 8 करोड रु० की कुल बिक्री के मुकाबले मे अब कुल बिक्री 42.5 करोड़ रुपये है। यह एक अच्छा उदाहरण है। हमें आशा है कि इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के बाद यह और भी अच्छा कार्य कर पायेगी। आरम्भ में यह कम्पनी

घिसी-पिटी हालत में थी। इसकी आस्तियां 85 लाख रुपए थीं। आज हमारे पास 795 लाख रुपए की आस्तियां हैं। आज अमृतसर यूनिट में प्रतिदिन 1250 लाख टन वनस्पति और 250 लाख टन रेपसीड तेल का उत्पादन हो रहा है। इसकी कुल बिक्री 1974-75 में 626 लाख रुपये से बढ़कर 1980-81 में 3743 लाख रुपये और जुलाई 82 तक 4257 लाख रुपये तक पहुंच गयीं। यह उदाहरण बहुत छोटा सा भी माना जा सकता है लेकिन यह सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्था का उदाहरण है। जब हमने इसे नियंत्रण में लिया और सरकारी कम्पनी बनाई है हमें आशा थी कि यह अच्छी तरह से कार्य कर सकेगी और यह दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगी कि सरकारी क्षेत्र में किस तरह से प्रबन्ध किया जा सकता है। क्योंकि केवल गैर सरकारी क्षेत्र ही नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र भी उन्हें अच्छी तरह से चला सकते हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा अन्य कई प्रश्न भी उठाए गए हैं। मैं मैत्रा जी और अन्य मित्रों का आभारी हूं जिन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए।

निस्सन्देह, राष्ट्रीयकरण नीति आदि के बारे में इस समय उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। मैं श्री आर० एल० भाटिया और व्यास जी का आभारी हूं जिन्होंने इस विधान को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा है और अपना समर्थन दिया है। वहां हुए अग्नि कांड, वहां के प्रबन्ध और भविष्य की योजना आदि के बारे में भी एक-दो आलोचना की गईं। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि हम इन सब बातों की जांच करेंगे। हम पता लगाएंगे कि यह घटना कैसे हुई। आग के बारे में श्री भाटिया और डागा ने कुछ प्रश्न पुछे हैं। हम इनकी जांच करेंगे। लेकिन यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें किसी उपक्रम ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा कार्य किया है। हमें आशा है कि राष्ट्रीयकरण के बाद जब सरकार इसका नियंत्रण अपने हाथ में लेती है, वे और अधिक अच्छा काम कर पाऐगी और यह इस देश की तेल नीति में एक और उदाहरण प्रस्तुत करेगी, क्योंकि अमृतसर आइल वर्क्स और गणेश फ्लोर मिल दोनों ही हमारे देश में तेल उत्पादन और वितरण में काफी सहायक सिद्ध होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उन माननीय सदस्यों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधान का सर्वसम्मति से समर्थन किया है धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री शमन्ना, क्या आप अपने विधेयक के परिचालन सम्बन्धी संशोधन को वापिस ले रहे हैं ?

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं संशोधन संख्या 4 वापस लेने के लिए सभी की अनुमति चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न यह है :

"कि पौष्टिक वनस्पति और परिष्कृत खाद्य तेलों को उचित कीमतों पर जनता को प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित लोक स्वामित्व के या नियंत्रित यूनिटों के केन्द्रों को कायम रखने और उन्हें सुदृढ़ करने की दृष्टि से, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को क्रियान्वित किया जा सके, अमृतसर आइल वर्क्स के सम्बन्ध में अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी के उपक्रमों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।
प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 9 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 10

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10, संशोधित रूप में*, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया। खंड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 13

संशोधन किया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13, संशोधित रूप में,* विधेयक का अंग बने।"

* *संशोधन विधेयक के हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होते।*

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 15

संशोधन किया गया ।

"पृष्ठ 8, पंक्ति 30—"विनिर्दिष्ट रकम" के स्थान पर "विनिर्दिष्ट रकमों" प्रतिस्थापित किया जाए ।"

(श्री भागवत झा आजाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।"

खंड 16 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय—प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सीमा शुल्क टैरिफ (दूसरा संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : हम अब कार्य सूची की मद संख्या 9 पर चर्चा करेंगे । श्री पट्टाभि राम राव सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश करेंगे ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : श्री प्रणब मुकर्जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 का संशोधन करना है ताकि इस धारा के उपबंधों का भारत द्वारा टैरिफ और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (जी० ए० टी० टी०) के अन्तर्गत लिए गये अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार लाया जा सके और भारत के घरेलू उद्योगों को, जो सहायकी या पाटन की अनुचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसके कारण देश में स्थापित घरेलू उद्योगों को सारभूत क्षति होती रही है, वैसा संरक्षण प्रदान किया जा सके।

भारत ने टैरिफ तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (जी० ए० टी० टी०) पर हस्ताक्षर किए हैं तथा सहायकी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों और पाटनरोधी ऐसे दो बहुपक्षीय करारों में संविदाकारी पक्षकार है जिन पर 1978-79 के दौरान जेनेवा में हुई टोक्यो की बहुपक्षीय व्यापार संधिवार्ता के दौरान समझौता हुआ था।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

इन समझौतों की शर्त है कि इसे स्वीकार करने वाली प्रत्येक सरकार को इन करारों के उपबंधों के साथ घरेलू कानूनों, नियमों और विनियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अनुरूपत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

इस समय, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में बाउन्टी वाले या राजसहायता प्राप्त आयात माल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का उपबन्ध है। पाटन किये गये आयात माल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। इन दोनों में मूल अन्तर यह है कि उत्पाद बाउंटी वाला तभी माना जाता है जब कि निर्यात करने वाले देश की सरकार अपने निर्यात पर इस तरीके से राज-सहायता प्रदान करती है कि उस देश के निर्यात माल पर अनुचित व्यापार सुविधा प्रदान की जा सके, और उस वस्तु को आयात करने वाले देश में 'डम्पड' तभी माना जाता है जब एक निर्यात करने वाले देश की प्रत्येक कर्म, भले ही उसे अपनी सरकार से राजसहायता प्राप्त हो रही है या नहीं अपने उत्पादन का निर्यात अपने देश की मण्डी में प्राप्त होने वाले मूल्य से कम मूल्य पर बेचती है। चूंकि 'डम्पिंग' की स्थिति अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जिसमें विदेशी सरकारों द्वारा दी जाने वाली राजसहायता का उपबंध भी हो सकता है। इसलिए सहायकी और पाटन दोनों स्थिति में अतिरिक्त शुल्क लगाने का उपबंध करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

इस क्षेत्र में हमारे वर्तमान विधान में उन मदों पर जो भारत में आने पर अन्यथा शुल्क योग्य वस्तुएं हैं, अतिरिक्त शुल्क लगाने का भी उपबंध है। चूंकि जी० ए० टी० टी० तथा राज-सहायता और प्रतिसंतुलनकारी उपायों तथा पाटन संहिताओं के अनुसार डम्पड या राजसहायता प्राप्त आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रयोजन से ऐसी चीजों में जिन पर शुल्क लग सकता है तथा ऐसी चीजों में जिन पर शुल्क नहीं लगता के बीच कोई अन्तर नहीं है। अतः अपने यहां विधान का संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि ऐसी वस्तुओं पर भी ऐसा शुल्क लगाया जा सके, जिन पर यह नहीं लगता।

0

राजसहायता तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों सम्बन्धी संहिता तथा 'डम्पिंग' विरोधी संहिता जिन पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं की मूल भावना यह है कि जबकि राजसहायता अथवा निर्यात माल का जमाव कई प्रकार की परिस्थितियों में हो सकता है, फिर भी इस प्रकार की व्यापार प्रणालियों की निंदा की जानी होगी और उनके विरुद्ध यह सिद्ध होने के बाद ही कार्यवाही करनी होगी कि राजसहायता प्राप्त अथवा विपुल मात्रा में आयात से आयात करने वाले देश के चालू उद्योग को क्षति पहुंचती है अथवा इस प्रकार के उद्योग की स्थापना में बाधा डालते हैं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में अभी तक इस क्षति के मापदंड को राजसहायता प्राप्त अथवा विपुल मात्रा के आयात पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों पर लागू करने की व्यवस्था नहीं की गयी है। अत: संशोधन विधेयक में इस प्रकार के आयातों पर क्षति का परीक्षण करने की व्यवस्था की गयी है। अत: स्वभावत: हम क्षति परीक्षण केवल उन्हीं देशों पर लागू करेंगे जो ऐसे शुल्क लगाने से पहले हमारे उत्पादों के लिए भी क्षति परीक्षण की व्यवस्था करेंगे अत: विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि भारत क्षति परीक्षण केवल पारस्परिक आधार पर ही लागू करेगा।

विधेयक का उद्देश्य उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : इस विधेयक का उद्देश्य सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करना है ताकि इस धारा के उपबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार हों, क्योंकि भारत ने जी० ए० टी० टी० पर हस्ताक्षर किए हैं और हम समझौते के अनुसार जिम्मेवारियों को निभाने के लिए बाध्य हैं। जैसे कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है। इस विधेयक को इसलिए पेश किया गया है कि अपने कानून के जी० ए० टी० टी० के उपबंधों के अनुसार बनाया जाये।

विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर टिप्पणी करने से पहले मैं वर्तमान स्थिति की चर्चा करना चाहूंगा। टैरिफ और व्यापार का यह समझौता रुग्णावस्था में है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह मर ही चुका है।

श्री ई० बालानन्दन : मैं यह नहीं कहता कि यह मर चुका है लेकिन ऐसा भी कहा जा सकता है। कोई भी उस डी० ए० टी० टी० समझौते तथा इसके ग्रुप की परवाह नहीं करता। अब हम अपने बचनों के अनुसार संशोधन विधेयक ला रहे हैं। चार वर्ष पहले हमने कुछ बचन दिये थे। जो कुछ चार वर्षों में हुआ उसे ध्यानपूर्वक देखना होगा।

[श्री ई० बाला नन्दन]

अब हर व्यक्ति जानता है कि विश्व भर में पूंजीपति प्रणाली संकट में है। एक अथवा दो महीने पहले 'यूरोपीय देशों का एक आर्थिक शिखर सम्मेलन' हुआ था जिसमें राष्ट्रपति रीगन जैसे व्यक्ति ने भाग लिया था। उस बैठक में कई मामलों पर चर्चा हुई थी और उनमें से हर व्यक्ति ने उपदेश दिया था कि "भिखारी पड़ोसी" की नीति न लागू की जाये। यदि उस प्रकार की नीति अपनायी जाती है तो तीसरे दशक के बड़े से बड़े संकट फिर आ सकते हैं। तथाकथित "यूरोपीय आर्थिक समुदाय से देशों के आर्थिक शिखर सम्मेलन" में श्री रीगन ने यूरोप के देशों से कहा : "दोस्तो आप सोवियत रूस को तेल से पाईप न सप्लायी करें चाहे आप ठेके के अनुसार इसके लिये बाध्य भी क्यों न हों'। उनमें से कुछ ने पूछा: "आप स्वयं रूस के साथ गेहूं का व्यापार क्यों करते हैं' ? इस तरह से वे एक दूसरे के साथ लड़ते रहे जिसका परिणाम आज है कि हर देश —जो जी० ए० टी० टी० का सदस्य है—'भिखारी पड़ोसी' की नीति अपना रहा है। अतः आज इस समझौते की कोई गारंटी नहीं है। अब जी० ए० टी० टी० समझौते में यह सुनिश्चित करने के लिये कोई बल नहीं है कि इसे इस तरीके से क़िया जाये या उस तरीके से किया जाये। हर देश अपने माल को दूसरे देश में डम्प करने की कोशिश कर रहा है। वे यह भी कह सकते हैं कि अमरीका की स्थिति क्या है। अमरीका के लिए जापान तथा यूरोपीय देश इस्पात डम्प कर रहे हैं और संयुक्त राज्य अमरीका अब भारी शुल्क लगा रहा है। उसे पूरा करने के लिये प्रतिक्रिया के रूप में यूरोप के देश अमरीका के गेहूं को अपने देश में निर्यात करने को सीमित करने पर विचार कर रहे हैं।

अब अमरीका में क्या हो रहा है ? अमरीका का सबसे बड़ा गाड़ी उद्योग अब संकट में हैं। इसके एक लाख श्रमिकों को जबरन छुट्टी दी जा चुकी है और उद्योग को अपने उत्पादन में कार्य करने के लिये मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जापान की छोटी तथा उत्तम कारों के आयात पर भी पाबंदी लगा ली है। उन्होंने इसके आयात पर भी अधिकतम खोज लागू कर दी है। हम आर्थिक स्थिति की दृष्टि से अमरीका को एक सबसे बड़ा तथा मजबूत देश समझते हैं। लेकिन वहां भी 40 वां सबसे बड़ा मनहटन नामक बैंक बंद हो गया है। आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे मजबूत देश, पश्चिम जर्मनी में भी ए० ई० जी० टेलीफुंकन बंद हो गया है। कम्पनी के 16000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। जापान को हम एक आदर्श देश समझते आ रहे हैं जिसे लागू किया जाना चाहिये। लेकिन वहां भी उत्पादन में कमी हो रही है और वे भी अपने उत्पादन में कटौती करना चाहते हैं। ये सभी देश इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री, श्री प्रणब कुमार मुखर्जी राष्ट्रमण्डल वित्त मन्त्री सम्मेलन में गये थे, जहां उन्हें दो बातों की घोषणा करनी पड़ी, उनकी पहली बात यह थी कि आज सभी उद्योग प्रधान देश मंदी का सामना कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सभी विकासशील देशों के व्यापार में घाटे हो रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि स्थिति यह है तो आज हमारा देश क्या कर रहा है?

श्री प्रणब मुखर्जी उस बैठक में कह सकते थे कि सभी उद्योग प्रधान देश मंदी का सामना कर रहे हैं और वे दूसरे देशों को उतने अधिक माल का निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं और

इसी कारण इन सभी विकासशील देशों को अपने व्यापार संतुलन में बड़े-बड़े घाटे हो रहे हैं। लेकिन हम अपने देश में क्या कर रहे हैं ?

मैं अधिक हवाला नहीं दूंगा। लेकिन यह एक ऐसा विधेयक है जो इस 'डम्पिंग' को बंद करना चाहता है। आप अब तक क्या करते रहे ? पिछले वर्ष हमारे यहां उर्वरक का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ। हमारी उर्वरक की खपत सन्तोषजनक नहीं रही। लेकिन हमने 1981-82 के दौरान 20 लाख टन खाद का आयात किया। हमारे पास नाईट्रोजन्स तथा फोसफेटिक उर्वरकों का 12.5 लाख टन का स्टाक है। फिर भी हम इस वर्ष अधिक आयात करने जा रहे हैं। हमारा देश इसका आयात करता ही जा रहा है। इस्पात के बारे में, मैंने आपसे कहा है कि जर्मनी, जापान तथा अन्य सभी देश कम मूल्यों पर इस्पात की डम्पिंग करके अन्य देशों को भेज रहे हैं और भारत इस्पात का आयात कर रहा है जबकि हमारे पास स्टाक में 12 लाख टन इस्पात है। 1981-82 में 8.12 लाख रु० इस्पात आयात किया गया था। और 1982-83 के पिछले पांच महीनों से कुछ और भी आयात होना था। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० का काम चलाना बहुत कठिन हो रहा है। इस्पात और उर्वरक की स्थिति यह है।

एल्यूमिनियम की एक बड़ी कहानी है जिसे मैं आपको नहीं बताना चाहता। एल्यूमिनियम का भी आयात हो रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें, क्योंकि इस विधेयक के लिये केवल एक ही घण्टे होने का समय निश्चित किया गया है।

श्री ई० बालानन्दन : प्रश्न यह नहीं है। इस विधेयक का देश की आर्थिक नीति से बहुत गहरा सम्बन्ध है।

सभापति महोदय : उस दशा में आपको कार्य मन्त्रणा समिति में उसके लिये चार घंटे के समय की मांग करनी चाहिये थी।

श्री ई० बालानन्दन : लेकिन जब आप पीठासीन हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिये कि इस विधेयक के बारे में कुछ बातें कही जाये।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय जानते हैं कि मैं दूसरे विधेयक की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

श्री ई० बालानन्दन : वह विधेयक आज नहीं आयेगा।

मैं उस प्रश्न पर आऊंगा। सरकार ने 1980-81 के दौरान 1.18 लाख टन एल्यूमिनियम

[श्री ई० बालानन्दन]

का आयात किया है और इस वर्ष एक लाख टन का आयात किया है। एम० एम० टी० सी० के पास 30,000 टन का स्टाक है। मैं ऐसा इसलिये कहता हूं कि सरकार अब कह रही है कि वह अब इस डम्पिंग को बंद करने के लिये कुछ कदम उठा रही है। 1975-76 से जापान के साथ वार्ता चल रही है। अब 1982 में आप इस विधेयक को ला रहे हैं। आप गत 4 वर्षों से क्या करते रहे हैं।

टाईम्ज आफ इंडिया के सम्पादकीय के अनुसार मंत्रालयों में कुछ लोग केवल आयात से ही आकर्षित होते हैं। वे लोग कौन हैं? वे सरकार के वित्तीय/आर्थिक सलाहकार, श्री एल० के० झा जैसे बड़े लोग हैं। मैं और लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप मुझे कुछ और कह देंगे। लेकिन इस प्रकार के लोग सरकार को सलाह दे रहे हैं। वे किसके लिये सलाह दे रहे हैं?

आज विश्व भर में, पूंजी प्रणाली संकट में है; और विश्व का हर देश अन्य देश पर संकट थोपने की कोशिश कर रहा है। अत: यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं और बाहर के सभी प्रहारों का सामना करने योग्य बनना चाहते हैं तो आपको इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। मैं आपके प्रस्तावों से सहमत हूं। मैं विधेयक के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन आपने इसमें देरी की है।

विधेयक के तीन उद्देश्य हैं :– (1) पाटन विरोधी शुल्क; (2) कोंउटर-वेलिंग शुल्क; (3) और एक छूट का खंड। सभी खंड अच्छे हैं। मुझे इनके बारे में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसे कैसे किया जा रहा है? अधिनियम के अनुसार यदि इस देश में कोई माल डम्प होगा तो हम एक अस्थायी मूल्यांकन करेंगे और हम एक शुल्क लगायेंगे और आयात किये गये माल को बेचा जायेगा; और साथ-साथ मूल्यांकन करने वाला अधिकारी यह कहते हुऐ दो महीने के बाद आयेगा कि लगाया गया कर अधिक था और इस कारण वे इसे वापिस कर रहे हैं। वे किसे वापिस करेंगे? आयात किये गये माल को सरकार द्वारा लगाये गये शुल्क के आधार पर पहले ही बेचा जा चुका है और सरकार अधिक शुल्क लगाये जाने का पता लगाने पर इसके कुछ भाग को वापिस करने जा रही है। इस राशि को कौन प्राप्त करेगा? हमारे उपभोक्ता इस राशि को प्राप्त नहीं करेंगे। यह निर्यातकों तथा उन लोगों को जायेगा जो मन्त्रालयों में निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे हैं;

आज लार्ड केनेस के सिद्धान्त और नुस्खे महत्वहीन हो गये हैं और श्री झा तथा अन्य लोगों द्वारा बताये गये नुस्खे आपकी रक्षा नहीं करेंगे। अत: मैं आपसे भिन्न नीति अपनाने का अनुरोध करता हूं। आप विश्व की मंदी से बचा नहीं सकते। पिछली बार हमारे वित्त मन्त्री, श्री प्रणब

मुखर्जी ने उस समय आपत्ति की थी जब श्री समर मुखर्जी ने कहा था कि भारत मन्दी के बीच में है। अब मैं इसे सिद्ध नहीं करना चाहता। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन श्री प्रणब मुखर्जी तथा अन्य लोग जानते है कि वे एकान्त में नहीं रह सकते। आपके ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय मन्दी का दबाव रहेगा। आप इसका मुकाबला आसानी से नहीं कर सकते। अतः इस अधिनियम को लागू करते समय आपके किसी कर्मचारी के अनचाहे शुल्क लगाने सम्बन्धी अनुचित लाभ उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये और आयातकों के उनके द्वारा हथियायी गयी राशि वापिस दिलाने की कोशिश करनी चाहिये। आपके इस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, प्रत्येक देश की सरकार चाहती है कि उसके उद्योग का विकास हो और व्यापार बढ़े। इस विधेयक के द्वारा विदेशी आयात में जो खुली छूट दी गई है, वह बहुत अधिक है। जहां तक अमरीका और जापान का सम्बन्ध है, उनकी औद्योगिक क्षमता बहुत अधिक है और उसी के अनुसार उन्होंने अपनी नीतियां निर्धारित की है।

यह बिल बहुत देर से लाया गया है। इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। मुझे इस बिल की दो बातें अच्छी लगी हैं। इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्ज में कहा गया है :—

> "इसके अतिरिक्त इस धारा में बाउण्टी दी गई वस्तुओं पर, उन मामलों में जिनमें ऐसी वस्तुओं के आयात करने से किसी स्थापित उद्योग को कोई तात्विक क्षतिकारित नहीं होगी या उससे कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा या भारत में किसी उद्योग की स्थापना के लिए तात्विक गतिरोध नहीं होगा, शुल्क से किसी छूट के लिए अनुज्ञा नहीं है। अधिनियम में निर्यातकर्ता देशों द्वारा पाटे गए माल की प्राप्ति पर पाटनरोधी शुल्क उद्गृहीत करने के लिए उपबन्ध नहीं है।"

इसके बाद इसमें यह कहा गया है :

> "इस धारा को इसलिए भी संशोधित किया जा रहा है जिससे कि उसके अधीन अन्तिम शुल्क अधिरोपित करने के लिए तथा अधिक रकम के प्रतिदाय के लिए, उस दशा में जहां इस धारा के अधीन अवधारित अन्तिम शुल्क अनन्तिम शुल्क से कम पाया गया हो, उपबन्ध किया जा सके।"

यह प्रश्न बड़ा जटिल बन गया है। रिफंड किसको होगा ? आयात और निर्यात करने वाले को फायदा होगा, क्योंकि एक्सेस ड्यूटी रिफंड होगी, लेकिन देश और देश के लोगों को क्या फायदा

[श्री राजेश कुमार सिंह]

होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। मन्त्री महोदय को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। डेलिगेटिड लेजिस्लेशन सम्बन्धी मेमोरेंडम में कहा गया है कि :

> "विधेयक का खण्ड 2 मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) को संशोधित करता है। जिससे कि केन्द्रीय सरकार को उसके अधीन ऐसी बाउण्टी दी गई वस्तुओं की पहचान करने के लिए जो अन्यथा शुल्क के लिए दायी हैं और विधेयक के खण्ड 2 के उपखंड (क) द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसार उस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उनके आयात किए जाने पर निर्धारण और प्रतिरोध शुल्क के संग्रहण के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।"

इसको थोड़ा सा साफ करना चाहिए। सरकार नियम तो बनाती है और फिर कुछ संशोधन ले आती है। 17 अप्रैल को कस्टम्ज टैरिफ एक्ट में संशोधन किया गया। सरकार बार-बार संशोधन करती है। इसके बजाए सरकार को एक पूरा संशोधन लाना चाहिए और कस्टम्ज टैरिफ के बारे में एक साफ नीति अपनानी चाहिये, क्योंकि वह देश की अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डालती है।

इस समय जिसको सबसिडी मिल रही है, उस पर दूसरी ड्यूटी लगाई जायेगी। जिन देशों के साथ हमारी ट्रीटीज हैं, वे हमारे बारे में क्या रुख अपनाएंगे, इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, सीमा शुल्क टैरिफ संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में सर्वप्रथम मैं सभा, मन्त्री तथा सरकार का ध्यान समस्या के उस एक पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हमें अत्यधिक परेशान करती आ रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक हम कभी भी यह कहने की स्थिति में नहीं रहे कि हम सीमाशुल्क टैरिफ को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने में सक्षम हैं। न केवल इसमें त्रुटियां रही हैं अपितु नीति तथा कार्यान्वयन स्तर पर कदाचार भी रहे हैं। इन दोनों स्तरों पर देश को नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता आ रहा है और प्रशासन तथा सरकार के अन्दर या बाहर के व्यक्ति राष्ट्र की कीमत पर लाभ उठाते रहे हैं। हम अपने तटों के सीमा शुल्क कानूनों से भली-भांति परिचित हैं। इस सभा में इस समस्या पर शायद ही कभी कोई चर्चा हुई हो। हमारी उत्तरी सीमा पर हमारा मित्र देश नेपाल है। पेशेवार तस्करों के ऐसे कई परिवार हैं जिनका कोई एक प्रतिष्ठान अथवा फर्म इस ओर है और दूसरा सीमा की दूसरी ओर। वे तस्करी गतिविधियों से न केवल देश का अहित करते हैं अपितु हमारे पड़ौसी मित्र देश नेपाल के साथ हमारे सम्बन्धों में तनाव भी उत्पन्न करते हैं। हमने नेपाल के साथ सन्धि कर रखी है कि नेपाल में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे भारत लाया जा सकता है। परन्तु ये तत्व न तो

वहां कोई उद्योग स्थापित करके और न ही वहां के उद्योग के विकास में कोई सहायता प्रदान मदद करते हैं। वे जापान, इंगलैण्ड और यहां तक कि चीन आदि जैसे बाहर के देशों से वस्तुओं का आयात करते हैं और फिर तस्करी द्वारा उन्हें भारत ले आते हैं। उनकी गतिविधियों के कारण पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न होता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए हमारा तन्त्र पूर्णतया निष्प्रभावी रहा है। जब कभी लोग कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो उन्हें दण्डित नहीं किया जाता। जब कभी अधिकारी अपने व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक लाभ के लिए बड़े पैमाने पर तस्करी करते हैं—मैं यह नहीं कहता कि उनमें से अधिकांश अधिकारी व्यापार के लिए तस्करी करते हैं तो ऐसा ढीलापन आना अवश्यंभावी है।

सभापति महोदय : इस विधेयक का सम्बन्ध वस्तुओं के पाटन से है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं कुछ पृष्ठभूमि दे रहा हूं।

मैं इसलिए यह कहता हूं कि हमें समस्या की गहराई में जाना होगा ताकि कानून को ओर अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके अन्यथा केवल तकनीकी बातों से हम कुछ अधिक नहीं कर सकते। सीमा के दूसरी ओर, समुद्री सीमा की ओर भी ऐसी बातें हो रही हैं। इस सभा में इस मामले पर कई बार चर्चा हो चुकी है। इस स्थिति में वर्तमान विधेयक व्यापार और टैरिफ पर सामान्य करार आदि से सम्बन्धित समस्या के बहुत ही छोटे भाग को छूता है। अत: मैं न इसके समर्थन और न ही विरोध करने की स्थिति में हूं। विधेयक का अध्ययन करने के पश्चात् मैं यह अनुभव करता हूं कि उसके कार्यान्वयन के बारे में वास्तव में कोई कार्य नहीं किया गया है। अत: मैं न इसके समर्थन करने के और न ही विरोध करने की स्थिति में हूं। यह न तो हानिकर है और न ही सहायक। इस विधेयक से सरकार समस्या की गहराई में नहीं जा सकती। यह विधेयक हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में सहायता प्रदान नहीं करता। इस विधेयक को पारित करने से विदेशों से, अरब देशों से वस्तुओं की तस्करी को रोकने में सहायता नहीं मिलेगी। देश के हित में उनसे कड़ाई से निपटना होगा। मैं इसके खण्डों में नहीं-जाऊंगा क्योंकि जी० ए० टी० टी० की समस्या से निपटने के लिए इस विधेयक के उद्देश्य सीमित हैं। परन्तु यह अपर्याप्त है। अत: मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में किसी अवसर पर वे इस समस्या की गहराई में जाएं और ऐसा विधेयक प्रस्तुत करें जो प्रभावशाली हो तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति करता हो जो इस सभा में उठाए गए हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मान्यवर, जैसा कि इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में दिया है कि जनरल एग्रीमेंट आन टैरिफस एंड ट्रेड एक मल्टीलेट्रन ट्रीटी है, उसमें हम सिगनेट्री हैं। मल्टीलेट्रल नेगोसिएशन्स जनेवा में हुई, उसमें भी हम सिगनेट्री है। इसलिए हमारे देश में जो भी कानून सीमा-शुल्क के बारे में हैं, उनमें समानता लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसका मैं समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका कि विरोध किया जाए।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

मैं इस अवसर का इस्तेमाल इसलिए करना चाहता हूं कि सीमाशुल्क के नियमों का उल्लंघन करने से हमारे देश को बहुत बड़ी हानि हो रही है। मैं इस सम्बन्ध में केवल एक बात कहना चाहता हूं।

जैसा कि हमारे भाई ने जिक्र किया कि नेपाल के साथ लगे बार्डर पर बहुत बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। गोरखपुर से लेकर मेरे जिले पीलीभीत तक बनवसा शरदा नदी का पुल या धनारघाट, लखीमपुर खीरी और गोरखपुर से लेकर बिहार के इलाके तक स्मगलिंग होती है। उस समय से हम मांग करते आ रहे हैं कि इस पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए। सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए, जिससे विदेशी सामान हमारे देश में आकर हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को चूर-चूर न कर दे।

इस बार्डर को मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि चीन, जापान, रूस, अमेरिका कोई ऐसा देश बचा नहीं है, जहां से माल नेपाल में आकर इकट्ठा न होता हो और वहां से फिर दूसरी जगहों को जाता हो। नेपाल की अधिकतर आमदनी इस व्यापार के कारण है या फिर दूसरे रूप में वहां जंगल है और तीसरे तरह से नेपाल को कोई आमदनी नहीं है। घड़ी, रेडियो, कपड़ा, कितनी ही चीजें मैंने देखी हैं, जो कि घड़ल्ले से हिन्दुस्तान में आ रही हैं। जितने भी अधिकारी इस बार्डर पर है, उनका ईमान अच्छा नहीं लगता है। हमेशा लोग कहते हैं कि ये लोग मिलकर नेपाल से सामान बाकायदा स्मगलिंग कराते हैं। कोई भी आदमी गाड़ी में सामान लेकर निकल जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है। जिसने नहीं पूछा है, वह पकड़ा जाएगा, बाकी सब कान्ट्रैक्ट बेसिस पर चल रहा है—इतना परसेन्टेज आफिसर का और उतना परसेन्टेज उसका और दे दिया जाता है तथा स्मगलिंग चलती रहती है। हमारे पुलिस आफिसर भी इसमें शामिल हैं। गोरखपुर में बहुत से लोगों के खिलाफ मुकद्दमें भी चल रहे हैं। बहुत से लोगों को विजीलेंस लगा कर पकड़वाया है, लेकिन यह धन्धा बन्द नहीं हुआ है।

मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुआ आपसे अनुरोध करूंगा कि नेपाल बार्डर पर अपने कस्टम आफिसर को सचेत करिए। अधिक लोगों को वहां लगाएं और अधिक फोर्स की व्यवस्था करें। अधिक चौकियों की व्यवस्था करें, जिससे नेपाल से आने वाले सामान से जो हमारी अर्थ व्यवस्था चौपट हो रही है, उसको कुछ कम किया जा सके, क्योंकि रोकना तो आपके बस की बात नहीं होगी, इसमें बड़े-बड़े लोग रेकेटियर के नाम से शामिल हैं। इसी प्रकार जो पंजाब से लगी हुई पाकिस्तान की सीमा है, उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्रीमन गंगवार जी, यह विधेयक पाटन के सम्बन्ध में है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : जी हां, मात्र मैंने केवल इस बात को कहने के लिए यह अवसर चुना है। मैं इस सीमा से अवगत हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : वे आपके पीठासीन होने का लाभ उठा रहे हैं। आप अधिक उदार सभापति हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : इसी प्रकार से हमारा समुद्र तट है। कितनी बदनामी होती है जब बार-बार अखबारों में आता है कि स्मगलिंग हो रही है। इनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। जितना टेरिफ आपको मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिलता। हाजी मस्तान, बखिया वगैरह-वगैरह क्यों इन सबका नाम अपनी लिस्ट में शामिल कराते हैं—ओपनली। प्राइवेट तरीके से रहने दीजिए तब भी अच्छा है, लेकिन आप तो ओपनली शामिल कर रहे हैं। तो इनका कुछ उपाय कीजिए। देश की अर्थ-व्यवस्था चौपट हो रही है, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन कर रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, सत्ता पक्ष खाली है। वहां क्या हो रहा है? क्या वे संसद का बहिष्कार कर रहे हैं?

श्री पट्टाभि रामराव : नहीं, नहीं, जब आप यहां खडे हैं तो उन्होंने अलग खडे होना बेहतर समझा।

सभापति महोदय : आप कृपया आगे कहिए।

श्री पट्टाभि रामराव : मैं चारों सदस्यों का धन्यवादी हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : आपको उनके प्रति धन्यवादी होना चाहिए जो नहीं बोले हैं।

श्री पट्टाभि रामराव : आपको विशेषरूप से धन्यवाद देता हूं।

मैं श्री बालानन्दन, श्री राजेश कुमार सिंह, श्री योगेन्द्र झा तथा श्री हरीश कुमार गंगवार का धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने इस विषय पर भाषण दिया है और इस विधेयक का समर्थन किया है परन्तु उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं श्री बालानन्दन को यह बताना चाहता हूं कि जी० ए० टी० टी० ही एक ऐसी संस्था है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को क्रियान्वित करती है। ये नियम भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम जी० ए० टी० टी० को सुदृढ़ बनाएं, हमें इसे कमजोर नहीं बनाना चाहिए। हमारे देशी उद्योग को अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है और

[श्री पट्टाभि रामराव]

जी० ए० टी० टी० में इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है। कुछ विशेष वस्तुओं के सम्बन्ध में, जैसे उर्वरक, अल्युमिनियम तथा इस्पात, जिनका कि आपने उल्लेख किया है, इस विधेयक में इस उद्देश्य का उल्लेख है अर्थात इसमें भारत में कम कीमत पर विदेशी वस्तुओं को थोपने का रोकने की प्रक्रिया निर्धारित करने तथा इस प्रकार हमारे घरेलू उद्योग को हानि पहुंचाने का उल्लेख है। श्री बालानन्दन द्वारा यह कहा गया था कि इस कानून को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। हमारी अपनी एक आयात निति है जो हमारे अपने उद्योग को सुरक्षा प्रदान करती है बहरहाल, चूंकि हम अपनी आयात नीति को उदार बना रहे हैं, हमें यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यों में कमी न आए। इस विधेयक का यही उद्देश्य है। इस क्षेत्र में जी० ए० टी० टी० नियम तैयार किए जा रहे हैं और हम अपने विधान में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते जो हमारे प्रतिकूल हो। हमने विलम्ब नहीं किया है। दूसरी ओर हमारा देश उन कुछ देशों में से एक है जिन्होंने अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करते हुए इस प्रकार का कानून बनाया है।

अन्तिम वक्ता श्री हरीश कुमार गंगवार ने तस्करी के सम्बन्ध में कुछ कहा है वह इस विधेयक में नहीं आता। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित सावधानी बरत रहे हैं कि वहां उचित योग्य और ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की जाए ताकि ऐसी बातें फिर न हों। जीवन में अच्छे और बुरे क्षण आते रहते हैं। सम्भवतः वहां कोई बुरा आधिकारी हो सकता है जो बदनाम कर दे। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि...

श्री सुनील मैत्रा : अधिकारी स्वयं तस्कर न बन जाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तस्करों को अधिकारी न बनाया जाए।

श्री पट्टाभि रामराव : अन्त में बोलने वाले अपने मित्र को मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि तस्करी को यथा सम्भव रोका जाएगा। जैसा मैंने कहा है हम इमानदार अधिकारियों को तैनात कर रहे हैं। मैं स्वयं ईमानदारी का जीवन बिताता हूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पट्टाभि रामराव : हम उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : आप अधिकारियों की चिन्ता न कीजिए। उनकी चिन्ता विभाग रहा है। वे अपनी चिन्ता आप कर रहे हैं। आप उन राजनीतिज्ञों की चिन्ता कीजिए जो करी में लगे हुए हैं।

श्री पट्टाभि रामराव : सभी दलों के राजनीतिज्ञ हैं। मैं क्या कर सकता हूं?

श्री सतीश अग्रवाल : यह विवशता क्यों? वे किसी भी दल के क्यों न हों आपको कार्यवाही करनी ही पड़ेगी।

श्री पट्टाभि रामराव : जैसा मैंने कहा है इस सम्बन्ध में मैं कड़ी कार्यवाही करूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : मैं आपका ध्यान पोर बन्दर के सम्बन्ध में इन्डियन एक्स प्रेस में पिछले सप्ताह प्रकाशित तीन लेखों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस महिमामयी स्थान पर क्या हो रहा है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इन लेखों को पढ़ें।

श्री पट्टाभि राम राव : मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम इसका पूर्व ध्यान रखेंगे। अब लेख प्रकाशित हो चुके हैं यदि इन लेखों में सच्चाई है तो कार्यवाही करने में ये हमारे हाथ मजबूत करेंगे। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वस्तु स्थिति यह है कि कभी-कभी हम समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। हम उनकी सत्यता का पता लगायेंगे। और अपनी ओर से पूर्व प्रयत्न करेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : आपको हमारा पूर्व समर्थन मिलेगा।

श्री पट्टाभि रामराव : मैं आप सब का धन्यवाद करता हूं तथा सीमा शुल्क टैरिफ (दूसरा संशोधन) विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।...(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मंत्री महोदय ने कहा है कि आलोचना से सरकार सुदृढ़ होती है।

श्री पट्टाभिराम राव : कृपया अपने शब्दों को मुझ से न कहलवायें। हम अवश्य ही इस बात का ध्यान रखेंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा।

[सभापति महोदय]

खण्ड 2 और 3 पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खन्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री पट्टाभि राम राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगली मद पर चर्चा करेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक अधिनियम, 1945 का और संशोधन करने वाला विधेयक।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक मद संख्या 10 का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक के विचारण और उसे पारित करने के सम्बन्ध में मैंने···एक पत्र लिखा था। ···(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा) : वित्त मन्त्री महोदय कहां हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : उनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप जा सकते हैं। आपका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। ···(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : इस विधेयक का संचालन कौन कर रहा है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप इसका संचालन नहीं कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : कृपया धैर्य रखिए ।

श्री सतीश अग्रवाल : हमें वित्त मन्त्री महोदय की अनुपस्थिति पर आपत्ति है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस विधेयक में एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि अन्तर्ग्रस्त है ।

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहिए ।

श्री सतीश अग्रवाल : वित्त मन्त्री महोदय इस विधेयक से सम्बद्ध हैं । वे ही इसका संचालन कर रहे हैं । ···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है । ···(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : यह राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में है ।

श्री सतीश अग्रवाल : वह सदस्यों में परिचालित नहीं किया गया है ।

एक माननीय सदस्य : इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए ।

———

ह्यूस्टन (सं० रा० अ०) में राष्ट्रपति की चिकित्सीय जांच के बारे में वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : सभापति महोदय, मैंने राष्ट्रपति महोदय के स्वास्थ्य की जांच के बारे में सदन को कल सूचित किया था । उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, अमरीका में टैक्सास हृदय संस्थान के विशेषज्ञों ने जांच के आधार पर सलाह दी है कि राष्ट्रपति महोदय को शल्य-चिकित्सा करानी चाहिये जो कि कल की जानी है । मुझे पूरा विश्वास है कि उनके शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की कामना करने में सदन भी मेरे साथ है ।

———

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था प्रश्न क्या है ?

श्री सतीश अग्रवाल : यह अन्तराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक, 1982 (विधेयक संख्या 1982 का 85) है । श्री प्रणब मुखर्जी महोदय को विधेयक का संचालन करना है और वह यहां पर उपस्थित नही हैं ।

सभापति महोदय : उनकी ओर से ये इसका संचालन कर सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नहीं, नहीं। 'उनकी ओर से' का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि हम कुछ मूलभूत प्रश्न उठा रहे हैं। वह इस विधेयक के प्रभारी नहीं हो सकते हैं और ना ही हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : यह परिचालित किया गया था कि श्री प्रणब कुमार मुखर्जी इस विधेयक को विचार करने के लिए पेश करेंगे।

श्री पट्टाभि राम राव : कृपया, मेरी बात सुनिए। वह अभी यहां आ रहे हैं। वह सदन में व्यस्त हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह तो विधेयक की विषय-वस्तु से ही परिचित नहीं हैं। **(व्यवधान)** इसमें कुछ संवैधानिक मामले हैं। इस विधेयक में कुछ मूलभूत प्रश्न उलझे हुए हैं। वह उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री पट्टाभि राम राव : वह आ रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री पुजारी महोदय आ गये हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजा बाद) : मान्यवर, आपने जैसे ही माननीय मन्त्री को सम्बोधित किया, तो इस बिल के लिये कोई मन्त्री उपस्थित नहीं था। इससे साफ जाहिर है कि सरकार अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है, जब कि माननीय मन्त्री जी को उपस्थित रहना चाहिये। माननीय मन्त्री, जिनको आपने सम्बोधित किया, वह कह रहे थे कि मेरा बिल ही नहीं है।

सभापति महोदय : श्री जनार्दन पुजारी उपस्थित हैं। **(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सोम नाथ चटर्जी : क्या वित्त मन्त्री महोदय, श्री प्रणब मुखर्जी ने इस बात की सूचना थी कि वह विधेयक का संचालन नहीं करेंगे और कोई अन्य व्यक्ति करेगा ? वह सूचना कहां ? वह देनी पड़ेगी। उचित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिये। नियमों के अधीन ऐसा ं किया जा सकता है।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : किन नियमों के अधीन ? कोई भी मन्त्री ऐसा कर ा है। **(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आज की कार्य सूची में मद संख्या 10 में कहा गया है कि श्री प्रणब मुखर्जी यह प्रस्ताव करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। वह श्री प्रणब मुखर्जी के नाम पर है।

सभापति महोदय : श्री जनार्दन पुजारी आ गये हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह उनका विषय नहीं है। वह तो वित्त मन्त्री महोदय का विषय है। इसे सदन के समक्ष प्रथम बार लाया जा रहा है। (व्यवधान)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इसे स्पष्ट करें।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मुझे एक निवेदन करना है। वित्त मन्त्री महोदय अपरिहार्य परिस्थितियों में, एक अन्य बैठक में व्यस्त हैं। परन्तु उप-मन्त्री महोदय यहां पर हैं···(व्यवधान) मैंने देखा है कि विपक्ष ने सहयोग दिया है और मुझे उनका सहयोग चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सरकार का निवेदन है। मेरे विचार से आपको भी सरकार से सहयोग करना चाहिये।

श्री के० पी उन्नीकृष्णन : कृपया हमारी बात सुनिए। इसमें मूलभूत मामले उलझे हुए हैं। इसके वैधता के बारे में, संवैधानिक मुद्दे उठाए गये हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका विरोध कर सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं यह नहीं समझ सका कि जनार्दन पुजारी महोदय मेरे उन मुद्दों का उत्तर कैसे देंगे जो मैंने वित्त मन्त्री महोदय को लिखे गये पत्र में उठाए हैं। मैंने 21 जुलाई 1982 को वित्त मन्त्री महोदय को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने अत्यन्त मूलभूत और बुनियादी प्रश्न उठाए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रणब मुखर्जी महोदय आ गये हैं। समस्या हल हो गई है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय वित्तमन्त्री महोदय को सदन का कीमती समय नष्ट करने के लिए खेद प्रकट करना चाहिए क्योंकि वह अनुपस्थित थे। उन्हें कम से कम खेद तो प्रकट करना ही चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मुझे यह आशा नहीं की कि कार्य ठप्प पड़ जायेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह खेद प्रकट करना नहीं है ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मुझे खेद है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रणब मुखर्जी विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, इस विशिष्ट संशोधन विधेयक को लोक सभा में 20 जुलाई, 1982 को पुरः स्थापित किया गया था । मैंने 21 झुलाई, 1982 को वित्त मन्त्री महोदय, श्री प्रणब मुखर्जी को एक पत्र लिखा था जिसका उत्तर मुझे ढ़ाई मास के बाद मिला अर्थात 4 अक्तूबर, 1982 को कल ही मुझे समझौते के अनुच्छेदों की कुछ प्रतियां प्रदान करने के लिए मैं उनका आभारी हूं जोकि अ० मु० को० के अभिलेखा में हैं । उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । परन्तु उत्तर कुल ही ढ़ाई मास बाद मिला है ।

उस पत्र में उन्होंने मुझे लिखा है कि 1976 में अ० मु० को० के अपने समझौते में नवीनतम संशोधनों के बारे के "आप कृपया पुस्तकालय में देख सकते हैं जहां तक उसकी एक प्रति रखी गई है ।" अत: मैं आज सवेरे पुस्तकालय गया था और मुझे उन अनुच्छेदों की प्रति मिल गई जिन्हें निःसन्देह पूर्णतया नवीनरूप दे दिया गया था, संख्या नहीं रहने दी । उसमें बहुत से परिवर्तन किए गये हैं । अतः मुझे वह केवल आज सुबह ही मिली । मुझे पर्याप्त समय नहीं मिला । फिर भी जो कुछ भी थोड़ी बहुत तैयारियां की जानी थी, मैंने कर ली हैं । उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उसमें एक मूलभूत प्रश्न उठाया है । यह एक 1945 का अधिनियम है, जिसे आज संशोधित किया जा रहा है । यह एक युद्ध कालीन उपाय था और तब उपनिवेश-वादी शासन था । इसे 1945 में एक अध्यादेश द्वारा अधिनियमित किया गया था और उस समय केन्द्रीय विधान सभा में इस पर बहस नहीं हुई थी और 1959 के अलावा, 1945 के बाद फिर इस पर कभी यहां चर्चा नहीं हुई, जबकि 'अध्यादेश' शब्द को 'अधिनियम' शब्द द्वारा प्रति-स्थापित किया गया था । बस इतना ही हुआ था । 1959 के बाद, 1969 में अ० मु० को० ने अपने विनियमों और समझौतों में कुछ संशोधन किए थे और अधिक व्यापक संशोधन 1976 में किए गये जो लागू हुए और अब, यह विशिष्ट संशोधन विधेयक में सभी संशोधनों को समेटने का प्रयास किया जा रहा है । मैंने, प्रश्न उठाया था कि धारा 4 के अधीन, जो कि उपनिवेशवादी अध्यादेश था, इस देश के नागरिकों द्वारा अ० मु० को० को उसकी माँग के अनुरूप सूचना देने के बारे में एक उपबन्ध था । अब प्रश्न यह है कि 1945 में भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था । यह तो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ । अत: 1945 में उसमें वह प्रावधान हो सकता था । प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार ने मौलिक अधिकारों से सम्बद्ध, अ० मु० को० की आवश्यकता-नुसार 1945 के आध्यादेश के आधीन सूचना देने के बारे में हमारे संविधान के अध्याय III की उलझनों की जांच की है । उस मुख्य प्रश्न का, मेरे माननीय, प्रिय मित्र श्री प्रणब मुखर्जी ने

30 सितम्बर, 1982 को निम्नलिखित शब्दों में उत्तर दिया था जिसके अन्तिम पैराग्राफ में यह बात कहीं गई हैं—.

"आपने संविधान के अनुच्छेद 292 के बारे में भी कुछ अभिमत व्यक्त किए हैं तथा 1945 के अधिनियम की धारा 4 की विधिक उलझनों की बात कही है जिसमें अ० मु० को० को उसकी आवश्यकतानुरूप सूचना देने का उपबन्ध है।"

और फिर आप कहते हैं :

"मैं इन पहलुओं की जांच करा रहा हूं।" यह बड़ी अच्छी बात है कि आप इन उपबन्धों की आंच करा रहे हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है, इसमें 10 दिन या एक सप्ताह लग सकता है, तब तक धारा 4 के अधीन जोकि 1945 के अध्यादेश का ही अंग था, जो कि युद्धकालीन उपाय था जिसे बिना किसी चर्चा और बातचीत के भारत में गवर्नर जनरल ने या 'वायसराय इन काउन्सिल' में अधिनियमित किया था। क्या संविधान के लागू होने से पूर्व एक अध्यादेश के द्वारा अधिनियमित की गयी 1945 के अधिनियम की धारा 4 उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तथा अतिक्रमण करती है, जिनकी हमारे नागरिकों के लिए हमारे संविधान में गारंटी दी गई है क्योंकि धारा 4 के अन्तर्गत उनको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कुछ आवश्यक सूचना देनी होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी हूं क्योंकि इस मुद्दे पर वह मामले की जांच कराने को सहमत हो गये हैं।

लेकिन मेरा यह नम्र निवेदन है कि हम इस मुद्दे पर महान्यायवादी की बात सुनना चाहते हैं हम इस विशेष मुद्दे पर उनकी राय जानना चाहते हैं।.

1945 में बनाया गया यह एक विशिष्ट अधिनियम है। यह युद्ध के समय का एक अधिनियम है। जिसको ब्रिटिश उपनिवेश कानून के समय बिना चर्चा किये एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। इसके पश्चात भारत के कानून में इसको स्थायी रूप में सम्मिलित किया गया।

इस प्रश्न पर आगे वाद-विवाद करने से पूर्व यह बात बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इस संशोधन विधेयक में जो संशोधन सम्मिलित किये जा रहे हैं वह वर्ष 1976 के संशोधनों से सम्बद्ध हैं जिनको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पहले ही किया है। वित्त मन्त्री अथवा सरकार को इससे कोई हानि नहीं होगी। यह राजस्व सम्बन्धी कानून नहीं है। यदि यह राजस्व सम्बन्धी कानून होता तो मैं उससे सहमत हो जाता। यदि यह सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर, आदि से सम्बन्धित होता तो मैं सहमत हो जाता।

लेकिन जब इस विशेष कानून को इतने लम्बे समय की अवधि के पश्चात् लाया गया है, तो मेरा यह विचार है कि इसको स्थगित करना ही उचित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह विषय पर कल अपना भाषण जारी रखिए। हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री सुनील मैत्रा : ऐसी स्थिति में आप उनको कल समय दे दीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने आज ही माननीय वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है और उनसे यह अनुरोध किया है कि चूंकि इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है इसलिये इस वाद-विवाद को स्थगित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर कल की चर्चा करेंगे। आपने जिन मुद्दों का उल्लेख किया है उनके बारे में भी आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कल तो हम सभी मेरठ जा रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : यदि वह सहमत होते हैं तो हम इस पर सोमवार को चर्चा कर सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जी हां।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा बैंक अनिनियम, 1945 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेते हैं। श्री रवीन्द्र वर्मा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या अनुमति दी जा चुकी है ?

श्री सतीश अग्रवाल : अभी तक नहीं दी गई है। अनुमति प्रदान नहीं की गई है। केवल प्रस्ताव को ही प्रस्तुत किया गया है। इसको मत विभाजन के लिए नहीं रखा गया है। इस पर सोमवार को विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल आप इतनी तकनीकी पर क्यों जा रहे हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : तकनीकी में जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

विभिन्न राज्यों में पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के समाचार तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रवीन्द्र वर्मा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय आज सुबह जब मेरे माननीय मित्र ने अपना वक्तव्य दिया था, तब मैंने उसे टालमटोल करने के एक उदाहरणीय प्रयास कहा था मैंने कहा था कि मैंने उनका ध्यान व्याप्त असंतोष की ओर आकर्षित किया था लेकिन उन्होंने केवल अनुशासन के बारे में उत्तर दिया है और सदन को यह आश्वासन दिया है कि उनके पास शक्तिशाली डण्डा है। जिसके द्वारा पुलिस बल में उच्चस्तरीय अनुशासन बनायेंगे। मैं अपने माननीय मित्र की इस बात से सहमत हूं कि पुलिस बल में आदर्श अनुशासन होना चाहिए। तथा कानून और व्यवस्था के संरक्षकों को कानून व्यवस्था भंग करने का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे माननीय मित्र को असंगत बात नहीं करनी चाहिए। कोई बल तभी अनुशासित होगा जब वह संतुष्ट होगा। यदि कोई असंतोष होगा तो यह अनुशासनहीनता के लिये एक **टाइम बम्ब** का काम करेगा। यदि असंतोष व्याप्त है तो किसी भी प्रकार का अनुशासन कायम नहीं हो सकता। यदि कमान की कड़ी में कोई तोड़-फोड़ अथवा विध्वंसकारी गतिविधि होती है और यदि राजनैतिक तथा पक्षपातपूर्ण मनोवृत्ति, जहर के इन्जेक्शन का कार्य करती है और यदि अन्तर्दलीय अथवा दलों की आन्तरिक राजनीति सत्ता के खेल में पुलिस बल का उपयोग के प्रयास किये जाते हैं तो इनसे पुलिस बल में अनुशासन समाप्त हो सकता है ।

आज पुलिस के समक्ष एक बहुत ही कठिन कार्य है। लगभग सौ वर्षों के पश्चात् जनता पार्टी के राज्य में एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी। संभवतः यही एक दुर्भाग्य की बात थी कि इसको जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया था। यदि इसको जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त न किया जाता तो इसकी सिफारिशों पर आवश्यक ध्यान दिया जाता तथा उन पर तत्परता से विचार किया जाता। आयोग ने कहा था :

> "आज के सिपाही की भूमिका 1902 के आयोग द्वारा सिपाही के लिए निर्धारित प्रमुखतः यंत्रवत् भूमिका की अपेक्षा बहुत अधिक परिवर्तित हो गई है। उसको आज की विभिन्न परिस्थितियों में जनता से निपटना होता है। जिसमें उसको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, अपने विवेक का प्रयोग करना होता है, समझाने तथा अपील करने की शक्तियों को उपयोग में लाना होता है तथा जनता की समझ तथा सहयोग से कानून को लागू करना होता है।"

मेरे माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि पुलिस अधिनियम को 1861 में एक महान भारतीय विद्रोह के चार वर्षों के पश्चात् लागू किया गया था। जिसका उद्देश्य एक ऐसे पुलिस बल

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

को स्थापित करने से था जो लोगों से भिन्न हो, जो लोगों के विरुद्ध कार्य करे तथा जो साम्राज्यवादी प्रशासन के उद्देश्यों को पूरा कर सके। अत: यह आवश्यक है कि इसमें परिवर्तन लाया जाये। इस बीच बहुत सी घटनायें हुई हैं जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। विभिन्न प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है। जनता द्वारा किये जाने वाले उपद्रवों की परिस्थितियों में भी परिवर्तन हुए हैं। पुलिस से अपेक्षित कुशलता, जनसम्पर्क तथा आन्दोलनों और उपद्रवों की स्थिति से निपटने के तरीकों आदि सभी में परिवर्तन हुआ है। एक ओर आप देखेंगे कि जो लोग कानून तथा व्यवस्था के दुश्मन हैं जो अपराध कर रहे हैं, उन्हें उन्नत उपकरण आसानी से मिल रहे हैं संचार तथा आने जाने की आधुनिकतम सुविधायें मिल रही हैं और वे शहरों में गंदी बस्तियों और वहां की परिस्थितियों तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और वे इन स्थानों का अपराधों के अड्डों अथवा केन्द्रों के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि पुलिस की कुशलता में तदनुरूप वृद्धि सुनिश्चित की जाये, पुलिसकर्मियों की अर्हताओं तथा उनके भर्ती करने तथा प्रशिक्षण के मानदण्डों में परिवर्तन किया जाए तथा उनके परिवहन साधनों में परिवर्तन किया जाये। भीड़ को नियंत्रित करने तथा व्यक्तिगत अपराधों तथा अवैध शराब का व्यापार, नशीली दवाओं के व्यापार तथा तस्करी जैसे अपराधों से निपटने के लिये आप उनको परिवहन संचार के जैसे साधनों से सुसज्जित करेंगे वैसी ही उनकी कुशलता बढ़ेगी। लेकिन मेरे माननीय मित्र इस बात का दावा नहीं कर सकते कि उनकी कुशलता में इसके अनुरूप वृद्धि हुई है।

मैं उनसे इस बात से सहमत हूं कि पुलिस व्यवस्था कुशल तथा अनुशासित होनी चाहिए। लेकिन यह केवल तभी कुशल हो सकती है जब इस प्रकार के क्षेत्रों का पता लगाया जाये तथा उन उपकरणों और आने-जाने के साधनों को जिनका मैंने उल्लेख किया है व्यवस्था करें तथा उनमें सुधार लाये।

अनुशासन के लिए यह आवश्यक है कि कमान की कड़ी में सभी अनुशासन का पालन करें। यदि वे लोग जिनके हाथ में प्रशासन है स्वयं आदेशों का उल्लंघन करें तो किसी भी प्रकार के अनुशासन की आशा नहीं की जा सकती। यदि पदोन्नतियां देने में राजनैतिक हस्तक्षेप किया जाता है तथा अधिकारों तथा पुलिस वर्ग में असंतोष पैदा किया जाता है, यदि राजनैतिक हस्तक्षेप में तबादले किए जाते हैं और यदि राजनैतिक मांग के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि किन व्यक्तियों का तबादला किया जाना है विशेष रूप से उनका जो कानून तथा व्यवस्था को लागू बनाने का काम कर रहे हैं तथा समाज के विरुद्ध अपराधों से लड़ रहे हैं और यदि नागरिकों के प्रति दोहरा मापदण्ड अपनाया जाता है अर्थात् जो आपसे असहमत हैं उनको सजा देना तथा परेशान करना और दूसरे उन जाने माने अपराधियों को उन्मुक्ति देना जो आपका राजनीतिक प्रभुत्व

स्वीकार करते हैं—ऐसी स्थिति में पुलिस नपुंसक हो जाएगी तथा नागरिकों को सुरक्षित रखने तथा नागरिकों के अधिकार कायम रखने के लिए जो हमारे संविधान में प्राप्त हैं। पुलिस की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इससे पुलिस क्रूरता का शिकार होगी प्रशासकों द्वारा जो इस प्रकार आचरण किया जाएगा उससे स्वतः भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा क्रूरता को बढ़ावा मिलेगा।

हम संतोष की बात करते हैं। पुलिस की सेवा शर्तें कठोर हैं। कार्य करने के घंटे तथा काम की शर्तें वेतन, आवास निर्वाह खर्च में वृद्धि के प्रभाव से उनमुक्ति अर्दली प्रथा आदि सभी के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सरकार तथा देश को पुलिस में विस्फोट की स्थिति पैदा होने की संभावना के बारे में आगाह किया है। उन्होंने बताया कि ये शिकायतें, काफी समय से चल रही हैं और उनके विस्फोट होने की संभावना थी। इसलिए उन्होंने कार्यवाही करने की सिफारिश की तथा आयोग के प्रतिवेदन को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में न तो आयोग द्वारा बताई गई शिकायतों का कोई उल्लेख किया है और न ही इन शिकायतों को दूर करने के लिए आयोग द्वारा जो प्रस्ताव रखे गए हैं, उनका ही कोई जिक्र किया गया है। आयोग द्वारा यह कहा गया है कि पुलिस बल में 80 प्रतिशत कांस्टेबल हैं। उनके कार्य करने की परिस्थितियां पाशविक हैं। उनको उग्र उत्तेजना, संदेहजनक तथा विद्रोह की परिस्थितियों में कार्य करना होता है और कभी-कभी उनको ऐसे लोगों के समर्थन के बिना ही कार्य करना होता है, जिनको कि उनका समर्थन करना चाहिए। उनके कार्य करने के घंटे निश्चित नहीं हैं उनको 24 घंटे ड्यूटी पर समझा जाता है। आपको सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि उनके लिए एक दिन में 25 घंटे कार्य करने का विधान नहीं बनाया है। पुलिस आयोग ने यह हिसाब लगाया है कि ये लोग औसतन एक दिन में 13 घंटे कार्य करते हैं। उनका कार्य इस प्रकार का होने के कारण उनको काफी तनाव में कार्य करना पड़ता है जैसा कि शून्यकाल के दौरान आपको तनाव का सामना करना पड़ता है। और जब उनको इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़े···

उपाध्यक्ष महोदय : आप पीठासीन अधिकारी के लिए कह सकते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं जानता हूं कि उस काल के दौरान आप इस पवित्र सदन में बैठते हैं और आप को व्यक्तिगत तौर पर पर्दाफाश नहीं होता है। मेरा तात्पर्य पीठासीन अधिकारी से है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : ठीक है महोदय, वह कुर्सी जिस पर आप बैठते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस प्रकार की कठिन तथा उत्तेजक परिस्थितियों में जब इनको 13 घंटे तक कार्य करना होता है और कभी-कभी जब उन पर पथराव किया जाता है और आप को चोट लगती है और इसके बदले आपको कोई अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की तरह कोई

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

भत्ता नहीं दिया जाता है । और इसका उनके वेतनों तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की आप कल्पना कर सकते हैं । एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि तनाव में काम करने के कारण उनमें से अधिकतर तपेदिक से पीड़ित होते हैं । मैं उनके उत्तेजित होने तथा उनके कारण नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों का जिक्र करना चाहता हूँ ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वड़ागरा) : आपका तात्पर्य मंत्रियों से है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : इसके पश्चात आवास का प्रश्न आता है । 1861 में राज्य ने यह कहा था कि पुलिस कर्मियों को 100 प्रतिशत मुफ्त आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य की होगी । सौ वर्ष गुजर चुके हैं । और आज स्थिति क्या है ? पुलिस बलों के 50 प्रतिशत कांस्टेबलों को भी सरकारी आवास नही मिले हैं । सौ वर्ष बाद भी यही हालत है। उन लोगों के लिए भी जिन्हें पारिवारिक आवास मिलना चाहिए था आवास नहीं मिला है । उनमें से बहुत थोड़े प्रतिशत को ही यह सुविधा मिल सकी है । बिहार में 4% लोगों को पंजाब में 10.3% और उत्तर प्रदेश में 14.9% को पारिवारिक आवास की सुविधाऐं प्राप्त हैं। जब वे परिवार से अलग होते हैं तो हालत और भी खराब हो जाती है ।

श्रीमन्, किराया अधिक होने के कारण वे प्राइवेट आवास नहीं ले सकते । उनके द्वारा दिए जा रहे पूरा किराया उन्हें नहीं मिलता है । असल में आज जिन लोगों को आवास नहीं मिलता उनमें से 89 प्रतिशत सिपाही वर्ग के होते हैं । आयोग ने सुझाव दिया था कि केन्द्र व हुडको से वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और पुलिस आवास सहकारी सोसाइटियों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि पुलिस के जवानों को आवश्यक वस्तुएं पाने में मुश्किल आती है । उन्होंने प० बंगाल की तरह एक योजना को लागू करने के बारे में कहा है, जिसके अन्तर्गत पुलिस वालों को कम दर पर लगातार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती रहें, उन्होंने वेतन के बारे में भी कहा है । कांस्टेबलों को चतुर्थ श्रेणी का सरकारी कर्मचारी के बराबर और अकुशल श्रमिकों के बराबर माना गया है । आयोग ने सिफारिश की है कि उन्हें कम से कम कुशल श्रमिक माना जाए । वे चाहते हैं कि अर्दली प्रथा को समाप्त किया जाए । अर्दली, बर्तन साफ करने और खाना बनाने जैसे नौकरों के कामों के लिए होते हैं । उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के अधिकारी की प्रतिष्ठा के नाम पर इस प्रथा को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए । उन्होंने सुझाव दिया है कि जे० सी० एम० की तरह जिसका जादवपुर के मेरे दोस्त ने जिक्र किया है ; एक संगठन बनाया जाए, जिससे कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आप उनका नाम क्यों नहीं लेते ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : वह श्री सोमनाथ चटर्जी हैं । मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ । उन्होंने खुद सिफारिश की है कि यात्रा और धुलाई भत्ता उपयुक्त नहीं है और इनमें 10 रु०

प्रति माह की वृद्धि की जानी चाहिए, जो कि एक बहुत छोटी वृद्धि है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने क्या किया है ? क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर कार्यवाही की है ? क्या उन्होंने इन में से किसी भी सिफारिश पर कोई कार्यवाही की है। क्योंकि यह उन समस्याओं से संबंधित है, जिसका असर सारे देश पर पड़ता है, इसलिए केन्द्रीय सरकार की एक खास जिम्मेदारी है। मेरे माननीय मित्र ने सुबह वक्तव्य दिया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ छुट-पुट घटनाएं हुई हैं। मैं मानता हूं कि 'स्ट्रे' शब्द का विशिष्ट अर्थ है विपक्ष में बैठे दल की प्रश्नोत्तरी में बंगलौर में छुट-पुट घटनाएं हुई, अब भी यही घटनाएं हो रही हैं। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या जब महाराष्ट्र' हरियाणा, पंजाब, और अन्य प्रदेशों में इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या यह राज्य का ही विषय रह जाता है ? क्या कारण है कि शिकायतें एक जैसी ही हैं ? केन्द्रीय सरकार ने पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और आई० जी० पुलिस को एक साथ बुला कर इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए और उन्हें कम से कम आहिस्ता-आहिस्ता लागू करने के क्या कदम उठाए है ? जब तक आप ऐसा नहीं करते, तब तक यह करने का कि हम इनकी व्यक्तिगत शिकायतों के प्रति सचेष्ट हैं, कोई फायदा नहीं है। उनकी सामूहिक शिकायतें क्या है ? अगर आप इनकी सामूहिक शिकायतों को समाधान नहीं करेंगे तो क्या उनमें असन्तोष नहीं फैलेगा ? अगर उनमें असन्तोष होगा तो उनमें अनुशासन कहां से होगा ? आप अनुशासन की बात करते हैं ? आपने खुद समस्याएं खड़ी की हुई है।

मैं हरियाणा और महाराष्ट्र पर भी बोलूंगा। मेरे मित्र ने कहा है कि विद्रोही तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इस असन्तोष और विद्रोह के कारण क्या थे ? वे विद्रोही क्यों बने ? किसने अनुशासन को बढ़ावा दिया ? महाराष्ट्र में पुलिस बल में अनुशासन को किसने कम किया ? क्या यह उनके लिए आश्चर्य था कि महाराष्ट्र में इस प्रकार की कार्यवाही हुई ? क्या इसके कोई लक्षण नहीं थे ? क्या उन्हें कोई चेतावनी नही मिली थी ? मैं कहना चाहता हूं कि वे आंख मूंद लेने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। मैं कुछ और मिनट इस पर बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस महत्वपूर्ण मामले पर कुछ प्रश्न पूछने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी सूचना के लिए, आप पहले ही 15 मिनट तक बोल चुके है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे हिस्से का समय भी इन्हें दे दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके हिस्से का कोई समय नहीं है। यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, आम बहस नहीं है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं जानता हूं आप अपनी शक्तियां काफी समझदारी और आत्मसंयम से प्रयोग करते हैं। मैं इस अवसर को कोई अपवाद नहीं बनाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत ठीक कहा है, श्री रवीन्द्र वर्मा ही ऐसा कर सकते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह चेतावनियों, टाल मटोल करने, अनुमति का न दिया जाना और

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

व्यक्तिगत और अन्त: दल को बढ़ाने के लिए पुलिस का प्रयोग करने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई। महाराष्ट्र पुलिस कर्मचारी सघं संगठन को अवज्ञाकारी कार्यवाही के लिए प्रोत्साहित किया गया। युद्धप्रिय वर्ग को सुरक्षा प्रदान कर अनुशासन भंग करने के लिए उकसाया गया। उनकी मांगों के अनुरूप अधिकारियों का तबादला किया गया। 8 सितम्बर को महाराष्ट्र की पुलिस इस मामले को सड़कों पर ले आई और उन्होंने पुलिस गाड़ियों के टायर खराब कर दिए। उन्होंने मजिस्ट्रेट को रोका उपायुक्त पुलिस पर हमला हुआ। सरकार ने क्या किया? सरकार ने फैसला किया कि वह मसीहा बन जाये, भूल जाए और माफ कर दे। उन्होंने पुलिस के जवानों और अधिकारियों की चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसी बात पर चलते रहे कि भूल जाओ और माफ कर दो, यह निर्णय किसने लिया कि उन्हें माफ कर दिया जाये? क्या यह एक राजनैतिक निर्णय था?

27 सितम्बर को न्यायालय ने निर्णय दिया कि युद्धकारी न्यायायिक तरीके से नहीं चूने गए थे। 21 तारीख से पहले, संगठन के नेताओं ने पत्रकारों को चेतावनी दी थी, जो समाचारपत्रों में भी छपी थी, कि अगर न्यायालय ने हमारे विरुद्ध निर्णय दिया तो आप देखेगें कि हम सड़कों पर आ जायेंगे। 29 सितम्बर को मतुंगा पुलिस थाने पर हमला हुआ। इन्सपेक्टर से बुरा बर्ताव किया गया। अधिकारियों ने कार्यवाही की मांग की। सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून से सितम्बर 1981 तक अनुशासनहीनता के 77 मामले हुऐ। सरकार ने सिपाहियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अधिकारी वर्ग कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वे मंत्री से बातचीत करें।

श्रीमन् इसके बाद महाराष्ट्र के सम्मानीय मुख्य मंत्री श्री अन्तुले ने संगठन को 70,000 रु० दिये, तब जब कि 12-18 जनवरी के मध्य न्यायालय के निर्णय के उपरांत उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। क्या यह आग से खेलने का प्रयास था या उत्तेजना पैदा करने का कार्य था। मेरे माननीय दोस्त इसका उत्तर देंगे। और मैं आशा करता हूँ कि अब जब कि श्री अन्तुले सत्ता में नहीं है, वे स्वतंत्र रूप से उत्तर दे सकते हैं।

श्रीमन् उसके पश्चात् 15 अगस्त को उन्होंने काले बैज पहने। आप असम के छात्रों को काले बैज पहनने के लिए दोषी ठहराते हैं लेकिन उन्होंने न केवल काले बैज ही पहने बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र में उन्होंने बड़े खाने का भी बहिष्कार किया। फिर 16 अगस्त को सरकार ने कार्यवाही करने का निश्चय किया। क्या उन्होंने उस प्रतिरोध की कल्पना नहीं की थी, जो कि बदला लेने पर होगी? क्या उन्होंने अवज्ञा और हुक्म न मानने का पहले अनुमान नहीं लगाया था?

श्रीमन्, बम्बई शहर पहले ही कपड़ा हड़ताल से प्रभावित है। सभी जानते हैं कि बम्बई शहर में एक अशान्ति की लहर है। श्रीमन्, बिना परिणाम सोचे हुए ऐसे कदम उठाना,

स्थिति को समझाने का बड़ा विचित्र ढंग है । महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री बम्बई में नहीं हैं। वे दिल्ली में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में या अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगे हुए थे । श्रीमन्, एक मुख्य मंत्री असन्तोष की अग्नि को बढ़ावा दे रहे हैं तो दूसरा जब आग भड़क रही थी तो भाग खड़े हुए हैं। बम्बई शहर में अव्यवस्था और गड़बड़ी की घड़ी थी । सारा शहर उत्तेजित था । समाज विरोधी तत्वों का राज्य था। नागरिकों को जुर्माना अदा करने तक बंदी रखा गया था । क्यों ? क्योंकि पुलिस के सिपाई सड़कों पर से चले गए थे । सेना या अन्य अर्ध सैनिक बलों को वहां तैनात नहीं किया गया था। यह अराजक काल किसने पैदा किया ? सरकार ने खुद यह हालत पैदा की—मुझे यह शब्द कहते हुए खेद हो रहा है —हठी पुलिस कर्मियों ने शहर में यह गड़बड़ पैदा की और समाज विरोधी तत्वों और गुडांगर्दियों को खुली छूट दी जिसके परिणाम-स्वरूप उन्होंने करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को जला डाला । इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है ? पुलिस से निपटने के लिए दलगत राजनीति और सत्ता की राजनीति को लाने के लिए कौन जिम्मेदार है ? पुलिस को हठ धर्मी करने के लिए किसने उकसाया जिससे कि वे दल में अपनी राजनैतिक लागत को बना सके ?

• मैं हरियाणा में क्या हुआ है, उसके बारे में विस्तार से नहीं जानना चाहता । इसी प्रकार की घटनाओं का चक्र महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में भी हुआ । इसलिए यह प्रश्न कि केन्द्र ने क्या किया और क्या नहीं किया, सामने आता है और मेरे माननीय दोस्त ने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है (व्यवधान) श्रीमन्, मैं अपना भाषण अभी समाप्त कर रहा हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी मुश्किल यह है अगर कोई दूसरा माननीय सदस्य 20 मिनट समय के लिए कहता है तो मैं उसे भी दूंगा। आप लोगों को $1\frac{1}{2}$ से 2 घंटे तक और बैठना पड़ेगा इसका यही हल हो सकता है । श्री वर्मा को 20 मिनट देकर, मैं श्री मेहता को मना नहीं कर सकता । सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए कई लोगों के सामने यही मुश्किल है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें सारा समय देने को तैयार हैं ?

एक माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं अभी दो या तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देता हूँ । मैं जानता हूँ कि आप कलाकार हैं, जानते हैं कि मैं कैसे चुप हो सकता हूँ । (व्यवधान) मेरे दोस्त, कला के कई रूप हैं। सारे देश में करीब एक ही कार्यवाही हुई, जिसे सरकार ने छुट-पुट घटनायें कह कर टाल दिया है। अब मैं सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब केवल आप बोलेंगे ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या हरियाणा और बम्बई में हुए विद्रोह, लम्बे समय से चली आ रही अशान्ति का परिणाम नहीं है ? क्या सारे भारत में असन्तोष के मूलकारण एक जैसे ही नहीं हैं ?

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

मैंने कारणों को पहले ही बता दिया है, उनको दोहराना नहीं चाहता। इन लम्बे अर्से से चली आ रही शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमन्, क्या यह सच नहीं है कि पुलिस आयोग ने अपने पहले प्रतिवेदन में सरकार को चेतावनी दी थी कि असन्तोष चरम सीमा तक पहुंच गया है और उनके वेतन को शीघ्र ही 600 रु० प्रतिमाह करने की आवश्यकता है, पुलिस के सिपाही को कुशल श्रमिक के समान समझा जाना चाहिए, मकानों और बैरकों के निर्माण के लिए चरणबद्ध और शीघ्र क्रियान्वित किए जाने वाली योजनाएं बनायी जानी चाहिए। 1861 में दिए गए सरकारी आश्वासनों को पूरा किया जाए, मकान बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाए, सिपाहियों को समयोपरि के एवज में 30 प्रतिशत समयोपरि भत्ता दिया जाए, आवश्यक वस्तुओं को सस्ती दरों पर व लगातार उपलब्ध करवाया जाए, धुलाई और यात्रा भत्ते में 10 रु० प्रतिमाह की वृद्धि की जाए, भर्ती प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और जे० सी० एम० की स्थापना की जाए। इन में से किसी भी सिफारिश पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? श्रीमन्, अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या गुप्तचर विभाग असफल हो गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनमें से कितनों को बिना जांच के बरखास्त कर दिया गया है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : गुप्तचर्या के बारे में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि वे वहां नहीं थे। शायद इसका प्रयोग ही नहीं किया गया। क्या केन्द्रीय सरकार को अनुशासनहीनता और अवज्ञा होने की आशंका के बारे में गुप्तचर से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ? उनको यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ? पहली बात तो यह है। किन अधिकारी ने इस रिपोर्ट पर विचार किया ? इस अवज्ञा की कार्यवाही को रोकने के लिए पहले से ही क्या कार्यवाही की गई। क्या यह सत्य नहीं है कि पहले से ही इस बारे में काफी चेतावनियां दी गई थी लेकिन अधिकारियों ने खुद ही दल बन्दी और लड़ाकू प्रवृति को बढ़ावा दिया है और अपने पद का प्रशासन में उपयोग करते हुए पुलिस का पक्षपात पूर्ण और अन्त: दल के कार्यों के लिए प्रयोग किया।

क्या यह सत्य नहीं हैं कि बम्बई में आवास के अभाव के कारण बहुत से पुलिस वालों को गन्दी बस्तियों में रहना पड़ता है जहां पर असमाजिक तत्व भी होते हैं और शराब का अवैद्य धंधा करने वाले तथा तस्कर भी होते हैं ? क्या यह सत्य नहीं है कि इन गन्दी बस्तियों में झोपड़ियों में रहने वालों ने ही बम्बई में 18 अगस्त को हुई आगजनी और लूटपाट की घटना में मुख्य रूप से भाग लिया था ? क्या यह सत्य नहीं है कि जिस दिन पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया था उस दिन मुख्य मंत्री कहीं और थे ? महोदय मैंने और बहुत से प्रश्न उठाए हैं। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि उन्होंने इस अराजक काल के लिए रास्ता क्यों बनाया। वे असन्तोष से निपटने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं जो कि अनुशासनहीनता की जड़ है। आपके द्वारा अनुशासनहीनता की बात करने का कोई फायदा नहीं है, यदि आप अनुशासनहीनता के टाइम बम-असंतोष को नहीं हटाना चाहते। इस बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं माननीय सदस्य से यह याद करने का निवेदन करूंगा कि 1979 में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात तमिलनाडू, जम्मू तथा काश्मीर और राजस्थान राज्यों के बहुत से भागों में व्यापक असंतोष अनुशासन हीनता थी··· ··(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 1974 में उत्तर प्रदेश में ।

प्रो० मधु दण्डवते : 1953 में मद्रास में ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पुलिस की सम्पूर्ण समस्यओं की जांच करने के लिए सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की है। आयोग का पहला प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है । यह 7 फरवरी 1979 को तथा अन्तिम प्रतिवेदन 31-5-81 को प्रस्तुत किया गया था । 6 जून 1979 को ही उस रिपोर्ट पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था । मुख्य मंत्रिओं के उस सम्मेलन में रिपोर्ट में लिए गए, पुलिस संघ, शिकायतों को दूर करने के लिए तंत्र, अर्दलियों का दुरुपयोग, कान्सटेबलों के वेतन और उनके दर्जे तथा भत्तों, कान्सटेबलों के काम करने की दशायें छुट्टी के दिन कार्य करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को मुआवजा, आवास पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की जांच के तरीके आदि से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया था ।

जून 1979 में, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जो निष्कर्ष लिए गए थे उन पर राज्य सरकारों को तुरन्त कार्यवाही करने के लिए कहा गया था । इन निष्कर्षों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है या ये विभिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विचार तथा कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है । इन कदमों के उठाये जाने से राज्य पुलिस बल के नैतिक तथा अनुशासन के स्तर में सुधार हुआ है और कुछ हद तक पुलिस बल में संतोष भी पैदा हुआ है । इसलिए यह कहना गलत है कि सरकार 1979 से ही, जब ये सिफारिशें की गयी थीं इनके बारे में जागरूक नहीं है ।

आवास के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि श्री रवीन्द्र वर्मा ने 3 या 4% के आंकड़े दिए हैं जबकि मेरी जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर पुलिस बल के लिए आवास की व्यवस्था अन्य सेवाओं की तुलना में अधिक संतोषजनक है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे व्यवधान के लिए खेद है मैंने परिवार आवास के लिए कहा था ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय मेरी सूचना के अनुसार जहां तक पुलिस बल का सम्बन्ध है लगभग 58% व्यवस्था है और छठी योजना में आवास की दशा को सुधारने के लिए और अधिक धन का प्रावधान किया गया है तथा राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है । जिनमें महाराष्ट्र व हरियाणा भी सम्मिलित हैं । उदाहरणार्थ महाराष्ट्र में 1980 में 1300 से अधिक अतिरिक्त क्वार्टर बनाये गये थे ताकि पुलिस बल के लिए अधिक आवास की व्यवस्था की जा सके और 1976 में पुलिस के वेतनमानों को संशोधित किया गया था । 1-10-1979

[श्री प्रकाश चन्द्र सेठी]

से अर्दली प्रथा को समाप्त किया गया था। प्रति सप्ताह एक दिन की छुट्टी की स्वीकृति दी गयी थी राजपत्रित छुट्टियों की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष 15 अतिरिक्त छुट्टियां मंजूर की गयी हैं। इस छुट्टी के बदले नकद धनराशि पाने के हकदार भी होंगे। उसी प्रकार से हरियाणा में जिला रेंज तथा मुख्यालय स्तर पर समस्याओं तथा शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के लिए कल्याण समितियां स्थापित की गयी हैं। अर्दली प्रथा का किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना है। राजपत्रित छुट्टियों के बदले एक महीने की तनख्वाह स्वीकृत की गयी तथा गृह निर्माण की कुछ योजनाओं पर कार्य करने का निर्णय किया गया था और 1979-80 में 40 लाख रुपया 1980-81 में 80 लाख रुपये खर्च किये गये। पुलिस वालों के वेतनमानों को संशोधित किया गया तथा जो दूसरी रियायतें दी गयी वे हैं किट रखरखाव भत्ते, तथा हैड-कान्सटेबिल व कान्सटेबिल के लिए वाहन भत्ते का संशोधन तथा किराया मुक्त रिहाइश के बदले मुआवजा देना। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि ये विभिन्न सरकारें पुलिस असन्तोष के प्रति जागरूक नहीं हैं। इन विभिन्न शिकायतों के सम्बन्ध में समय-समय पर कार्यवाही की गयी है। जहां तक केन्द्रीय सरकार की पुलिस का सम्बन्ध हैं हमने उनकी शिकायतों का अध्ययन करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की है और स्वयं संयुक्त मंत्रणा समिति में ही हम उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए बात-चीत कर रहे हैं और समय-समय पर मेरे पूर्व सहकर्मियों से भी मिले हैं और उनकी बात को ध्यान से सुना गया है और जो कुछ सम्भव था, किया गया है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार उनकी कठिनाइयों के प्रति जागरूक नहीं है।

महोदय में माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र वर्मा के इस आरोप से सहमत नहीं हूँ कि सरकार ऐसा रुख अपना रही है जहां पर पुलिस को पार्टी और अन्तर्पार्टी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं किया गया और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें पुलिस की कठिन ड्यूटी के बारे में मालूम है और ऐसे कार्य में लगाकर पुलिस की नैतिकता को और अधिक नहीं गिराना चाहते हैं।

इसी प्रकार जहां तक पदोन्नति तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है ये कभी व्यक्तिगत कारणों से नहीं किए गए बल्कि उनकी वरिष्ठता तथा चरित्र पंजी के आधार पर ही किये गये हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि पदोन्नतियां किसी दूसरे आधार पर या किसी दूसरे उद्देश्य से की जा रही हैं।

वास्तव में, मैं कहना चाहूंगा कि ये अधिकांश समस्यायें इसलिए हुई हैं कि पुलिस संघों को मान्यता दे दी गयी है (व्यवधान) तथा उन्होंने मजदूर संघों की भांति कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। यदि ये संघ पुलिस कल्याण के लिए कार्य करे और अपनी मांगों को उचित ढंग से प्रस्तुत करे और उनका शिकायत सम्बन्धी तंत्र के माध्यम से समाधान किया जाए तो हमें निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए हमने विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी कठिनाइयों को समझने तथा शिकायत तंत्र के माध्यम से उनको ठीक प्रकार से दूर करने के लिए कहा

है। इसके बाद बहुत सी राज्य सरकारों ने उनके वेतनमानों का यथा सम्भव संशोधन किया है। पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों में पुलिस के वेतनमान केन्द्रीय पुलिस से अधिक है। इसलिए जहां तक वेतनमानों का सम्बन्ध है हमारे ऊपर भी बहुत अधिक दबाव है। यह मामले हमारे विचाराधीन हैं और जब तक स्थिति से निपटने के लिए वित्त की व्यवस्था नहीं होती है तब तक हमें इनसे ही काम लेना पड़ेगा।

जनता शासन काल में भी सरकार समस्याओं के प्रति जागरूक थी और उसके बाद भी सरकार समस्याओं के प्रति जागरूक है। हम समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

पुलिस बल के लिए अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न उठा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में यह आन्दोलन क्यो हुआ। वहां यह इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की गयी थी।

अब माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस समय वहां पर नहीं थे। वह यहां थे और जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सुना वह तुरन्त बम्बई के लिए रवाना हुए और वहाँ पहुँचे। केन्द्रीय सरकार के दूसरे अधिकारी भी वहां समय पर पहुंच गये थे और बहुत ही कम समय में स्थिति पर नियन्त्रण पा लिया गया था। वहां कुछ अराजक काल रहा होगा और उसी समय यह शरारत हुई और कुछ इमारतें जला दी गयीं, सरकारी बसें भी जला दी गयीं तथा सरकारी और गैर सरकारी सम्पत्तियों की बड़ी भारी क्षति हुई। परन्तु उसके बाद स्थिति नियन्त्रण में आ गई।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा दल हमने जहां भी भेजे हैं हम उनके आचरण से संतुष्ट हैं हम नागरिक क्षेत्रों में इस प्रकार की गड़बड़ियों से निपटने के लिए देश की सेनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहते। हम उनको इससे अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल का सम्बन्ध है, जहां आवश्यकता पड़ती है हम उनका उपयोग कर रहे हैं। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि वे अपना कार्य इस प्रकार से कर रहे हैं कि उनकी कोई आलोचना नहीं की गई है। हाल में भी जहां कहीं भी गड़बड़ियां हुई हैं और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की मांग हुई हम जितना सम्भव हो सकता है उसको उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं।

हमें पुलिस की समस्याओं की जानकारी है। ऐसी बात नहीं है जैसी हमें उनकी समस्याओं की जानकारी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि विभिन्न रिपोर्टों का अध्ययन किया जाए और शीघ्र ही उन पर कोई निर्णय लिया जाये। जहाँ तक पिछली रिपोर्ट का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्यों को दुबारा आश्वासन दे सकता हूँ कि 1979 में मुख्य मंत्रियों ने जो निर्णय लिया हम उनको कार्यान्वित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए। श्री रवीन्द्र वर्मा बहुत ही विस्तार में चले गए थे।

प्रो० अजित कुमार मेहता : महोदय में अधिक समय नहीं लूंगा मुझे एक या दो बात करनी हैं।

मंत्री महोदय का जवाब आया और हमने बड़े गौर से सुना। जवाब संतोषजनक मालूम नहीं पड़ा। आश्चर्य है कि इतने दिनों से सरकार पुलिस असंतोष दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी है।

1973 में जब उत्तर प्रदेश में पुलिस विद्रोह हुआ, उस घटना को एक दशक हो गया। उसके बाद भी मंत्री महोदय इन घटनाओं को छुट-पुट अनुशासनहीनता को घटनाएं कहते हैं, आश्चर्य होता है।

महाशय पुलिस बल की अनेक समस्याएं हैं। 1975 में आपात-काल की घोषणा के बाद इन समस्याओं को थोड़े दिन तक टाले जाने का मौका मिला, क्योंकि उस काल में पुलिस बल को अधिनायकवाद की आक्रामक ऊंचाई से काम करने का मौका मिला, किन्तु जनता पार्टी का शासन आने के बाद अधिनायकवाद की ऊंचाई से नीचे उतारने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम शुरू किया गया। "धर्मवीर आयोग" का गठन भी किया गया। उस आयोग ने जांच के बाद बताया कि एक पुलिस कर्मी को रोजाना काम करने के काम में 67 प्रतिशत काम अपने विवेक से करना पड़ता है, जिसके कारण कम से कम सड़क पर तो उसे खुद ही कानून बन जाना पड़ता है। इसलिए आयोग का आग्रह था कि एक विशेषज्ञ के रूप में उन्हें जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाए। जिन जिम्मेदारियों की अपेक्षा पुलिस बल से की जाती है, उन जिम्मेदारियों से उनको अवगत कराने के लिए कौन सा कारगर और उचित कदम उठाया गया ?

एक सर्वेक्षण के अनुसार पुलिस बल के कम से कम 20 प्रतिशत लोग अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए या तो अपनी जानें देते हैं या अपंग हो जाते हैं। किसी अन्य सेवा में हताहतों की संख्या इतनी नहीं है। इन सारे कामों के एवज में उनका वेतन कई राज्यों में तो चपरासी से भी कम है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश आदि कुछ राज्यों में एक सिपाही को 300 रुपए से कुछ अधिक तनख्वाह मिलती है, अन्य राज्यों में ढाई और तीन साल आसपास वेतन मिलता है।

अभी मंत्री महोदय ने कहा कि पुलिस एसोसिएशन युनियनबाजी की तरह से काम करने लगी है, इससे गड़बड़ी पैदा होती है। जब पुलिस वाले देखते हैं कि यूनियन बाजी से काम हो जाता है तो वे भी मजबूर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 1973 में सशस्त्र बल ने हड़ताल की जिससे अपनी तकलीफ दूर कर सके। तो इन चीजों का मौका तो आप स्वयं देते हैं। उनमें असंतोष आप स्वयं पैदा करते हैं, आखिर क्या करें।

आज पुलिस की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनके बारे में माननीय वर्मा जी ने काफी कुछ

कह दिया है । मैं इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि पुलिस के कार्यों में कभी-कभी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है । मैं मधेपुरा का एक उदाहरण देना चाहता हूं । वहां पर एक रेप की घटना हुई, जिसमें डा० मिश्रा नाम के सज्जन इन्वाल्वड थे । वहां के डी० एम० और एस० पी० ने कड़ी कार्यवाही की । लेकिन कुछ सत्तासीन लोग यह नहीं चाहते थे कि डॉ० मिश्रा के खिलाफ कोई कार्यवाही हो और एस० पी० तथा डी० एस० को वहां से बदल दिया गया और उल्टे उन पर 211 का मुकदमा चलाया गया । तो इस तरह से पुलिस के साथ उनके कर्तव्य पालन करने पर पुलिस को दंडित किया जाय तो कैसे आप पुलिस का असंतोष दूर कर पाएंगे ।

इस संदर्भ में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं । पुलिस में असंतोष दबाने के लिए अभी तो आपने सेना और बी० एस० एफ० को बुला लिया अनुशासन कायम करने के लिए । लेकिन अगर बारबार आप बी० एस० एफ० या दूसरी अर्ध सैनिक या सैनिक टुकड़ियों को बुलाएंगे तो यह उनका एक तरह से दुरुपयोग ही होगा । और जब अनुशासनहीनता फैल जायगी तो आप क्या करने जा रहे हैं ?

पुलिस को यूनियन का अधिकार देने में क्या दिक्कत है ? आप क्यों मानते हैं कि यूनियन का अधिकार मिलने पर उसका वह दुरुपयोग ही करेंगे ? अपने असंतोष को किस माध्यम से वह सरकार के सामने रखें ? उसके लिए कुछ तो संगठन होना चाहिए । और इसके लिए अगर आप उनको यूनियन का अधिकार दे देते हैं तो आपको क्या कठिनाई है ?

इन असंतोषों को जड़ मूल से दूर करने के लिए आप क्या-क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? साथ ही धर्मवीर आयोग की सिफारिशों को आप कब तक लागू कर देंगे पूर्णरूपेण ? यही कुछ प्रश्नों का जवाव मैं मंत्री जी से चाहता हूं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मान्यवर, माननीय मेहता जी ने कोई बहुत नई बात नहीं उठाई है । काफी ब्यौरे से जो बात माननीय वर्मा जी ने कही थी उसी को उन्होंने दुहराया कि अभी तक असंतोष को क्यों नहीं दूर कर पाए हैं। और साथ ही सुझाव दिया है कि सेना का प्रयोग करना उचित नहीं है । मैंने खुद पहले ही कहा कि जहां तक सरकार की नीति है ऐसे मामलों में या स्थानीय झगड़ों में सेना का प्रयोग कम से कम किए जाने की नीति को सरकार ने हमेशा अपनाया है और वह नीति अभी भी है ।

जहां तक उनके असंतोष को हटाने का सवाल है उसके लिए जैसा मैंने कहा हर स्टेट से कहा गया है कि उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए ग्रीवेंसिज रिड्रेसल कमेटी बनाएं और और वहां बातचीत करें । बहुत सारी स्टेट्स ने बनायी है और बहुत सारी समस्याएं उनकी हल हुई हैं ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अधिकारी किन से बात करेंगे ? क्या इंडिविजुअल्स से करेंगे ? यूनियन से बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह जो एसोसिएशन है ग्रीवेंसेंज रिड्रैसल मशीनरी का उपयोग करे और ट्रेड यूनियन की तरह फंक्शन न करे तो डिसिप्लिन भी ठीक रहेगा और साथ ही साथ ग्रीवेंसेज मशीनरी के जरिए सरकार के सामने समस्याएं ला कर उनको दूर भी किया जा सकेगा।

वर्मा जी के सवाल का जवाब देते हुए मैंने कहा था कि सातवें फाइनेंस कमीशन ने पुलिस के ऐडमिनिस्ट्रेशन को, स्टैन्डर्ड को इम्प्रूव करने के लिए और अधिक रुपया देने की सिफारिश की थी और उसको पूरा किया गया है। और इसी वजह से कुछ स्टेट्स, 58.2 परसेंट औसत सेटिस्फैक्शन है, हाउसिंग में पीछे हैं अब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हाउसिंग कारपोरेशन्स भी इसके लिए कई स्टेट्स ने बनाई है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और बिहार का उदाहरण देना चाहूँगा जहां हाउसिंग कारपोरेशन भी बनी हैं और उनको जो लोन का सवाल माननीय सदस्यों ने उठाया है तो उन्हें हाउसिंग के लिए···

प्रो० अजित कुमार मेहता : इस हाउसिंग कारपोरेशन ने क्या-क्या प्रगति की है, क्या काम किया है, इसका भी कभी लेखा जोखा आपने लिया है ?

कारपोरेशन तो बन गए, लेकिन उसने कुछ काम भी किया है, वर्षों से कुछ मकान भी बनाएं हैं या नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : ब्यौरा तो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन कारपोरेशन बने हैं, इसका मतलब यह है कि उनको मकान बनाने के लिए जमीन दी गई है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : वह मकान बहुत कम बना पा रहे हैं। ज्यादातर दूसरों के लिए ठेके पर काम करते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन भी अन्य हाउसिंग कार्पोरेशन की तरह है और वह हुडको से लोन प्राप्त कर सकती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कोई कठिनाई आपकी नजर में आए तो बतलाएं, उसको हल कराने का प्रबन्ध किया जाएगा।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोती हारी) : मंत्री जी ने अपने जवाब में जिक्र किया है कि बहुत राज्यों में पुलिस असंतोष की सूचना मिली है और जनता राज्य में भी पुलिस का विद्रोह हुआ था। क्या वजह है कि जनता राज्य में और कांग्रेस (आई) के राज्य में भी पुलिस विद्रोह होता है और इस पुलिस असंतोष को दूर करने में आपकी असमर्थता है ?

दोनों के समय में जमींदारों और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए, रूलिंग क्लास द्वारा अपने वर्ग हित के लिए वर्किंग क्लास, मजदूर वर्ग के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस मजदूरों और किसानों के संघर्ष को डंन्डे के जोर से दमन करती है। कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी हों या दूसरे लोग हों सब के संघर्ष में आपने पुलिस का इस्तेमाल किया है। लगातार

उनके ऐसे इस्तेमाल के चलते और काम की स्थिति के चलते वे अपने आप को यह नहीं बता पाते कि वे भी जनता का हिस्सा है। इसी कारण आज वे जनता की आंखों में अधिकांश रूप से गिर गए हैं।

आपके संविधान में लिखा हुआ है धर्म-निरपेक्षता, जनतंत्र और समाजवाद, यह उद्देश्य पुलिस के दिमाग से साफ कर दिए जाते हैं। संविधान की उपेक्षा कर आपने पुलिस को आपने वर्ग-स्वार्थों की रक्षा के लिए यंत्र मात्र बना कर छोड़ दिया है। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आज भी होता यह है कि पुलिस के कर्मचारियों के दिमाग में हिन्दू मुसलमान के नाम पर बड़े और छोटे के नाम पर चेतना भरी गई है। क्या आप इस उद्देश्य से समाजवाद बनाना चाहते हैं।

ऐसी स्थिति में जबकि मंहगाई बढ़ती जा रही है आज भी पुलिस के लोग भी बोण्डेड लेबर की तरह हो गए हैं। आज पुलिस के कर्मचारी उच्च अधिकारियों, पुलिस के एस० पी०, डी० एस० पी० और दरोगा के घरों पर उनकी निजी सेवाओं में लगे रहते हैं, उनके बच्चों को खिलाते हैं। उनकी पत्नी का साया धोते हैं और अन्य अपमानजनक सेवाएं करते हैं। अगर वे अधिकारियों की मनमानी सेवाएं करते हैं तब तो अच्छे समझे जाते हैं और अगर विरोध करते हैं तो उनको गुनहगार समझा जाता है। हम चाहते हैं। कि आप इस बात की जांच कराएंगे कि उन अधिकारियों के जरिए पुलिस का गलत इस्तेमाल जो होता है, जो उनकी चेतना और जीवन को कुंठित कर दिया जाता है, वह भूल जाते हैं कि वह जनता के सेवक हैं? यह क्यों होता है?

अभी हमारे कुछ लोग पीस मार्च कर रहे थे। वे नारे लगा रहे थे कि शांति जिन्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, उनके बैजों पर शांति था, तथा विश्व साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लिखा था। हमारे बैज पर भी शांति लगा हुआ था। फिर भी उनके समझ नहीं आता था कि शांति क्या है। वह हमसे पूछते थे कि आप क्या करने जा रहे हैं? आप बताइए कि जिस पुलिस को शांति शब्द की जानकारी न हो, वह क्या कर सकता है? वह हम पर डंडे चलाएंगे या और कुछ करेंगे? आपने उनकी चेतना को कुंठित किया है, उनकी आवश्यक सुविधाओं को मोहैय्या नहीं किया है।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार पुलिस कर्मचारियों को उच्चाधिकारियों की गुलामी, स्लेवरी, से स्वतन्त्र कराने जा रही है या नहीं। मन्त्री महोदय इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें।

पुलिस की जेनविन डिमांड्ज, बिल्कुल सही मांगों, को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही हैं? सरकार की तरफ से कहा जाता है कि पुलिस की ऐसोसियेशन बनाने से उसमें विद्रोह होता है। लेकिन महंगाई कैसे बढ़ती है, बेकारी और घूसखोरी कैसे बढ़ती है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

क्या सरकार ने पुलिस-कर्मियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई डेफिनट प्रोग्राम बनाया है? क्या उसके वेतन-मान, हाउसिंग, शिक्षा और दवा-दारू आदि की समस्याओं को हल करने के लिए कोई कालावधि रखी गई है?

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

अगर पुलिसमैन कोई एसोसियेशन, संगठन, बनाते हैं, तो क्या सरकार उसे मान्यता देने के लिए तैयार है या नहीं ? क्या वह उसे मान्यता देकर मान्यता-प्राप्त लोगों के साथ वार्ता कर के इन समस्याओं को हल करने के तैयार है या नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि 1979 में मुख्य मंत्रियों की बैठक के बाद प्रत्येक राज्य से कहा गया है कि वह ग्रीवेंसिज रीड्रेसल कमेटी बनायें। उस बात को हमने समय-समय पर 1980 और 1981 में दोहराया है। हम बातचीत के जरिये उनकी समस्याओं का निराकरण करने में यकीन करते हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि जनता राज में भी और कांग्रेस राज में भी पुलिस का उपयोग हुआ है। इसका केवल एक अर्थ निकलता है कि जब आपका राज आएगा, तभी पुलिस का उपयोग होना बन्द हो सकेगा। (व्यवधान)

जहां तक आर्डरली का काम है, मैंने बताया है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात् और मुख्य मंत्रियों की जो चर्चा हुई है, उसके पश्चात् सब राज्यों को कई बार इन्स्ट्रक्शन्ज दिए गए हैं कि पुलिस अफसरों को इस बात की बड़ी हिदायत होनी चाहिए कि वे पुलिसमैन से आर्डरली का काम न लें। मैं समझता हूं कि अधिकांश राज्यों ने इसका पालन नहीं किया है। अगर कुछ राज्यों ने इसका पालन नहीं किया होगा, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि.....

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या आप पुलिस को भी ट्रेन्ड करने जा रहे हैं या नहीं, जिसके जरिए सैकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोसलिज्म की भावनाओं से उसकी चेतना प्रभावित हो ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पुलिस का जो स्टैंडर्ड है भर्ती का, उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। जहां तक स्पेशल फोर्सिज का सम्बन्ध है, उदाहरण के लिए एक पीस फोर्स के रूप में सी. आर. पी. बनाया गया है, वहां सब प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। हर राज्य में शासन के द्वारा बाकी पुलिसमैनों को भी हिदायत दी गई है कि उन्हें जनता के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ कड़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए।

माननीय सदस्य ने पीस मार्च का जिक्र किया है। जहां तक मेरी रिपोर्ट है, उसमें किसी प्रकार की फोर्स का उपयोग नहीं हुआ है। (व्यवधान) सारा पीस मार्च शान्तिपूर्वक हो गया और यह पुलिस की योग्यता और कुशलता का सुबूत है।

श्री दौलत राम सारण (चुरु): अध्यक्ष जी, पुलिस असंतोष और अनुशासन के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह बड़ा निराशापूर्ण है इसमें स्थिति का सही चित्रण नहीं किया गया है और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। केवल टालने की मंशा से यह वक्तव्य दिया गया लगता है।

आप जानते हैं कि जब किसी आजादी, अमन और अस्तित्व पर आक्रमण होता है तभी वह

खतरा उठाने के लिए तैयार होता है अन्यथा तकलीफ उठाकर भी आदमी खतरे से बचने की कोशिश करता है। एक पुलिस मैन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि आदेश की उपेक्षा करके आन्दोलन करने का परिणाम क्या होगा—मौत, जेल, बर्खास्तगी—लेकिन इसके बाद भी अगर वह रिस्क लेकर आन्दोलित होता है तो उसका अर्थ यह कि उसके पीछे कोई गम्भीर कारण विद्यमान है। सरकार को उन कारणों में तफसील के साथ जाना चाहिए। उसकी तफसील में जाने की चेष्टा पुलिस कमीशन ने की है और इस सदन में उसकी दो रिपोर्टें भी पेश की गई हैं लेकिन 9 में से दो जो आखिरी कंक्लूजन्स हैं वह अभी तक विचारार्थ नहीं आ सकी हैं। ऐसी स्थिति में आपने जो कुछ भी किया हो, जून, 1979 में मुख्य मंत्रियों की बैठक के पश्चात् लेकिन उस सम्बन्ध में अब असंतोष क्यों हो रहा है ?

उत्तर प्रदेश में श्री कमलापति त्रिपाठी के मुख्य मंत्रित्व काल में यू० पी० पुलिस में विद्रोह लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में हुआ जिसमें सौ मरे, 56 पी० ए० सी० के, 42 आर्मी के और दो सिविलियन। 1979 में सी.आर.पी. सेन्ट्रल इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने रिवोल्ट किया 6 स्थानों पर—ट्रिवेन्ड्रम, भुवनेश्वर, बोकारो, कोचीन, थुम्बा और झावड़ा कल्लां में, जहां 25 मरे, 23 बोकारो में और दो मावड़ा कल्लां में तथा 141 घायल हुए। (व्यवधान) किसी के टाइम में भी हुआ हो, आप नुक्ताचीनी न करके सुधार की बात करो और सही दिशा में देखो। शुतुमुर्ग की तरह से गर्दन जमीन में गड़ा कर देखोगे तो खुद नुकसान उलटाओगे। तो मैं यह कह रहा था कि इसके पश्चात् भी पुलिस में असंतोष और पुलिस यूनियन को मान्यता का प्रश्न लेकर पुलिसकर्मियों के आन्दोलन होते रहे हैं। क्या सरकार मानती है कि इतना रिस्क उठाकर भी किए जाने वाले यह पुलिस आन्दोलन साधारण हैं ?

दूसरी बात मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि बम्बई और हरियाणा के पुलिस आन्दोलन एक विशेष दिशा की ओर संकेत करते हैं। अब तक तो वे सरकार के सामने विद्रोह करते थे लेकिन इस बार उन्होंने राश्ता रोका, निरीह जनता पर हमले किए, आगजनी की, मार-पीट तथा लूट-पाट की। मार्केट को भी उन्होंने जलाया। यह सारी बातें किसी खतरे की ओर संकेत करती हैं और यह साधारण किस्म का खतरा नहीं है बल्कि भयंकर किस्म का है। आज ऐसी स्थिति क्यों बनी है—इसके कई बुनियादी कारण हैं। आज पुलिस में चार स्टेज हैं, एक तो सिपाही, कांस्टेबल का स्तर है, एक हवलदार और सबइंस्पेक्टर का स्तर है, एक स्टेट सर्विसेज के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट्स का स्तर है और उसके बाद एक केन्द्रीय आई. पी एस. का स्तर है। इन स्तरों में बड़ा भारी अन्तर है। आज आई. पी. एस. में 86 परसेन्ट से अधिक लोग ऊंचे घरानों से आते हैं जबकि सिपाहियों में ज्यादातर गरीब तबके के लोग आते हैं। इनके रहन-सहन, सोचने के तरीके में और सामाजिक स्तर में बड़ा भारी अन्तर है जो कि स्पष्ट नजर आता है। अफसर सिपाहियों पर हुकूमत करना चाहते हैं। वे उसके मार्गदर्शक बनकर प्यार से काम नहीं लेना चाहते। इसके निराकरण का एक ही तरीका है कि गरीब तबके के लोगों में से स्टेट सर्विस और आई. पी. एस. में अधिक से अधिक लोग लिए जाएं। आज वहां पर कुछ परिवारों तथा जातियों की ही मानोपोली बनी हुई है।

[श्री दौलत राम सारण]

एक दूसरा बुनियादी कारण मन्त्री जी को जो मैं बताना चाहता हूँ वह है उनके वेतनमान, उनकी नियुक्ति, उनके प्रमोशन और उनके स्थानान्तरण। यह कारण भी बड़े गम्भीर हैं। आज पुलिस के चयन में बड़ा पक्षपात हो रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार है और मनमाने तरीके से जहां भी चाहें उनको फेंक दिया जाता है। किस तरह से उनके काम में हस्तक्षेप होता है और उनका उपयोग स्थलीय स्वार्थों में, व्यक्ति स्वार्थों में किया जाता है। इसके कारण भी उनमें भयंकर असंतोष है। इन कारणों में जाकर के, उनमें ड्यूटी की तरफ निष्ठा की भावना पैदा करनी चाहिए। कर्तव्य की भावना भरनी चाहिए। पुलिसमैन को लम्बे समय तक ड्यूटी देनी पड़ती है। कितनी कठोर, कितनी भारी, लेकिन वेतन उनको कितना थोड़ा मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिए। आप तो भाषण कर रहे हैं।

श्री दौलत राम सारण : भाषण का सवाल नहीं है, दर्द का सवाल है। जिनको लगती है उनको पीडा होती है। चार सौ लोगों को बरखास्त कर दिया जाता है। जो लोग छुट्टी पर थे या नहीं थे, उनको बरखास्त कर दिया जाता है। (**व्यवधान**)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हरियाणा में जाट बिरादरी के नाम पर लोगों को ससपेंड और टरमिनेट किया गया है। (**व्यवधान**)

श्री दौलत राम सारण : मैं यह कह रहा था कि आपको इसकी तफसील में जाना चाहिए। आपने कमेटिया बनाई हैं, सुनाई के लिए कोई उपयुक्त मशीनरी नहीं है न दरख्वास्त पर सुनते हैं, न प्रतिवेदन पर, न ज्ञापन पर और न प्रतिनिधि मण्डल की बात सुनते हैं। आज केवल सुनवाई तभी होती है, जब कहीं पत्थरबाजी हो, आगजनी हो, मारपीट हो, हिंसा हो, तब जाकर सीरीयसनैस महसूस होती है, अन्यथा नहीं होती है। यह स्थिति आज सरकार की हो गई है। इसी के कारण उत्पात को प्रेरणा मिलती है, हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि आप लोकतान्त्रिक तरीके से सुनने का कष्ट नहीं करते हैं। लोगों में यह धारणा पैदा होती जा रही है कि कुछ उत्पात करो, तब सुनवाई होगी। उत्पात नहीं करोगे तो सुनवाई नहीं होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति खास तौर से लोगों में घर करती जा रही है।... (**व्यवधान**)...मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो पुलिस में अशान्ति, असंतोष और अनुशासनहीनता पैदा हुई है, वह सरकार के ध्यान में पहले-पहल कब आई और उसके निराकरण के लिए आपने क्या उपाय किए हैं और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं।

आपने वक्तव्य में कहा है कि बिहार, हिमाचल प्रदेश गुजरात तथा उड़ीसा राज्यों से भी पुलिस कर्मचारियों में असंतोष के व्यक्तिगत शिकायतों के कारण थे, लेकिन वहाँ तो पहले बड़ा पुलिस असंतोष हो चुका। उसके बाद आपने उसके उपचारस्वरूप बहुत सी व्यवस्थाएं कर दी ताई। उसके बाद भी असंतोष है और उन्हीं राज्यों में जहां पहले व्यापक स्तर पर विद्रोह हुआ

था। इसका मतलब यह कि व्यक्तिगत कारण न होकर सामूहिक हो सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सब बात हो गई, उनके पास कोई प्वाइंट नहीं है।···(व्यवधान)···

श्री दौलत राम सारण : आपको क्या तकलीफ हो रही है। आप मेरी जगह आ जाइए।

पुलिस द्वारा देश में गत दो वर्षों के अन्दर जगह-जगह थानों के अन्दर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। विचाराधीन कैदियों की बिहार और बंगाल में बड़े पैमाने पर आँखें फोड़ दी गई हैं। पुलिस हिरासत में लोगों की हत्याओं के मामले, झूठे मुकाबले दिखाकर भारी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्याएं, पुलिस बलों द्वारा अनेक जगहों पर डाके और दंगों में लूट एवं हत्याओं के मामले पुलिस के सम्बन्ध में स्थिति में सुधार करने के संकेत नहीं देते हैं। यह कोई गम्भीर स्थिति बताते हैं। शान्ति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस एजेंसी द्वारा व्यापक स्तर पर गैर कानूनी और दायित्वहीन कार्य करने के गम्भीर कारण हैं। इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इस तरफ आपने कभी सोचा है।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : कोई सवाल है, तो करिए। ···(व्यवधान)···

श्री दौलत राम सारण : आपने वक्तव्य में कहा है कि उद्दंड तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की गई। लेकिन इन उद्दंड तत्वों के साथ विनम्र और अनुशासनप्रिय पुलिसकर्मियों की सहानुभूति और सहयोग होने का क्या कारण है ? वे उनके साथ क्यों मिल गए।

आपने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए निकट से निगरानी रखी जा रही है तो यह निकट से निगरानी रखने की कौन सी नई एजेंसी आपने स्थापित की है।

आपने यह भी कहा है कि अनुशासनहीनता रोकने के लिए सरकार दृढ़संकल्प है। इस संकल्प का क्या आधार है और क्या मुद्दे हैं, इनके बारे में मन्त्री जी बताने का कष्ट करें।

इसके अलावा पुलिस कमीशन, धर्मवीर कमीशन और अन्य कई कमेटियों की स्थापना की की गई। इन सब की सिफारिशों पर कब तक आप कार्यवाही कर देंगे और पुलिस कमीशन के सुझावों के अनुरूप आप क्या रूपरेखा बना रहे हैं, शार्ट टर्म और लांग टर्म, दोनों के बारे में मंत्री महोदय तफसील से बताने का कष्ट करें।

क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि समाचार पत्रों के अग्रलेखों और टिप्पणियों में बताया गया है कि हरियाणा, बंबई तथा अन्य स्थानों में पुलिस अशांति, असंतोष, अनुशासन-हीनता का प्रमुख कारण उनकी उचित एवं अविलंबनीय महत्व की मांगों की लगातार उपेक्षा, अनसुनी और पुलिस बल तथा पुलिस प्रशासन का राजनीतिक दलीय स्वार्थों व्यक्तिगत निहित

[श्री दौलत राम सारण]

स्वार्थों में दुरुपयोग और उचित पुलिस कार्यों में हस्तक्षेप को बताया है। क्या ये बातें आपके ध्यान में हैं ? इन सब बातों का उत्तर मंत्री महोदय देने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले कि मन्त्री को उत्तर देने के लिए कहूं, प्रधानमन्त्री एक वक्तव्य देंगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप उनको उत्तर दे रहे हैं या वक्तव्य दे रही है।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं माननीय अध्यक्ष के हाथों में हूँ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है जो कुछ वे कहेंगे आप करेंगीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह ठीक है।

लेबनान पर इजराइली हमले के बारे में वक्तव्य

प्रधानमन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हाल के वर्षों में किसी भी बात से मानव जाति को इतना दुःख और सदमा नहीं पहुंचा है जितना कि लेबनान पर इज़राइल के आक्रमण से, उनके निर्मम अत्याचारों से और उनके बर्बरतापूर्ण, क्रूर और निर्मम नर-संहार से।

इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के एक ऐसे सदस्य से निपटने में जिससे कि एक दूसरे सदस्य राज्य पर खुल्लमखुल्ला आक्रमण किया है, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अपने आप को असहाय स्थिति में पा रहा है। सुरक्षा परिषद ने युद्ध-विराम और फौजों की वापसी के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। लेकिन इन्हें अहंकारपूर्वक अनदेखा किया गया है। विश्व के नेताओं ने इन कार्रवाइयों की निन्दा की है, लेकिन इजराइल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। पश्चिमी बेरुत से अपने सैनिकों को वापस हटाते वक्त फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को यह गारंटी दी गयी थी कि फिलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद एक हजार से ऊपर स्त्री, पुरुषों और बच्चों को इस बुरी तरह मारा गया जो कि दूसरे विश्वयुद्ध के अत्याचारों की याद दिलाता है। हमारे पास इस आशय की भी खबरें हैं कि इज़राइल में फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के बंदियों को यातनाएं दी जा रहीं हैं।

जैसा कि माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं फिलीस्तीनी लोगों के अकल्पनीय दुःखों के प्रति भारत की जनता के मन में भारी सहानुभूति है। उनके दुःख से हमारा मन बहुत दुःखी है और हमें उनसे बहुत हमदर्दी है। उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। उन्हें बेघर करके उनके घर से बाहर धकेल दिया गया है। पिछले तीस से अधिक वर्षों से वे अपमान, दुःख

और तकलीफों से भरा जीवन जीते रहे हैं।

हम इजराइल के इस आक्रमण को और नर संहार की उनकी इस करतूत को घृणा की निगाह से देखते हैं। हमने अपने विचारों से जनता को, संयुक्त राष्ट्र को और विश्व के बहुत से दूतावासों को अवगत करा दिया है। मैंने विश्व के कई नेताओं को भी इस बारे में लिखा है। इजराइल के इस आक्रमण के बाद से विश्व के जिन अन्य नेताओं से मेरी मुलाकात हुई है उनसे मैंने इस बारे में व्यक्तिगत रूप से भी बात की है। अगर सार्वभौम रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय कानून और व्यवहार के मापदंडों का पालन और सम्मान करना है, जो निश्चय ही किया जाना चाहिए, तो मानव-जीवन और उसकी सम्पत्ति का उचित सम्मान होना ही चाहिए, चाहे वह यूरोप में हो अथवा अमरीका, अफ्रीका या एशिया में, और विश्व शांति, स्थायित्व तथा सुरक्षा को और अधिक खतरे में पड़ने से बचाया जाना चाहिए। एक न्यायसंगत, न्यायोचित और स्थाई समाधान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।

इसमें तात्कालिकता का भाव भी निहित है। सैनिक विनाश, जन-हानि और लाखों असहाय लोगों के दुःख और संताप के रूप में इसकी एक बहुत बड़ी कीमत पहले ही अदा की जा चुकी है। आज भी पश्चिम एशिया का वातावरण घृणा और क्रोध, बदले और प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ है और इसमें अधिकाधिक वृद्धि हो रही है। यह सब खत्म किया जाना चाहिए। ताकत के इस्तेमाल से कभी कोई मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ। विनाश और हत्या तो आत्म-पराजय है। सब लोगों की भलाई इसी में है कि सभी सहयोग और मित्रता के वातावरण में रहें। जो हमारा नहीं है, उसका हमें न तो लोभ होना चाहिए और न उसे हम रख सकते हैं। हमें दूसरों को उनके अधिकारों से और जो कुछ उनका है उससे उन्हें वंचित नहीं करना चाहिए। इसलिए जिस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है उसे खाली किया ही जाना चाहिए। जिन लोगों को बेसहारा और बेघर कर दिया गया है उन्हें फिर से बसाया ही जाना चाहिए और उन्हें उनका राज्य दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के देशों को इस बात का आश्वासन मिल जाना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सीमाओं में वे सुरक्षित रह सकेंगे।

इसलिए सभी से हम यह अपील करते हैं, खासतौर से उन लोगों से जो इजराइल को प्रभावित करने की स्थिति में हैं कि वे इजराइल को लेबनान से अविलम्ब वापस हटने पर मजबूर करने में कोई कोर-कसर न छोड़ें। यह एक बड़ी समस्या का समाधान खोजने की लम्बी प्रक्रिया की दिशा में पहला कदम है। हमारी सबसे पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि हम व्यापक और अंतिम समाधान की दिशा में एक शांति-प्रक्रिया शुरू करने लिए मिलकर काम करें।

लेबनान की दुखद स्थिति को फिलीस्तीन की दुःखद स्थिति पर आरोपित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना और दूसरे लोग वहां मौजूद हैं। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई संकल्प भी पारित किए गए हैं और हाल ही में हमने कुछ उल्लेखनीय योजनाएं और प्रस्ताव भी तैयार किए हैं। हम इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान

[श्रीमती इन्दिरागांधी]

की दिशा में किए गए किसी भी प्रयास का स्वागत करते हैं। हमें समझौतों और बातचीत की प्रवृत्तियों को प्रारम्भ और प्रोत्साहित करना होगा। प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध पक्षों को ही, जिनमें फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन भी शामिल होना चाहिए, मुख्य भूमिका का निर्वाह करना होगा। इन प्रयासों में बड़ी शक्तियों का पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगी कि इस सिलसिले में भारत पीछे नहीं रहेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अमेरिका ने फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन को सुरक्षा की गारंटी दी थी। आप अमेरिका को दोषी क्यों नहीं ठहराते ? वहां फिलिप हबीब ने फिलीस्तीनियों की सुरक्षा की गारंटी दी थी। इस शर्त पर वे वहां थे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अमेरिका ने गारंटी दी थी।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नियम इसकी अनुमति नहीं देते। यह कितनी सीधी सी बात है। (**व्यवधान**) प्रोफेसर आप शिक्षित व्यक्ति हैं आप नियम जानते हैं। क्या मजाक है। आप नोटिस दे सकते हैं। क्योंकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते, मैं अनुमति नहीं दे सकता। मैं नियमों के अनुसार चलता हूं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : क्या चर्चा करने पर कोई आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए। आप चर्चा कराने की मांग नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अमेरिका द्वारा गारंटी दी गई थी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर आप यह सब अनावश्क रूप से कर रहे हैं। यह क्या मजाक है ? आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं भारत सरकार क्यों नहीं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि एक प्रोफेसर ऐसा करता है तो मैं क्या कर सकता हूं ? (**व्यवधान**) आप को नियमों को ध्यान में रखना चाहिए।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

विभिन्न राज्यों में पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के समाचार तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही—जारी

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : माननीय सारण जी ने बहुत सारी बातें दुहरायी हैं। जो पहले अन्य माननीय सदस्यों ने कही हैं। मैंने अभी बताया कि 1979 की पुलिस रिपोर्ट आने के बाद क्या-क्या कार्यवाही की हैं। और···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : क्या वह इजराइल पर वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं श्री सारण जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। उसमें जो सिफारिश मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तय की गई थीं उसके बारे में मैंने अभी जानकारी दी है और शेष रिपोर्ट का जो उन्होंने जिक्र किया वह मैंने बताया। बाकी अभी और रिपोर्ट 1981 में प्राप्त हुई है और सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि पुलिस विद्रोह कोई मामूली खतरा नहीं है और इसको हमको साधारण तौर पर नहीं लेना चाहिए। इसलिए पुलिस विद्रोह न हो, इसको हमें दोनों तरफ से देखना है कि उनकी जो वाजिब शिकायतें हैं, उसकी भी पूर्ती हो और उसके साथ ही उनमें जो डिसिप्लिन का सवाल है, वह भी रहे।

उन्होंने और भी कुछ घटनाओं का जिक्र किया है, जिसका इस सवाल से सम्बन्ध नहीं है, पुलिस के द्वारा बलात्कार व दूसरी जो घटनाएं होती हैं, और उसका दलीय उपयोग होता है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पुलिस का दलीय उपयोग नहीं किया जाता है और जहां कहीं पुलिस के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, उनकी जांच की जाती है। उन्हें मालूम है कि इस सम्बन्ध में कई अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, (**व्यवधान**)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते। नियम इसकी अनुमति नहीं देते। आप नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। (**व्यवधान**) फायदा क्या है उसका ? (**व्यवधान**)*

कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा। आप कानून को अधिकार देर हे हैं। (**व्यवधान**)* इसकी अनुमति नहीं है। इसका क्या इलाज है मेरे पास ? (**व्यवधान**)* अनुमति नहीं है। आप नहीं कह सकते, कानून और विधि के अनुसार नहीं कह सकते, क्यों बोलते हैं आप ? श्री हरिकेश बहादुर।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रमुख समाचार-पत्रों के बारे में सवाल पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर

श्री दौलतराम सारण : उनके एडिटोरियल में और प्रमुख टिप्पणियों में बात आई है, उस सम्बन्ध में आपने कोई जानकारी नहीं दी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने कहा कि 1979 में पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान में व्यापक पुलिस अशांति रही और अनुशासनहीनता थी । लगता है कि यह वक्तव्य देने के पहले हमारे गृह-मंत्री ने पूरे इतिहास को भुलाने की चेष्टा की है । इसकी शुरूआत 1979 में नहीं हुई थी ।

इसकी शुरूआत 6 जून, 1953 को मद्रास राज्य के कई जिलों में पुलिस आन्दोलन से हुई थी और उसके बाद यह आन्दोलन तमाम राज्यों के अन्दर लगातार होता रहा । नवम्बर 1957 में लखनऊ जिले की पुलिस ने विद्रोह किया और अफसरों के दुर्व्यवहार के कारण विद्रोह हुआ था । उसकी जानकारी भी मंत्री महोदय को रहनी चाहिए । 14 अप्रैल, 1966 को दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और 680 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था । माननीय मंत्री जी को यह भी याद रखना चाहिए कि 1974 में उत्तर प्रदेश के अन्दर यह पुलिस आन्दोलन पी० एस० सी० के विद्रोह के रूप में भड़का, जहां पर कि सेना का व्यापक इस्तेमाल इस विद्रोह को दबाने के लिए किया गया । यहां तक कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन सरकार ने यह नहीं सोचा कि 1974 के पहले जो आन्दोलन हुआ था, उसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए थी । उसके बाद सरकार को पुलिस कर्मचारियों के असंतोष को समाप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए थे । वास्तविकता यह थी कि इसके आसार बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और उसी के परिणित 1979 और 1982 में भी हुई है । इसलिए केवल किसी पार्टी अथवा किसी सरकार विशेष को बदनाम करने से कोई फायदा नही होता । इसके पीछे जो वास्तविक कारण हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उनकी वजह से जो इस प्रकार के आन्दोलन होते हैं, उनको समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने चाहिएं ।

आगे मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात तथा उड़ीसा राज्य से भी पुलिस कर्मचारियों में असंतोष के कुछ मामले सूचित किए गए हैं । मंत्री महोदय की सूचना कितनी अधूरी है, वह सिर्फ इस बात से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का असंतोष व्याप्त हो गया है । वहां पर भी पुलिस कर्मचारियों ने धरना और अनशन किया था, लेकिन उसकी कोई भी सूचना मंत्री महोदय के वक्तव्य में नहीं है । इसका अर्थ है कि

भारत सरकार की जो इंटेलीजेंस एजेन्सीज हैं वह बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं करती हैं। इसके प्रमाण भी आ चुके हैं। इसलिए मैं व्यापकता में उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, इतना कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को जो सूचना देने वाली एजेन्सीज हैं, आर्गेन्स हैं वह बिल्कुल निकम्मे होग ये हैं या उनका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश का भी नाम इस वक्तव्य में होता।

इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्यों उत्तर प्रदेश के बारे में आपको सूचना नहीं मिल पाई ? इस पर कृपया आप प्रकाश डालें।

आज देश की जनता के सामने यह सवाल है कि जनता को पुलिस से बचाओ और पुलिस को सरकार से बचाओ। जनता के ऊपर पुलिस के अत्याचार होते हैं, इसके बहुत से उदाहरण हैं, डाकुओं को पुलिस द्वारा संरक्षण देना, पुलिस द्वारा बलात्कार की घटनाएं। सिसुआ कांड, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो बलात्कार का कांड हुआ, बागपत में जो कांड हुआ, मैं यहीं पर यह कहना चाहता हूं कि नारायणपुर में पुलिस ने अत्याचार किया, और उत्तर प्रदेश सरकार को भंग कर दिया गया। उसके बारे में जुडिशियल इन्क्वायरी बैठी, उसने कहा कि नारायणपुर में पुलिस ने कोई अत्याचार नहीं किया, महिलाओं पर बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को भंग कर दिया गया। हमारी प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि उन्हें गलत सूचना दी गयी, जिस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया।

बागपत कांड में पुलिस ने जो महिलाओं पर अत्याचार किया, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन जुडिशियल इन्क्वायरी के बाद आज तक किसी भी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस को अनुशासनहीन बनाने के लिए सरकार जिम्मेदार है क्योंकि जो दोषी कर्मचारी हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। वक्तव्य में कहते हैं कि सरकार इस बात के लिए कमिटेड है कि वह पुलिस को अनुशासित रखेगी। अगर आपको उसे अनुशासित रखना है तो आपको अपराधी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने से कौन रोकता है ? लेकिन नहीं, एक विरोधी दल की सरकार थी, उसे भंग करने के लिए नारायणपुर कांड का सहारा लिया गया और बागपतकांड में जो पुलिस कर्मचारी अपराधी थे, आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इससे लगता है कि प्रधान मन्त्री ने जो वक्तव्य स्वयं दिया, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा और भी तरह-तरह के अत्याचार किये जाते हैं, उनकी अनुशासनहीनता को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्ताधारी दल द्वारा अपने निहित स्वार्थों के लिए पुलिस का इस्तेमाल जगह-जगह होता है। बागपत कांड तो उसका एक उदाहरण है ही, साथ ही साथ गढ़वाल के अन्दर हरियाणा पुलिस के लोगों ने जो अत्याचार और उपद्रव किए वह भी आपके सामने हैं। वह भी आपके ही समर्थन में वहां जाकर उपद्रव कर रहे थे। लेकिन क्या

[श्री हरिकेश बहादुर]

हरियाणा और महाराष्ट्र के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आपने उस समय कोई कार्यवाही की ? क्या आपने उनके खिलाफ कार्यवाही की ? वगैर इन्क्वायरी करे अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के तमाम पुलिस कर्मचारियों को आपने बर्खास्त कर दिया। एक तरफ आप यह काम करते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे वह काम कराते हैं जो नाजायज है और उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं करते, इसलिए उसके बाद वह अनेक प्रकार के अपराध करते हैं।

तो उनको अनुशासनहीन बनाने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। इस बात के लिए मैं मौजूदा सरकार को दोषी ठहराता हूं और यह बात कहना चाहता हूं कि अपराधी पुलिस कर्मचारियों को आप संरक्षण दे रहे हैं।

पुलिस का काम आजकल क्या है। अपनी मांग के लिए सरकार द्वारा किए गए अस्त्र का इस्तेमाल वह सरकार के खिलाफ करती है क्योंकि सरकार उनकी तमाम कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देती। पुलिस की यह मात्र अनुशासनहीनता है कि जो भी उसको हथियार देते हैं, उसका इस्तेमाल वह सरकार और जनता के खिलाफ करती है, उसका दुरुपयोग करती है, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारी पुलिस का सोचने का क्या स्तर हो गया है कि जब शांतिपूर्ण ढंग से पत्रकार अपना प्रदर्शन करते हैं तो वह बेरहमी से उनको पीटती है और वह भी आपके इशारे पर पीटती है। पटना का कांड इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। इस बात को मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। पुलिस के कारनामों के बारे में उन्होंने कहा है, मैं उसे कोट करना चाहता हूं—

> "पुलिस के अत्याचारपूर्ण व्यवहार और ज्यादतियों के बारे में लोगों की तेजी से बढ़ती हुई शिकायतों से हमें गहरी चिंता हुई है। हमारे लिए स्पष्ट था कि पुलिस द्वारा अपने अधिकारों और देश में कानून और व्यवस्था और अपराध स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए पुलिस की योग्यता के घोर दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई वर्तमान व्यवस्था पर से जनता का विश्वास कम होता जा रहा है।"

यह बात तो पुलिस कमीशन ने ही अपनी रिपोर्ट में कही है और यह रिपोर्ट बहुत पहले आ चुकी थी। लेकिन क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम आज तक उठाये गये ? अगर नहीं उठाए गए तो कौन जिम्मेदार है ?

यह ठीक है कि हमारे पुलिस कर्मचारियों के सामने बहुत तरह की समस्याएं हैं, जिन का जिक्र लोगों ने किया है, अफसरों द्वारा सिपाहियों का शोषण होता है।

वेतन और सेवा शर्तों में आज तक कोई आवश्यक सुधार नहीं हुआ है। वेतन के बारे में इसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। मैं कोट करना चाहता हूँ :

"हम महसूस करते हैं कि इस सम्बन्ध में पहले पुलिस कर्मचारियों को अन्य सेवाओं की तुलना में वेतन देने में पूरा न्याय नहीं किया गया।"

यह सारी बातें पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में दी हुई है। और भी बहुत सी बातें कही गई है जैसे पुलिस-कर्मियों की बेगार समाप्त नहीं की गई है। पुलिस-कर्मियों के बच्चों की शिक्षा और उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं हुई है जिसके बारे में अभी हमारे पूर्ववक्ताओं ने यहां पर कहा है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस बिहार की पुलिस का इस्तेमाल आप पत्रकारों को पीटने के लिए करते हैं उसकी आज स्थिति यह है कि 49 हजार हेड-कांस्टेबलों में सिर्फ 4 परसेन्ट को ही आज तक घर दिए गए हैं और बाकी को नही दिए गए हैं। (व्यवधान) वहां 49000 हजार हेड-कांस्टेबल हैं। उनमें से केवल अभी तक केवल 4 प्रतिशत लोगों को ही आवास सुविधा दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपने 49000 के जो आंकड़े बताए हैं उन्हें प्रभावित कीजिए, क्या हेड-कांस्टेबल है या सिर्फ़ कांस्टेबल ?

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने उनकी पदोन्नति कर दी है।

श्री हरिकेश बहादुर : मुझे खेद है। यह 49000 हेड-कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल हैं। 80 प्रतिशत कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल के पद से ही रिटायर हो जाते हैं। उनकी पदोन्नति नहीं की जाती।

मुझे यह बात भी कहनी है कि 80 फीसदी कांस्टेबल बिना किसी प्रमोशन के ही रिटायर हो जाते हैं। अगर उनकी सेवा शर्तों में किसी प्रकार का कोई सुधार न किया जाए, उनको कोई सुविधा न दी जाए, उनकी ग्रीवान्सेज को दूर न किया तो उनकी क्या स्थिति होगी ? मैंने जैसा अभी आपके सामने कहा है, पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है।

"उदाहरण के लिए, बिहार में जहाँ करीब 49000 हेड-कांस्टेबल और कांस्टेबल हैं केवल 4% लोगों को ही आवास सुविधा दी गई है।"

इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई के बारे में केवल वेस्ट बंगाल की सरकार ने ही सही प्रबन्ध किया है, अन्य किसी राज्य सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है। सत्ताधारी दल की भी तमाम राज्यों में सरकार है लेकिन कहीं भी आज तक इसका प्रबन्ध नहीं कराया गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने ही ऐसा किया है और उसने उनको ट्रेड यूनियन के राइट्स भी दिए हैं। स्वयं मुख्य मंत्री जी उनके सामने जाकर भाषण करते हैं और उनकी ग्रीवान्सेज को सुनते हैं तथा उनके सल्यूशन भी निकालते हैं। अगर यह बात एक जगह पर

[श्री हरिकेश बहादुर]

हो सकती है तो दूसरी जगहों पर क्यों नही हो सकती है ? मैं यह नहीं कहता कि आप तुरन्त ऐसा कर दीजिए लेकिन ऐसा करने की बात आपको सोचनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार किस तरह से उस काम को कर रही है।

मैं प्रश्न के रूप में माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जिन पुलिस कर्मियों को बिना किसी जांच के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है उनके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के राज्य मन्त्री, गृह मंत्रालय, ने एक समाचार दिया था जोकि तमाम न्यूज एजेंसीज के द्वारा सर्कुलेट हो गया था, कि उस आन्दोलन को भडकाने में एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का हाथ था लेकिन बाद में वह सारा समाचार वापिस ले लिया गया, तो क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करेंगे कि इस प्रकार की बात जो उन्होंने कही थी वह किस व्यक्ति पर आरोप लगाए थे और उनका इससे कहाँ तक सम्बन्ध था। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री पुलिस-कर्मियों को अरेस्ट करने के बारे में आदेश जारी करने के बाद दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर चले गए थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया ? इतनी गम्भीर समस्या थी तो उन्हें स्वयं वहां पर उपस्थित रहकर अपने आर्डर को एग्जीक्यूट कराना चाहिए था और इसत रह की स्थिति नहीं आने देनी जाहिए थी जिसमें उनके विरुद्ध कोई गैर-जिम्मेदारी की बात कही जा सके।

क्या मन्त्री जी इस बात को भी बताएंगे कि पुलिसकर्मियों में जो अनुशासनहीनता है और अपराध करने वाले पुलिसमैनों को भी आप जो दण्डित नहीं कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका समर्थन किसी मौके पर किया था, इस प्रकार के लोगों को आप दण्ड देंगे और साथ-साथ बागपत में जो काण्ड हुआ है जिसका मैंने जिक्र किया है, उन पुलिसकर्मियों विरुद्ध भी आप कोई कार्यवाही करेंगे। इन तमाम बातों का जबाब देने की कृपा माननीय मन्त्री जी करें।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष महोदय, श्री हरिकेश बहादुर जी ने पहला सवाल यह उठाया कि मैंने केवल 1979 का सवाल उठाया इसमें मेरी नीयत 1979 की स्थापित सरकार को बदनाम करने की थी। मैं पीछे के इतिहास में गया और 1953 का इतिहास उन्होंने बाद में बताया। 1979 का इतिहास बताने में मेरी इच्छा किसी भी सरकार को बदनाम करने की नहीं थी। इस के पश्चात मैंने वक्तव्य में दिया है कि पुलिस आयोग कायम किया है मैंने यह भी बताया है कि पुलिस आयोग की रिपोर्ट आने के पश्चात मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाई। मैंने यह बताया है कि मुख्य मन्त्रियों की बैठक में जो बात तय हुई हैं, उनको अमल कराने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, जिसका हम भी पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनका आरोप उचित मालूम नहीं देता कि किसी सरकार को बदनाम करने की नीयत से 1979 का उदाहरण दिया गया है और शेष उदाहरण नहीं दिए गए हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जहां तक अन्य राज्यों में असंतोष का सवाल है। उन्होंने खास-तौर से उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है। यह बात सही है कि हमारी जानकारी में यह प्रश्न नहीं है। अब उन्होंने यह जानकारी दी है, मैं जरूर इसके बारे में पूरी जांच करवाऊंगा। बागपत की रिपोर्ट के बारे में और पुलिस अधिकारियों के बारे में उन्होंने कहा है बागपत की रिपोर्ट आ गई है, इन्क्वायरी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं संबंधित सरकार से इस बारे में पूरी जानकारी लेकर उनको सूचित करूंगा कि वहां क्या किया गया है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि पुलिस को उपयोग हम कभी पार्टी के लिए नहीं करना चाहते हैं और जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का प्रश्न उन्होंने उठाया है, जैसा कि वैस्ट बंगाल ने किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण और अहम मसला है, विचार करने के योग्य है, एक अच्छा सुझाव है। पुलिस आयोग ने इसको दिया है, मगर उस समय के जितने सुझाव थे मुख्य मन्त्रियों के वे तय हुए या नहीं हुए, इस पर विचार करने के लिए भी राज्य सरकारों को लिखेंगे।

जहां पुलिस के कर्मचारियों को बरखास्त करने का प्रश्न है कि उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। यह राज्य सरकारों का मसला है, वे उनके बारे में जैसा निर्णय करना चाहें कर सकते हैं। उसमें अगर कुछ लोगों को वापिस करना चाहते हैं या किसी का दोष नहीं है, ऐसे भी लोग बरखास्त कर दिए हैं, तो राज्य सरकार पूरी तरह से स्वतन्त्र है, उनको वापिस करने के लिए।

———

एक सर्वदलीय शिष्टमंडल के 6 अक्तूबर, 1982 को मेरठ जाने के बारे में वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : सभा स्थगित करने से पूर्व, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि कल 6 अक्तूबर 1982 को एक सर्वदलीय शिष्टमंडल मेरठ का दौरा करने जा रहा है। मुझे आशा है कि इस दौरे से वहां के सभी समुदायों के बीच सौहार्द और पुनः शान्ति स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस विशिष्ट मंडल का गठन विपक्षी दलों के माननीय नेताओं के साथ परामर्श करके किया गया है, जो इस प्रकार है :—

कांग्रेस (आई)	—	श्रीमती गुरविन्दर कौर बरार
		श्री गुलशेर अहमद
सी० पी० आई० (एम)	—	श्री समर मुकर्जी
लोक दल	—	श्री रशीद मसूद
भारतीय जनता पार्टी	—	श्री दया राम शाक्य
जनता	—	प्रो० मधु दंडवते

डी० एम० के०	—	श्री सी० टी० दंडपाणि
सी० पी० आई०	—	श्री इन्द्रजीत गुप्त
डी० एस० पी०	—	श्री अश्फाक हुसैन
कांग्रेस (एस)	—	श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
लोकदल (के)	—	श्री राम विलास पासवान
कांग्रेस (जे)	—	श्री निहाल सिंह
मुस्लिम लीग	—	श्री जी० एम० बनातवाला
जनवादी पार्टी	—	श्री चन्द्रजीत यादव
फारवर्ड ब्लाक	—	श्री चित्त बसु
आर० एस० पी०	—	श्री त्रिदिब चौधरी

यह शिष्टमंडल कल सुबह 11 बजे संसद भवन से चलेगा और उन्हें वाहन की सुविधा यहीं से उपलब्ध कराई जाऐगी ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

6·35 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 6 अक्तूबर, 1982/14 आश्विन, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2.